खण्ड-389, अंक-9
बुधवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(22 फरवरी, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–106
शासन द्वारा बकायेदार किसानों की बिजली कटौती न किये जाने की घोषणा की मांग ..	106
आज की कार्यसूची के नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	
जिला इलाहाबाद में मंझनपुर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक को तहसील बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
देवरिया शुगर मिल लि0 देवरिया में श्रमिक असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
बरेली नगर की शास्त्री नगर कालोनी की भूमि को सरकार द्वारा अर्जन नोटिस दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जिला जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं रामपुर में पीने के पानी की कमी के संबंध में में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
बेरोजगार ग्रेजुएट इन्जीनियर्स की आयु सीमा समाप्त करके सम्मिलित अभियन्त्रण सेवा द्वारा नियुक्ति कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
इन्दिरा नगर कालोनी जनपद लखनऊ में गंगा मार्ग पर अनधिकृत बाजार लगने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	
आज की कार्यसूची की मद संख्या 13 के रूप में कुंभ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर अग्रेतर चर्चा को सम्मिलित किये जाने की सूचना	121
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	124
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	125
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	141
नियम 51 की सूचनायें	151
आज की कार्यसूची की मद संख्या 11 व 12 का स्थगन	151
कुम्भ मेला 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. .. .. (जारी)	151
चर्चा का समय बढ़ाये जाने की मांग (समय बढ़ाया गया)	161
कुम्भ मेला 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. .. .. (जारी)	161
चर्चा का समय पुन: बढ़ाये जाने की सूचना	170
कुम्भ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	171
नत्थियां	177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	राम सजीवन श्री	बांदा
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
उमा त्रिपाठी, श्रीमती	हरदोई	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
काशो सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
गौरी शंकर, श्री	इटावा	शिव बख्श सिंह, राठौर, श्री	मैनपुरी
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
चारुशीला श्रीमती	मुजफ्फरनगर	शुरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
दीप चन्द्र सोनकर, श्री	जौनपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
देवन्द्र सिंह कुंवर	बिजनौर	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
निर्भय लाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
निसार हुसैन, श्री	रामपुर	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री	बुलन्दशहर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर		

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला बरेली विकास खण्ड मीरगंज के राष्ट्रीय राज मार्ग तथा रामगंगा नदी के बीच स्थित क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की मांग पर कृत कार्यवाही

***1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड मीरगंज जिला बरेली का राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राम गंगा नदी के बीच स्थित अधिकांश भाग सिंचाई सुविधाओं से वंचित है तथा जो थोड़े से राजकीय नलकूप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वह बहुत पुराने हैं तथा उनकी जल वितरण प्रणाली जर्जर है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए शासन इस क्षेत्र में तत्काल विश्व बैंक नलकूप परियोजना अथवा इण्डोडच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत दो नलकूप कलस्टर लगवाने तथा पुराने नलकूपों का आधुनिकीकरण कराने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)—

विकास खण्ड मीरगंज जिला बरेली का राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रामगंगा नदी के बीच स्थित क्षेत्र में 30 राजकीय नलकूप सिंचाईरत हैं। इन सभी नलकूपों का निर्माण वर्ष 1956 से 1986 के बीच हुआ है ।

विश्वबैंक परियोजना फेज—2 में अब कोई क्लस्टर बनना शेष नहीं है तथा विश्वबैंक परियोजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण कराए जाने का प्रश्न नहीं है । इण्डोडच परियोजना के अन्तर्गत जनपद बरेली सम्मिलित नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, प्रश्नगत क्षेत्र में लगभग 60 गांव आते हैं और 40 हजार एकड़ क्षेत्रफल है जहां सिंचाई की आवश्यकता है और यहां 30 राजकीय नलकूप जो लगे बताए गए हैं उनमें से मेरी जानकारी के अनुसार 27 नलकूप ऐसे हैं जो 1950 के दशक में बने थे और 3 नलकूप ऐसे हैं जो 1986 में बने थे । सभी नलकूप इतने पुराने होने के कारण इनसे उतनी सिंचाई नहीं हो पा रही है जिसकी आवश्यकता है । इन नलकूपों से केवल 3 हजार एकड़ में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है । यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि यहां पर कोई नहर आदि भी बनाना सम्भव नहीं है । इस दृष्टि से क्या माननीय मंत्री जी विश्व बैंक अथवा इण्डोडच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत कलस्टर लगवाए जाने के औचित्य को स्वीकार करते हैं ?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि वे नलकूप बहुत पुराने हैं । 14 नलकूप इनमें ऐसे हैं जो सन् 75 में बने हैं । जो इसके पहले के हैं वह भी काम कर रहे हैं और इन सभी नलकूपों से सिंचाई हो रही है । जहां तक विश्वबैंक के कलस्टर की बात है उसका सेकेण्ड फेज पूरा हो रहा है । वहां बरेली में इण्डोडच की कोई योजना नहीं है ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इण्डोडच योजना क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से जिले लिए गए हैं तथा इस योजना में बरेली जिला क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इण्डो डच परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिले देवरिया, बस्ती, बलिया, सुलतानपुर, बहराइच, गोण्डा, गोरखपुर और फैजाबाद लिए गए हैं इसमें बरेली नहीं आता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इण्डो-डच परियोजना के अन्तर्गत जिलों को लेने और नलकूपों का छिद्रण करने के लिए क्या-क्या मानक हैं और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई जिले नहीं आते हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी हां, इण्डो-डच योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ही आई है इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिले लिए गए हैं जिनका सर्वेक्षण करके इस योजना में लिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन् मैंने मानक पूछे थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के यह जिले पूरा करते हैं और उसमें पश्चिम का कोई जिला नहीं लिया गया है जिनमें कि पश्चिम का कोई जिला उन मानकों को पूरा नहीं करता है तो वह मानक क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मानक भारत सरकार और डच गवर्नमेंट के बीच तय हुए । उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण इस इण्डो-डच स्कीम के तहत हुआ जिसमें पूरब के 8 जिलों को लिया गया है । (व्यवधान) मानक क्या हैं वह भारत और डच गवर्नमेंट के बीच तय हुए हैं?

श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रश्नगत क्षेत्र के 40 हजार एकड़ में से केवल 3, 4 हजार एकड़ में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है शेष लगभग 35 हजार एकड़ क्षेत्र सिंचाई की सुविधा से वंचित है तो इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या शासन ने वहां पर कोई कलस्टर लगाने का औचित्य पाया है ? यदि हां, तो वह आश्वासन देंगे कि इस योजना के अगले फेज में या कोई दूसरी योजना में वहां कलस्टर लगाए जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

कलस्टर लगाए जाने का अभी कोई तय नहीं है । विश्वबैंक से वार्ता चल रही है । दो योजनाएं उनकी थीं दोनों पूर्ण हो चुकी हैं या पूर्णता की तरफ हैं । तीसरी योजना आयेगी तो बात होगी अन्यथा जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है नलकूपों के रख-रखाव के लिए नवें वित्त आयोग से धन की मांग की गई है । अगर धन मिल गया तो 13, 14 नलकूप जो असफल हैं उनको रिचार्ज कर दिया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि विश्व बैंक के नलकूपों की तरह ही जल वितरण होगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा और बरेली के सदस्यगण गरम हो गये हैं उनको ठंडा करने के लिए कोई विशेष जल व्यवस्था करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उनका छिद्रण कराने का विशेष प्रयास कर रहे हैं।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इंडो डच परियोजना के मानकों की जानकारी उनको नहीं है। तो जैसा माननीय वर्मा जी ने बताया इस योजना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नलकूप नहीं लगाया गया है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा आदि जिलों में जहां पानी की अत्यंत कमी है और सिंचाई के लिए कोई उपयुक्त परियोजना नहीं है तो इस बात को देखते हुए भारत सरकार को इस योजना के अन्तर्गत ट्यूबवैल लगाने के लिए लिखोंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आगरा और मथुरा का विशेष सर्वेक्षण सैटेलाइट से कराया गया है उसमें कुछ क्षेत्र निकले हैं जहां नलकूप लगाये जा सकते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना में इन स्थानों पर नलकूपों का छिद्रण किया जायेगा।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

गोरखपुर जनपद के सहजनवा और पाली विकास खण्ड में यह कलस्टर योजना लागू करेंगे क्योंकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इसकी घोषणा की थी क्या इसकी उनको जानकारी है?

श्री अध्यक्ष–

बरेली से गोरखपुर पहुंच गये, तो यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने असिंचित क्षेत्र के बारे में प्रश्न किया था लेकिन मंत्री जी ने उत्तर में आश्वासन दे दिया पुराने ट्यूबवेलों के संबंध में कि पैसा मिल जायेगा तो रिबोरिंग करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे क्षेत्र में, जो परीक्षण शासन ने करवाया है उस पर यहां, कलस्टर लगाने का औचित्य पाया गया है? क्या सही है कि बरेली में ऐसी जगह कलस्टर लगा रहे हैं जहां नहरों की सिंचाई उपलब्ध है? क्या यहां कलस्टर लगाने का औचित्य पाया गया है, इस पर प्रकाश डाल दें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रदेश में 103 लाख एकड़ क्षेत्रफल असिंचित है और प्रयास है कि सारी भूमि को सिंचित कर दिया जाये उसमें वह क्षेत्र भी शामिल कर लिया जायेगा।

प्रदेश के औद्योगिक रूप से शून्य तथा पिछड़े जनपदों का वर्गीकरण

**2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश औद्योगिक रूप से शून्य तथा पिछड़े जनपदों का वर्गीकरण कब हुआ और उसका मानक क्या था ? क्या सरकार वर्तमान

औद्योगिक आधार पर पुनः जनपदों के वर्गीकरण का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और श्रेणियों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार क्या होगा ?

संसदीय कार्य एवं वन राज्य मंत्री (श्री जगदीम्बका पाल)–

औद्योगिक रूप से शून्य एवं पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 2 मई, 1983 द्वारा किया गया था । इस वर्गीकरण के अनुसार पिछड़े जनपदों को (ए), (बी) तथा (सी) श्रेणी में रखा गया था । वर्गीकरण में (ए) श्रेणी में वे जनपद रखे गये हैं जहां जिला उद्योग केन्द्र की वर्ष 1979-80 के एक्शन प्लान के अनुसार कोई मध्यम या भारी उद्योग न लगा हो । पर्वतीय दूरदराज के जनपदों को स्पेशल रीजन जनपद मानते हुये भी श्रेणी (ए) में शामिल किया गया है । (बी) श्रेणी में उन जनपदों को रखा गया है जिनमें 1 अप्रैल, 1983 के पूर्व 1 अक्टूबर, 1970 से केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना लागू थी तथा जिन्हें श्रेणी (ए) में नहीं रखा गया था । (सी) श्रेणी में वे जनपद रखे गये जिनमें 1 अक्टूबर, 1970 से केवल कनशेसनल फाइनेंस की सुविधा अनुमन्य थी ।

जी नहीं ।

प्रदेश सरकार को वर्तमान औद्योगिक आधार पर भारत सरकार द्वारा जनपदों के पुनः वर्गीकरण किये जाने की कोई अधिकृत सूचना नहीं है । वर्गीकरण की कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा ही की जानी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बन में रहने वाला इस प्रश्न का क्या जवाब देगा । लेकिन आपकी अनुमति से मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो यह वर्गीकरण हुआ है–ए0 बी0 सी0 यह वर्ष 1979-80 के आधार पर हुआ । मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो ए श्रेणी के जनपद सुल्तानपुर, रायबरेली आदि हैं जिसमें दो-दो हजार करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी ए श्रेणी में रखे हैं और 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है जबकि देवरिया, बलिया, आजमगढ़, बस्ती आदि जनपदों में जहां उद्योगों का एकदम विकास नहीं है और जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पिछड़े जिलों में वह नहीं किया। भारत सरकार का मानक जो पूरे नहीं करते हैं उनको बी श्रेणी में रखा गया है और 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है । इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो गत पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास हुआ और जो जनपद इस श्रेणी के उधार चले गये और कई जनपद नीचे चले गये क्या उनका आधार मानते हुए नई स्थिति में भारत सरकार को वर्गीकरण फिर से करने का प्रस्ताव भेजेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीम्बका पाल–

मान्यवर, यह वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना लागू है । यह योजना प्रदेश के 6 जिलों में लागू थी पहले लेकिन बाद में प्रदेश के औद्योगिक विकास की आवश्यकता महसूस हुई तो 2-5-1983 को भारत सरकार ने पुनः वर्गीकरण करके प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना को 42 जिलों में लागू किया और उसके अनुसार पिछड़े जनपदों को

ए0 बी0 सी0 श्रेणियों में विभक्त करके सुविधायें अनुमन्य की और उसी के अनुसार सुविधायें दी जा रही हैं । तो वर्गीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा अपनाई जाती है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी तहसीलें जहां कोई उद्योग नहीं है वहां वह सभी वरीयतायें जो उद्योग शून्य जनपदों को दी जाती हैं क्या उन तहसीलों को दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदम्बिका पाल–

जैसा मैंने पहले कहा है कि यदि केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना में है तो ए श्रेणी को 25 प्रतिशत, बी श्रेणी को 15 और सी श्रेणी के जनपदों को 10 प्रतिशत की सुविधायें देते हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो तहसीलें पिछड़ी हैं या शून्य हैं ऐसे को प्राथमिक इकाई मानते हुए वर्गीकरण करके क्या उन्हें विशेष सब्सिडी या विशेष सुविधायें देंगे ? क्या प्रान्तीय पूंजी उपादान योजना के अंतर्गत विशेष सब्सिडी देने पर विचार करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय सदस्य बड़े विद्वान सदस्य हैं, उनको बताना चाहता हूं कि वर्गीकरण तहसील स्तर पर नहीं होता है बल्कि जिलास्तर पर होता है । इसीलिए जो जनपद जिस श्रेणी में आता होगा वहां उसी के अनुसार सुविधायें जो अनुमन्य हैं वह दी जा रही हैं । जो तहसीलें पिछड़ी हैं वह जिस जिले में आती हैं वहां उस जिले की श्रेणी के अनुसार सुविधायें अनुमन्य होंगी ।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद से मऊ अलग हो गया है तो इस बदली हुई परिस्थिति में, बहुत से जनपदों का बंटवारा हो गया है, क्या सरकार केन्द्र सरकार को लिखेगी कि वर्गीकरण फिर से किया जाये ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो भारत सरकार द्वारा यह सुविधायें 30-9-88 तक अनुमन्य थीं उसी के अनुसार सरकार कार्यवाही कर रही है और भारत सरकार को लिखा है कि आजमगढ़ जिला भी केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना के अंतर्गत जो उस श्रेणी में आता है ले लिया जाये ।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद बंटवारे के बाद जो भाग बचा है वह उद्योगों की दृष्टि से शून्य है, तो इस बदली स्थिति में आप विचार क्या करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

विचार कर लेंगे ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्गीकरण किया है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए, क्या बैंकों को भी इस दिशा में कोई निर्देश दिया है कि ब्याज क्या तय किया है, इस सम्बन्ध में आप बता दें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जहां वर्गीकरण किया है वहां बैंकों को सुविधायें देने के लिए भारत सरकार के निर्देश हैं और सुविधायें दी जा रही हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, बहुत से नये जिले बनाये गये हैं जैसे मऊ, सिद्धार्थनगर फिरोजाबाद, हरिद्वार आदि क्या इनके बनने के बाद अब जो जिले औद्योगिक दृष्टि से शून्य हो गये हैं क्या इनको उसी मानक के अनुसार औद्योगिक शून्य जनपदों की घोषणा करने में आपको क्या कठिनाई है ? क्या पुनरीक्षण कराकर फिर उन्हें घोषित करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

जो नये जनपद सृजित हुए हैं, तत्काल सृजित हुए हैं । इनके बारे में वर्गीकरण भारत सरकार को करना है । इसकी जानकारी हम भारत सरकार को देंगे कि यह जिले अब उद्योग शून्य जिले हो गये हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

गोंडा जनपद में केवल एक उद्योग-इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, मनकापुर है और इसके अलावा वहां पर कोई भी छोटा या बड़ा उद्योग नहीं है । तो शायद बी श्रेणी में गोंडा मान लिया गया होगा । गोंडा एक अति पिछड़ा हुआ जिला है और उसके टेलीफोन इंडस्ट्रीज उद्योग को हटा दें तो वहां पर करीब-करीब शून्य इंडस्ट्रीज है, किन्तु यह बार-बार कहा जाता है कि वहां पर बहुत बड़ा उद्योग दे दिया गया है । तो जैसा भारत सरकार से कहा गया है, तो जो जनपद बी या सी श्रेणी में हैं, उनमें और औद्योगीकरण कराकर, सी को बी में और बी को ए में लाने के बारे में संस्तुति करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आपने तो इतना लम्बा खींच दिया कि वह इसका जवाब कैसे दे पायेंगे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या भारत सरकार को इस बात की संस्तुति करेंगे कि वर्गीकरण पुनः करा लिया जाए . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

फिर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं । इसका क्या उत्तर दे पायेंगे । एक एक बात को कर लें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

यह बस्ती का पानी है खूब समझ रहे हैं । हमारा प्रश्न स्पष्ट है कि जो जनपद बी या सी श्रेणी में हैं, उसको उद्योगीकृत करके, सी को बी में और बी को ए में लाने की वह कृपा करेंगे और भारत सरकार से इन जिलों का और विशेषकर गोंडा जनपद का पुनः वर्गीकरण कराने की संस्तुति करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

जिला का नहीं हम उद्योगों का वर्गीकरण इस दृष्टि से कराते हैं कि उनमें जिले की सुविधाएं दी जायं, जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है कि 25, 15 और 10

परसेंट तो गोंडा भी उस श्रेणी में है और वहां पर अपनी श्रेणी के अनुसार वह भी सुविधा पा रहा है और पाने का अधिकारी है और जब अधिक लगेंगे तो वह बी से ए में नहीं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह तो बी से सी में जायेगा और ए से बी में जायेगा । जो वह सी से बी में और बी से ए में लाने के बात कह रहे हैं, उससे तो वह जिला और पिछड़ जाएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सभी जगह समान विकास हो, यह शासन की नीति है । जो तहसीलें जिन जिलों में उद्योग शून्य हैं, जो जिले के समान कोई तहसील उद्योग शून्य है तो उसे उद्योग शून्य घोषित करने में, और जो उद्योग शून्य जिलों के लिए सुविधाएं प्रदत्त हैं, उनको देने में शासन को क्या आपत्ति है ।

श्री जगदीम्बका पाल–

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तहसील स्तर पर हमारी एक योजना है । जो तहसील उद्योग की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, वहां के लिए पायनियर प्रेस्टीज इकाई योजना चलाई है । तो मान्यवर, जो ऐसे जनपदों की तहसीलें हैं, जहां पर एक करोड़ की लागत का कोई उद्योग नहीं है तो वहां पर जो उद्योग लगेगा उसको हम पायनियर इकाई मानते हैं । ऐसी इकाई की स्थाई पूंजी का 15 प्रतिशत भाग राजकीय उपादान से देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

शाही जी आप आखिरी प्रश्न कर लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन माननीय मंत्री जी जो वन वाले हैं वह उद्योग की हालत क्या जानेंगे यह तो रटी-रटाई बात कह रहे हैं राजकीय पूंजी उपादान योजना प्रदेश में लागू है, मैं जानना चाहता हूं देवरिया, गोरखपुर, बलिया, बस्ती जो तमाम . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं । मान्यवर प्रदेश में औद्योगिक असंतुलन न हो सके समन्वय बना रहे और बराबर औद्योगिक विस्तार हो सके क्या इसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि औद्योगिक विकास का समन्वय बना रहे ऐसी नयी स्थिति में क्या यह भारत सरकार को वर्गीकरण का प्रस्ताव भेजेंगे ।

श्री जगदीम्बका पाल–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने वर्गीकरण के बारे में कहा है इसमें मैं दो चार विन्दु कहना चाहूंगा :–

1–प्रति वर्ष खाद्यान एवं कामर्शियल वस्तु का उत्पादन

2–कृषि मजदूरों के अनुपात में जिले की जनसंख्या ।

3–प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन ।

4–प्रत्येक लघु कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ।

5–प्रति व्यक्ति उत्पादक ।

6–जनसंख्या के अनुपात में सड़कों तथा रेलवे लाइनों की लम्बाई ।

तो मान्यवर, यह वर्गीकरण का आधार है । मान्यवर, कहीं उपादन योजना लागू हुई है । 1983 में जहां दो हजार तीन हजार के उद्योग लगाए गये हैं वहां हम इन सुविधाओं को देने में कटिबद्ध हैं । जो जिस श्रेणी में आता है उसको उसी के अनुसार सुविधा दी जाएगी ।

(कई माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर काफी वक्त दिया गया है। आप यह तय कर लीजिये कि कितने प्रश्न सप्लीमेंटरी होंगे। माननीय दीक्षित जी ने कल नियम 300 में प्रश्न उठाया था कि पूरा समय कुछ सवालों पर ही चला जाता है जबकि 20 तारांकित प्रश्न होते हैं जिनकी नौबत नहीं आती। आप ही यह फैसला कर लीजिये।

श्री सुखपाल पाण्डे–

फैसला तो मान्यवर, आपको करना है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इतने समय में तो मेरा प्रश्न और उसका उत्तर आ जाता।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कानपुर देहात को बाद में उद्योग रहित क्षेत्र घोषित किया गया है और वहां उद्योग लगाये जा रहे हैं उसी तरह से तहसील हरैया को और सिद्धार्थ नगर जहां उद्योग नहीं हैं उनको भी उद्योग रहित क्षेत्र घोषित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से संस्तुति करेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नये जिले हैं और कुछ उद्योग शून्य जिले हैं उसको टेकअप करेंगे उस संबंध में विचार करेंगे । दूसरी बात जो अपने तहसील की कही है तो तहसीलों के लिए एक पायोनियर प्रीस्टिज योजना चालू है जिसमें 1 करोड़ रुपये तक के उद्योगों के लिये 15 प्रतिशत अनुदान है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता से सहायक अभियन्ता तक तथा सिविल तथा यांत्रिक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती एवं आरक्षण

*1–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 25-12-88 को सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता से सहायक अभियंता तक सिविल तथा यांत्रिक संवर्ग में अलग-अलग कितने-कितने पद स्वीकृत थे तथा उनमें से कितने कितने पद अनुसूचित जाति एवं

जन जाति के लिए अलग-अलग आरक्षित थे तथा रिक्त थे? इन आरक्षित पदों के विरुद्ध कितने-कितने व्यक्ति आरक्षित वर्ग के कार्यरत थे तथा 25-12-88 को ही इन आरक्षित पदों के कितने-कितने अधिकारी इन आरक्षित पदों पर प्रोन्नति हेतु अर्ह एवं पात्र उपलब्ध थे? क्या सरकार इन अवशेष आरक्षित पदों को आरक्षित वर्ग के पात्र एवं अर्ह उपलब्ध व्यक्तियों से भरने के लिए शासनादेश संख्या 22/21/1982-कार्मिक-2 दिनांक 31-12-84 के अनुपालन में विशेष चयन का आयोजन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सुचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद ग्राम अशरफपुर बरवा में देशी शराब की दुकान बन्द कराने की मांग

*2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम अशरफपुर बरवा जनपद फैजाबाद में देशी शराब की दुकान बन्द कराये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 सितम्बर, 1988 का पत्र संलग्नक सहित मिल गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और उक्त दुकान जिसके कारण उक्त गांव हत्या, डकैती, बलात्कार तथा अन्य प्रकार के जघन्य अपराधों में संलग्न अपराधियों का प्रमुख केन्द्र बनता जा रहा है, को बन्द कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?।

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जी हां।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के माध्यम से जांच कराने पर आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पत्र मिलने की बात स्वीकार किया है। उसके साथ उस न्याय पंचायत में पड़ने वाले सभी ग्राम प्रधानों के पत्र थे जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि इस नयी दूकान के खुल जाने से उस इलाके में अपराधों में वृद्धि हो रही है और अपराधी सुबह शाम वहां इकट्ठे होकर अपराधों की योजना बनाते हैं जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मंत्री जी ने बताया कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से जाच करवायी गयी और जांच से आरोप सत्य नहीं पाये गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी ने की। जांच के संबंध में किन किन लोगों से सम्पर्क स्थापित किया गया और जांच आख्या क्या है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जांच ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से करायी गयी है। उन्होंने जांच आख्या फरवरी, 89 में भेजी है। उनका कहना है कि मौके पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह जगह अपराधियों का अड्डा बन चुकी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा आरोप था कि पुलिस की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। शराब की दूकानों का विस्तार किया जा रहा है। इन्होंने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच करा लिया लेकिन यह नहीं बताया कि जांच के दौरान किन-किन लोगों से संपर्क किया गया। जहां

तक मैं समझता हूं कि सरकार की घोषित नीति है कि अगर कोई शराब की दुकान खुलती है और वहां का जनसमुदाय उसका विरोध करता है तो उसे सरकार बंद करा देगी नशाबंदी के बारे में जो यह घोषित नीति थी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने उसमें कोई मौलिक परिवर्तन करके शराबखोरी, नशाखोरी को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है यदि नहीं तो तमाम प्रधानों और जन प्रतीनिधियों के विरोध के बाद सरकार को कौन सी मजबूरी है कि वह नयी खोली गयी शराब की दुकान बन्द कराने के लिए तैयार नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, माननीय विधायक का यह पत्र है और अन्य कुछ लोगों के भी दस्तखत हैं। इसी गांव के जो प्रधान हैं श्री लल्लन प्रसाद जी उनके दस्तखत हैं। उन्होंने कहा था कि जबसे यह दुकान खुली है गांव में अपराध वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इसकी जांच करायी गयी कि इस दूकान को खोलने से अपराध बढ़ रहे हैं या नहीं तो इस पर श्रीमन् कोई भी मामला सामने नहीं आया, जिससे यह प्रकरण सिद्ध हो सके कि वहां पर अपराधिक भावना बढ़ रही है। श्रीमन् जिसने यह कम्पलेंट की थी, उनसे पूछताछ की गयी, तो उन्होंने अपना एक लिखित बयान दिया और कहां कि इससे हमारे यहां कोई अपराध नहीं बढ़ रहा है, केवल एतराज यह है कि मेरे मकान के पास ही यह दूकान है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन् यह शासन की घोषित नीति है। वह मामला कई बार आ चुका है, आपने शासन को निर्देश भी दिया है। माननीय तिवारी जी ने जो कम्पलेंट दी, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि यह अपराधिक मामले से संबंधित है। उस दूकान के खोलने से वहां पर अपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, अपराध होते हैं, लेकिन पुलिस के रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जाते हैं । लेकिन जो शासन की नीति है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य आरोप लगायेंगे, तो उसकी जांच होगी, तो उस माननीय सदस्य को भी सूचना दी जायगी। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब इसकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया, तो क्या माननीय तिवारी जी से उस समय सम्पर्क स्थापित किया गया था?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जो वहां के ग्राम प्रधान थे, उन्होंने ही शिकायत की थी, उस पर तिवारी जी ने अपना संस्तुति पत्र लगाया था । इन्होंने स्वयं शिकायत नहीं किया था ।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जिस जगह वह शराब की दूकान खोली गयी है, उसके अगल-बगल किस बिरादरी और किस समाज के लोग हैं, जिनके विकास के लिए यह दूकान खोली गयी है?

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(पुनः कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक ग्राम प्रधान ने लिखित दे दिया कि जब से यह दूकान खुली है, तब से कोई अपराध नहीं बढ़ा है। लेकिन मेरी जानकारी है कि खुद उसी गांव के एक मुसलमान के घर, इस दूकान के खुलने के बाद डकैती पड़ी और उसे बुरी तरह से लूट लिया गया। मान्यवर, उस प्रार्थना-पत्र पर, जिसे मैंने माननीय मंत्री जी को भेजा था, उस न्याय पंचायत के सभी प्रधानों के हस्ताक्षर थे। माननीय मंत्री जी अपने बयान में कहते हैं कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उस गांव के केवल एक ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया। लेकिन मेरी जानकारी है कि इसी 20 तारीख को सी0 ओ0 ने थाना गोसाईगंज में सारे ग्राम प्रधानों की एक मीटिंग बुलाई थी और वहां पर सभी ने एक स्वर से शिकायत की कि वहां पर इस दूकान के खुल जाने से अपराध बढ़ रहा है और सभी ने इसे बन्द कराने की मांग की, जिस पर सी0 ओ0 ने एस0 एस0 पी0 तथा दूसरे अधिकारियों को इसके बारे में लिखने का आश्वासन दिया है। श्रीमन् मेरी निश्चित जानकारी है कि एस0 एस0 पी0 न तो गांव में मौके पर गये और न किसी से सम्पर्क किये, हो सकता है कि एक प्रधान पर प्रभाव डाल कर एस0 एस0 पी0 ने लिखा लिया होगा। जब से यह शराब की दूकान खुली, वहां पर चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। वह किस आधार पर यह कह रहे हैं कि दूकान के खुलने के बाद अपराधों में वृद्धि नहीं हुई?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् 1-9-88 को यह दूकान खोली गयी। श्रीमन् जिस डकैती का उल्लेख किया गया है, 30 जनवरी, 1989 को यह डकैती पड़ी। यहीं पर एक बात उल्लेखनीय है कि दूकान तो 1-9-88 को खोली गयी, लेकिन इसके पूर्व 21-4-88 को भी एक डकैती पड़ चुकी थी। तो ऐसा नहीं है इसके खुलने से इसका संबंध हो। इसके खुलने से पूर्व इसमें एक डकैती पड़ी है। वहां पर कोई ऐसा गैंग है जो डकैती डालने का कार्य कर रहा है लेकिन उससे इस दूकान का संबंध होगा ऐसी कोई बात नहीं है। यह दोनों डकैतियों पर इन्क्वायरी पुलिस कर रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो शासन की नीति है कि शराब से लोगों को छुटकारा दिलाया जाय तो इस नीति के चलते, यह नीति बहुत दिनों से चल रही है, 1.2.1988 से इस दुकान को खोलने का क्या औचित्य था और इस नीति के चलते क्या इस दुकान को बन्द करने पर विचार करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह एक दुकान के उसमें एक दुकान है जो इसमें खोली गयी है। तो यह एक दुकान पहले से कार्य कर रही थी यह उसकी सब्सीडरी दुकान खोली गयी है।

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि एवं बकायेदारों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*3–श्री हर्ष वर्धन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने बिजली उपभोक्ताओं पर 5 लाख रुपये से अधिक कर बकाया था और इस प्रकार के बकाये

की कुल राशि कितनी है? क्या उक्त बकायेदारों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

31-12-88 को 5 लाख से अधिक बकाएदारों की संख्या 146 थी)।

(सूची सदन के पटल पर रख दी गई है)

इस प्रकार बकाए की कुल राशि 221.07 करोड़ रु0 है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 221 करोड़ 7 लाख रुपये का बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 221 करोड़ 7 लाख रुपया जो बकाया है इसमें से कितनी धनराशि के मामले में न्यायालयों से स्थगन आदि है और बाकी की वसूली के लिए क्या कार्यवाही चल रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अदालतों में 50 करोड़ 80 लाख रुपया विचाराधीन है और बाकी के लिए वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 50 करोड़ 80 लाख रुपया न्यायालयों में विचाराधीन है लेकिन मेरी अपनी निजी सूचना है कि नवम्बर, 1988 तक 487 करोड़ 63 लाख रुपया बकाया है तो जो बकाया 487 करोड़ 63 लाख है इसकी वसूली के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य हर्ष वर्धन जी ने 5 लाख रुपयों से ज्यादा के बकाये के बारे में पूंछा था वही मैंने बताया । माननीय सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी का कहना सही है कि कुल जो बकाया है वह 487 करोड़ 63 लाख है उसकी वसूली के अनेक तरीके के प्रयास किये जा रहे हैं जैसे कि मान्यवर, अगर हम पिछले साल की इसी जनवरी तक की वसूली को देखें और इस वर्ष तक का देखें तो करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये की अधिक वसूली हुई है और मान्यवर, पूरे तरीके से इस पर इधर प्रयास किया जा रहा है । अदालत से प्रयास किया जा रहा है उसकी क्लबिंग करायी जा रही है, उनकी सुनवाई के लिए प्रयास हो रहे हैं। बहुत से डिसकनेक्शन हुए हैं हमने भी डिराइव किया है, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जनवरी तक डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगों के ऊपर जितना बकाया है, उसके सम्बन्ध में जिस तरीके से कनेक्शन किसानों के मास तरीके पर काटे जा रहे हैं और बड़े उद्योगों और बड़ी इण्डस्ट्रीज के कनेक्शन

नहीं काटे जा रहे हैं और किसानों को पानी की इतनी आवश्यकता है, जरूरत है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी उपज देश के काम भी आती है, तो जिस नर्म निगाह से उद्योगपतियों को और कारखानों को देखा जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी उसी तरह से किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन जो मेरठ, मुजफ्फरनगर या पूरे प्रदेश में हैं, क्या उसी तरह से उनके साथ रियायत बरतेंगे और उनका कनेक्शन काटना बन्द करेंगे, जब कि उनको पानी की अधिक आवश्यकता है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि हम उद्योगपतियों या बड़े घरानों पर कोई रियायत कर रहे हैं । सही बात यह है कि पूरी सख्ती से पेश आ रहे हैं और उसमें अच्छी सफलता भी मिली है । जहां तक सम्मानित सदस्य ने किसानों का प्रश्न किया, किसान के साथ कोई सख्ती का प्रश्न नहीं है और कृषि क्षेत्र में भी 105 करोड़ रुपया इस समय बकाया है, जो किसानों पर है । मान्यवर, किसानों के साथ किसी प्रकार की सख्ती नहीं है बल्कि उनके साथ पूरी रियायत करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

क्या यह आश्वासन देंगे कि उनके कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मेरी निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है । इसीलिए करोड़ों रुपया पूंजीपतियों का बकाया है और उनकी लाइन नहीं काट रहे हैं ।यह किसान विरोधी सरकार है, इसीलिए किसानों की लाइन निरंतर काट रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लें ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मेरे अपने क्षेत्र में घड़ल्ले से लाइनें छोटे उपभोक्ताओं की काटी जा रही हैं, इस बात को निश्चित मानते हुए कि सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है, क्या यह सिद्ध करने के लिए कि यह सरकार किसानों की हमदर्द है, जब तक पूंजीपतियों का सम्पूर्ण बकाया वसूल नहीं हो जाता, तब तक सरकार घोषणा करेगी कि किसानों की कोई लाइन नहीं काटी जायगी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक विद्युत विभाग का सवाल है, स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का सवाल है, उसकी ओर से जो भी बड़े-बड़े लोग हैं, उनसे पैसा वसूल करने की पूरी कोशिश हो रही है और किसानों का 105 करोड़ रुपया बकाया होते हुए भी कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हो रही है, परेशान करने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों को अधिक बिजली देकर उनकी अधिक सिंचाई करने का प्रयास किया है, जैसा कि माननीय सदस्य महसूस करते होंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 231 करोड़ 70 लाख रुपया आपने जो बकाया बताया है, यह कितने दिन का बकाया है और जिन लोगों पर 5 लाख रुपये की रकम हुई, यह कितने साल में हुई और इस बीच में विद्युत परिषद ने उनसे वसूली करने की क्या कार्यवाही की और क्या इस बीच में उनका विच्छेदन किया गया या नहीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वैसे माननीय सदस्य कष्ट करेंगे तो जो सूची दी है, उसमें इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैंने पूछा है कि यह इतनी बड़ी रकम कितने साल की बकाया है और 5 लाख रुपये कितने साल के हैं और इस बीच में विच्छेदन की कार्यवाही की गयी या नहीं और वसूली की क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो पहला प्रश्न किया, मैंने स्पष्ट किया कि जो सूची दी हुई है, उसमें पूरा विवरण संलग्न है कि किस तरीके से, किस तारीख से बकाया है । कुछ केसेज तो 1962–65 के हैं और उन सभी के बारे में प्रयास किया जा रहा है, कुछ की रिकवरीज जारी की गयी हैं, कुछ के मामले अदालत में विचाराधीन हैं, उनकी कलबिंग कराई गई है । इस बीच हमने पूरा डाइव चलाया है वसूली के बारे में ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

उनका विच्छेदन किया गया है या नहीं उनके बारे में नहीं बताया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें मैंने राकेशधर त्रिपाठी जी को बुलाया है ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर जनपद में अकेले हिन्डालकों और कनोडिया पर कितना बकाया है ? 10 हार्सपावर और 20 हार्सपावर के कनेक्शन वाले किसानों का यदि बकाया रह जाता है तो उनको 14 दिनों तक तहसीलों में बन्द किया जाता है, आर0 सी0 भेजी जाती है । जिस तरह से किसानों को 14 दिनों तक तहसीलों में बंद किया जाता है बकाये के सम्बन्ध में, उस तरह से किन-किन लोगों के खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सूची में बकाये का जिक्र है

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

सूची तो आपने एक माननीय सदस्य के पास दी है, सारे सदन को आप उससे

अवगत करायें । 157 करोड़ रुपये का घाटा बजट का है और 437 करोड़ विद्युत परिषद् का बकाया चल रहा है ।

(व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कनोडिया और हिन्डालको पर काफी बकाया है इसमें कोई संदेह नहीं है । उसमें कुछ मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं और बाकी पर हम रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री गोपाल दास यादव, श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें मैंने माननीय गोपाल दास यादव जी को बुलाया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, दो कम्पनियों के बारे में बता दें कि कितना बकाया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कनोडिया केमिकल्स पर 19 करोड़ 71 लाख बकाया है । हिन्डालको पर भी काफी बकाया है, सूची में दिया हुआ है । आप लोग पूरा जवाब सुन लें । मान्यवर, इनसे रिकवरी करने की पूरी तरह से कोशिश की है, अधिक से अधिक रिकवरी करने की जल्दी से जल्दी इनसे पैसा रिकवर करने की कोशिश की जायेगी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । माननीय गोपाल दास यादव जी को बुला रहा हूं ।

श्री गोपाल दास यादव–

221 करोड़ रुपये विद्युत विभाग का बकाया है और 50 करोड़ रुपये बकाये के मामले कोर्ट में हैं । प्राइवेट सेक्टर में हिन्डालको और रेनुकूट पर कितना बकाया है ? पब्लिक सेक्टर में सिंचाई विभाग, जल निगम और नगर महापालिका में मान्यवर, कितना बाकी है और किन कारणों से यह वसूल नहीं कर पा रहे हैं ? केवल कह देते हैं कि इनसे वसूलने का प्रश्न नहीं उठता है । मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के इन विभागों में जो लगभग 100 करोड़ रुपए का बकाया है उनकी वसूली न करने की क्या मजबूरी है ? जो आपकी क्षति हो रही है और घाटा बढ़ रहा है उसकी पूर्ति करने की कब तक कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जल संस्थान और जल निगम पर 88 करोड़ 37 लाख रुपये बाकी है और सिंचाई विभाग पर 41 करोड़ 29 लाख रुपये बाकी है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

आप इनसे वसूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल सक्षम नहीं है । आप राजीव गांधी

के इशारों पर चलते हैं आप में बिल्कुल वसूल करने की हिम्मत नहीं है, आप इस्तीफा दें । आप में हिम्मत नहीं है कि रेनुकूट से वसूल लें, हिन्डालकों से वसूल लें । इन्हें हिन्डालकों से वसूलने की हिम्मत नहीं है । माननीय मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी मैं बड़े नम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप खड़े हो गये हैं तो आपके कुछ साथी खड़े हो जाते हैं एक साथ । वैसे भी मैं इस प्रश्न पर इतना समय दे चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह सारा सदन उद्वेलित है इस बात के लिए कि इस सरकार की दोहरी नीति है । किसानों पर जो छोटा-मोटा बकाया होता है, उसे वसूलने के लिए तो यह सरकार किसानों को सिविल प्रिजन में भेज देती है, दूसरी ओर जो बड़े-बड़े उद्योग-पति हैं और सरकारी विभाग हैं, उन पर जो बकाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इनके कानून पता नहीं किस तिजोरी में बन्द हो जाते हैं । आज सारा सदन माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता है कि जो सहूलियतें सरकार बड़े-बड़े उद्योग-पतियों व सरकारी विभागों को दे रहे हैं, उनकी बिजली नहीं काटी जा रही है, उसी प्रकार किसानों पर जो बकाया है, उनकी बिजली को भी तब तक न काटा जाय जब तक कि सरकार उद्योगपतियों व सरकारी विभागों से बिजली के बकाये की कटौती न कर ले ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि अगर इसके संलग्नक को देखा जाय तो पता चल जायेगा कि ये बकाये 1962 से हैं । जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, सभी माननीय सदस्य इसे भलीभांति जानते हैं कि किसानों के प्रति यह सरकार कितनी हमदर्द है । हमने किसानों को अधिक बिजली की आपूर्ति की है । किसानों को हर तरह से पूरी सहूलियतें दी हैं । सरकारी विभागों पर जो पैसा बकाया है, उसके बारे में हम बैठक कर चुके हैं । कुछ रुपए आए भी हैं और उसकी अदायगी भी हुई है । सिंचाई विभाग ने भी कुछ पैसा दिया है । सिंचाई विभाग व जल संस्थान के ऊपर जो बकाया है, वह उपभोक्ताओं का है । अगर हम स्टेट ट्यूबवेल की बिजली काट दें या फिर जल संस्थान की बिजली काट दें तो सारे लोगों को पानी मिलना बन्द हो जायेगा, लेकिन हम रिकवरी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं । उसके बारे में बैठक भी हुई है ।

(श्री गोपाल दास यादव, श्री रघुवर दयाल वर्मा, डा0 बंगाली सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अब्दुल बहीद करैशी आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर वापस जायं ।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्यों द्वारा अपना-अपना आसन ग्रहण कर लेने पर)

माननीय मंत्री जी । जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय सदस्यों की भावना यह है कि किसानों की बिजली उनके बकाया के प्रति न काटी जाय । अगर आप इस पर कुछ उत्तर दे सकें, तो दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

आपने जो प्रश्न उपस्थित किया

(घोर व्यवधान)

यहां इस बीच जो कई तरीके के प्रश्न हुए और तिवारी जी ने भी प्रश्न किया उससे 3-4 प्रश्न बनते हैं सामान्य तौर पर । पहला प्रश्न कि जो 5 लाख रुपए से अधिक के बकायेदार हैं, उनसे वसूली के बारे में है । इसमें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनसे पूरी शक्ति के साथ वसूली करेंगे किसी के साथ रियायत करने का प्रश्न नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

मान्यवर, मैं संरक्षण चाहता हूं । मैं एक-एक प्रश्न का उत्तर दूंगा । मैं उत्तर देने से कतरा नहीं हूं ।

(घोर व्यवधान)

दूसरा प्रश्न आता है ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जवाब तो सुन लीजिए ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जहां तक उद्योगपतियों का प्रश्न है, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की रियायत का प्रश्न नहीं है । पिछले साल की जनवरी तक की वसूली में और इस साल की जो वसूली है 150 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूली हुई ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न समिति के सुपुर्द करता हूं ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर नारा लगाने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं एक-एक सम्मानित सदस्य को उत्तर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब मुनासिब नहीं है, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने सरकार को यह निर्देश दिया है कि किसानों की बिजली काटी न जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश नहीं दिया है बल्कि मैंने आप लोगों की भावना को उनसे कहा है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपने जो कहा है, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दें कि और यह घोषणा करें कि अप्रैल-मई तक किसानों की बिजली नहीं काटी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मुशकिल तो यही है कि उनका उत्तर आता नहीं है और जब वे उत्तर देते हैं तो आप उसे सुनना नहीं चाहते हैं । पहले आप सुन तो लीजिए कि वे माननीय रेवती रमण सिंह को क्या उत्तर देते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिस तरफ सम्मानित सदस्य रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने ध्यान आकर्षित किया था, मैं सबको यानी कि एक-एक को उत्तर दूंगा ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी से केवल एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि ये साफ-साफ घोषणा करें कि जब तक पूंजीपतियों के बकाये का भुगतान नहीं होगा, तब तक ये किसानों की बिजली नहीं काटेंगे ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हमारी तरफ से कोई मुरव्वत नहीं है । 28 लोगों के कनेक्शन डिसकनेक्ट किए गए हैं । मान्यवर आप कहें तो मैं उनकी सूची भी पढ़ दूं । राम शरण दास जी, आपसे ज्यादा हम किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के सम्बन्ध में आप लोग केवल फर्जी बात करने वाले हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने जो घोषणा की थी कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करने की, इसको मैं वापस लेता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मुझे भी एक सवाल पूछना है, श्रीमन् ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप मुझे एक प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं देंगे ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, हमारी परेशानी एक है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं । इस प्रश्न पर कि जब आपने सारे सदन की भावना का ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री जी को स्पष्ट किया कि सारे सदन की भावना यह है कि किसानों की बकाये के कारण बिजली न काटी जाय , अब इस पर शासन का क्या दृष्टिकोण है, उसे न बतला कर, आपके निर्देश के बावजूद . . .

श्री अध्यक्ष–

मेरा कोई निर्देश नहीं है, मैंने आपकी भावना उनको बतलाई थी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

उस भावना के तहत ही आपने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि हमारी जो भावना है उस पर माननीय मंत्री जी का और शासन का क्या दृष्टिकोण है और उस पर शासन की क्या प्रक्रिया है, उसे न बता कर माननीय मंत्री जी अन्य चार-पांच बातों का उत्तर दे रहे हैं । जब तक आप बड़े बकायेदारों का और उद्योगपतियों का बकाया नहीं ले लेते हैं तब तक किसानों की बिजली बकाया के कारण नहीं काटी जायेगी और इस पर शासन की क्या नीति है, आपका क्या रुख है, बस यही आप बता दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अब मान्यवर, जहां तक किसानों का प्रश्न है, सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती आई है (घोर व्यवधान) और करती रहेगी । पिछली बार मान्यवर, आपको भी याद होगा कि इस सदन में ही चर्चा हुई थी ट्रांसफार्मर्स की कमी के बारे में, तो इस पर हमने 38 करोड़ रुपये खर्च करके तमाम जगहों-जगहों पर ट्रांसफारमर्स बदले और मान्यवर, यही नहीं सरकार का किसानों पर आज भी 105 करोड़ रुपए बाकी है । इस प्रकार से किसानों के साथ हम कितनी हमदर्दी कर रहे हैं । 101 पैसे प्रति यूनिट बिजली हरेक को दी जाती है परन्तु हम किसानों को मात्र 14 पैसा प्रति यूनिट ही पर बिजली दे रहे हैं । इसलिए यह कहना कि प्रदेश के किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, उचित नहीं है । प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई ज्यादती नहीं हो रही है, और न ही कभी भी इन पर ज्यादती होगी, यही हमारा कहना है . . .

(घोर व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, बिजली बोर्ड को भंग कर दिया जाय और इस बोर्ड का सचिव को अध्यक्ष न बनाया जाए . . .

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने इधर के और उस तरफ के बैठने वालों ने अपनी-अपनी जिज्ञासा इस बारे में प्रकट की, इसी पर मान्यवर, आपने शासन को निर्देश दिए कि किसानों की बिजली न काटी जाए, उस पर माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए

और किसानों के प्रति झूठे आंसू बहाये, लेकिन हम माननीय सदस्यों का प्रश्न एक ही था कि किसानों की बिजली न काटी जाए, इस पर आपकी क्या नीति है, उसका परिचय माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें । (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन में दिए गये निर्देशों व सदन की मंशा को ध्यान में रखते हुए कोई निर्देश देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई निर्देश नहीं दिए, कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने निर्देश तो नहीं दिए लेकिन हम उसे निर्देश ही समझते हैं । मान्यवर, हम लोगों को एक ही बात कहनी है वह यह कि किसानों के बिजली कनेक्शन न काटे जायें, इस बारे में सरकार की क्या नीति है, मान्यवर, नियमों को आप देख लीजिए वैसे माननीय मंत्री जी उत्तर क्या देंगे, वह हम जानते हैं, संगत उत्तर इनकी ओर से कभी इस प्रश्न पर नहीं आयेगा क्योंकि इनकी नीति किसानों के हित की नहीं है, अगर यह किसानों के हित की बात सोचते तो इनका उत्तर सिर्फ हां या नहीं में आता, उसे इधर-उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, स्पष्ट उत्तर दिलाने की कृपा करें कि किसानों की बिजली कनेक्शन्स यह काटेंगे या नहीं, इस पर सरकार की क्या नीति है ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उनका कहना है कि उत्तर एक साथ आ जाये, तो उनको भी सुन लिया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक-एक सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए ।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी जवाब देने की स्थिति में नहीं रह गये हैं । किसानों की बिजली जो कट रही है उसको वह रोक नहीं पायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवा लें । आप कहते हैं कि मैंने अपेक्षा की है, आप निर्देश दे नहीं सकते और वह निर्देश मान नहीं सकते लेकिन किसानों की बिजली काटी जा रही है उसको कैसे रोका जाय इस भ्रष्टाचार को आप न्याय संगत कब तक कहते रहेंगे ? यह ऊर्जा मंत्री नहीं रह गए हैं । कमजोर मंत्री रह गये हैं । नारायण दत्त तिवारी जी को बुलवा लिया जाये, आप मुख्य मंत्री जी को बुलवा लें और वह बात करें। आप बुलवा लीजिए वही जवाब दे पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी खड़े हैं । प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

माननीय गुप्ता जी के प्रश्न का उत्तर आप दें ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव—

आपकी पीठ से क्या व्यवस्था है ? [xxx] आपने एक बार इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंपने का निर्णय दिया और फिर आप दुबारा इसको सुनने लगे । तो इस प्रकार से एक नयी परम्परा स्थापित हो जायेगी और इससे सदन व्यवस्थित नहीं रह सकता है ।

(शोर)

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने किया और दूसरा प्रश्न शतरुद्र प्रकाश जी ने करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि. . . .

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि किसानों की बिजली आप काटेंगे या नहीं । हां या नहीं में जवाब दें ।

श्री राम शरण दास—

पहले बता दो कि बिजली काटोगे या नहीं ?

(व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आप नाराजगी क्यों जाहिर करते हैं ? आप प्रश्न पूछिए ।

(व्यवधान)

(श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राम आसरे वर्मा आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाते रहे)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[xxx]

श्री राम शरण दास—

इनसे साफ-साफ कहलवाइये कि किसानों के कनेक्शन काटे जायेंगे या नहीं काटे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग अपने स्थान पर चले जायें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

इस सवाल का मान्यवर, जवाब दिलवायें ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोल रहे थे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें ।

नोट:—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गुप्ता जी ने एक बहुत ही सुस्पष्ट प्रश्न किया है ऊर्जा मंत्री जी से . . . (व्यवधान) सरकार का रवैया किसानों के प्रति क्या है, इसका जवाब दिलवा दें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोल रहे थे जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ा ।)

एक सदस्य–

सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

चौधरी नरेन्द्र देव–

मान्यवर, आप उस पीठ से दुबारा व्यवस्था नहीं दे सकते ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

आप इस प्रश्न पर स्वयं विचार कर लें कि यह कितना महत्वपूर्ण है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कहा था कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । . . . (व्यवधान) मैंने सदन से कहा था कि इस प्रश्न को प्रश्न समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । . . . (व्यवधान) जहां तक निर्देश देने का सवाल है .

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देश नहीं दे सकता ।

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, इस समय सदन उत्तेजित है । माननीय विद्युत मंत्री जी किसानों के प्रति बहुत चिन्तित है । उन्होंने काफी लच्छेदार भाषण किया । यह सरकार किसानों की हमदर्द है और आपने भी कहा है कि आप किसानों को बिजली इस रबी के समय न काटें । यह आश्वासन देने में क्या दिक्कत है ? आप इनको निर्देश दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । मैं सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूं ।†

†नोटः–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

[बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत परिषद् में घाटे को समाप्त करने हेतु योजना का बनाया जाना

*1–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 88 तक राज्य विद्युत परिषद् का कुल कितना घाटा था ? इस घाटे का कारण क्या है ? क्या सरकार ने घाटे को खत्म करने के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का 31-3-88 तक कुल घाटा रु0 728.13 करोड़ (वर्ष 86-87 तक के सम्प्रेक्षित व वर्ष 87-88 के असम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर) था। उक्त घाटे के निम्नलिखित कारण हैं :—

1–परिषद् की कतिपय पुरानी मशीनों की उत्पादकता कम होना ।

2–परिषद् की पारेषण एवं वितरण प्रणाली का धनाभाव के कारण सुदृढ़ीकरण न हो पाना ।

3–विद्युत पारेषण एवं वितरण में लाइन क्षति का अत्यधिक होना ।

4–कोयला, रेल-भाड़ा तथा तेल मूल्यों की निरन्तर वृद्धि ।

5–बकाया राजस्व का वसूल न होना तथा बिजली की चोरी ।

विद्युत परिषद् में घाटा कम करने के सम्बन्ध में मुख्यतया निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

1–परिषद् की पुरानी मशीनों का नवीनीकरण करके उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा रहा है।

2–प्रभावी नियंत्रण द्वारा तापीय विद्युत गृह में प्रयोग की जाने वाली विद्युत में कमी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

3–ईंधन व तेल की खपत को निरन्तर कम करने का प्रयास किया जा रहा है ।

4–वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके लाइन हानियों की कमी करने के लिए एक वृहत योजना बनायी जा रही है जिसमें कानपुर के लिए एक विदेशी विशेषज्ञ संस्था का सहयोग भी लिया जा रहा है।

5–विद्युत चोरी कम करने व बकाया धनराशि वसूल करने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

6–विद्युत गृहों में कर्मचारियों का मानक निर्धारित करने के लिए नियुक्त-समिति ने अपना प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत कर दिया है, जिसके आधार पर विद्युत ताप गृहों के अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार जन-शक्ति का मूल्यांकन कराकर आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को नई आने वाली परियोजनाओं से स्थानान्तरित करके अधिष्ठान व्यय में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है।

7–परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ।

8–33 सतर्कता के प्रवर्तन दल निरन्तर छापा मारकर चोरियों तथा अनधिकृत विद्युत उपभोग को कम किया जा रहा है।

राज्य विद्युत परिषद् का पुनर्गठन

*2–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राज्य विद्युत परिषद् का पुनर्गठन होने वाला है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

राज्य विद्युत परिषद् का पुनर्गठन इस समय विचाराधीन नहीं है।

जनपद बरेली में ग्राम खमरिया के निकट बहगुल (पश्चिमी) नदी पर पक्का बांध बनाने की परियोजना

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली में ग्राम खमरिया के निकट बहगुल (पश्चिमी) नदी पर प्रत्येक वर्ष कच्चा बांध बनाकर बल्ली नहर सिस्टम तथा कुल्ली नहर सिस्टम में पानी की आपूर्ति की जाती है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस कच्चे बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने की परियोजना शासन के विचाराधीन है तथा इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट सिंचाई विभाग की अनुसंधान तथा अन्वेषण इकाई बरेली द्वारा तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बरेली जनपद के ग्राम खमरिया के निकट बहगुल (पश्चिमी) नदी पर प्रत्येक वर्ष कच्चा बांध बनाकर बल्ली नहर सिस्टम में पानी की आपूर्ति की जाती है। इससे कुल्ली नहर सिस्टम के पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है कुल्ली नदी पर पक्का रेगुलेटर अलग से बना हुआ है।

जी हां ।

परियोजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त निर्माण हेतु स्वीकृति की घोषणा की जा सकेगी ।

प्रदेश के राजकीय नलकूपों की क्षमता बढ़ाने हेतु कृत कार्यवाही

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के दूसरे बुधवार दिनांक 2-3-88 के अतारांकित प्रश्न संख्या–56 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल 24,700 चालित राजकीय नलकूप जिसके डिस्चार्ज भू-जल

में विशिष्ट रसायन होने के कारण जाली फट जाने से अपनी पूर्व क्षमता से जल निकासी नहीं दे पा रहे हैं तथा अस्सी प्रतिशत नलकूप अल्पायु में असफल होने से सरकार की प्रतिवर्ष वित्तीय हानि के साथ-साथ शुद्ध सिंचन क्षमता भी प्रभावित हो रही है, को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अन्य राज्यों की भांति भूगर्भ जल वैज्ञानिकों द्वारा रख रखाव का भी प्राविधान करने हेतु यू0 पी0 स्टेट ट्यूबवेल एक्ट, 1936 में संशोधन करने पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । भूजल में विशिष्ट रसायन होने के कारण नलकूप की जालियां फटने के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं।

जी नहीं । अल्प आयु में असफल होने वाले नलकूपों का प्रतिशत नगण्य है।

इस विभाग की जानकारी के अनुसार भूगर्भ जल वैज्ञानिकों द्वारा सर्वेक्षणात्मक एवं अन्वेषणात्मक कार्य किये जाते हैं न कि नलकूपों के रख-रखाव का कार्य । ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता, उपयुक्तता/गुणवत्ता संदिग्ध होती है वहां सर्वेक्षणात्मक एवं अन्वेषणात्मक नलकूप निर्माण कार्यों हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार भूगर्भ जल वैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है। राजकीय नलकूपों के चालन एवं रख-रखाव के क्षेत्र में विभाग में अधिक अनुभव तथा कुशलता उपलब्ध है, अतः यू0 पी0 स्टेट ट्यूबवेल एक्ट, 1936 में इस प्रकरण पर पुनर्विचार अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

लखनऊ स्थित नाका हिन्डोला, अमीनाबाद व आलमबाग रोड पर भांग की दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने की मांग

*5–श्री राज किशोर सिंह–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि नाका हिन्डोला, अमीनाबाद व आलमबाग रोड, लखनऊ स्थित भांग की दुकान पर अवैध रूप से अफीम, गांजा, चरस आदि की बिक्री होती है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उक्त दूकानों का लाइसेंस निरस्त करने तथा लाइसेंस धारकों के विरुद्ध विस्तृत जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ चार्ज के माध्यम से जांच कराने पर आरोप सही नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव, ग्राम बछैवरां समीप स्थित महना झील का पानी मौरावां में डालने हेतु लिफ्ट पम्प योजना

*6–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा तहसील के ग्राम बछैवरा के पास स्थित महना तालाब का पानी निकाल कर बांरावा डी0 वाई0 में डालने हेतु लिफ्ट पम्प बनाने का फैसला सरकार ले रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्राकृतिक ढाल मौरावां रजबहा से महना झील की ओर है जिसके कारण झील का पानी रजबहा में डालने हेतु प्राकृतिक ढाल के विपरीत पोषक नहर बनानी होगी जिसमें भूतल के नीचे बहुत अधिक खुदाई करनी होगी । ऐसी पोषक नहर बनाने एवं रख-रखाव में बहुत अधिक लागत आयेगी तथा इसका लाभ लागत अनुपात बहुत होगा । अतः यह योजना व्यावहारिक नहीं है ।

दोहरी घाट सहायक नहर पर ओवर ब्रिज बनवाने एवं भारी पानी फेंकने का संयंत्र लगाने हेतु कृत कार्यवाही

*7–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र की जनसभा में दिनांक 26-10-88 को उनके द्वारा दोहरी घाट सहायक नहर पर ओवर-ब्रिज बनवाने तथा कोइली मुहान ताल के पानी निकास हेतु हल्दी रामपुर रेगुलेटर पर भारी पानी फेंकने का संयंत्र बैठाने की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो दोनों लोक-हित के कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दिनांक 26-10-1988 की जनसभा में दोहरीघाट सहायक नहर पर ग्राम चौकिया मोड़ के निवासियों के मांग पर एक पैदल पुल निर्माण कराने तथा कोइली मोहान ताल के पानी की पम्पों द्वारा निकास की योजना बनाने हेतु घोषणा की थी ।

उक्त के अनुपालन में बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में दोहरीघाट सहायक नहर पर पैदल पुल के निर्माण का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में कराना प्रस्तावित है ।

कोइली मोहान ताल क्षेत्र का सर्वेक्षण करा कर पम्पिंग द्वारा जल निकासी की योजना तैयार की गयी है, जिसे स्वीकृति हेतु अगली राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी तदोपरान्त कार्यवाही करायी जायेगी ।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को ओवर टाइम की सुविधा

*8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को ओवर टाइम की सुविधा प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो विगत अगस्त, 1988 से इसे किस आधार पर बन्द किया गया है ? क्या तत्काल उक्त सुविधा को पुनः चालू करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

ओवर टाइम की सुविधा बन्द नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़, शारदा सहायक खण्ड-32 द्वारा दानापुर माइनर पर सिल्ट सफाई व मरम्मत कार्य पर व्यय की गयी धनराशि एवं राजस्व द्वारा प्राप्त धनराशि की जांच

*9—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ द्वारा दानापुर माइनर पर वर्ष 87-88 एवं वर्ष 88-89 में अब तक सिल्ट सफाई कार्य एवं मरम्मत कार्य पर कितना धन खर्च किया गया एवं इससे उक्त अवधि में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? क्या प्राप्त राजस्व उक्त कार्यों पर किये गये व्यय के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ द्वारा दानापुर माइनर पर वर्ष 1987-88 में सिल्ट सफाई तथा मरम्मत कार्यों पर क्रमशः रु0 10,866 एवं रु0 10930.90 व्यय किया गया । वर्ष 1988-89 में नहर की सिल्ट सफाई का कार्य अभी प्रगति पर है । नहर की क्षमता स्थापना हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 59,467.50 व्यय करके बैंकों को ऊंचा करने का कार्य किया गया है।

वित्तीय वर्ष 87-88 में कुल रु0 21,289.10 के राजस्व प्राप्त हेतु जमाबंदी संबंधित अधिकारियों को भेजी गयी थी । वर्ष 88-89 में खरीफ फसल के लिए रु0 13,306.05 राजस्व प्राप्त हेतु जमाबंदी अधिकारियों को भेजी गई है। रबी फसल के लिए राजस्व का अनुमान फसल के अन्त में तैयार होगा ।

नहरों पर अनुरक्षण व्यय का सामंजस्य राजस्व प्राप्तियों से नहीं किया जाता है । कराये गये अनुरक्षण कार्यों की जांच इस हेतु गठित समितियों द्वारा की जाती है। अतः किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

*10—श्री हर्षवर्धन—

[2रे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश की सभी टाउन एरिया में चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग

*11—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सभी टाउन एरिया में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक घोषणा कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती की नौगढ़ तहसील में संगलदीप व अमरिया गांवों की राप्ती नदी से कटान

*12–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में राप्ती नदी के किनारे संगलदीप गांव कटकर नदी में विलीन हो गया और अमरिया गांव पर भी नदी के कटान का प्रभाव पड़ने लगा है ? यदि हां, तो संगलदीप और अमरिया को बाढ़ से न बचाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे संगलदीप गांव का अधिकांश भाग नदी से कट चुका है।

अमरिया गांव की आबादी भी नदी तट के समीप है तथा नदी आबादी की ओर कटान कर रही है ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार बड़े-बड़े शहरों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर कटाव रोकने के कार्य न करके उनके ग्रामों को ही किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाय, को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत ग्रामों को अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाया जाना ही अधिक व्यावहारिक होगा ।

*13–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दि0 15-2-89 को अता0 प्र0 सं0 51–52 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद, गांव सभा दिलावलपुर का ट्रांसफार्मर ठीक कराने की मांग

*14–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में अकबरपुर तहसील में स्थित गांव सभा दिलावलपुर में लगा हुआ ट्रांसफार्मर पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप उससे संचालित सभी नलकूप बन्द पड़े हैं और सिंचाई के अभाव में उस क्षेत्र की फसलें सूख रही हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसे इस लापरवाही के लिए दण्डित करने तथा उक्त ट्रांसफार्मर को शीघ्र ठीक कराने के लिए सरकार क्या कर रही है तथा यह कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । गांव सभा दिलावलपुर में लगा ट्रांसफार्मर ठीक है।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री औसान सिंह–

[8वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद, 132 के0 वी0 सब स्टेशन मिल्कीपुर का निर्माण कार्य

*16–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 132 के0 वी0 सब-स्टेशन मिल्कीपुर, फैजाबाद विगत कितने दिनों से निर्माणाधीन है ? निर्माण कार्य अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं और कब तक पूर्ण कराकर सब-स्टेशन विभाग को सौंप दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उपकेन्द्र अप्रैल, 85 से निर्माणाधीन है। इसके लिये वर्ष 1985-86 से ही आंशिक रूप से उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा 25 प्रतिशत काय पूर्ण हो चुका है । परिषद् की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं हुआ है। संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में कार्य 2 वर्ष में पूर्ण हो सकेगा ।

नलकूपों हेतु इस्टीमेट जमा कराने के बाद एक माह के भीतर बिजली कनेक्शन दे की मांग

*17–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री यह देखते हुए कि निजी नलकूपों के लिए इस्टीमेट जमा कराने के बाद भी छः-छः माह तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता है, यह सुनिश्चित नीति बनवाने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता द्वारा इस्टीमेंट जमा करने के एक माह के भीतर कनेक्शन दे दिया जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

निर्धारित नीति के अनुसार वांछित धनराशि जमा करके अनुबंध करने और बी0 एल0 फार्म जमा करने के 97 दिनों के अन्दर कनेक्शन देने का प्राविधान है । कभी-कभी संसाधनों की कमी के कारण विलम्ब हो जाता है । इस अवधि को एक माह करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में गंगा को घाटों तक लाने के शासकीय प्रयास की प्रगति

*18–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर में गंगा को घाटों पर लाने के शासकीय प्रयास की प्रगति क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

कानपुर में गंगा को घाटों तक लाने के लिए कानपुर के वर्तमान घाटों से लगभग 25 मीटर हट कर, रेलवे पुल के ऊपर (भगवतघाट से एलगिन मिल नाले तक) 0.6 कि0मी0 से 3 मीटर चौड़ी तली एवं 2:1 के साइड स्लोप व 4.1 मीटर गहराई की चैनेल का निर्माण एवं उन्नाव की ओर गंगा की मुख्य धारा पर एक अस्थायी बल्ला ठोकर का निर्माण कार्य दिनांक 13-3-1988 से प्रारम्भ किया गया जो जून 1988 में पूर्ण हो गया है । इस कार्य पर 10.20 लाख रुपया व्यय हुआ है ।

कानपुर से पहले नदी में घरों का निर्माण एवं उन्नाव में गंगा से होने वाले कटान को रोकने हेतु बल्ला ठोकरों के निर्माण की एक योजना बनाई गई है, जिसकी लागत 7.40 लाख रुपया है । निर्माण कार्य जून, 1989 के अन्त तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है । उपर्युक्त दोनों कार्यों पर कुल 17.60 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

जनपद बस्ती में बाढ़ सिंचाई कार्यों की शिकायत संबंधी जांच हेतु नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच एवं निष्कर्ष

*19–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1987-88 में बस्ती जनपद में बाढ़ सिंचाई कार्य के शिकायत संबंधी जांच के लिए श्री मौजी लाल यादव अधिशासी अभि0 बाढ़ खण्ड बलिया जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और क्या उन्होंने आधे दर्जन अभियन्ताओं को फर्जी माप करने/कराने तथा फर्जी भुगतान करने का दोषी पाया है ? यदि हां, तो वे अभियन्ता कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप एवं पत्र दिनांक 12-1-87, 27-1-87, 9-3-87 के द्वारा श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियंता को बस्ती जनपद में बेदौला–लखनापार बांध तथा बांसी उपखण्ड के अन्य कार्यों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियन्ता ने अपने जांच रिपोर्ट में लगभग 12.39 लाख रुपए की मूल्य के अधिक माप अंकित किए जाने के संबंध में एक सहायक अभियन्ता व चार अवर अभियन्ताओं को उत्तर-दायी बताया है ।

प्रथमदृष्ट्या अन्तर्ग्रस्त पाए गए उपर्युक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम निम्नवत् हैं :–

1–श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता
2–श्री कृष्ण अवतार जायसवाल, अवर अभियन्ता
3–श्री अनवार अहमद, अवर अभियन्ता
4–श्री इन्द्र भूषण राय, अवर अभियन्ता
5–श्री पी0 सी0 त्रिपाठी, अवर अभियन्ता

उपर्युक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों में से श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता को निलम्बित करके उनके विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकृत करके जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है । निलम्बन की अवधि में इन्हें मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया है । दूसरे तथा तीसरे क्रम पर अंकित दोनों अवर अभियंताओं को निलम्बित करके विधिवत अनुशासनिक जांच हेतु आरोप-पत्र स्वीकृत करके जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है । शेष दोनों अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकी है । मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को निर्देश दे दिया गया है कि सभी संबंधित अभिलेख एकत्रित करके इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दें ।

जिला बांदा की चिल्लीनाल पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना को पुनरीक्षित करने का कार्य

*20–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में यमुना नदी पर निर्मित चिल्ली-

मल लिफ्ट सिंचाई परियोजना की नहरों में पानी की कमी को दूर करने के लिए तथा अधिकाधिक सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के दृष्टिकोण से करीब छ करोड़ रुपयों की लागत की पुनर्निर्माण योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना को स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में मंत्री स्तर पर केन्द्र सरकार से वार्ता की जायेगी ? योजना की स्वीकृति देकर निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

चिल्लीमल पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना का पुनरीक्षित करने का कार्य प्रगति पर है ।

परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर स्थित चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री के वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में स्थित चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री जब राज्य सरकार के अधीन चलाई जा रही थी उस समय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अलग-अलग संवर्ग की संख्या क्या थी और निगम से सम्बद्ध किए जाने के बाद तथा वर्तमान में उसी वर्ग के अलग-अलग अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों की संख्या कर्मचारियों के अनुपात में ज्यादा रखी गयी है और अब भी मनमाने ढंग से अधिकारियों की नियुक्ति होती जा रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मिर्जापुर जनपद में स्थित चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री चलाई जा रही थी अर्थात् दिनांक 1-4-1972 से पूर्व तथा निगम बनने के बाद अर्थात् 1-4-72 के बाद एवं वर्तमान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :–

संवर्ग	31–3–72	1–4–72	31–3–88
1––मैनेजरियल	38	38	53
2––सुपरवाइजरी	64	64	44
3––मिनिस्ट्रियल एवं टीचर्स . .	200	200	265
4––स्किल्ड	1124	1124	247
5––अनस्किल्ड	327	327	224
योग . .	1753	1753	1333

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स ग्रुप नं0 एक की कताई मिलों में करायी गयी पुताई के भुगतान की जांच

3–श्री राम आसरे–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स ग्रुप नं0 एक की चारों कताई मिलों में डिसटेम्पर की पुताई न कराकर चूने की पुताई की गई है तथा डिसटेम्पर की पुताई का भुगतान किए जाने की जांच हो रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच को कौन अधिकारी कर रहे हैं ? उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

पुताई में आवश्यकतानुसार चूना तथा डिसटेम्पर दोनों का उपयोग किया जाता है । केवल अकबरपुर (फैजाबाद) स्थित इकाई में पुताई में हुई अनियमितताओं के संबंध में कम्पनी सचिव द्वारा जांच कराई जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स के मुख्यालय में डिप्टी स्पिनिंग मास्टर, डिप्टी मैनेजर टैक्निकल के पद हेतु साक्षात्कार

4–श्री राम आसरे–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 जुलाई, 1988 तथा 19 जुलाई, 1988 को डिप्टी स्पिनिंग मास्टर, डिप्टी मैनेजर टैक्निकल के पद पर उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स के मुख्यालय में हुए साक्षात्कारों में किन योग्यताओं एवं अनुभव के व्यक्तियों ने आवेदन किया और किन योग्यताओं एवं अनुभव के लोगों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा किन योग्यताओं पर किन-किन व्यक्तियों का चयन किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । दिनांक 18 जुलाई, 1988 को डिप्टी स्पिनिंग मास्टर तथा डिप्टी मैनेजर टैक्निकल के पद हेतु साक्षात्कार हुआ था । डिप्टी स्पिनिंग मास्टर हेतु निर्धारित योग्यता निम्न प्रकार है :–

1–टेक्सटाइल टेक्नालाजी में डिग्री/डिप्लोमा ।

2–स्पिनिंग विभाग में 4–5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव।

3–आयु सीमा 30 वर्ष अधिकतम।

डिप्टी स्पिनिंग मास्टर पद हेतु 90 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 14 अभ्यर्थियों को, जिनके पास विज्ञापित अर्हतायें तथा अनुभव था, साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। 11 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए जिनमें से 2 अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु

चयन किया गया तथा 3 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। विवरण निम्नवत् है:—

नाम	योग्यता	अनुभव	
1—श्री नवनीत कौशिक ..	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलाजी 80	8 वर्ष	
2—श्री के0 के0 अहिरवार	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलाजी 79	9 वर्ष	
3—श्री आर0 के0 गौर ..	बेचलर आफ टेक्सटाइल—81	7 वर्ष	प्रतीक्षा की
4—श्री पी0 एन0 सिन्हा ..	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलाजी 79	9 वर्ष	सूची में
5—श्री यू0 सी0 शुक्ला ..	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलाजी 81	7 वर्ष	

डिप्टी मैनेजर टैक्निकल के पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव निम्न प्रकार है:—

1—टेक्सटाइल टेक्नोलाजी में डिग्री/डिप्लोमा

2—स्पिनिंग विभाग में 4-5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव।

3—आयु सीमा 30 वर्ष अधिकतम।

उक्त पद हेतु कुल 76 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे 11 अभ्यर्थियों को जो निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखते थे, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये गये 17 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए जिनमें से श्री अशोक कौल का चयन डिप्टी मैनेजर टैक्निकल के पद पर किया गया। श्री कौल ने वर्ष 1981 में बैचलर आफ टेक्सटाइल तथा वर्ष 1986 में मास्टर आफ टेक्सटाइल की डिग्री प्राप्त किया है तथा 7 वर्ष का कार्य अनुभव है।

जनपद बरेली के ग्रामों का विद्युतीकरण

5—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के कितने ग्राम अभी एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत किये जाने हैं तथा पिछले 10 वर्ष की विद्युतीकरण की गति को औसत मानते हुए यह सारे ग्रामों का विद्युतीकरण करने में कितने वर्ष का समय लगेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद बरेली के 1009 ग्राम एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत करने के लिए शेष रह गये हैं।

समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य की पूर्ति का समय संसाधनों की उपलब्धि पर आधारित होगा।

जनपद बलिया में सुरेमनपुर के निकट कटाव अवरोधी ठोकरों का निर्माण एवं बोल्डरों की यथा स्थान वापसी

6—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में सुरेमनपुर के निकट कटाव अवरोधी ठोंकरों का निर्माण रेलवे विभाग की साझेदारी में हुआ था? यदि हां, तो उक्त स्थान से कितना बोल्डर उठाकर दूसरे स्थान पर विभागीय अभियंता ले गये हैं? क्या उसे वापस किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

सुरेमनपुर कटाव स्थल से 781.93 घ0मी0 बोल्डर दूसरे स्थान पर प्रस्तावित सुरक्षा कार्य हेतु ले जाया गया है।

जी नहीं।

जनपद गाजीपुर ग्राम डाड़ेबन में सरकारी ट्यूबवेल लगाने हेतु कृत कार्यवाही

7–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर ब्लाक, मरदह के अन्तर्गत ग्राम डाड़ेबन (बौरी) में शासन द्वारा सन् 1982-83 में सरकारी ट्यूबवेल लगाने की स्कीम स्वीकृत हुई थी जिसमें बोरिंग भी हो चुके हैं? क्या यह सही है कि वहां पर आज तक ट्यूबवेल नहीं लगा है ? यदि हां, तो ट्यूबवेल न लगाने का क्या कारण है? क्या ट्यूबवेल का कार्य वर्ष 1988 में पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

प्रश्नगत नलकूप का छिद्रण भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 700 फीट तक किया गया परन्तु समुचित स्ट्रेटा न मिलने के कारण नलकूप का निर्माण नहीं किया जा सका।

प्रश्न ही नहीं उठता।

8–श्री राज किशोर सिंह–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

सुल्तानपुर, सिंचाई विभाग में मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारी का विवरण

9–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग सुल्तानपुर में किस-किस सन् से खण्डवार कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर किन-किन पदों पर कार्यरत हैं और उनके नाम क्या हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे गुरुवार में अता0प्र0सं0 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव, सरवन ड्रेन पर ग्राम बहवा पर पुल न बनाये जाने का कारण

11–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में ग्राम बहवा से निकलने वाली सरवन ड्रेन पर ग्राम बहवा पर पुल न बनाये जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि इस स्थान पर पुल बनाने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश माननीय राज्य मंत्री सिंचाई ने माह अप्रैल, 1988 में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जारी किये थे ? यदि हां, तो दर्जनों गांवों के बहुत पुराने मार्ग को अवरुद्ध करने वाली सिंचाई विभाग की इस ड्रेन पर पुल कब तक बना दिया जाएगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद उन्नाव में ग्राम बहुवा से निकलने वाली सरवन ड्रेन पर ग्राम बहुवा पर पुल न बनाये जाने का मुख्य कारण डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा आवश्यक धन उपलब्ध न कराया जाना है।

माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सरवन ड्रेन में ग्राम बहुवा के सामने पुल के निर्माण का आदेश मार्च 1988 में दिये थे।

इस कार्य का प्राक्कलन बनाकर डी0आर0डी0ए0 जनपद उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है। डी0आर0डी0ए0 द्वारा धन प्राप्त होने पर निर्माण कराना संभव हो सकेगा।

नहर कालोनी बाराबंकी के मुख्यालय से मिली तृतीय व चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्मित आवास गृहों की मरम्मत व पुताई आदि पर व्यय का विवरण

12–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा नहर बाराबंका के मुख्यालय से मिली हुई तृतीय वं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये बनी कालोनी अत्यन्त खस्ता हालत में है? क्या यह सही है कि कमरों के बल्ले टूटे हैं, छतें टपकती हैं, वर्षों से पुताई नहीं हुई है तथा टट्टी व पेशाब घर बेकार पड़े हैं तथा कालोनी के पानी के निकास को अवरुद्ध कर रखा गया है? पिछले तीन वर्षों में इस कालोनी की मरम्मत आदि पर कितना-कितना धन किस मद पर खर्च में दिखाया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नहर कालोनी बाराबंकी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 47 स्थाई व 26 अस्थाई आवास गृह हैं 16 स्थाई व 26 अस्थाई आवास गृह वर्ष 1972 से 1975 के बीच की अवधि में बने थे। 7 स्थाई आवास गृहों का निर्माण वर्ष 1933 में हुआ था तथा 24 आवास गृहों का निर्माण वर्ष 1955 से 1958 के बीच हुआ था। इस प्रकार अधिकांश आवास गृहों की लाइफ प्रायः समाप्त है। कर्मचारियों की आवास समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इन आवास गृहों को मरम्मत कराकर रहने योग्य बनाये रखा जा रहा है।

कमरों तथा दरवाजों के पल्लों की आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाती है। अतः पल्लों के टूटे होने तथा छतों के टपकने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1986-87 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृहों की पुताई कराई गई थी। वर्ष 1988-89 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृहों की पुताई कराई जा चुकी है तथा तृतीय श्रेणी के आवास गृहों की पुताई आदि का कार्य कराया जा रहा है।

कालोनी में कोई पेशाब घर नहीं है। टट्टी घर व सेप्टिक टैंक आदि की मरम्मत, सफाई व निर्माण कार्य आदि कराकर चालू हालत में रखा जा रहा है। कालोनी में पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था है जिसके द्वारा पानी निकल जाता है।

पिछले तीन वर्षों में कालोनी की मरम्मत आदि पर निम्न व्यय किया गया :—

वर्ष	सेपटिक टैंक सोकपिट एवं नालों का कार्य	फर्शकृत दीवालों की मरम्मत	पल्ले दरवाजों की मरम्मत एवं नया लगाने पर	क्वार्टरों की पुताई	कुल व्यय
1985-86 ..	36773.00	--	--	--	36773.00
1986-87 ..	15935.00	18527.00	15835.00	3524	53821.00
1987-88 ..	--	--	--	--	--
1988-89 ..	--	--	--	6213	6213.00

शाहजहांपुर चार खंबा विद्युत सब-स्टेशन द्वारा आपूर्ति अव्यवस्था सुधारने हेतु कृत कार्यवाही

13—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर चार खंबा विद्युत सब-स्टेशन द्वारा आपूर्ति अव्यवस्था में सुधार हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं तथा संबंधित अधिकारियों को उक्त अव्यवस्था ठीक करने के लिए क्या निर्देश दिये गये हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

शाहजहांपुर के चार खंबा विद्युत सब-स्टेशन से लाभान्वित क्षेत्र में मांग अत्यधिक बढ़ जाने के फलस्वरूप व्यवस्था सुधारने हेतु इस क्षेत्र में दो और उपकेन्द्र बना कर तथा पुरानी लाइनों का सुदृढ़ीकरण कर व्यवस्था में सुधार किया गया है।

14—श्री जयदीप सिंह बरार—

[दि0 15-2-89 को अता0 प्र0 सं0 28 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया के पडरौना तहसील स्थित जमुनिया राजबाहा की क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण हेतु कृत कार्यवाही

15—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील स्थित जमुनिया राजबाहा की पुलिया जो ग्राम जमुनिया एवं श्रीपति खण्ड के बीच एक सड़क को क्रास करती है वर्षों से क्षतिग्रस्त है और सड़क के गुजरने वाले कृषक, विद्यार्थी, आम बाहरी नागरिक एवं आने-जाने वाली सवारियों में बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर साइकिल, जीप आदि को नहर से गुजरने में परेशानी एवं जोखिम उठाना पड़ता है, जिसके पुनर्निर्माण हेतु संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा ने पत्र दिनांक 11-1-86 द्वारा शासन एवं सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया है? यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त पुलिया का नवनिर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जमुनिया राजवाहा की टेलगूल पर बनी गूल कलवर्ट क्षतिग्रस्त थी जिसका निर्माण कार्य मार्च, 1988 में पूर्ण करा दिया गया है।

मोहन मीकिन लि0, गाजियाबाद की उत्पादन क्षमता एवं उसके कार्यकलाप के विरुद्ध कृत कार्यवाही

16–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी,
श्री यदुनाथ सिंह,
श्री अशोक बाजपेयी,
श्री मूलचन्द,
श्री शारदा नन्द अंचल,
श्री भगौती सिंह,
श्री शारदा प्रताप,
श्री भोपाल सिंह,
श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा),
श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा
श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहन मीकिन लि0, गाजियाबाद 1 जनवरी, सन् 1970 से आज तक सरकार द्वारा उसे दिये गये लाइसेंस एवं निश्चित मात्रा से अधिक उत्पादन कर रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0, लखनऊ के बन्द हो जाने पर भी उसके ब्राण्डों को मोहन मीकिन लि0, गाजियाबाद खुले आम बाजारों में बेच रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कम्पनी के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की तथा कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

मोहन गोल्ड वाटर द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित लेबिलों के अन्तर्गत मोहन मीकिन लि0, मोहन नगर द्वारा मोहन गोल्ड वाटर की ब्राण्डों की भराई नियमानुसार की गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरजू नहर प्रथम खण्ड मोतीपुर, बहराइच द्वारा माल की खरीद व लेबर पेमेंट सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

17–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सरजू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर, बहराइच द्वारा वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक माल की खरीद व लेबर के पेमेंट के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0–1112 सचिव, सिंचाई विभाग को तारीख 13-10-88 का मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

18–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

देशी शराब के ठेकेदारों से आबकारी ड्यूटी निर्गम मूल्य की वसूली न किए जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

19–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में वर्ष 1987-88 में देशी शराब के ठेकेदारों से आबकारी ड्यूटी निर्गम मूल्य को न वसूलने के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या–515 सचिव आबकारी विभाग को मिला है ? यदि हां, तो दिनांक 31-3-88 तक वह ड्यूटी वसूल न करने के क्या कारण थे इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

अनुज्ञापियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर अक्टूबर, 1987 में यह स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था कि केवल उठाये गए न्यूनतम गारन्टी कोटा पर ही निर्गम मूल्य वसूल किया जाय । दिनांक 26 अप्रैल, 1988 का माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में हुआ । अतः वर्ष 87-88 के अनुज्ञापियों पर बकाया रह गया जिसकी वसूली संग्रह विभाग के सहयोग से भू-राजस्व की भांति की जा रही है ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य विभाग के विपणन निरीक्षकों द्वारा इटावा की दाल मिल मैसर्स सत्य नारायन केसरवानी एण्ड ब्रदर्स पर मारा गया छापा

20–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि जुलाई, 1985 में इटावा जनपद के खाद्य अधिकारियों ने एक दाल मिल पर छापा मारा और एक लाख रुपया का अवैध खाद्यान्न जब्त किया और मिल मालिक को कैद करके जेल भेजा गया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–109 मुख्य सचिव को तारीख 20-2-88 को मिला है ? यदि हां, तो मुकदमें का क्या परिणाम रहा ? मिल मालिक को कितने दिनों की सजा हुई ? जब्त किए गए एक लाख रुपया के खाद्यान्न का क्या किया गया ? क्या इसको बेचा गया? यदि हां, तो कितने रुपयों में और किस तिथि को बेचा गया ?

श्री हुकुम सिंह–

इटावा की दाल मिल मैसर्स सत्य नारायन केसरवानी एण्ड ब्रदर्स पर खाद्य विभाग के विपणन निरीक्षकों द्वारा दिनांक 25-7-85 को छापा मारा गया था, जिसमें रुपए 92,689.85 का दलहन पकड़ा गया था । उक्त मिल के विरुद्ध दिनांक 25-7-85 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय मिल मालिक श्री सत्यनारायन को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस द्वारा दिनांक 26-7-85 को मिल मालिक को जेल भेजा गया था।

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–109 दिनांक 20-2-88 प्राप्त हुआ था। दिनांक 13-8-85 को माननीय उच्च न्यायालय से मिल मालिक की जमानत मंजूर हुई । प्रथम

सूचना रिपोर्ट की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा केस में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 1-5-87 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त केस में मिल मालिक को न्यायालय से कोई सजा नहीं हुई । अपर जिलाधिकारी, इटावा द्वारा दिनांक 4-6-86 को रु0 10,000 की जमानत और इतनी ही धनराशि का मुचलका लेकर समस्त दलहन को मिल मालिक के पक्ष में रिलीज कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ के अनुसचिवीय अधिष्ठान में 16 वर्ष के अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का अकार्यकारी संगठनों में स्थानान्तरण करने पर विचार

21—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में अनुसचिवीय अधिष्ठान में कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका सम्पूर्ण सेवाकाल 16 वर्ष से भी अधिक का हो चुका है तथा वे अपने सेवाकाल में कभी भी अकार्यकारी संगठनों (यथा अनुसंधान एवं नियोजन संगठन) में कार्यरत नहीं रहे? क्या उपरोक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अकार्यकारी संगठनों में करके तथा अकार्यकारी संगठनों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में अथवा अन्य कार्यकारी खण्डों में करके उन्हें विविध प्रकार के राजकीय कार्य का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक तद्विषयक आदेश निर्गत हो जायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में अनुसचिवीय अधिष्ठान में ऐसे आठ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका सेवाकाल 16 वर्ष से अधिक हो चुका है, परन्तु वे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी अकार्यकारी संगठनों में कार्यरत नहीं रहे हैं।

इन कर्मचारियों के अकार्यकारी संगठनों में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य स्थानान्तरण के समय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

22—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

23—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा की बीस सूत्रीय कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति में सांसदों एवं विधायकों के अतिरिक्त नामित सदस्य

24—श्री राम संजीवन—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि बांदा जिले में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की जिला समिति में विधायकों व सांसदों के अलावा जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा नामित कितने और कौन-कौन से सदस्य हैं? उन सदस्यों की नामजदगी किस आधार पर की गई? क्या ऐसे

नामित सदस्यों का चरित्र व सत्यनिष्ठा पुलिस विभाग से सत्यापित कराई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के नामित होने की सूचना मिली है ? यदि हां, तो अपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों को जिला समिति से निष्कासित क्यों नहीं किया गया? उन्हें कब तक निष्कासित कर दिया जायगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा की बीस सूत्री कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति में विधायकों व सांसदों के अतिरिक्त शासन द्वारा नामित 25 अन्य गैर-सरकारी सदस्य तथा जिले के प्रभारी मंत्री (अध्यक्ष) सहित 3 सरकारी सदस्य हैं । समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है। समिति में उन्हीं व्यक्तियों का मनोनयन किया गया है जो बीस सूत्री कार्यक्रम में आस्था रखते हैं।

नामित सदस्यों के चरित्र तथा सत्यनिष्ठा का सत्यापन नहीं कराया गया और न ही इसकी आवश्यकता पड़ी।

अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के नामित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 177 पर)

जनपद, गाजियाबाद परगनाधिकारी कार्यालय से निर्गत फर्जी सीमेंट के परमिट की जांच

25–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में परमिट संख्या 666874 दिनांक 31-12-83 परगनाधिकारी हापुड़, जनपद गाजियाबाद के कार्यालय से 250 बोरी का एक फर्जी सीमेन्ट का परमिट परगनाधिकारी की बिना आज्ञा के निर्गत हुआ था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फर्जी परमिट किन परिस्थितियों में और किसने जारी किया था?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उक्त प्रकरण की जांच करायी गयी । जांच के फलस्वरूप श्री बाबू लाल पूर्ति निरीक्षक, हापुड़, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, लिपिक व श्री श्रीनिवास शर्मा, लिपिक का सामूहिक उत्तरदायित्व पाया गया । दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया जा चुका है ।

प्रदेश में सफल नलकूपों के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नवीनतम तकनीकी उपाय का लाभ न उठाये जाने का कारण

26–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश में शतप्रतिशत सफल नलकूपों के निर्माण के पूर्व भूभौतिकीय विधि जैसे लॉगिंग, रिमोट सेन्सिंग एवं अन्य नवीनतम तकनीकी उपाय उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग उक्त का पूर्ण लाभ न उठाकर पृथक इकाई का सृजन क्यों कर रहा है? क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । परन्तु सिंचाई विभाग में नलकूप संगठन के अन्तर्गत केवल लागिंग की तकनीकी सुविधा उपलब्ध है और उसका लाभ आवश्यकतानसार उठाया जा रहा है । उत्तर प्रदेश शासन की रिमोट सेन्सिंग इकाई उपलब्ध है जो सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है परन्तु आवश्यकतानुसार इनकी मदद ली जाती है ।

सिंचाई विभाग में इस कार्य के लिए किसी पृथक इकाई के सृजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ डिवीजन शारदा कैनाल के सब डिवीजन तीन के सेक्शन हरदोइया में फर्जी भुगतान की जांच

27–श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ डिवीजन शारदा कैनाल के सब डिवीजन तीन के सेक्शन हरदोइया में वर्ष 1987-88 में अभियन्ताओं द्वारा लाखों रुपये का भुगतान बिना काम कराये विभिन्न ठेकेदारों के नाम से निकाल लिया गया है ? क्या मंत्री जी इस फर्जी कार्य से सम्बन्धित कार्य आदेश पुस्तिका से 388 के क्रम संख्या 2 से 30 तक के कार्यों की मौके पर टी0 ए0 सी0 अथवा सतर्कता विभाग द्वारा अविलम्ब जांच कराने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर के उपखण्ड तृतीय के सेक्शन हरदोइया में वर्ष 87, 88 में कार्यादेश पुस्तिका संख्या 388 के सम्बन्धित कार्यादेशों के विरुद्ध केवल रुपया 76,295 का कार्य कराया गया है जो मुख्यत: हैदरगढ़ मुख्य शाखा एवं नहरों के वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु कार्य की आवश्यकतानुसार कराया गया है । अत: किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड धुधली की ग्राम सभा पकड़ी आदि के गांवों के विद्युतीकरण हेतु कृत कार्यवाही

28–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष तत्कालीन राज्य मंत्री ऊर्जा ने प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धुधली के ग्राम सभा पकड़ी, विसनुपुर, पिपरिया करजहा, निबुइया लक्ष्मीपुर महंत, महावन कोर्ट उर्फ पड़हरा, बारीगांव इत्यादि गांवों के ऊर्जीकरण हेतु स्पष्ट आदेश दिये थे और 15 दिन के अंदर ही रिपोर्ट मांगी थी ? यदि हां, तो इन गांवों के ऊर्जीकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी इन्हें पूरी तरह से क्या इसी वित्तीय वर्ष में ऊर्जीकृत करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने विकास खण्ड धुधली के केवल ग्राम करमही पिपरिया कड़जहा, पकड़ी विसनपुर तथा विश्वनाथपुर एवं पिपरपाती के विद्युतीकरण कराने के आदेश दिये थे । उपरोक्त ग्रामों में से केवल ग्राम करमही का वर्ष 1988-89 में विद्युतीकरण हेतु जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन किया गया है और इसके विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है । प्रश्नगत ग्रामों में से एक ग्राम निबुइया का विद्युतीकरण पिछले वर्ष मार्च, 1988 में किया जा चुका है । शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्यवाही उनके विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन होने पर और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

29-30–श्री हरिश्चन्द्र, हरौंश जी–

[विस्तार्णता के आधार पर निरस्त]

विभाग के कार्यालय अधीक्षक स्तर-दो से कार्यालय अधीक्षक स्तर-एक के पदों पर की जा रही पदोन्नति

31–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के कार्यालय अधीक्षक स्तर-दो से कार्यालय अधीक्षक स्तर-एक के पदों पर पदोन्नति शासन के नोटिफिकेशन सं0 2956-ए0 एन0/xiii-आई0 डी0-7-ओ0 एस0 डी0 (आर0) 50 दिनांक 14-7-1971 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अनुसचिवीय नियमावली, 1971 के नियमों के अंतर्गत विशेषकर नियम 19 (2) के अनुसार की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विभाग के कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) से कार्यालय अधीक्षक (स्तर-1) के पदों पर पदोन्नति शासन के नोटिफिकेशन संख्या-2956-ए0 एन0/23-आई0 डी0-7/ओ0 एस0 डी0 (आई)-50, दिनांक 14-7-71 के नियम 5क (क) में निहित प्राविधानानुसार की जा रही है । नियम 19(2) के अनुसार नहीं क्योंकि यह नियम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) की प्रोन्नति के लिए है ।

प्रदेश के वाराणसी जनपद की हरिजन बस्तियों में वर्ष 1988-89 में घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की योजना

32–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वाराणसी जनपद में ब्लाक वाइज कितनी हरिजन बस्तियों और सामान्य बस्ती के कितने गांवों में घरेलू उपयोग के लिए वर्ष 1988-89 में विद्युत उपलब्ध करा देने की योजना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वाराणसी जनपद में वर्ष 1988–89 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों और हरिजन बस्तियों की संख्या विकास खण्डवार निम्न है:–

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या	हरिजन बस्तियों की संख्या
1–काशी विद्या पीठ		2	2
2–आराजी लाइन		3	3
3–चिरई गांव		2	2
4–पिण्डरा		3	3
5–बड़ा गांव		3	3
6–हरहुआ		2	2
7–चोलापुर		3	3
8–सकडीहा		3	3
9–बरहनी		2	2
10–धानापुर		3	3
11–चहनिया		3	3
12–ज्ञानपुर		3	3
13–सुरियावां		3	3
14–भदोही		3	3
15–औराई		3	3
16–चकिया		3	3
17–शहाबगंज		3	3
18–नौगढ़		3	3
19–चन्दौली		3	3
20–सेवापुरी		3	3
21–डीच		3	3
22–नियामताबाद		3	3
कुल :		62	62

जनपद गोरखपुर के सेक्टर 1 व 2 में ताड़ी की दुकानों की नीलामी पद्धति की समाप्ति एवं स्थायी प्रबन्ध के संबंध में शिकायत

33–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सेक्टर 1 व 2 में ताड़ी दुकानों की नीलामी पद्धति समाप्त होने पर स्थायी प्रबन्ध कब और किस तिथि से किया गया और क्या स्थायी प्रबन्ध के संबंध में शिकायतें जिला प्रशासन को या प्रदेश प्रशासन को प्राप्त हुई थी जिनकी जांच तत्कालीन जिलाधिकारी श्री दिनेश राय ने अपने कार्यकाल में कराया था जिसके फलस्वरूप दुकानें निरस्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायतें क्या

ी और जिलाधिकारी की जांच का निष्कर्ष क्या था और उस पर क्या कार्यवाही की यी ?

ी नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हराइच, श्री माजिद अली सिद्दीकी पूर्व अधीक्षक अभियन्ता 9वां मण्डल, सिंचाई खण्ड के विरुद्ध शिकायतों की जांच

34–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री माजिद अली सिद्दीकी, पूर्व धीक्षण अभियन्ता, 9वां मण्डल, सिंचाई खण्ड, बहराइच के विरुद्ध शिकायतों की ांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो जांच के मुख्य बिन्दु क्या थे ौर सतर्कता की जांच आख्या क्या है और उस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही ी गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जांच के मुख्य बिन्दु निम्न थे :–

(1) उच्चतम दरों पर ठेकेदार को कार्य देकर सरकार को अवैध नुकसान पहुंचाया । अनुबंध में पिंचिंग कार्य के लिए ढकरानी से पत्थर कार्यस्थल को ले जाने का प्राविधान दिखलाकर उच्चतर दरों को उचित ठहराने का प्रयास किया किन्तु ठेकेदार ने यह पत्थर कार्यस्थल से ही लेकर लगाया ।

(2) ढालीपुर बैराज से 2.7 कि0मी0 की सड़क को निम्नस्तर की बनवाकर ठेकेदार को पूरा भुगतान किया । अलग कार्यादेश से कराई गई सड़क की मरम्मत का व्यय मुख्य सड़क निर्माण व्यय में डाला ।

(3) कालागढ़ में तैनाती के समय ठेकेदार को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए कार्य उच्चतर दरों पर करना दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान किया ।

(4) लगभग 11 लाख रुपए का दोहरा भुगतान मिट्टी के कार्य के लिए किया ।

(5) यमुना परियोजना में ठेके चहेते ठेकेदारों को दिए ।

(6) पावर चैनेल लाइनिंग का टेन्डर छुट्टी में किया, जिससे कुछ ठेकेदार नहीं आ पाए । इसमें उन्हें तीन लाख रुपए मिले ।

(7) सहायक अभियन्ता श्री सक्सेना का तबादला जब भी हुआ, उसे रुकवाया ।

(8) मिट्टी ढुलाई के कार्य में 20 प्रतिशत से अधिक का एक्सटेंशन दिया ।

(9) सांठगांठ कर फिल्टर के कार्यों के लिए बोल्डर चार मील की दूरी से लाना दिखाकर गोलमाल किया ।

(10) दुगड्डा में छोटे-बड़े साइफनों पर बराबर मिट्टी दिया जाना बताया जाता है और मिट्टी को दूर से लाना दिखाकर फर्जी ऊंचा रेट दिया गया ।

(11) श्री एस0 एस0 जैन, अधिशासी अभियन्ता के डिवीजन में मिट्टी के कार्य का अनुबंध जो सात हजार घनमीटर का था, उसे बढ़ाकर 45000 घनमीटर कर दिया ।

(12) अधिकारियों की सांठगांठ से मिट्टी का कार्य एक अनुबंध से 21 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए का कर दिया जबकि दूसरे डिवीजन में ऐसा काम कम रेट पर किया गया ।

(13) अधिशासी अभियन्ता तथा निदेशक आदि से मिलकर एक अनुबंध में मिट्टी की ढुलाई का एक एक्स्ट्रा आईटम बनाया और लाभ कमाया ।

(14) नहर के किनारे पर जो रोक टोक का कार्य हुआ उसमें पत्थर नहर की ढलाई से ही निकाला मगर अधिशासी अभियन्ता ने उसकी खुदाई का एक्स्ट्रा रेट देकर घुटाला किया ।

सतर्कता जांच आख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध पाए गए प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर अभियोजन चलाए जाने एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति प्राप्त हुई है तथा एक आरोप के बारे में प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ से जांच कराने की संस्तुति की गई है । सतर्कता जांच आख्या व संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के अंतर्गत टोंस नदी द्वारा बहादुर गंज विकास खण्ड, कासिमाबाद के कटाव को रोकने हेतु अवरोध का निर्माण

35–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अंतर्गत टोंस नदी द्वारा बहादुरगंज विकास खण्ड, कासिमाबाद में किये जा रहे कटाव को रोकने हेतु ठोकर (अवरोधक) के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं और क्या ठोकर का निर्माण शीघ्र ही करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

इसकी स्वीकृति राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मार्च 1987 में दी गई थी ।

कार्य प्रगति में है । अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता । कार्य जून 1986 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली आदि का विद्युतीकरण

36—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1985 से 15 नवम्बर, 1988 तक बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली, सांथा तथा खेसरहा के किन-किन सम्पूर्ण गांवों का और किन-किन गांव के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कब-कब किया गया है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद बस्ती के प्रश्नगत विकास खण्डों के विद्युतीकृत ग्रामों व उनकी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की सूची दिनांक सहित संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 178 पर)

सुल्तानपुर स्थित चांदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

37—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चांदा क्षेत्र, सुल्तानपुर स्थित ब्लाकवार कितने ग्राम सभाओं के किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण के आदेश सरकार द्वारा दिए गए है ? कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो गया है और कितने ग्रामों में विद्युतीकरण होना बाकी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं । किसी ग्राम विशेष के विद्युतीकरण हेतु कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये हैं ।

चांदा क्षेत्र सुल्तानपुर के तीनों विकास खण्डों में ब्लाक वार 31-1-89 तक ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत है :—

विकास खण्ड	कुल ग्रामों की संख्या	31-1-89 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	शेष ग्रामों की संख्या
लम्भुआ	184	23	161
मड़ैया	171	66	105
प्रतापपुर-कर्मया	123	38	85

जनपद बलिया अंतर्गत गांव दोहरी घाट सहायक परियोजना के 15 रजबाहों के टूटने से जलप्लावन से फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में पत्र

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4/5 दिसम्बर, 1986 को जनपद बलिया के अन्तर्गत गांव दोहरीघाट सहायक परियोजना के पन्द्रह राजबाहा के टूटने के फल-स्वरूप जलालावन से 25 एकड़ जमीन की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ पाण्डेय आदि निवासी-ग्राम इन्दौली-मलकौनी, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया का कोई प्रार्थना-पत्र माह अगस्त, 1988 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई तहसील बिलग्राम निवासी श्री मुन्ना को बिजली करेन्ट लगने से मृत्यु की जांच

39–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 मई, 1986 को जनपद एवं तहसील हरदोई से ग्राम शिवपार मल्होलिया में टूटे पड़े हुए बिजली के तारों का करेन्ट लग जाने से श्री किशन कुमार उर्फ कल्लू पुत्र श्री मुन्ना निवासी सांप खेड़ा, तहसील बिलग्राम, हरदोई की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो मृतक के आश्रितों को अब तक मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण हैं तथा मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन विद्युत कर्मियों की उदासीनता के फलस्वरूप श्री किशन कुमार की मृत्यु हुई है, उनको दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

दुर्घटना के सम्बन्ध में विद्युत परिषद् की क्षेत्रीय समिति की अनुसंशायें प्रतीक्षित हैं । इनके प्राप्त होते ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करा दिया जायेगा ।

दुर्घटना की विभागीय जांच के आदेश दिये जा चुके हैं, उसमें दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा में जमुना नदी पर राजापुर के पास निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजना की क्षमता वृद्धि की मांग

40–श्री राम संजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में यमुना नदी पर राजापुर के पास निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजना की क्षमता में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस योजना की नहरें समुचित तरीके से ठीक समय पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाती हैं ? यदि हां, तो किसानों को अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु क्षमता वृद्धि का कोई प्लान सर्वे तैयार कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जिले में सोनेपुर लिफ्ट सिंचाई योजना की क्षमता वृद्धि की मांग

41–श्री राम संजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले में सोनेपुर लिफ्ट सिंचाई योजना की क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई प्लान सर्वे तैयार कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्लान सर्वे तैयार किया जायगा और क्षमता वृद्धि हेतु शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कराया जायगा ? क्या सोनेपुर माइनर की ऊंचाई के बंधों को मजबूत करने के लिए पत्थरों (बोल्डरों) की पिंचिंग भी कराई जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

सोनेपुर पम्प नहर 5 क्यूसेक क्षमता की है जिसका कमाण्ड क्षेत्र लगभग 320 हेक्टेयर है जिसके लिए क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कमाण्ड क्षेत्र सिंचित क्षमता से कम है ।

जी नहीं । क्योंकि क्षमता बढ़ाना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है अतएवं पत्थरों/बोल्डरों की फिटिंग/पिचिंग प्रस्तावित नहीं है ।

गण्डक 15 सर्किल गोरखपुर द्वारा किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु कार्यवाही

42–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक 15 सर्किल गोरखपुर द्वारा कितनी जमीन हरैया तहसील तथा बस्ती एवं खलीलाबाद जिला बस्ती में किसानों की सड़कों, बन्धों एवं भवन निर्माण के लिए ली गई है, उसमें से कितनी जमीनों का पैसा गण्डक 15वां डिवीजन गोरखपुर द्वारा जुलाई, 1988 तक विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी बस्ती के खाते में जमा कर दिया तथा कितना जमा करना शेष है ? विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी ने कितना धन किसानों में वितरित कर दिया है और कितना शेष है ? उक्त मुआवजा वितरण में विलम्ब के लिए कौन-कौन दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त मुआवजों की रकम भुगतान करायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

गण्डक नहर निर्माण खण्ड 15, गोरखपुर (अब बाढ़ कार्य खण्ड प्रथम बस्ती) द्वारा जनपद बस्ती के हरैया, बस्ती एवं खलीलाबाद में दिसम्बर, 1986 से दिसम्बर 1988 तक की अवधि में निम्न भूमि विभागीय कार्यों के लिए ग्रामीणों की सहमति से प्राप्त की गयी है :–

कार्य	हरैया	तहसील खलीलाबाद	बस्ती
(1) बांध निर्माण हेतु ..	139.03 एकड़	71.04 एकड़	..
(2) भवन निर्माण हेतु ..	0.30 एकड़	..	..
(3) सड़क निर्माण हेतु ..	..	..	..
सम्पूर्ण योग ..	139.33 एकड़	71.04 ए कड़	..

उक्त भूमि के लिए गण्डक नहर निर्माण खण्ड 15 द्वारा अभी तक कोई धन जमा नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अभी प्रगति में है । वैसे बाढ़ कार्य खण्ड फैजाबाद जिसके कार्य गण्डक नहर निर्माण खण्ड 15 गोरखपुर में अक्टूबर

1986 में स्थानान्तरित हुए थे, के द्वारा अध्याप्त भूमि के लिए 16.08 लाख रुपये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती के नाम जमा किया गया था जिसमें से उन्होंने सितम्बर, सन् 1988 तक 9.06 लाख रुपये ग्रामीणों को भूमि प्रतिकर के रूप में बांट दिया है और 7.02 लाख रुपये उनके पास शेष हैं ।

जहां तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं विलम्ब का सम्बन्ध है स्थिति यह है कि सभी कार्य बाढ़ से सम्बन्धित हैं तथा अधिकांश कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कराये गये हैं । पूर्व में इन मदों के अंतर्गत भूमि का प्रतिकर देय नहीं होता था । इन कार्यों के लिए अब भूमि का मुआवजा मद 4711 बाढ़ कार्य के अंतर्गत दिया जाता है । भूमि के प्रकरण 210.37 एकड़ में से 142.52 एकड़ के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती को भेजे जा चुके हैं शेष की कार्यवाही प्रगति में है तथा शीघ्र ही सभी भू प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती को भेज दिये जायेंगे । इस मामले में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[दिनांक 15-2-89 को अता0 प्र0 संख्या 35 द्वारा उत्तरित]

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह में आवासीय कालोनियों की सफाई हेतु फर्मों को दिया गया ठेका एवं सफाई कर्मियों की नियमित नियुक्ति

44—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ में वर्ष 1987 में विद्युत गृहों तथा परियोजना की आवासीय कालोनी की सफाई के ठेके किन-किन फर्मों को दिये गये थे ? इन फर्मों द्वारा सन् 1987-88 में सफाई कार्यों के लिए कितने श्रमिकों का नियोजन किया था तथा परिषद द्वारा इन फर्मों को सफाई कार्यों के मद में कुल कितनी धनराशि का भुगतान 1987-88 में किया गया ? क्या हरदुआगंज विद्युत परियोजना प्रशासन द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए भी विद्युत गृहों व आवासीय कालोनी की सफाई कार्यों के ठेके विभिन्न फर्मों को दिये गए हैं ? यदि हां, तो यह ठेके किन-किन फर्मों को दिये गये हैं ? तथा ठेकेदार/फर्म से हुए अनुबंधों के अंतर्गत नियोजित सफाई श्रमिकों के नियोजन की तिथि व श्रमिकों को देय मजदूरी की दर क्या है ? क्या सरकार निरंतर चलते रहने वाले स्थायी/नियमित प्रकृति के सफाई कार्यों को ठेकेदारों से कराये जाने पर उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उत्पादन) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी करेगी तथा सफाई कार्यों के लिए नियमित सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने के आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1987 में हरदुआगंज ताप विद्युत गृह में विद्युत गृहों तथा परियोजना की आवासीय कालोनी की सफाई के ठेके निम्न फर्मों को दिये गये :–

1–मै0 वी0 शाह एण्ड क0, दिल्ली।

2–मै0 राजेन्द्र सिंह, ठेकेदार।

3–भारत इण्टरप्राइजेज, सुमेरो।

(अलीगढ़)

4–चौहान इंजीनियरिंग, पड़का-पड़की (अलीगढ़) ।

फर्मों/ठेकेदारों को कार्य का ठेका दिया गया था । उनके द्वारा कार्यों के लिये नियोजित श्रमिकों का विवरण उपलब्ध नहीं है । इन फर्मों को वर्ष 1987-88 में सफाई कार्य के लिये 16,59,658-90 का भुगतान किया गया।

जी हां । वर्ष 1988-89 के लिये हरदुआगंज ताप विद्युत गृह एवं आवासीय कालोनी की सफाई कार्यों के लिये ठेके निम्न फर्मों को दिये गये :–

1–मै0 अशोक इण्टरप्राइजेज, कासिमपुर (अलीगढ़)

2–श्री गवेन्द्र, ठेकेदार।

ठेकेदार/फर्म को कार्य का ठेका दिया गया था । उनके द्वारा श्रमिकों के नियोजन की तिथि व श्रमिकों को दी गयी मजदूरी का विवरण उपलब्ध नहीं है। श्रमिकों को देय मजदूरी की दर रु0 20-15 प्रतिदिन है।

इस संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं कि जहां तक सम्भव हो नियमित प्रकृति के कार्य नियमित कर्मचारियों से ही कराये जायें ।

अलीगढ़, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर के अधीन कोल हैंडलिंग कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों से किये गये अनुबन्ध

45–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ के अधीन कोयला संचालन खण्ड में कोल हैंडलिंग कार्यों के लिए विभिन्न फर्मों ठेकेदारों से अनुबंध किए गए हैं ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों से किन-किन कार्यों के लिए अनुबंध किए गए हैं तथा अनुबंध की अवधि/ठेकेदारों द्वारा कार्य किये जाने की अवधि क्या है ? ठेकेदारों द्वारा परिषद् से किए गए अनुबंधों के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों की देय मजदूरी की दर, कार्य की प्रकृति क्या है ? ठेकेदारों के माध्यम से कोल हैंडलिंग कार्यों के लिए नियोजित, प्रत्येक श्रमिक से अनुबंध की तिथि से 1-8-88 तक कितने दिवस कार्य लिया गया है तथा उन्हें कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगढ़, बाल विद्यालय (माण्टेसरी स्कूल) कासिमपुर में नियुक्त अध्यापिकाओं का पुनरीक्षित वेतनमान

46–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बाल विद्यालय (मान्टेसरी स्कूल) कासिमपुर, अलीगढ़ का अधिग्रहण दिनांक 1-7-1976 से कर लिया गया है? क्या विद्यालय अधिग्रहण के पश्चात् हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ओ0 एण्ड एम0) ने आदेश सं0-14358 एसाई दिनांक 21-12-1976 द्वारा अध्यापिकाओं की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया था? यदि हां, तो क्या चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय सी0 टी0 वेतनमान रु0 250-7-285-9-375-10-425 में कुछ अध्यापिकाओं की नियुक्तियां विद्यालय के तत्कालीन प्रबन्धक द्वारा दिनांक 1-7-1976 से किये जाने के आदेश पारित किये गये? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा राजकीय सी0 टी0 वेतनक्रम रु0 250-425 को दिनांक 1-4-79 से वेतनमान रु0 530-810 में तथा 1-4-84 से वेतनमान रु0 1200-1800 में पुनरीक्षित किया गया है? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् बाल विद्यालय (मान्टेसरी स्कूल) कासिमपुर, अलीगढ़ में सी0 टी0 वेतनमान रु0 250-425 में नियुक्त अध्यापिकाओं को 1-4-1984 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1200–1800 में वेतन निर्धारण प्रबन्धक द्वारा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इन अध्यापिकाओं का वेतन निर्धारण करके देय धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

नियुक्तियां सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित) के पद पर 1-7-1976 से एवं उसके पश्चात राजकीय वेतनमान रु0 250-425 में की गयी थी। वेतनमान रु0 250-425 को दिनांक 1-4-1979 से वेतनमान रु0 530-810 में किया गया है तथा 1-4-84 से वेतनमान का पुनरीक्षण 1200-1800 में किया गया है। परन्तु यह वेतनमान माध्यमिक स्कूलों की अध्यापिकाओं को देय है। माण्टेसरी स्कूल की अध्यापिकाओं/सहायक अध्यापिकाओं का वेतनमान रु0 1100–1575 निर्धारित किया गया है। दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1100-1575 उन आठ अध्यापिकाओं का निर्धारण कर दिया है, जिन्होंने दिनांक 1-4-84 से यह वेतनमान लिये जाने हेतु विकल्प पत्र भर दिया है। अन्य का विकल्प पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिस कारण उनका नया वेतनमान रु0 1100-1575 के वेतनमान में निर्धारित नहीं किया जा सका, यदि विकल्प पत्र एक माह की अवधि में प्राप्त नहीं होते हैं तो सभी अध्यापिकाओं का वेतन रु0 1100-1575 के वेतनमान में निर्धारित कर दिया जायेगा तथा देय धनराशि का भुगतान उसके पश्चात् एक माह में कर दिया जायेगा।

बहराइच जनपद के अन्तर्गत कटे नाला बांध को स्थानान्तरित कर ड्रेनेज मण्डल गोण्डा से जोड़ना

47–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद अन्तर्गत कटे नाला बांध को 9वां मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच से स्थानान्तरित कर ड्रेनेज मण्डल गोण्डा के साथ जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इस स्थानान्तरण का औचित्य क्या है? कटे नाला बांध पर कार्यरत सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता को भी ड्रेनेज खण्ड गोण्डा को स्थानान्तरित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच ने इस तट बांध का निर्माण कराया था । निर्माण उपरान्त यह तट बांध रख-रखाव हेतु ड्रेनेज मण्डल गोण्डा को स्थानान्तरित कर दिया गया क्योंकि नवम् मण्डल सिंचाई कार्य तट बंधों के रख-रखाव का कार्य नहीं करता है ।

कटी नाला बांध पर कार्यरत केवल एक अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण किया गया था क्योंकि निर्माण कार्य समाप्त हो गया था ।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल विरनों राजबहा के टेल पर पानी पहुंचाना

48–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल बिरनो राजबहा के टेल पर पानी कब तक पहुंचा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल बिरनों राजवाहा के टेल पर जुलाई, 1989 में पानी पहुंचा दिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सपरार प्रखण्ड, झांसी द्वारा किये अनुबन्धों की धनराशि रिलीज करना

49–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सपरार प्रखण्ड, झांसी ने प्रथम उपखण्ड में किये गये अनुबन्धों में श्री राम सेवक शर्मा एवं श्री गोविन्द सिंह ठेकेदारों की जमा की गयी धनराशि बिना अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की संस्तुति के अपने कार्य काल में रिलीज कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसा करने के इन्हें अधिकार प्राप्त थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सपरार प्रखण्ड, झांसी के अधिशासी अभियन्ता, श्री सुभाष चन्द्र शर्मा ने प्रथम उपखण्ड में सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये अनुबन्धों में श्री राम सेवक शर्मा व श्री गोविन्द सिंह ठेकेदारों की जमा की गई जमानत की राशि, सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार रिलीज की है। ऐसा कोई नियम अथवा आदेश नहीं है जिसके अनुसार जमानत रिलीज करने के लिये अवर अभियन्ता की संस्तुति आवश्यक हो ।

सहायक अभियन्ता स्तर के अनुबन्धों में संस्तुति हो जाने पर अधिशासी अभियन्ता जमानत की धनराशि रिलीज करने के लिए सक्षम हैं।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सपरार प्रखण्ड झांसी द्वारा बिछाई गई मौरंग का विवरण

50–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सपरार प्रखण्ड, झांसी ने 1984 से 1988 तक प्रतिवर्ष नहरों पर कितने मूल्य की मौरंग की सप्लाई लेकर बिछवाई ? क्या मंत्री जी लाखों रुपये की मौरंग खरीद के औचित्य की जांच कराकर सदन को जांच रिपोर्ट से अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

1984 से 1988 तक प्रतिवर्ष नहरों पर बिछवाई गई मौरंग के मूल्य का विवरण निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	कुल मूल्य (लाख रु0 में)
1984–85	1·81
1985–86	1·95
1986–87	5·15
1987–88	5·30

अब नहर की सड़कों का सभी विभाग ग्रामवासी इस्तेमाल करते हैं । ट्रैक्टर आदि काफी संख्या में हो गये हैं। इस कारण सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं। अतः नहर की सर्विस रोड पर कुछ भाग रीच में, जहां प्रायः अधिक आवागमन से क्षति ज्यादा होती है अथवा मिट्टी गार काबर है, उनको उपयोग योग्य बनाये रखने के लिए मौरंग बिछवाना आवश्यक हो जाता है ।

नहरों की सड़कों का ग्रामवासियों द्वारा उपयोग करने के कारण सड़कों के रख-रखाव का कार्य बढ़ गया है । इस कारण मौरंग बिछाने का व्यय भी अपेक्षाकृत बढ़ गया है।

यह कार्य अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कराया गया है इनका निरीक्षण माननीय विधायक मऊरानीपुर व राठ सर्वश्री भागीरथ चौधरी क्रमशः 16-11-87 को डा0 रामसिंह ने 30-11-87 व 9-5-88 को कर चुके हैं और उन्होंने कार्य को सुनियोजित ढंग से किया पाया ।

अतः विधायक स्तर पर निरीक्षण हो चुका है तथा किसी अन्य स्तर से जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

बेतवा प्रखण्ड उरई के लोहागढ़ सेक्शन अवर अभियन्ता को ग्राम साकिन आदि की सिंचाई गूलों व नालियों को पक्का कराने के कार्य की स्वीकृति

51–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बेतवा प्रखण्ड उरई के लोहागढ़ सेक्शन के अवर अभियन्ता श्री दुर्योधन सिंह को ग्राम साकिन, छटेवा, अटा लोहागढ़ सहित प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्य ग्रामों में सिंचाई गूलों एवं नालियों का पक्का बनाये जाने का कार्य गत वर्ष स्वीकृत कर कराने के लिए दिया गया था लेकिन पक्की नालियों का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त अवर अभि0 द्वारा प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में पक्की नालियों के कराये गये निर्माण का स्थल निरीक्षण कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ, राज्य विद्युत परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता आदि के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच

52–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के कितने ऐसे अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच जुलाई, 1988 तक चल रही है और वे कार्यकारी खण्ड में नियुक्त हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद् के 1 अधीक्षण अभियंता, 12 अधिशासी अभियन्ता, 9 सहायक अभियन्ता एवं 9 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है।

पूर्व अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

53–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री कमलापति त्रिपाठी) पूर्व अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ 22-4-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

आरोपों की जांच मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व, इलाहाबाद से कराई गई ।

जांचोपरान्त इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गई । अतः श्री त्रिपाठी के विरुद्ध विचारोपरान्त मामला समाप्त कर दिया गया ।

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं स्टाफिंग नार्म्स

54–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ में दिनांक 1-7-1988 तक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? विद्युत परिषद् ने विद्युत परियोजनाओं में कर्मचारियों का स्टाफिंग नार्म्स तय करने के लिए श्री जे0 सी0 मित्तल कमेटी की अनुशंसाएं क्या हैं तथा क्या इसे विद्युत परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यकता से अधिक इन कर्मचारियों/अधिकारियों को हरदुआगंज परियोजना से बाहर अन्य नई इकाइयों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ में तीन तापीय विद्युत गृह 'अ', 'ब', 'स' हैं, उनमें 1-7-88 को कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 4263 थी ।

श्री जे0 सी0 मित्तल कमेटी ने स्टाफिंग नार्म्स 50 मेगावाट या उससे ऊपर क्षमता की मशीनों के लिए अनुशंसा की है जिसके अनुसार "ब" एवं "स" विद्युत गृह जिसमें कि मशीनों की क्षमता 50 मेगावाट एवं उससे ऊपर है के लिए कुल 2084 कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्राविधान होना चाहिए । इन "ब" व "स" विद्युत गृहों में 1-7-88 को कुल कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या 3443 थी ।

श्री जे0 सी0 मित्तल कमेटी की अनुशंसायें विद्युत परिषद् के विचाराधीन हैं ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्ध उ0प्र0 राज्य विद्युत परियोजनाओं के श्रमिकों के लिए लागू करना

55–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्ध उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज, ओबरा, अनपरा, टांडा, पारीक्षा एवं पनकी विद्युत परियोजनाओं पर लागू हैं ? यदि हां,

तो क्या राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उक्त परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो वह शासनादेश क्या है तथा 1-7-88 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सार्वजनिक उपक्रमों, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् भी सम्मिलित है लागू नहीं होते हैं।

मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता द्वारा कर्मचारियों से मांगी गई सूचना

56–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 के परिपत्रांक 457/का0प्र0 अनु0-1, दिनांक 28-2-1986 द्वारा मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में जो सूचना संग्रहीत की गयी है, उसमें कुल कितने कर्मचारियों द्वारा क्या सूचना उपलब्ध करायी गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई विभाग के परिपत्रांक : 457/का0प्र0 अनु0-1/दिनांक 28-2-1986 द्वारा मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में जो सूचना संग्रहीत की गयी थी उसमें कुल 183 कर्मचारियों ने सूचना उपलब्ध करायी थी जिसमें से 181 कर्मचारियों ने अवगत कराया कि वे अकेले ही मकान किराया भत्ता ले रहे हैं केवल दो कर्मचारियों ने अवगत कराया था कि वे मय दम्पत्ति के मकान किराया भत्ता आहरित कर रहे थे ।

57–श्री कुशल पाल सिंह–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सुलेमापुर, जिला वाराणसी के हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य

58–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सुलेमापुर विकास खण्ड हरदुआ, जिला वाराणसी के हरिजन बस्ती (धोबीपुरा) आदि में वर्ष 1984-85 से विद्युतीकरण किये जाने की योजना चल रही है, किन्तु उक्त कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसमें संबंधित धन अन्य कार्यों में खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

ग्राम सुलेमापुर का जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयन नहीं किया गया है जिसके कारण इस ग्राम व हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। योजना से सम्बन्धित धन चयनित ग्रामों व हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण पर व्यय किया जा रहा है । चयन के उपरान्त ही कार्य किया जा सकेगा ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा के गांवों का विद्युतीकरण

59--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि बलिया जनपद (अब नव सृजित जनपद मऊ) के विकास खण्ड रतनपुर के समान बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा के भी सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण कराने पर सरकार विचार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के कारण ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ, टिकैतराय स्थित राज्य कर्मचारियों के नये राशन कार्ड बनवाने की वैकल्पिक व्यवस्था

60--श्री राज किशोर सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय, लखनऊ स्थित राज्य कर्मचारियों को नये राशन कार्ड बनवाने की वैकल्पिक व्यवस्था व दुकान का प्रबन्ध कालोनियों में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह--

टिकैतराय तालाब, लखनऊ स्थित कालोनियों के राज्य कर्मचारियों द्वारा नया राशन कार्ड बनवाने हेतु निर्धारित प्रा[illegible] पर प्रार्थना-पत्र देने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय द्वारा नियमानुसार उन्हें राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। वर्तमान में उक्त कालोनियों के किसी भी निवासी का राशन कार्ड बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है। इस समय उक्त कालोनियों के समस्त राशन कार्ड कालोनी के निकट ही स्थित दो दुकानों से सम्बद्ध हैं।

चूंकि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत समान रूप से सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत करके उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान की गई है, अतः प्रश्नगत कालोनियों के राज्य कर्मचारियों के लिए नये राशन कार्ड बनवाने हेतु अलग से वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तथा उनके लिए कालोनी में ही उचित दर की दुकान की व्यवस्था किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला बांदा में मरजादपुर तालाब पर बांध निर्माण की मांग

61–श्री राम संजीवन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि बांदा जिले में करवी तहसील के ग्राम समाज के मरजादपुर तालाब से सिंचाई हेतु बांध बनाने का प्रतिवेदन सिंचाई प्रखण्ड प्रथम करवी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल बांदा को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग द्वारा गांव समाज के उस तालाब को अधिग्रहीत करके बांध का निर्माण करा दिया जायेगा ? क्या बांध निर्माण संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु तालाब का स्वामित्व गांव सभा से हटाकर सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम जिलाधिकारी बांदा से सहयोग लिया जायेगा ? क्या तालाब को बांध का रूप देने और सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु सर्वे प्लान तैयार किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

मरजादपुर बांध के निर्माण का कार्य एक लघु कार्य है और यह कार्य लघु सिंचाई अथवा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सम्पादित किए जाते हैं । अतः सिंचाई विभाग द्वारा इसका स्वामित्व ग्रहण का प्रश्न नहीं उठता और न ही सिंचाई विभाग द्वारा इसका सर्वे प्लान बनाने का प्रश्न है ।

62–श्री सुखपाल पाण्डे–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ0 प्र0 खनिज निगम (विकास) लखनऊ के साथ सिंचाई विभाग का गण्डक 15 नहर डिवीजन गोरखपुर में पत्थर आपूर्ति का अनुबंध

63–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उ0 प्र0 खनिज निगम (विकास) लखनऊ के साथ 87-88, 88-89 में गण्डक 15 नहर डिवीजन गोरखपुर में पत्थर आपूर्ति का अनुबंध किया था ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग तथा खनिज निगम उत्तर के बीच जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध पत्र में क्या-क्या शर्तें हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0 प्र0 तथा खनिज निगम लखनऊ के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ है ।

श्री आलोक दूबे, जनता पार्टी गाजीपुर द्वारा तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के पत्र पर कार्यवाही

64–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने श्री आलोक दुबे, जनता पार्टी गाजीपुर के शिकायती पत्र के साथ 13-12-86 को एक पत्र लिखकर श्री दुबे द्वारा लगाए गए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग की थी ? क्या यह सच है कि श्री दुबे ने अपने पत्र में इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी के शह पर असामाजिक तत्व उनकी हत्या कराना चाहते हैं और बाद में श्री दुबे की हत्या हो भी गयी? यदि हां, तो इस संबंध में स्व0 श्री दुबे द्वारा आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-12-86 का लिखा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ अपितु उक्त विषय पर उनके दिनांक 23-12-86 के लिखे पत्र प्राप्त हुए जिसकी जांच जिलाधिकारी, गाजीपुर को संदर्भित की जा चुकी है ।

श्री आलोक दुबे की हत्या के कथित मामले में तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी, गाजीपुर के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग की जांच प्रक्रिया में है । श्री दुबे की हत्या दिनांक 22-7-87 को हुई थी तथा इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या–477/87 धारा 147/148/149/364/302 भारतीय दण्ड विधान थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत किया गया था जिसमें दिनांक 20-10-87 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किए जा चुके हैं ।

वाराणसी शहर में पुरातत्व विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण

65–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहीत गुरुधाम मंदिर के साथ कितनी जमीन जुड़ी है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त गुरुधाम मंदिर की जमीन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शरणार्थी सिन्धियों की कालोनी स्वीकृत है ? क्या सरकार उन्हें अधिग्रहण से मुक्त करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वाराणसी स्थित गुरुधाम मंदिर के साथ इस समय 3.17½ एकड़ भूमि जुड़ी है । गुरुधाम मंदिर अधिग्रहीत नहीं किया गया है। उ0 प्र0 ऐतिहासिक स्थल स्मारक एवं अवशेष संरक्षण अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुरुधाम मंदिर एवं उससे सम्बद्ध 1.73 एकड़ भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है । अवशिष्ट 1.44½ एकड़ भूमि को भी संरक्षित घोषित की जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

इस कालोनी का अधिग्रहण किया ही नहीं गया है । अतः अधिग्रहण से मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के ग्राम सुलेमापुर स्थित ग्राम सभा गुरवट के अन्तर्गत राजकीय नलकूप लगाने की मांग

66–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सुलेमापुर विकास खण्ड हरहुआ जिला वाराणसी के उत्तरी छोर पर स्थित गुरवट ग्राम सभा अन्तर्गत सिंचाई के अभाव को देखते हुए राजकीय नलकूप लगाए जाने हेतु वर्ष 1983-84 में सर्वे आदि किया गया था? क्या यह सही है कि सर्वे अधिकारियों द्वारा वहां पर नलकूप लगाया जाना उपयुक्त पाया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर अब तक नलकूप न लगाये जाने का क्या कारण है तथा कब तक नलकूप लगा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता

प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र राजकीय नलकूप राजापुर सुलेमापुर एवं भटौली के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड में प्रस्तावित विद्युत गृह की स्थापना हेतु मांग

67–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में प्रस्तावित तापीय विद्युत गृह की स्थापना में विलम्ब का क्या कारण है और स्थापना का कार्य कब तक प्रारम्भ होने जा रहा है तथा उसकी लागत क्या होगी ? क्या सरकार जनहित में विद्युत तापीय गृह स्थापना का कार्य तत्काल कराने हेतु कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बलिया में 3×210 मे0 वा0 बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन के निकट तापीय विद्युत गृह स्थापित करने हेतु फिजीविल्टी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माह दिसम्बर, 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है । इस परियोजना पर कार्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद और आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही प्रारम्भ हो सकेगा । इस परियोजना और सम्बन्धित पारेषण सिस्टम की वर्तमान अनुमानित लागत 1006.86 करोड़ रुपये (एक हजार छः करोड़ छियासी लाख रुपया) आंकी गई है ।

विद्युत गृह लगाने के लिए निम्नलिखित निवेशों/इनपुट्स के सुनिश्चित होने पर ही भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होना तथा उस पर कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा :–

(1) प्रस्तावित साइट इन्दारा रेलवे स्टेशन तथा भटनी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित है जो कि अभी छोटी लाइन है । इसका बड़ी लाइन में परिवर्तन रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है । यह कार्य रेलवे विभाग द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 30-3-90 तक संभव होने की आशा है ।

(2) वांछित जल की उपलब्धता केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित की जानी अपेक्षित है ।

(3) कोयले की उपलब्धता "स्टेण्डिंग लिकेज कमेटी" भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी है ।

(4) इस कार्य हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं हुई है ।

जनपद-अल्मोड़ा तहसील बारामंडल की क्षतिग्रस्त दशीला नहर की मरम्मत हेतु कार्यवाही

68–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि तहसील बारामंडल जनपद अल्मोड़ा की दशीला नहर वर्ष 1979 में भनोली मार्ग बनने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी ? यदि हां ,तो क्या विभाग द्वारा उक्त नहर की मरम्मत कराने की कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां । नहर किमी0 1.20 से 3.00 तक क्षतिग्रस्त हुई थी । सिंचाई विभाग के कुमायूं सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा को उक्त मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से दिनांक 1-8-84 को रु0 52,800 प्राप्त हुए थे । उक्त मरम्मत कार्य की प्रगति के मध्य उक्त विभाग के सड़क निर्माण से नहर को माह अक्टूबर, 1984 में पुनः क्षति पहुंची । इस क्षति की अनुमानित लागत अब रु0 1.72 लाख है । यह धनराशि उक्त विभाग से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

उक्तानुरूप धनराशि मिलने पर नहर की क्षति की मरम्मत करा दी जायेगी ।

बस्ती जिले में मुखालिसपुर पम्प कैनाल के वाटर बैरियर के निर्माण कार्य का विवरण

69–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मुखालिसपुर पम्प कैनाल के वाटर बैरियर का निर्माण कार्य सन् 1980 से चालू किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये का बजट था तथा उनके कब तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? जुलाई, 1988 तक प्रत्येक वर्षों में उक्त योजना पर कितना धन खर्च किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

रु0 241.68 लाख का प्राविधान (बजट) था । उक्त कार्य वर्ष 1988-89 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1980-81 से जुलाई 1988 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्न धन खर्च किया गया है :–

वित्तीय वर्ष	खर्च की धनराशि (लाख रु0 में)
1980–81	0.02
1981–82	5.26
1982–83	4.98
1983–84	0.59
1984–85	1.66
1985–86	11.48
1986–87	11.99
1987–88	134.42
1988–89 (जुलाई 1988 तक)	114.47

गण्डक नहर निर्माण खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत योजनाओं हेतु आवंटित धन व व्यय के विवरण की मांग

70–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक नहर निर्माण खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत जून, 1987 से जुलाई, 1988 तक कौन-कौन सी योजनाओं पर कितना-कितना धन आवंटित हुआ था और जुलाई, 1988 तक किन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? कितना धन आवंटित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर व्यय किया, उसका विवरण क्या है ? जो धन स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित था उसे अन्य योजनाओं पर किसके आदेश पर खर्च किया गया ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गण्डक नहर निर्माण खण्ड, गोरखपुर नाम का कोई खण्ड कार्यरत नहीं है ।

अतः सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नकर्ता श्री यदुनाथ सिंह का दिनांक 22-7-87 का शासन/परिषद् में अप्राप्त पत्र

71–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 108 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 545 उनके कार्यालय में तारीख 22-7-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय विधायक का पत्र संख्या–545, दिनांक 22-7-87 शासन/परिषद् में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद मिर्जापुर के बेलन कनहर परियोजना से संबंधित एक सहायक अभियंता की कार्यकारी पद पर पदस्थापना

72–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के बेलन कनहर नहर परियोजना से संबंधित एक सहायक अभियंता की कार्यकारी पद पर पद स्थापना करने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-3-88 के पत्र पर क्या निर्णय लिया गया है तथा उक्त सहायक अभियंता की पदस्थापना कार्यकारी पद पर कब तक कर दी जावेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद मिर्जापुर के बेलन कनहर परियोजना से सम्बन्धित एक सहायक अभियन्ता (श्री सुनील भूषण प्रसाद) की कार्यकारी पद पर पदस्थापना करने विषयक प्रश्नकर्ता का कथित पत्र शासन में प्राप्त हुआ था । श्री सुनील भूषण प्रसाद, सहायक अभियंता की कार्यकारी पद पर पदस्थापना कर दी गई है ।

73–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[अीश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वाराणसी के गांव पाण्डेपुर के मुहल्ला पाण्डेपुर के लोगों को कनेक्शन देने हेतु कृत कार्यवाही

74–श्री राम सजीवन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पाण्डेपुर मुहल्ला पाण्डेपुर शहर वाराणसी के 21 लोगों ने दो वर्ष पूर्व लाइट व फैन के लिए डिवीजन आफिस मछोदरी वाराणसी में एग्रीमेंट किया है ? क्या यह सही है कि अब तक किसी को कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही ी करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला अंतर्गत ग्राम बेगम गंज में निर्माणाधीन नलकूप

75–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला के अंतर्गत ग्राम बेगमगंज में वृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत कोई नलकूप निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस नलकूप के निर्माण से सम्बन्धित कितना कार्य हुआ और उक्त नलकूप कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिंचाई विभाग के नलकूप संगठन द्वारा इस क्षेत्र में कोई नलकूप निर्माणाधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर नगरा में मार्गों एवं ड्रेनों के निर्माण कार्य

76–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर नगरा में शारदा सहायक परियोजना विभाग ने वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में कितने-कितने मार्गों व ड्रेनों का निर्माण कराया है? क्या सरकार कराये गये कार्यों की लम्बाई भुगतान किये गये धन का ब्यौरा सदन को बतायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा में शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत विभाग ने मार्गों एवं ड्रेनों का निर्माण कार्य नहीं कराया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घोसी संसदीय क्षेत्र के विकास खण्डों की ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण

77–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि घोसी संसदीय क्षेत्र के विकास खण्डों के सभी ग्राम सभाओं को विद्युतीकरण से सरकार लाभान्वित कराने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र से सटे विकास खण्ड सीयर व नगरा का भी उसी प्रकार सम्पूर्ण ग्राम का ग्रामीण विद्युतीकरण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के श्री दलजीत की करेंट लगने से मृत्यु पर मुआवजा दिया जाना

78–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के थाना बेवाना अंतर्गत 12 जून, 1986 को श्री दलजीत पुत्र गोपी केवट की मृत्यु विद्युत लाइन का तार टूटने के कारण करेन्ट लगने से हुई थी ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को विभाग द्वारा कब व कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री दलजीत पुत्र श्री गोपी केवट थाना बेवाना जनपद फैजाबाद की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात से दिनांक 12 जून, 1986 को नहीं वरन् दिनांक 12 जून 1987 को हुई थी ।

अनुग्रह क्षति पूर्ति की स्वीकृति क्षेत्रीय समिति की संस्तुति एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाती है, जो अभी परिषद् में प्रतीक्षित है ।

79–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 159 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के राजकीय नलकूपों पर कार्य न होने पर भी भुगतान किया जाना

80–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के राजकीय नलकूपों पर वर्ष 1987-88 की सूखा राहत के अंतर्गत नाली व पाइप लाइनों का कार्य न होने पर भी भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में जनपदवार एवं विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत लगाये गये राजकीय नलकूपों का विवरण

81–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार राजकीय नलकूपों तथा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत लगाए गए राजकीय नलकूपों की संख्या क्या-क्या है तथा वर्ष 1988-89 में जनपदवार उक्त दोनों श्रेणियों के कितने-कितने नलकूप लगाने का विचार है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रदेश में नलकूप संगठन के अंतर्गत वर्ष 1987-88 तक लगाए गए राजकीय तथा विश्वबैंक में चलित नलकूपों की संख्या 22785 तथा 2990 है जिनकी जनपदवार सूची संलग्न है । (सूची–1)

वर्ष 1988-89 में जनपदवार लगाये जा रहे राजकीय तथा विश्वबैंक नलकूपों की ऊर्जीकरण के लक्ष्य के अनुसार संख्या क्रमश: 530 तथा 400 है जिसकी सूची संलग्न है । (सूची–2)

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 180 पर)

जनपद बरेली में राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

82–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अंतर्गत नदियों के कटावों से ग्रामों को बचाने के जो प्रस्ताव भेजे गए थे वह सभी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत होकर आ गये थे तथा कार्य भी हो गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1987-88 में तथा 88-89 में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त प्रकार की योजनाओं को उक्त स्कीम में न रखने का निर्देश देने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी ऐसी योजनाओं को उक्त स्कीम में सम्मिलित करने की अनुमति बरेली भेजेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कटान रोकने का कार्य न करके ग्रामों को अन्यत्र बसाया जाय, को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987-88 व 1988-89 में नदियों के कटान से ग्राम को बचाने के प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अधिकरण बरेली को नहीं भेजे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मंशापुर के ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

83–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 1277/ज0पा0/88 दिनांक 16 नवम्बर, 88 संलग्नकों सहित मिल गया है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ग्राम मंशापुर का ट्रांसफर्मर वहां के किसानों से अनुचित धन लेने के बाद ही बदला गया है ? यदि हां, तो सभी खराब ट्रांसफार्मरों को अविलम्ब बदलने तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके सारी शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराने और जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं एसी कोई जानकारी नहीं है । ग्राम मंशापुर का खराब ट्रान्सफार्मर दिनांक 20-11-88 को बदल दिया गया ।

खराब ट्रांसफार्मर को मरम्मत के बाद या नये ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर बराबर बदला जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में ट्यूबवेलों एवं नालियों की मरम्मत हेतु धन की स्वीकृति

84–श्री मूलचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में सन् 87-88 में ट्यूबवेलों की मरम्मत व नालियों की मरम्मत हेतु धन भेजा गया था ? यदि हां, तो कुल कितने धन की जिला सिंचाई सलाहकार समिति ने सर्वसम्मत से स्वीकृति दे दी थी ? क्या नालियों एवं ट्यूबवेल की मरम्मत कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

एसा कोई प्राविधान नहीं है ।

जी हां, उपलब्ध धनराशि में आवश्यक मरम्मत कराई गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के तरकुलवा स्थान पर विद्युत तार से एक व्यक्ति की मृत्यु एवं दो के घायल होने की घटना

85–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तरकुलवा नामक स्थान पर 11 हजार किलोवाट की विद्युत लाइन के तार टूट कर गिर जाने से 25 जुलाई, 1988 को एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई और दो गम्भीर रूप से घायल हो गए ? यदि हां, तो यह गम्भीर घटना किस अधिकारी और कर्मचारियों के लापरवाही के कारण हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा मृतकों एवं घायलों के परिवारजनों को कितना मुआवजा भुगतान किया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

देवरिया जनपद के तरकुलवा नामक स्थान पर दिनांक 25-7-88 को विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गयी थी तथा दो व्यक्तियों की उपचार के दौरान बाद में मृत्यु हो गयी । उक्त दुर्घटना की जांच एस0 डी0 एम0, सलेमपुर द्वारा की जा रही है। विभागीय जांच किये जाने हेतु मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, गोरखपुर को निर्देश दे दिये गये हैं ।

मृतकों के परिवार को भुगतान हेतु एक-एक हजार रुपये की अन्तरिम अनुग्रह अनुदान क्षतिपूर्ति आयुक्त को चेक सं0 001322 द्वारा दिनांक 7-10-88 को दे दिया गया है।

क्षतिपूर्ति की स्वीकृति क्षेत्रीय समिति की संस्तुति एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाती है, जो अभी परिषद् में प्रतीक्षित है।

जिला मथुरा में व्योहई विजाहरी नाले के निर्माण में घोटाले की शिकायतों की जांच की मांग

86–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1987 को जिला मथुरा में व्योहई विजाहरी नाले के निर्माण में किये गये घोटाले के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गईं और कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? क्या शासन दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा जनपद के विधान सभा क्षेत्रों के गांवों का विद्युतीकरण

87–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्ष 1985-86, 86-87 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित थे और इनमें से कितने गांव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गयी है ? कितने शेष बचे हैं और उनमें कब तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मथुरा जनपद में वर्ष 1985-86 में 14 गांवों का विद्युतीकरण किया गया । वर्ष 1986-87 में 39 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था, जिसमें 34 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया । इन 39 गांवों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार संलग्न है ।

शेष 5 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति में है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 184 पर)

वाराणसी जिले के ब्लाकों का पम्पिंग सेटों हेतु कनेक्शन के एग्रीमेन्ट का विवरण

88–श्री राम सजीवन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 88 से 20 नवम्बर, 88 तक वाराणसी जिले के प्रत्येक ब्लाक से कितने लोगों ने पम्पिंग सेटों के लिए कनेक्शन

हेतु एग्रीमेन्ट किया है ? क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1988 तक किसी को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कनेक्शन न दिये की स्थिति में एग्रीमेन्ट करार बाले का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	विकास खण्ड	अनुबन्धों की संख्या
1	—भदोही	15
2	—ज्ञानपुर	4
3	—सुरियावां	9
4	—औराई	3
5	—डोघ	12
6	—घानापुर	17
7	—चहनियां	28
8	—सकलडीहा	5
9	—चन्दौसी	11
10	–नियामताबाद	7
11	—बरहनी	5
12	—साहबगंज	3
13	—चकिया	3
14	—नौगढ़	—
15	–पिंडारा	18
16	—बड़ागांव	8
17	—चोलापुर	15
18	—हरहुआ	18
19	–चिरईगांव	6
20	—काशी विद्यापीठ	3
21	—सेवापुरी	8
22	—आराजी लाइन	18
	कुल योग	=216

जी नहीं ।

जिला वाराणसी एवं बसनी आदि ब्लाकों के जले ट्रांसफार्मर्स के बदलने का कार्य

89–श्री राम सजीवन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सैकड़ों ट्रान्सफार्मर जल गये हैं ? क्या यह भी सही है कि अप्रैल, 88 से अब तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदले गये ? क्या यह भी सही है कि बसनी टाउन व दजीपुर ब्लाक बड़ागांव ठटेरी रोहनियां उगापुर का ट्रान्सफार्मर बहुत दिनों पूर्व जल गया था ? यदि हां, तो ट्रान्सफार्मर न बदलने का कारण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल 88 से दिसम्बर 1988 तक कुल 548 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से 455 ट्रांसफार्मर बदल दिये गये है । शेष 93 ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य प्रगति पर है ।

केवल बसनी टाउन, दर्जीपुर विकास खण्ड बड़ागांव और ठटरा के ट्रांसफार्मर जले थे, जिन्हें बदल दिया गया । रोहनिया एवं उगापुर में वर्ष 1988–89 में कोई ट्रांसफार्मर नहीं जला है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर के मौजा गौहनियां मजरा हलियापुर की गोमती कटान से सुरक्षा हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

90–श्री मित्रसेन·

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 एम0 लाल, संयुक्त सचिव के पत्र सं0-393 एम0 एम0/88/23 सितम्बर-6/178 बाढ़/88 सिंचाई (6) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 4 जुलाई, 1988 जो मौजा गौहनिया, मजरा हलियापुर, विकास खण्ड बल्दीराय, सुल्तानपुर को गोमती नदी की कटान से सुरक्षा प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8 जून, 1988 के संदर्भ में है, उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम गोहनिया मजरा हलियापुर विकास खण्ड बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर गोमती नदी के बांयें तट पर स्थित है । शासन की नीति के अनुसार व्यावहारिक रूप से किसी भी नदी की कटान रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात भी प्रत्येक वर्ष उनके रख-रखाव आदि पर भी काफी लागत आती है, फिर भी उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि न तो प्रभावित ग्रामों/क्षेत्रों की सुरक्षा हो पाती है और उसमें धनराशि लगने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है ।

अत: बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर ऐसे ग्रामों को किसी अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाय तो अधिक लाभदायक होगा । तद्नुसार इन ग्रामों को किसी सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सुझाव दिया गया है ।

गोरखपुर के विकास खण्ड पाली एवं जंगल कौडिया में ट्यूबवेल लगाने हेतु कार्यवाही

91–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 अप्रैल, सन् 1987 को पी0 पी0 गंज की महति सभा में पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने जनता के अनुरोध पर विकास खण्ड पाली एवं विकास खण्ड जंगल कौडिया गोरखपुर में विश्व बैंक की सहायता से 25–25 ट्यूबवेल का एक-एक कलस्टर लगाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां

विकास खण्ड, जंगल कौड़िया गोरखपुर में 27 नलकूपों का निर्माण कराया जा चुका है ।

जनपद आगरा में खारी नदी पर ग्राम पिनानी, राम नगर पर बन्धा बनाया जाना

92–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या–171 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में खारी नदी पर ग्राम पिनानी राम नगर पर छोटा बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट के विस्तृत विवेचन की प्रक्रिया किस स्थित तक पहुंच चुकी है ? यह विवेचन कब तक पूरा करा दिया जायगा और उसकी अन्तिम रिपोर्ट कब तक उपलब्ध करा दी जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

खारी नदी पर ग्राम पिनानी रामनगर पर तथा इस नदी पर अन्य तीन स्थलों पर कुल चार छोटे-छोटे वियर बनाने की योजना हेतु बनाई गई साध्यता रिपोर्ट पर विस्तृत विवेचना की प्रक्रिया प्रगति में है ।

साध्यता रिपोर्ट पर विभिन्न तकनीकी स्तरों से प्राप्त आपत्तियों पर कार्यवाही चल रही है । योजना की साध्यता की स्वीकृति के उपरान्त ही विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी ।

मध्य गंगा कैनाल को आगरा कैनाल से मिलाने के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

93–श्री विजय सिंह राणा–

द्वितीय सत्र 88 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा कैनाल की हाथरस ब्रांच के शीर्ष से यमुना पर एक्विडिक्ट बनाकर उसे आगरा कैनाल से जोड़ने के सन्दर्भ में होने वाले विस्तृत परीक्षण की अन्तरिम रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सत्य है कि टेहरी बांध परियोजना में यमुना नदी पर एक्विडिक्ट बनाया जाना पहले से ही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसी एक्विडिक्ट से रबी में टेहरी बांध का पानी और खरीफ में मध्य गंगा का पानी लिया जाना सम्भव हो सकेगा ? यदि हां, तो एक्विडिक्ट अभी बना कर आगरा व मथुरा जिलों को मध्य गंगा का लाभ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उक्त प्रस्ताव पर तकनीकी परीक्षण एवं दक्षता अंकन हेतु सर्वे आदि का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

जी हां ।

इस संभावना पर कोई टिप्पणी विस्तृत सर्वे एवं परीक्षण के उपरांत ही दिया जाना संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया, ग्राम मटिहानियां खुर्द विकास खण्ड पडरौना के नलकूप की समाप्ति एवं मटहानियां खुर्द से परसादपुर तक माइनर बनाने की मांग

94–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मटिहानिया-खुर्द विकास खंड पडरौना जनपद देवरिया में लगाया गया नलकूप सिंचाई विभाग द्वारा अनवरत खराब रहने के कारण समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो वहां की सिंचित भूमि की सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मटिहानियां खुर्द से परसादपुर तक माइनर बनाकर उक्त ग्राम सभा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । किन्तु प्रश्नगत नलकूप के सिंचित क्षेत्र को गण्डक नहर के सिंचाई क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाने एवं सिंचाई कम होने के कारण ही नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी ।

वर्तमान समय में सम्बन्धित ग्रामों में गण्डक प्रणाली की जमुनिया राजबाह के कुलाबा संख्या-2 से सिंचाई होती है । इस कुलाबे से ग्रामों की पूर्ण सिंचाई नहीं हो पा रही है । अतः जमुनिया राजवाहा के कुलावा संख्या-2 से नई अल्पका बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद देवरिया के पडरौना तहसील स्थित ग्राम श्रीपति खण्ड में सिंचाई हेतु नई योजना के कार्यान्वयन हेतु पत्र

95–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, उ0 प्र0 ने पत्र दिनांक 18-5-88 प्रेषित कर शिकायत की है कि जनपद-देवरिया के पडरौना तहसील स्थित जमुनिया राजबाहा पर ग्राम श्रीपति खण्ड में सिंचाई हेतु नई योजना के कार्यान्वयन न होने पर कार्यवाही में लाखों का घपला किया गया है ? यदि हां, तो उस पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

इस विषय में स्थिति यह है कि जमुनिया राजबाहा पर कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है, अतः इसके कार्यान्वयन न होने से किसी घपले का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के श्री ओंकार नाथ के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

96–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओंकार नाथ ग्राम पोस्ट दुबारी जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र जो ग्राम दुबारी के नलकूप नं0 77 की रिबोरिंग कराने में अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में है, के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-5-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या परिणाम निकला ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में नलकूप के निकास तथा नलकूप के पुनः निर्माण के संबंध में अध्ययन किया गया जिसके अनुसार यह पाया गया कि नलकूप का मूल निकास 21,152 गैलन प्रति घण्टा था जो घटकर 10,466 गैलन प्रति घण्टा ह्वे गया है । इसका पुनः निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

97–श्री विष्णु देव–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद टिहरी गढ़वाल ग्राम ढालू वाला में विद्युत आपूर्ति के बिलों का भुगतान

98–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टिहरी गढ़वाल जनपद में मुनी की रेती के निकट ग्राम ढालू वाला में स्थित औद्योगिक इकायों को बिजली की सप्लाई टिहरी जनपद के विद्युत वितरण खण्ड से की जाती है तथा विद्युत बिलों का भुगतान विद्युत वितरण खण्ड देहरादून को किया जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या विद्युत बिलों के भुगतान टिहरी विद्युत वितरण खण्ड को उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों से कराने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । ग्राम ढालूवाला को टिहरी एवं ऋषिकेश स्थित सब-स्टेशनों से संयुक्त कर दोनों ओर से विद्युत आवश्यकतानुसार दी जाती है । चूंकि रखरखाव ऋषिकेश के उपखण्ड द्वारा सुचारु रूप से किया जा रहा है, अतएव बिलों का भुगतान भी इसी से संबंधित खण्ड में प्राप्त होता है ।

चूंकि उक्त विद्युत इकाइयों को विद्युत आपूर्ति से संबंधित लाइनों का रख-रखाव विद्युत वितरण खण्ड देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में स्थित उपखण्ड द्वारा किया जाता है । इसलिए ग्राम ढालूवाला में स्थित उक्त औद्योगिक इकाइयों के विद्युत बिलों का भुगतान विद्युत वितरण खण्ड देहरादून को किया जाता है, एक विशेष कारण यह भी है कि औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आपूर्ति करने वाली लाइन पर ही ऋषिकेश नगर के दो प्रमुख नगरीय उपस्थान भी स्थित हैं, जो संयुक्त बस स्टैण्ड (63 के0वी0ए0)

एवं शोभा टाकीज (250 के0वी0ए0) है । इन दोनों नगरीय उपस्थान पर ऋषिकेश नगर की अत्यावश्यक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था आधारित है ।

उक्त संबंधित इकाइयों के विद्युत बिलों के भुगतान का विद्युत वितरण खण्ड टिहरी को किए जाने का सुझाव इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि उक्त इकाइयों को विद्युत आपूर्ति एवं उसका रख-रखाव विद्युत वितरण खण्ड देहरादून के अधिकारान्तर्गत ऋषिकेश उपखण्ड द्वारा आसानी से किया जा रहा है । भौगोलिक दृष्टि से भी ढालूवाला क्षेत्र नगर से लगभग 40 किमी0 समतल एवं पक्के मार्ग से है, जबकि टिहरी नगर से इसकी दूरी लगभग 80 किमी0 है और मार्ग पर्वतीय एवं दुरूह है ।

99–श्री राम सजीवन–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के ब्लाक स्तर पर किराए पर लिए गये गोदामों के किराए का भुगतान

100–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में ब्लाक स्तर पर कितने खाद्य गोदाम 1986 से 1988 तक किराये पर लिए गए थे ? किन-किन गोदामों का किराया बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बस्ती में विकास खण्ड स्तर पर वर्ष 1986 से 1988 तक 8 खाद्य गोदाम किराए पर लिए गए जिनमें से 5 खाद्य गोदामों के दिनांक 30-11-88 तक के किराए का भुगतान किया जा चुका है । शेष 3 गोदामों में से डुमरियागंज में श्री राम देव गुप्ता व कप्तानगंज में श्री शिवपूजन उपाध्याय के गोदामों के किराए के प्रस्तावित स्वीकृति हेतु खाद्य आयुक्त को भेजे जा चुके हैं और कप्तानगंज में ही श्री राम सूरत सिंह के गोदाम को दिनांक 1-10-88 से किराए पर लिया गया है जिसमें कुछ औपचारिकताएं अभी पूर्ण नहीं की गई हैं । उनके पूर्ण होने के उपरान्त किराए की स्वीकृति का प्रस्ताव खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा ।

जिला ललितपुर ग्राम-चौसा डूबक्षेत्र राजघाट बांध के श्री राम लाल आदि किसानों की अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

101–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चौसा डूबक्षेत्र राजघाट बांध, जिला ललितपुर के श्री रामलाल प्रधान व किशन आदि किसानों की जमीनें विगत छः वर्षों पूर्व राजघाट बांध के निर्माण के लिए अधिग्रहीत कर ली गई थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, ललितपुर को कई बार किसानों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने के बावजूद उनकी जमीनों, मकानों आदि का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया तथा उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजघाट बांध के डूब क्षेत्र में ग्राम चौसाघाट की 405 एकड़ भूमि सन् 1986 में अर्जित की गई है जिसका मुआवजा वितरित किया जा चुका है । सम्पत्ति का प्रतिकर भी सन् 1987-88 में वितरित किया जा चुका है । केवल मकानों का प्रतिकर बांटना शेष है जिसके लिए धारा 6 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त प्रतिकर बांटने की कार्यवाही की जायेगी । इसमें कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सांथा में ग्राम लोहरसन आदि ग्रामों का विद्युतीकरण

102–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड सांथा में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्राम लोहरसन (आबादी लगभग तीन हजार) में गत एक वर्ष से सड़क पर खम्भे गड़ गये हैं परन्तु न तो गांव में खम्भे ही लगाये गये और न ही तार आज तक खींचा गया ? ग्राम पसाई के केवल 1/10 भाग में ही खम्भे और तार लगाकर पूरे गांव को विद्युतीकरण दिखला दिया गया और ग्राम पिपरा (आबादी दो हजार) में केवल सड़कों पर ही खम्भे गाड़कर ठाकुरों के घरों पर तार खींच दिया गया और गरीब किसानों के मोहल्ले में खम्भे लगाये ही नहीं गये, ग्राम बनेथू (आबादी ढाई हजार) में दो वर्षों से खम्भे पड़े हैं परन्तु आज तक तार और ट्रान्सफारमर नहीं लगाये गये हैं ? ग्राम केचुआ खारे (चुरिहार पुरवा) में खम्भे गाड़ दिये गये हैं परन्तु तार लगाने हेतु किसानों से एक-एक हजार रुपये मांगे जा रहे हैं, ग्राम हरैया (आबादी ढाई हजार) तथा ग्राम मुसहरा (आबादी दो हजार) में सन् 1986 से ही विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वि0 ख0 सांथा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा ग्राम वासियों को विद्युतीकरण योजना का समुचित लाभ उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम लोहरसन के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम पसाई में विद्युतीकरण मकानों की संख्या 1/10 खम्भे (10 मकान पर एक खम्भा) लगाकर विद्युतीकरण किया गया है ।

ग्राम पिपरा में विद्युतीकरण का कार्य अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर ही किया गया है । ग्राम में जो लाइन खींची गयी है उसमें हरिजन बस्ती भी सम्मिलित है ।

ग्राम बनेथू का विद्युतीकरण वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

ग्राम केचुआ खारे का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इसके चुहिर पुरवा में विस्तार का कार्य चल रहा है ।

जी नहीं ।

ग्राम हरैया का विद्युतीकरण वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित है । इसके विद्युतीकरण की कार्यवाही संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है । ग्राम मुसहरा विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ग्रामवासियों को विद्युतीकरण का समुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । ग्रामीण विद्युतीकृत कार्य की प्रगति मुख्यत: संसाधनों और निर्माण सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर है अत: कतिपय स्थानों पर विलम्ब के लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं है ।

टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को पुनर्वास हेतु लाभान्वित करने की मांग

103–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को जो डूब क्षेत्र के मूल निवासी हैं, पुनर्वास के लिए अन्य डूब क्षेत्र के भूमिधर किसानों की तरह लाभान्वित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो सन् 1987 के अन्त तक कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुनर्वासित किया गया है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टिहरी बांध के डूब क्षेत्रान्तर्गत भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वासन हेतु भूमि व पैसे की मांग

104–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत कितने परिवार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हैं और उन्हें पुनर्वासित करने हेतु कितनी भूमि और पैसा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है

जनपद गोरखपुर के श्री दीन दयाल पाण्डेय अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड के विरुद्ध शिकायती पत्र

105–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के श्री दीन दयाल पाण्डेय अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय विद्युत उपकेन्द्र राजधानी, गोरखपुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20-5-87 को शासन व विभाग को कोई शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-5-87 प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि एक अन्य पत्र दिनांक 30-6-87 प्राप्त हुआ था, जिस पर मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र ने जांच करायी। जांच से श्री दीन दयाल पाण्डेय, अवर अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र सोहावल मसौधा व पूरा के राजकीय नलकूपों की दुर्दशा के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

106–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र सोहावल मसौधा तथा पूरा में राजकीय नलकूपों की नालियों की दुर्दशा के कारण वहां के किसानों को सिंचाई की बहुत बड़ी असुविधा हो रही है? क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की भी जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28 अप्रैल, 1988 को विकास क्षेत्र सोहावल, मसौधा और पूरा जनपद फैजाबाद की तमाम राजकीय नलकूपों की दुर्दशा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत तथा आवश्यक कार्य करवाकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ में विचाराधीन है ।

बांट तथा माप विभाग के निरीक्षकों द्वारा केस पकड़ने के कोटे का निर्धारण एवं उसका औचित्य

107–श्री राज किशोर सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांट तथा माप विभाग के निरीक्षकों के लिए केस पकड़ने का वार्षिक कोटा निर्धारित है? क्या यह सही है कि निर्धारित कोटा निरीक्षकों द्वारा पूरा न किये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तथा उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाती है ? क्या यह भी सही है कि निर्धारित कोटा पूरा करने में छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित होना पड़ता है जो कि जनहित में नहीं है ? यदि हां, तो बांट तथा माप अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत अथवा किस नियम के अन्तर्गत यह कोटा (केस) निर्धारित किया जाता है तथा केस के कोटे के निर्धारण का क्या औचित्य है ? क्या सरकार जनहित में केस के कोटे के अवैधानिक निर्धारण को समाप्त करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

वार्षिक कोटा नहीं, अपितु मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य पूरा न होने पर निरीक्षकों को भविष्य में सुधार लाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं तथा चरित्र पंजिका में वर्ष भर के कार्यकलापों को ध्यान में रखकर ही यथावश्यकता प्रविष्टि दी जाती है।

जी नहीं।

मासिक लक्ष्य के सम्बन्ध में केवल प्रशासनिक निर्देश जारी किये गये हैं ताकि निरीक्षकगण अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहें और प्रभावी रूप से कार्य करें तथा विभागीय अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलन कार्य को सुदृढ़ बनाया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोण्डा ग्राम परसपुर में पाइप लाइन व कुलावा बढ़ाने हेतु कार्यवाही

108–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 46 टी0 जी0 द्वितीय नलकूप ग्राम परसपुर परगना ग्वारिच तहसील कर्नलगंज जिला गोण्डा से पाइप लाइन तथा कुलाबा बढ़ाने के लिए आदेश माह अक्तूबर, 1987 को उनके द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

वांछित पाइप लाइन तथा कुलाबा बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण किया गया किन्तु प्रश्नगत निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

जनपद कानपुर, सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता भोगनीपुर कैनाल जनपद कानपुर के विरुद्ध सफाई में की गई अनियमितता की जांच सम्बन्धी पत्र

109–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता भोगनीपुर कैनाल (तृतीय) जनपद कानपुर के विरुद्ध भोगनीपुर कैनाल (तृतीय) के रजवहों की सफाई में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नरायन अग्निहोत्री उपाध्यक्ष, भा0 ज0 पा0 कानपुर देहात का दिसम्बर, 86 तथा दिनांक 4-7-87 का पत्र जिसे विधान सभा सदस्यों श्री कल्याण सिंह आदि द्वारा सिंचाई मंत्री को अग्रसारित किया गया है, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त रजबहों की सफाई में की गई अनियमितताओं की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच के उपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

जी हां।

जांच में किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

110–श्री चन्द्रभान मौर्य–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के सहपऊ, बरहन तथा फिरोजाबाद राजबाहों की सफाई कार्यों के व्यय की जांच की मांग

111–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र आगरा जनपद के सहपऊ, बरहन तथा फिरोजाबाद राजवाहों तथा उनकी माइनरों की सफाई में मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि उपरोक्त राजवाहों तथा उनकी माइनरों पर नाम मात्र की सफाई की गई है और सभी नहरें माइनरें तथा उनकी पटरियां आज भी खण्डहर बनी पड़ी हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त रजवाहों की सफाई के कराये गये कार्यों की जांच किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ताड़ी के कारोबार में ताड़ माली व पासी जातियों को ताड़ी का धन्धा आरक्षित करना

112–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि ताड़ से ताड़ी उतार कर जीवन बसर करने वाली जाति ताड़माली व पासी के लिए ताड़ी का धन्धा आरक्षित न करने से पूरे प्रदेश में इन जातियों में रोष एवं क्षोभ है? यदि हां, तो क्या सरकार ताड़ी का कारोबार करने हेतु इन परम्परागत जातियों को ही प्राथमिकता देने पर विचार करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ताड़ी उतार कर जीवन बसर करने वाली ताड़माली, पासी, बेलदार, भर एवं अन्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को ताड़ी की दुकानों के अनुज्ञापन दिये जाने में वरीयता देने के लिए "उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986" पहले ही 24 मार्च, 1986 को विज्ञापित की जा चुकी है।

सिंचाई विभाग द्वारा बाहर की फर्मों से खरीददारी

113–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–19 के संदर्भ में सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–2005 उनको दिनांक 29-10-88 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

इस पत्र सं0–2005 दिनांक 29-10-88 में जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उस बिन्दु तथा उसके संबंध में सूचना निम्नवत् है :–

बिन्दु (1)–प्रश्न सं0–19 का सही उत्तर दिया जाय सूचना–विधान सभा द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–19 का जो उत्तर दिया गया है वह सही है। इस उत्तर की प्रतिलिपि संलग्नक–1 में है।

बिन्दु (2)–कि जिन अधिकारियों ने प्रश्न का उत्तर असत्य तैयार कराया, उनको किस प्रकार दण्डित किया गया।

सूचना–प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह सही है। अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिन्दु (3)–कि 1-8-82 के बाद सिंचाई विभाग में प्रदेश की बाहर की और अन्दर की अपंजीकृत फर्मों से प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितने कितने रुपयों का कौन-कौन सामान क्यों और कैसे खरीदा गया। इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। उनके प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है।

सूचना–प्रश्न व्यापक है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों को क्रय का अधिकार है। साथ ही इस प्रश्न में विगत 1.8.82 से लेकर उत्तर प्रदेश के बाहर की और प्रदेश के अन्दर की अपंजीकृत फर्मों से प्रत्येक वर्ष में विभिन्न सामानों, उनके मूल्य तथा उसे क्रय करने के कारण सहित सूचना मांगी गई है। इसके अलावा ऐसे क्रय के संदर्भ में जिम्मेदारी निर्धारण करने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सूचना मांगी गयी है। इन समस्त सूचनाओं को एकत्रित करने में अत्यधिक प्रयास तथा पर्याप्त समय लगेगा ।

खाद्य विभाग द्वारा बिना रेट कान्ट्राक्ट के जिप्सी जीपों के क्रय का विवरण

114–श्री सरदार सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री की जानकारी में है कि उनका विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्निकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपें खरीद रहा है ? यदि हां, तो विभाग अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चे (रख-रखाव एवं ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं। खाद्य विभाग द्वारा जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ अब तक 12 मारुति जिप्सी जीपें डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 रेंट कान्ट्रेक्ट पर ही खरीदी गई हैं। चूंकि जिलों में जिला पूर्ति अधिकारी हेतु मात्र एक ही वाहन स्वीकृत है तथा भिन्न-भिन्न जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों, ग्रामीण सड़कों तथा स्थानीय समस्याओं के अनुरूप ईंधन पर व्यय भी पृथक-पृथक होता है, अतः मारुति जिप्सी जीपों एवं महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपों का रख-रखाव व ईंधन व्यय का तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। तकनीकी दृष्टि से मानक परिस्थितियों में दोनों वाहनों के मानक विवरण भी खाद्य तथा रसद विभाग के लिए उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई तकनीकी सुविधा व स्टाफ विभाग के पास नहीं है।

जनपद मथुरा के श्री विजेन्द्र सिंह सीजनल हाट निरीक्षक एस0 एफ0 सी0 नि0 बाजना का नियमित सेवा के लिए प्रार्थना-पत्र

115–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29-11-88 को श्री विजेन्द्र सिंह सीजनल हाट निरीक्षक, एस0 एफ0 सी0 नि0–बाजना, जनपद मथुरा का प्रार्थना-पत्र मय अपने पत्र के साथ उनको विभाग में ज्येष्ठता के अनुसार नियमित सेवा में लिये जाने के लिये दिया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त विभाग में आगरा मण्डल में सीजनल हाट निरीक्षकों में श्री विजेन्द्र सिंह की नियुक्ति व वरिष्ठता सबसे प्रथम स्थान पर है, लेकिन इनकी वरिष्ठता को अनदेखा कर कनिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में विशम्भरा माइनर की खुदाई हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कृत कार्य

116–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद की छाता तहसील में अपर आगरा कैनाल मथुरा द्वारा वर्ष 1986-87 से विशम्भरा माइनर खुदवाई जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कितना धन स्वीकृत किया गया ? अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? सरकार कब तक इस माइनर द्वारा पानी दिलाना सुनिश्चित करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

विशम्भरा माइनर वर्ष 1986–87 से नहीं बल्कि 1987-88 से निर्माणाधीन है।

6.0 लाख रुपया ।

5.73 लाख रुपया ।

विशम्भरा माइनर के खुदाई कार्य 3.00 कि0 मी0 लम्बाई में भूमि न मिलने के कारण अवशेष है । भूमि के संबंध में न्यायालय में वाद चल रहे हैं, जिनके निर्णय के उपरान्त तथा भूमि उपलब्ध होने पर अवशेष कार्य पूर्ण करा कर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

जनपद मिर्जापुर के खण्ड विकास क्षेत्र नगर की सखौरा पम्प कैनाल की सिंचाई क्षमता आदि का विवरण

117–श्री वीरेन्द्र सिंह(एटा)–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के खण्ड विकास क्षेत्र नगर की सखौरा पम्प कैनाल की सिंचाई क्षमता क्या है और वर्ष 87–88 में कुल

कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की गयी ? उक्त पम्प कैनाल गत दो वर्ष में कुल कितने दिन चली और कितनी बार टेल तक पानी पहुंचा ? क्या यह सही है कि उक्त नहर की विगत पांच वर्षों से सफाई नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद मिर्जापुर के खण्ड विकास क्षेत्र नगर की सखौरा पम्प कैनाल की क्षमता 60 क्यूसेक है और वर्ष 1987-88 में 2167 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गयी ।

उक्त पम्प कैनाल गत दो वर्षों में 629 दिन चली और प्रति वर्ष रबी में टेल तक पानी पहुंचा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में सोनउरा पम्प कैनाल एवं गौरा पम्प कैनाल की व्यवस्था ठीक कराने की मांग

118–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में सोनउरा पम्प कैनाल एवं गौरा पम्प कैनाल ठीक से नहीं चल रही है ? क्या मंत्री जी किसानों के हित में उक्त पम्प कैनालों को सुचारु रूप से चलाने हेतु अपेक्षित सुधार की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय नलकूपों की आयु सीमा एवं जौनपुर में आयु सीमा पार करने वाले नलकूपों को बदलने हेतु कृत कार्यवाही

119–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूपों की निर्धारित आयु सीमा क्या है ? क्या मंत्री जी जनपद जौनपुर में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके नलकूपों के स्थान पर नये नलकूपों की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय नलकूपों की निर्धारित आयु सीमा 17 वर्ष अथवा 57,000 घन्टे है ।

जनपद योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता एवं आवंटन के अनुसार प्रत्येक वर्ष असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जाता है ।

वर्ष 1988-89 में जनपद जौनपुर में 6 नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद सर्वश्री राम बोध आदि गांव सभा उधरना तथा सभ्वा के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री अशोक बाजपेयी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वश्री रामबोध तथा रामधीर जो क्रमश: गांव सभा उधरना तथा गांव सभा सभ्वा विकास खण्ड भीटी जनपद फैजाबाद के प्रधान हैं, का सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की चोर बाजारी से संबंधित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित पत्र संख्या–1291/जपा0/88, दिनाक 17-11-88 के साथ मिल गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक तथा पूर्ति निरीक्षक से कराई गई ।

जांच करने पर पाया गया कि दुकानदार द्वारा नियमित ढंग से चीनी का वितरण नहीं किया गया है ।

उक्त अनियमितता के कारण दुकान निलम्बित कर दी गई है ।

गोरखपुर शहर की श्याम ट्रेडर्स नामक फर्म द्वारा चोरी के उपकरण बेचने के विरुद्ध कार्यवाही

121–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर की श्याम ट्रेडर्स नाम की फर्म जो बिजली विभाग के लाखों रुपए मूल्य के चोरी के सामान को बेचने और खरीदने का व्यवसाय करती है, द्वारा उ0 प्र0 राजकीय चीनी निगम के घुघली इकाई के तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव को लाखों रुपए का तार और अन्य बिजली के उपकरण बेचे गए जो अगस्त, 86 में पुलिस द्वारा मिल परिसर में बरामद किए गए ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म तथा उसके स्वामियों को काली सूची में दर्ज कर उनके व्यवसाय पर रोक लगाई गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राजकीय चीनी निगम की घुघली इकाई के परिसर में अगस्त, 1986 में लगभग एक लाख रुपए मूल्य का केबिल पाया गया था जिस पर राज्य विद्युत परिषद् की संपत्ति होने के चिन्ह थे ।

उक्त मामले के संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ?

जनपद फैजाबाद के विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर के कैशियर द्वारा गबन करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

122—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर के कैशियर श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव के द्वारा 2 लाख 93 हजार 3 सौ 65 रुपए के गबन किए जाने के कारण उन्हें निलम्बित कर जांच की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हुई ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और दोषी व्यक्ति को दण्डित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जांचोपरान्त श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, कैशियर को 3 लाख 62 हजार 2 सौ 23 रुपया 87 पैसा का गबन करने में दोषी पाये जाने पर परिषदादेश संख्या 2157-डी पी/ए/05(बी)/रविप/88—22 दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्य पाष्प विद्युत गृह बलरामपुर आदि के इन्वेंटरी के मूल्य आंकलन की जांच

123—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के बन्द वाष्प विद्युत गृह बलरामपुर, चन्दौसी, एशबाग, सोहावल, मैनपुरी और मय जिनके इन्वेंटरी अनुमानित मूल्य के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक थे, के सम्पत्ति और पुर्जों का निस्तारण किस प्रकार हुआ है ? क्या यह सही है कि इन विद्युत गृहों की इन्वेंटरी का अनुमानित मूल्य, आंकलन में, संबंधित अधिकारियों ने कम आंका और अनेक कल पुर्जों का अवैध रूप से निस्तारण कर दिया ? क्या इस परिप्रेक्ष्य में जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इन विद्युत गृहों के मुख्य संयंत्रों एवं इनके स्टोर्स में उपस्थित अन्य सामानों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो इनका मूल्य आंकेगी और उसके पश्चात् ही निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बन्दी के पश्चात एशबाग विद्युत गृह से लगभग रु0 8 लाख का सामान तथा मैनपुरी से लगभग रु0 7 लाख का सामान परिषद् के अन्य विद्युत गृहों/खण्डों को स्थानान्तरित किया गया । इसी प्रकार मैनपुरी में पड़े कोयले को नियमानुसार नीलाम किया गया । मऊ विद्युत गृह में पड़े कोयले को भी बेचने की कार्यवाही की जा रही है । अवैध रूप से किसी कल पुर्जे का निस्तारण नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी विद्युत वितरण खण्ड गोपीगंज के मृतक श्री राजबली की आश्रित को नौकरी देने की मांग

124–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजबली लाईनमैन विद्युत वितरण खण्ड गोपीगंज, वाराणसी की सेवा अवधि में ही असामयिक मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो श्री राजबली के आश्रित को अभी तक मृतक आश्रित नियमावली के तहत नौकरी दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी अन्तर्गत गूढ़ा लिफ्ट कैनाल की सिंचाई क्षमता

125–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत गूढ़ा लिफ्ट पम्प कैनाल की सिंचाई क्षमता कितनी है और उससे कितनी सिंचाई हो पाती है ? पूरी क्षमता की सींच न होने के क्या कारण हैं ? पूरी क्षमता की सींच कराने के लिए शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं और ये उपाय कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बांदा जनपद ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत गूढ़ा पम्प नहर की क्षमता 30 क्यूसेक है । इस नहर का सी0 सी0 ए0 लगभग 2116 हेक्टेयर है । अधिकतम सींच 779 हेक्टेयर है ।

पम्प नहर जगह-जगह फिलिंग पर बने होने के कारण पूरी क्षमता से चलने पर टूट जाती है ।

पम्प नहर की क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए लाइनिंग कराने का प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद बांदा की सिंचाई सलाहकार समिति की दिनांक 24 नवम्बर, 1988 की बैठक

126–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बांदा जनपद की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक 24 नवम्बर, 1988 को बांदा नवाब टैंक सिंचाई विभाग के आरामगृह में हुई थी ? यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन अधिकारियों को बुलाया गया था और उनमें से कितने अधिकारी बैठक में उपस्थित थे तथा कितने अधिकारी बैठक में नहीं आये और उनके बैठक में न आने का क्या कारण था ? शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

इस बैठक में निम्न अधिकारियों को बुलाया गया था :–

1–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड तृतीय, बांदा ।
2–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड प्रथम, कर्वी ।
3–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी ।
4–अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड बांदा ।
5–अधिशासी अभियन्ता, पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, बांदा
6–अधिशासी अभियन्ता, डाल सिंचाई खण्ड, बांदा ।
7–अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, बांदा
8–अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बांदा ।
9–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा । (आमंत्रित सदस्य)
10–उपखण्ड अधिकारी/परगना अधिकारी/बांदा, कर्वी, मऊ, बबेरू, नरैनी, जनपद बांदा ।
11–अपर जिलाधिकारी परियोजना, वित्त, बांदा ।
12–जिला कृषि अधिकारी, बांदा ।
13–जिला उद्योग अधिकारी, बांदा ।
14–जिला प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, बांदा ।
15–जिला विकास अधिकारी, बांदा ।
16–अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा । (संयोजक)

उक्त में से निम्नलिखित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे :–

1–अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा । (संयोजक)
2–अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, बांदा ।
3–अधिशासी अभियन्ता, डाल सिंचाई खण्ड, बांदा ।
4–अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बांदा ।
5–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड तृतीय, बांदा ।
6–सहायक अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन प्रखण्ड, बांदा ।
(प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता)
7–अपर जिला कृषि अधिकारी, बांदा । (प्रतिनिधि जिला कृषि अधिकारी)
8–सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बांदा । (प्रतिनिधि जिला उद्योग केन्द्र बांदा),

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित नहीं हुए :–

1–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड प्रथम कर्वी ।
2–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण प्रखण्ड, कर्वी । (बांदा)
3–अधिशासी अभियन्ता, पब्लिक निर्माण खण्ड, बांदा ।
4–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा ।
5–उप खण्ड अधिकारी/परगनाधिकारी, बांदा, कर्वी, मऊ, बबेरू, नरैनी, जनपद बांदा ।
6–अपर जिलाधिकारी, परियोजना, वित्त, बांदा ।

7–जिला प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, बांदा ।
8–जिला विकास अधिकारी, बांदा ।

जो अधिकारी उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हुए उनसे बैठक में उपस्थित न होने के कारण की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

127–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती में मेखड़ा नाले पर मेखड़ा तथा जानकी नगर रिजर्वायर बनाकर उससे नहरें निकाल कर किया जा रहा सिंचाई का कार्य

128–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बर्डपुर जमींदारी सिस्टम की नहर क्षेत्र में मेखड़ा नाले पर मेखड़ा तथा जानकी नगर रिजर्वायर बनाकर उससे नहरें निकाल कर विभाग सिंचाई करता है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि मेखड़ा नाला मात्र 5-6 मीटर ही चौड़ा है शेष जलभराव नाले के दोनों किनारे काश्तकारों के खेतों में होता है जिसके वे स्वामी हैं ? क्या यह सही है कि काश्तकारों के क्षेत्रों में जलभराव करके अन्यत्र सिंचाई की जाती है किन्तु जल भराव क्षेत्र के भू-स्वामियों से सिंचाई महसूल वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो जिन काश्तकारों के खेत में जलभराव करके अन्यत्र सिंचाई करके विभाग राजस्व प्राप्त करता है ? उन काश्तकारों को जल स्टोर का किराया देने पर विचार किया जाएगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

मेखड़ा नाला अधिकांश स्थानों पर लगभग 6 मीटर चौड़ा है परन्तु कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई काफी अधिक है । इस नाले पर बने दोनों रेगुलेटरों से कृषकों की लगभग 18 एकड़ भूमि रबी में व 347 एकड़ भूमि खरीफ (वर्षा के दिनों) में जल-मग्न होती है ।

यह सही है कि रेगुलेटरों से पानी रोककर अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है परन्तु यह व्यवस्था लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है। जल भराव के क्षेत्र में जिन फसलों को लाभ होता है उन पर सिंचाई कर लगाया जाता है। रेगुलेटरों से जिन क्षेत्रों में जल भराव होता है उस पर जमींदारों एवं विभाग का अधिकार लगभग 100 वर्ष पुराना है । अतः उस क्षेत्र पर जल स्टोर का किराया कृषकों को देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में ड्रेनेज खण्ड प्रथम को सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में स्थानान्तरित करने की मांग

129–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जिले में ड्रेनेज विभाग के कार्यरत दो खण्डों में ड्रेनेज खण्ड प्रथम को बस्ती से सिद्धार्थ नगर (नौगढ़) में स्थाना-

न्तरित करने के आदेश प्रश्नकर्ता के पत्र पर प्रमुख अभियन्ता डा0 वार्ष्णेय ने पद मुक्त होने के पहले किये थे जिसकी स्वीकृति शासन से हो चुकी है ? यदि हां, तो डूनेज खण्ड प्रथम को सिद्धार्थ नगर–नौगढ़ में स्थानान्तरित कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

130–133–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विद्युत निरीक्षणालय कार्यालय में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कृत कार्यवाही

134–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपभोक्ता मंच उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री शम्भूनाथ भार्गव ने अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में कोई पत्र/ज्ञापन जून, 87 में शासन को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में विद्युत निरीक्षणालय कार्यालय विधिवत कार्य कर रहे हैं ? कितने जिले ऐसे हैं, जहां के विद्युत निरीक्षणालय कार्यालय कर्मचारियों के रिक्त स्थानों के कारण पूर्णतः ठप्प पड़े हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रदेश में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के 41 जोनल कार्यालय कार्यरत हैं जिनमें से 14 जोनल कार्यालयों में सहायक निदेशकों की तैनाती नहीं हो पायी है तथा सहायक निदेशक के चार पद मुख्यालय स्तर पर रिक्त हैं। सहायक निदेशकों के पदों पर शासन द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चयन कराया जाना है। जिन जोनल कार्यालयों में सहायक निदेशक तैनात नहीं हैं, उनका कार्य समीपवर्ती जिलों में तैनात सहायक निदेशकों के नियंत्रण में चलाया जा रहा है। इसी प्रकार 26 पद विद्युत अवर अभियन्ता के रिक्त हैं, इन स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जोनल कार्यालय में कम से कम एक पद टेक्निकल कर्मचारी का भरा रहे । इन पदों पर चयन की कार्यवाही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के विचाराधीन है। इस प्रकार 14 जोनल कार्यालयों में अधिकारियों की कमी की स्थिति में भी आवश्यक कार्य चलाने की व्यवस्था की गई है।

जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में एक अन्य डिनेचर्ड स्प्रिट थोक विक्रेता की नियुक्ति की मांग

135–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ फर्रुखाबाद नगरों में डिनेचर्ड स्प्रिट के मात्र एक ही अधिकृत थोक विक्रेता हैं जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या, विद्यालयों में स्थित प्रयोगशालाओं नर्सिंग होम्स, डाक्टर्स व अस्पतालों एवं फर्नीचर रंगाई में डिनेचर्ड स्प्रिट की भारी मांग है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि डिनेचर्ड स्प्रिट का एकाधिकार होने के कारण उसके विक्रय एवं वितरण में खुले रूप से मनमानी की जाती है ? यदि हां, तो क्या शासन जनता की सुविधा हेतु एक अन्य स्प्रिट थोक विक्रेता नियुक्त करने का आदेश निर्गत करेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद फर्रुखाबाद में डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक बिक्री का केवल एक अनुज्ञापन स्वीकृत है। इस जनपद में डिनेचर्ड स्प्रिट की कुल बिक्री लगभग 700 लीटर मासिक है। डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक बिक्री में मनमानी करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक बिक्री हेतु एक अतिरिक्त अनुज्ञापन के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

136–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक (शारदा सहायक) श्री वाई0 एन0 श्रीवास्तव के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ किये जा रहे अभद्र व्यवहार व प्रताड़ना के विरुद्ध मिनिस्ट्रीयल इस्टेब्लिशमेन्ट एसोसियेशन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिं0 वि0 द्वारा कोई पत्र विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्राप्त पत्र पर जांच की गयी तथा पत्र में लिखी गयी शिकायत निराधार पायी गयी ।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम नन्दवारा आदि को बाढ़ आदि से बचाने हेतु कृत कार्यवाही

137–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम नन्दवारा, मोहाई, तरखरी, प्रेमपुर, केशरुआ, पहाड़पुर बहेरी, बहेड़ा, गुमाई रीगा,

बन्डे, बछेई, अनुथुवा आदि पच्चीसों गांवों में बरसात के दिनों में भीषण बाढ़ के कारण धान की फसलों तथा गांवों की आबादी का प्रति वर्ष नुकसान होता है? यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय छोटे नालों को गहरा तथा चौड़ा करके जल निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम नन्दवारा, तरखरी, प्रेमपुर, केशरुवा, पहाड़पुर, बहेरी, बड़ेहा, गुमाई, रीगा, बन्डे, बछेई, अनुथुवा आदि ग्राम जिस-जिस क्षेत्र में स्थित हैं उस क्षेत्र में गडरा तथा अन्य छोटे-छोटे प्राकृतिक नाले हैं। अतिवृष्टि के समय, इन नालों की क्षमता कम होने के कारण, पानी इनके दोनों ओर फैल जाता है जो कि थोड़े समय में ही निकल जाता है। अत: धान की फसल को सामान्यत: क्षति नहीं पहुंचती है। इस फैले हुए पानी से आबादी के नुकसान की सूचना विभाग को नहीं है । इस क्षेत्र के प्राकृतिक नालों को चौड़ा व गहरा करके जल निकासी की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद बांदा के ग्राम डिंगवाही के श्री गिरजाशंकर की भैंस को करेन्ट लगने से मृत्यु सम्बन्धी पत्र

138–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक–ए/125/सी0एम0/88, दिनांक 1-9-88 जो बांदा जनपद के थाना कोतवाली, बांदा के अन्तर्गत ग्राम डिंगवाही के श्री गिरजाशंकर की दूध देती भैंस विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत करेन्ट लगने से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में था, आर्थिक मदद हेतु प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रभावित व्यक्ति को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती, तहसील डुमरियागंज के हिलौर कस्बे में ट्रांसफार्मर जलने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

139–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के हल्लौर कस्बे में विगत तीन वर्षों में कितने ट्रांसफार्मर जलने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग ने कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के हल्लौर कस्बे में विगत तीन वर्षों में कुल सात ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए ।

यह ट्रांसफार्मर विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही से क्षतिग्रस्त नहीं हुए, बल्कि प्राविधिक कारणों से हुए । अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी है ।

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में स्वीकृत 132 के0 बी0 विद्युत गृह तथा लाइन निर्माण पूर्ण कराने की मांग

140–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में 132 के0 बी0 विद्युत गृह तथा संबंधित 132 के0 बी0 बस्ती डुमरियागंज लाइन के निर्माण का कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ जबकि 132 के0 बी0 विद्युत गृह तथा लाइन सातवीं योजना में स्वीकृत है ? उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में 132 के0 वी0 विद्युत गृह तथा संबंधित 132 के0 वी0 बस्ती डुमरियागंज लाइन के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण पूर्ण करना संभव नहीं हो सका । 132 के0 वी0 बस्ती-डुमरियागंज लाइन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है परन्तु धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है । इस कार्य के आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर बक्शीपुर, जिला गोरखपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

141–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को एक विधायक (ज0प्र0 अभि0) का शिकायती पत्र दिनांक 23-2-88 जिसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर बक्शीपुर जिला गोरखपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारी (श्री राम प्यारे सिंह) के विरुद्ध शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । इस प्रकार का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीयर क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

142–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार का पत्र सं0-एम0 डब्लू-आर0 1 (5) 88-3529, नई दिल्ली दिनांक 1-12-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सीयर क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था किस-किस तरीके से कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

सीयर क्षेत्र में जल-निकासी की व्यवस्था हेतु 12 अदद विभागीय ड्रेनें जिसकी लम्बाई 108.40 कि0मी0 है, पहले से बनी हुई है । इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे पाकेट्स का पानी निकालने के लिए 18 अदद लिंक ड्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव है । सीयर क्षेत्र में स्थित कोइली मोहान ताल क्षेत्र में खरीफ की फसल को जल-जमाव से राहत प्रदान करने के लिये पम्पिंग द्वारा जल निकासी की योजना स्वीकृत हेतु राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है ।

योजना की स्वीकृति प्राप्त हो जाने एवं धन उपलब्ध हो जाने पर प्रस्तावित कार्यों को कराया जायेगा ।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड-15 गोरखपुर के अन्तर्गत घाघरा के कटान एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं की संख्या

143–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक-15 डिवीजन गोरखपुर द्वारा बस्ती जिले में घाघरा के कटान एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु कुल कितने उपखण्ड तथा सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता कार्यरत हैं, उनमें 87-88, 88-89 में अब तक किन-किन अवर अभियन्ताओं ने कितने-कितने रुपये की एम0 बी0 किस-किस सहायक अभियन्ताओं की देख रेख में किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गण्डक नहर निर्माण खण्ड-15, गोरखपुर (अब बाढ़ कार्य खण्ड प्रथम बस्ती) के अन्तर्गत तीन उपखण्ड कार्यरत हैं जिसमें वर्तमान में कुल तीन सहायक अभियन्ता एवं 16 अवर अभियन्ता, कार्यरत हैं । उनमें से 3 सहायक अभियन्ता, 13 अवर अभियन्ता घाघरा के कटाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर वर्तमान में लगे हैं । शेष अन्य कार्यों पर लगे हैं ।

अवर अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 1987-88 एवं 88-89 में की गई एम0बी0 की धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ पर)

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद आदि के खराब एवं बदले गये ट्रान्सफार्मर्स का विवरण

144–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कासिमाबाद, बाराचवर, मरदह एवं बिरनों जनपद गाजीपुर अंतर्गत कितने 25 एवं 65 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर कितने दिनों से खराब हालत में एवं जले हुये हैं? सरकार इनके स्थान पर नये ट्रांसफार्मर कब तक लगा देगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गाजीपुर के ग्रामीण विकास खण्डों में 25 के0वी0ए0 के नौ तथा 63 के0 वी0 ए0 के तीन ट्रांसफार्मर फरवरी के प्रथम सप्ताह की स्थिति के अनुसार खराब हैं । इनके खराब होने की दिनांक निम्नवत् है :–

क्र0स0	ग्राम	ट्रांसफार्मर की क्षमता	जलने का दिनांक
	विकास खण्ड मरदह		
1–	मरही	63 के0 वी0 ए0	28-8-88
2–	हरिहरपुर	63 के0 वी0 ए0	7-7-88
3–	फेफरा	25 के0 वी0 ए0	8-7-88
4–	बहुतरा	25 के0 वी0 ए0	10-7-88
5–	मरईंरा	25 के0 वी0 ए0	5-8-88
6–	डाढ़तर	25 के0 वी0 ए0	17-8-88
7–	गोविन्दपुर	25 के0 वी0 ए0	10-9-88
8–	पिपनार	25 के0 वी0 ए0	25-10-88
	विकास खण्ड बिरनों		
1–	धर्मागतपुर	63 के0 वी0 ए0	18-8-88
2–	महमूदपुर	25 के0 वी0 ए0	9-10-88
	विकास खण्ड कासिमाबाद		
1–	सोभापुर	25 के0 वी0 ए0	18-12-88
	विकास खण्ड बाराचंवर		
1–	भगीरथपुर	25 के0 वी0 ए0	19-12-88

उक्त ट्रांसफार्मरों को फरवरी 1989 के अन्त तक बदल दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

टिहरी बांध परियोजना में वर्कचार्ज पद पर कार्यरत कर्मचारी एवं तीन वर्ष से अधिक के कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन

145–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना में कितने कर्मचारी वर्तमान समय में (सन् 88 में) वर्कचार्ज पर कार्यरत हैं तथा जिन कर्मचारियों के वर्कचार्ज पर उक्त विभाग में कार्य करते हुए तीन साल से अधिक अवधि हो गई है, उन्हें उक्त विभाग में स्थाई तौर पर समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रभारित अधिष्ठान में वर्तमान समय में कुल 933 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं । जिन कर्मचारियों को परियोजना में कार्य करते हुए तीन साल से अधिक अवधि हो गई है उनको स्थाई तौर पर समायोजित करने का कोई प्राविधान नहीं है परन्तु रिक्त नियमित पदों पर समायोजन हेतु वरीयता के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

टिहरी बांध परियोजना में सेवारत कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ ग्रेचयुटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित करना

146–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्कचार्ज पर कार्यरत टिहरी बांध परियोजना में सेवारत कर्मचारियों की पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। वर्कचार्ज पर कार्यरत परियोजना के कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार लाभ दिया जा रहा है।

झांसी जिले के बामोर और गुरसराय विकास खण्डों के ग्रामों का वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण न होने का कारण

147–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में वर्ष 87-88 के लिए किस विकास खण्ड के किन ग्रामों का विद्युतीकरण होने की स्वीकृति की गई थी तथा उन ग्रामों का विद्युतीकरण कब किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम लोहा-गढ़ जोरा, सैसा तथा ब्लाक बामोर एवं गुरसराय के स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण जुलाई, 88 तक न किये जाने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला फैजाबाद के श्री रामपाल की दो भैंस व बैल की बिजली के तार छूने से मृत्यु

148–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री रामपाल पुत्र श्री गनेशदीन ग्राम सरैठी पूरे हनुमानगढ़ी थाना कोतवाली अयोध्या तहसील व जिला फैजाबाद की कीमती दो अदद भैंस और बच्चूलाल पुत्र श्री परमेश्वर दीन निवासी उपरोक्त का एक अदद बैल की मौत बिजली का तार छू जाने के कारण हो गयी है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 25-5-88 को थाना कोतवाली अयोध्या फैजाबाद में अंकित कराई गई है जिसमें विभागीय जांच के आधार पर बिजली का खम्भा टूटने व बिजली का तार कई दिनों तक जमीन पर पड़े रहने के कारण यह दुर्घटना घटी है? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त लोगों को अब तक क्या सहायता दी गई? क्षति का आकलन क्या है? जांच में कौन लोग दोषी पाये गये हैं और क्षतिपूर्ति में विलम्ब का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। अभी तक काइ सहायता नहीं दी जा सकी है क्योंकि मामले की विभागीय जांच की जा रही है। अभी जांच की जा रही है अतएव क्षति का आकलन व दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जनपद इलाहाबाद में गंगापार एवं यमुनापार में वर्ष 1986-87 व 87-88 में लगाये गये राजकीय नलकूपों का विवरण

149–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में गंगापार में तथा यमुनापार में 1986-87 तथा 1987-88 में कितने राजकीय नलकूप लगाये गये है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पूर्व सिंचाई मंत्री द्वारा गंगापार में 25 नलकूप लगवाये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो यह नलकूप कब तक लगवाये जाने की सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में जनपद इलाहाबाद में गंगापार एवं जमुनापार क्षेत्रों में क्रमश: 2-2 राजकीय नलकूप लगाये गये। वर्ष 1987-88 में गंगापार क्षेत्र में 2 तथा यमुनापार क्षेत्र में 24 राजकीय नलकूप लगाये गये।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर जनपद इलाहाबाद के लिए वर्ष 1987-88 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत क्रमश: 27 (2 गंगापार में + 25 यमुनापार के मेजा क्षेत्र में) एवं जनपद प्लान के अन्तर्गत 4 नलकूपों के लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्ष 1987-88 में 2 नलकूप गंगापार, 24 नलकूप यमुनापार एवं एक नलकूप दोआबा क्षेत्र में लगाये गये। शेष 4 नलकूपों का छिद्रण वर्ष 1988-89 में किया गया है।

जनपद फैजाबाद में शारदा सहायक के विभिन्न खण्डों द्वारा निर्मित सड़कों की दशा सुधारने की मांग

150–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में शारदा सहायक के विभिन्न खण्डों द्वारा निर्मित बहुत सी सड़कें रख रखाव और अनुरक्षण हेतु आवश्यक धन के अभाव में काफी दयनीय स्थिति में है और यदि शीघ्र ही उनकी मरम्मत न की गयी तो उनके निर्माण तथा सोलिंग पर व्यय किया गया करोड़ों रुपया बेकार हो जायेगा? यदि हां, तो प्रश्नगत सड़कों की दशा सुधारने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद फैजाबाद में शारदा सहायक खण्डों द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया है। खण्डों द्वारा निर्मित नहरों की सर्विस रोड व कुछ स्थलों पर कराया गया सोलिंग का कार्य अच्छी दशा में है। इनका रख-रखाव सामान्य रूप से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में भगमड़वा चिलौली बांध के निर्माण का लाभ

151–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग, जनपद गोण्डा के माध्यम से वर्ष 1985-86 व 1986-87 में भगमड़वा चिलौली बांध का कार्य प्रारम्भ करके लगभग बीस लाख रुपया व्यय किया गया है? इस बांध से कितने विकास खण्डों के ग्राम बाढ़ से सुरक्षित हो सकेंगे? उक्त बांध का कटरा घाट तक का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिंचाई विभाग में सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा वर्ष 1985-86 में भगमड़वा चिलौली बांध का कार्य प्रारम्भ करके रुपये 16.59 लाख व्यय किया गया है। इस बांध के निर्माण से जनपद बहराइच में जरवल विकास खण्ड तथा जनपद गोण्डा में कटरा विकास खण्ड के लोग लाभान्वित होंगे। उक्त बांध मात्र भग्गड़वा से चिलौली तक प्रस्तावित था। अतः कटरा घाट तक निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

152–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[2रे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दादरी तहसील में विश्व बैंक अन्तर्गत नलकूप लगाने का प्रस्ताव

153–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी तहसील में विश्व बैंक के अन्तर्गत नलकूप लगाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में देरी का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम पाली एवं बम्बावड़ तहसील दादरी के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु दिए आवेदन पर कृत कार्यवाही

154–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पाली एवं बम्बावड़ तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के कितने उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन पाने के लिये आवेदन किया है तथा कितना धन कब इन उपभोक्ताओं से वसूल किया गया है? क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं द्वारा अंकन 450 रु0 जमा करने के बाद भी इन ग्रामों को न तो तार दिया गया है और न ही खम्भे ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पाली के 63 उपभोक्ताओं ने तथा बम्बावड़ के 46 उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन दिया है। ग्राम पाली के 13 उपभोक्ताओं ने रु0 450 प्रति व्यक्ति माह दिसम्बर, 1987 में तथा 50 उपभोक्ताओं ने रु0 450 प्रति व्यक्ति फरवरी,

1988 में जमा किया था। ग्राम बम्बावड़ के 46 उपभोक्ताओं ने रु0 450 प्रति व्यक्ति मार्च 1988 में जमा किया था। ग्राम पाली में खम्भे लगाये जा चुके हैं और तार लगाया जा रहा है। ग्राम बम्बावड़ के लिये भी सामान का प्राथमिकता के आधार पर प्रबन्ध किया जा रहा है। दोनों ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाने की आशा है।

जनपद गाजियाबाद, विद्युत सलाहकार समिति द्वारा बादरी चुनाव क्षेत्र से चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

155–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सलाहकार समिति जनपद गाजियाबाद द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दादरी चुनाव क्षेत्र से कितने ग्रामों का चयन हुआ है ? चयनित ग्रामों में से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1988-89 में दादरी चुनाव क्षेत्र के आठ ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया है ।

अभी किसी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । उक्त ग्रामों में से चार ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और शेष चार ग्रामों में सामान पहुंचाया जा रहा है ।

बादरी क्षेत्र में 1500 सौ से अधिक आबादी वाले ग्रामों का विद्युतीकरण

156–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दादरी चुनाव क्षेत्र में 1500 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । जिला सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने व संसाधन उपलब्ध होने पर शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संभव होगा ।

सिंचाई विभाग के अभियन्ता श्री एम0 एन0 सिंह द्वारा बनाये मकान संबंधी पत्र पर जांच

157–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग के अभियन्ता श्री एम0 एन0 सिंह ने अपना मकान इलाहाबाद में बना लिया है जिसकी लागत की जांच के बारे में मुख्य अभियन्ता नलकूप (पूर्व) को आदेशित किया गया है और इस सम्बन्ध में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-794 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 14-7-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? मुख्य अभियन्ता नलकूप (पूर्व) की जांच रिपोर्ट का क्या परिणाम रहा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 14-7-88 में माननीय खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् ने अपने पूर्व पत्र संख्या–628 (जो अक्टूबर, 1987 में शासन में प्राप्त हुआ था और जिसमें प्रश्नगत अधिकारी द्वारा इलाहाबाद में मकान बनाये जाने के सम्बन्ध में कीत-पय सूचना मांगी गई थी, में मांगे गये बिन्दुओं पर शीघ्र जानकारी दिये जाने का अनु-रोध किया था । मुख्य अभियंता, नलकूप (पूर्व) को जो जांच सौंपी गई थी उसके बारे में प्रमुख अभियंता (या0) की आख्या अगस्त, 1987 में प्राप्त हुई, जिसमें माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । अतः शासकीय हस्तक्षेप किया जाना उचित समझा गया और शासनादेश संख्या-5945/87-23-सिं0-10-38एक्यू/87, दिनांक 6-11-87 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के उपबन्धों के अधीन नोटिस जारी करके प्रश्नगत अधिकारी से सूचना मांगी गई । प्रश्नगत अधिकारी ने नवम्बर, 1987 में उक्त नोटिस का जवाब देते हुए अपना स्पष्टीकरण शासन में प्रेषित किया जिस पर विचार करने के बाद कुछ बिन्दुओं पर उनके द्वारा सूचना उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया गया । अतः शासकीय पत्र संख्या-6745/87-23-सिं0-10-38 एक्यू/87, दिनांक 14-1-88 द्वारा उनसे शेष बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी गई । माननीय श्री खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् का प्रश्नगत पत्र संख्या-794/88, दिनांक 14-7-88 के प्राप्त होने के बाद प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को शासकीय पत्र संख्या-5452/88-23-सिं0-10-5 सी क्यू/87, दिनांक 19-12-88 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वे प्रश्नगत अधि-कारी श्री एम0 एन0 सिंह से शेष अपेक्षित सूचना तत्काल प्राप्त करके शासन को अविलंब उपलब्ध करायें । उन्हें यह भी सूचित किया गया कि इस विषय में शीघ्रता व वैयक्तिक प्रयास वांछित है । मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

गण्डक नहर डिवीजन 15 गोरखपुर में कार्यरत अधिशासी अभियंता आदि की संख्या यात्राओं तथा यात्रा भत्ता की धनराशि का विवरण

158–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक नहर डिवीजन 15 गोरखपुर में कुल कितने अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता कार्यरत हैं और दिसम्बर, 1986 से जुलाई 1988 तक किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी ने कितनी-कितनी यात्राएं की और कितने-कितने यात्रा भत्ता प्राप्त किये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गण्डक नहर निर्माण खण्ड 15 गोरखपुर में एक अधिशासी अभियंता, तीन सहायक अभियंता तथा अट्ठारह अवर अभियंता कार्यरत हैं । माह दिसम्बर, 1986 से जुलाई 1988 तक इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गयी यात्राओं तथा यात्रा भत्ता के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण संलग्न† है।

---

†छापा नहीं गया ।

जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना में कार्यरत सिंचाई निर्माण खण्ड बस्ती को तोड़ने का कारण

159–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में सरयू नहर परियोजना पर कार्यरत सिंचाई निर्माण खण्ड बस्ती को तोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि इसके पूर्व सरयू नहर खण्ड द्वितीय को तोड़ा जा चुका है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त खण्ड को तोड़ने से बस्ती जिले में सरयू नहर परियोजना की प्रगति प्रभावित होगी ? यदि हां, तो क्या शासन इस पर पुनः विचार करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बस्ती जनपद में सरयू नहर परियोजना पर कार्यरत सिंचाई निर्माण खण्ड बस्ती को तोड़ा नहीं जा रहा है । अतः बस्ती जिले में सरयू नहर परियोजना की प्रगति प्रभावित होने तथा इस पर पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

160–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[दिनांक 15-2-89 को अता0 प्र0 सं0 109 द्वारा उत्तरित]

161–श्री कुशल पाल सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जालसाजी कर नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में श्री तेज बहादुर सिंह जनपद फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र

162–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या-310/एक्यू जनपद फैजाबाद में वर्ष 1983 में जालसाजी कर नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में श्री तेज बहादुर सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-88 उनको, अधीक्षण अभियन्ता को तथा अधिशासी अभियंता नलकूप को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के अंतर्गत ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प मुख्य नहर के पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में शासन

163–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद अंतर्गत ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प मुख्य नहर के 67.00 कि0 मी0 पर वी0 आर0 वी0 (पुलिया निर्माण) का नहर के आरपार मुख्य यातायात मार्ग की दिशा के विपरीत और जनहित के प्रतिकूल हो रहा

है? क्या इस संबंध में सही दिशा व उपर्युक्त स्थान पर पुल निर्माण के लिए ग्राम मेंहदीगंज, आराजी लाइन ब्लाक वाराणसी के प्रधान श्री सुरेन्द्र पाण्डे और प्रश्नकर्ता ने अधिशासी अभियंता ज्ञानपुर नहर, महमूर गंज, वाराणसी को ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो गलत स्थान व दिशा में नहर के उक्त किमी0 पर पुलिया निर्माण का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । कि0 मी0 67.00 पर किसी पुल का निर्माण नहीं हुआ है । 67.700 कि0 मी0 पर पुलिया का निर्माण किया गया है जो जनहित में है ।

जी हां ।

ज्ञानपुर मम्ब नहर के कि0 मी0 67.700 पर ग्रामीण पुलिया की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखकर वांछित दिशा में ही निर्माण किया गया है । प्रस्तावित पुल का निर्माण गलत दिशा व स्थान में नहीं किया गया है।

डीजल एवं मिट्टी के तेल में मिलावट के सम्बन्ध में पत्र पर जांच व कृत कार्यवाही

164–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद तहसील नरैनी ग्राम बुलाकीपुर (सढ़ा) के श्री राम गोपाल पुत्र श्री स्वामी दीन का दिनांक 5-4-1988 का पत्र तत्कालीन खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री को डीजल एवं मिट्टी के तेल में मिलावट के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच किस उच्च अधिकारी ने की तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? डीजल एवं मिट्टी के तेल में मिलावट रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच सहायक खाद्य आयुक्त, झांसी मण्डल, इलाहाबाद द्वारा करायी जा रही है । जांच अभी पूर्ण नहीं हो पायी है । अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

डीजल एवं मिट्टी के तेल में मिलावट रोकने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

165–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 168 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के ऊर्जीकृत ग्रामों का विवरण

166–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1985 से दिसम्बर, 88 के बीच विकास खण्ड वार कितने गांवों का ऊर्जीकरण किया गया है ?

क्या उसकी सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेंगे कि देवरिया जनपद में अब तक कितने प्रतिशत गांवों का ऊर्जीकरण हुआ है और इस पिछड़ेपन के बाद भी इस वर्ष ऊर्जीकरण का लक्ष्य बहुत ही कम रखने का कारण क्या है ? क्या सरकार जनहित को देखते हुए देवरिया जनपद के ऊर्जीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ायेगी? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

देवरिया जनपद में वर्ष 1985 से दिसम्बर, 1988 तक विकास खण्डवार एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या निम्नवत् है :–

विकास खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1–देवरिया	20
2–बैतालपुर	14
3–गौरीबाजार	14
4–रुद्रपुर	18
5–देसही देवरिया	12
6–रामपुर कारखाना	2
7–पथरदेवा	2
8–भलुवनी	4
9–बरहज	–
10–भागलपुर	16
11–लार	1
12–सलेमपुर	6
13–भटनी	13
14–भाटपाररानी	13
15–बनकटा	8
16–कसया	9
17–रामकोला	4
18–हाटा	15
19–नेबुआ नौरंगिया	4
20–खड्डा	–
21–विशुनपुरा	7
22–कप्तानगंज	2
23–मोतीचक	11
24–पडरौना	16
25–दुधई	13
26–तमकुही राज	17
27–फाजिल नगर	21
28–सुकरौली	5
29–सेवरही	1
योग :	268

उपरोक्त ऊर्जाकृत ग्रामों की सूची विकास खण्डवार, संलग्न† है। इस जनपद में दिसम्बर, 1988 तक एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण 40.7 प्रतिशत है।

ऊर्जीकरण का लक्ष्य इस वर्ष संसाधनों की कमी के कारण कम रखा गया है।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

167–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत कासिमाबाद विद्युत उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विद्युत आपूर्ति न किये जाने का कारण

168–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कासिमाबाद विद्युत उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों को नवम्बर के अंतिम सप्ताह 1988 एवं दिसम्बर द्वितीय सप्ताह 1988 तक कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति न किये जाने का क्या कारण था? इसके लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत 33 के0 वी0 कासिमाबाद उपकेन्द्र को विद्युत आपूर्ति 132 के0 वी0 गाजीपुर उपकेन्द्र से की जाती है। गाजीपुर उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाये जाने के कारण कासिमाबाद को 132 के0 वी0 मऊ उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति हेतु जोड़ा गया परन्तु मऊ उपकेन्द्र के संबंधित 33 के0 वी0 फीडर की सी0 टी0 कम क्षमता की होने के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होता रहा। वांछित क्षमता की सी0 टी0 की व्यवस्था करके इसे 9 दिसम्बर, 1988 को लगाकर कासिमाबाद की विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी।

उक्त व्यवधान तकनीकी कारणों से हुआ और इसके लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्रों में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

169–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के सातों विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1986-87 और 1987-88 में अलग-अलग कितनी-कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है? क्या यह सच है कि पुरवा विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सबसे कम हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

---

†छापा नहीं गया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उन्नाव जनपद में प्रश्नगत वर्षों में विधान सभा क्षेत्रवार विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या निम्नवत् है :–

क्रम सं0	विधान सभा क्षेत्र	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या	
		वर्ष 86–87	वर्ष 87–88
1	बांगरमऊ	12	9
2	सफीपुर	11	8
3	उन्नाव	12	8
4	हड़हा	10	7
5	भगवन्तनगर	11	8
6	हसनगंज	10	7
7	पुरवा	10	9

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, गांव खपरा भट्ट तहसील हसनगंज में राजकीय नलकूप के निर्माण में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

170–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव खपरा भट्ट तहसील हसनगंज, जिला–उन्नाव में राजकीय नलकूप का निर्माण कब हुआ था? क्या नलकूप व नाली हेतु जिस किसान की भूमि सरकार ने अधिग्रहण कर ली है उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उसी गांव के निकट रफीगढ़ी व बदबदा खेड़ा में बने राजकीय नलकूप का मुआवजा सरकार दे चुकी है? यदि हां, तो उसी भांति गांव खपरा भट्ट तहसील हसनगंज, जिला–उन्नाव में जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण सरकार ने किया है उसका मुआवजा सरकार देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ग्राम–खपराभट्ट तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में राजकीय नलकूप संख्या–22 हसनगंज समूह का निर्माण दिसम्बर, 1981 में किया गया था।

जी हां।

नलकूप व नाली हेतु अधिकृत की गई भूमि का धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रकाशन होना है।

जी हां।

धारा–6(1) के प्रकाशन के पश्चात् ही भुगतान सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, ग्राम मगकसी थाना रोनाही के श्री राम चन्दर यादव की बिजली के तार छूने से मृत्यु के फलस्वरूप आश्रितों को आर्थिक सहायता दिया जाना

171–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामचन्दर यादव पुत्र श्री राम बक्श यादव निवासी ग्राम मगकसी, थाना रौनाही, फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 9-12-88 को गिरे हुए बिजली का तार छू जाने से हो गयी है जिसकी रिपोर्ट अ0 सं0 291/88 अन्तर्गत धारा 304 ए के अन्तर्गत उसी दिन थाना रोनाही में कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शव विच्छेदन में मृत्यु का कारण प्रमाणित होने के बाद भी मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकार से होने वाले व्यक्तियों के मृत्युपरान्त नियमानुसार कितनी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

मृतक का सही नाम श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री राम बख्श यादव है।

मृतक के परिवार को एक हजार रुपये की धनराशि अन्तरिम अनुग्रह अनुदान चेक सं0 02610 दिनांक 15-12-88 द्वारा दी जा चुकी है।

परिषद् के विद्युत सम्बन्धी अधिष्ठापन के सम्पर्क में आकर मृत एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने वाले ऐसे व्यक्तियों की दुर्घटना के फलस्वरूप जिसमें उनका कोई दोष न हो परिषद् के आदेशानुसार पांच हजार से दस हजार रुपये मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है ।

दुर्घटना के कारणों की विभागीय जांच की जा रही है। जांचोपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विद्युत विभाग में विद्युत ट्रांसफार्मरों के जलने पर मरम्मत का कार्य प्राइवेट फर्म से लिया जाना

172–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी में है कि विद्युत विभाग में विद्युत ट्रांसफार्मरों के जलने, खराब होने पर इनकी मरम्मत पर करोड़ों रुपया, प्राइवेट फैक्ट्रियों को मरम्मत के नाम पर विद्युत परिषद् द्वारा भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में कितनी धनराशि मरम्मत पर खर्च हो गयी ? क्या मंत्री जी उ0 प्र0 परिवहन निगम की तरह अपनी वर्कशाप ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में इस कार्य पर 497 लाख रुपये खर्च किये गये ।

ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु विभागीय वर्कशाप प्रत्येक जोन में बनायी जा रही है जिससे निकट भविष्य में अधिक से अधिक जले हुए एवं खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत विभागीय वर्कशाप में की जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में अक्टूबर महीने में कर्फ्यू की अवधि में शहर में दूध आदि की, की गई व्यवस्था का विवरण

173–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में अक्टूबर महीने में कर्फ्यू की अवधि काल में शासन की तरफ से शहर के लोगों के लिए खाने व बच्चों के दूध अथवा दवा की क्या व्यवस्था की गयी ? शहर के कितने मुहल्लों में जहां पर कर्फ्यू लगा था सरकारी तौर से कितना गल्ला, दूध, मिट्टी तेल अथवा अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गयी ? जिन-जिन लोगों को आवश्यक सामग्री दी गई उनके नाम क्या हैं ? कर्फ्यू की अवधि में कितने रुपये की आवश्यक सामग्री जिसमें खाने का अनाज दूध सब्जी आदि सम्मिलित है, वितरित की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

फैजाबाद शहर में माह अक्टूबर, 88 के कर्फ्यू की अवधि में शासन की ओर से शहर के लोगों को खाने व बच्चों के लिए दूध का वितरण उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम व जिला प्रशासन की ओर से कराया गया । दवा वितरण की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

शहर के सभी क्षेत्रों में जहां पर कर्फ्यू लगा था सरकारी तौर से निम्न विवरण के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का जनता में वितरण किया गया :–

खाद्यान्न	242.85 कुन्टल
दूध	137.17 कुन्टल
मिट्टी तेल	57,540 लीटर
आलू	89.50 कुन्टल
गैस सिलिन्डर	76
चीनी	8.21 कुन्टल

कर्फ्यू अवधि में आवश्यक वस्तुओं का वितरण जिन लोगों को किया गया उनका नाम नहीं नोट किया गया ।

कर्फ्यू की अवधि में कुल मिलाकर रु0 3,74,258.10 के मूल्य की आवश्यक सामग्री वितरित कराई गई ।

(इस समय 12 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी ।

12 बजकर 54 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

शासन द्वारा बकायेदार किसानों की बिजली कटौती न किये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(माननीय अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, उस मामले में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा मंत्री जी आपकी भावनाओं का आदर करते हुए कुछ कहेंगे । आप सुनिये ।

ऊर्जा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य यह जानते हैं कि सरकार पूरी तरह से किसानों की हमदर्द है, कहीं पर प्रदेश में किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा गया, लेकिन आपने.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

लेकिन मान्यवर, सदन के सम्मानित सदस्यों की भावना का आदर करते हुए और आपके भी सुझाव को देखते हुए हम इसको और दिखवा लेंगे, विचार कर लेंगे और कहीं पर यदि कोई कठिनाई होगी, तो वह दूर कर दी जाएगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है, वैसे तो मैं इस संसदीय परिपाटी का सम्मान करता हूं कि आपके कक्ष में जो वार्ता होती है, उसका यहां जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मामले में विवश होकर आपके सामने बड़े दुःख के साथ वह तथ्य सामने लाने पड़ते हैं कि आपके कमरे में जिस भावना से कुछ बात हुई, उसका साफ-साफ निरादर और आपकी वार्ता के प्रति अनादर प्रकट किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है। मैं समझता था कि मंत्री जी इस बात का सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आपके विचार–उसे निर्देश समझें या सुझाव अथवा कथन समझें, का सम्मान करते हुए वह करेंगे कि उसका सम्मान किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा । किन्तु मंत्री जी ने कहा कि उसको दिखवा लेंगे और जो कहा कि किसी काश्तकार का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा गया है, तो हर माननीय सदस्य ने इस बात का यहां स्पष्ट प्रतिवाद किया है। बड़े पैमाने पर किसानों के बिजली कनेक्शन काटे गये हैं। इसलिए मैं साफ-साफ आश्वासन चाहता हूं कि वह कहें कि जब तक काटे नहीं जायेंगे, किसी काश्तकार का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा । यही बात आपके सामने हमारे और इनके बीच तय हुई थी । इन्हें इसका साफ आश्वासन देना चाहिए ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात कही, सदन में भी यह बात आयी थी, हम केवल इतना आश्वासन चाहते थे कि अप्रैल तक किसानों का कनेक्शन न काटा जाए, कोई उत्प्रेरक कार्यवाही न हो और जो काट दिए गये हैं, वह जोड़ दें, ताकि किसानों की रबी की फसल को कोई क्षति न पहुंचे । किन्तु यह सरकार उतना भी आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। आपने मान्यवर, जिस तरह से अपेक्षा की थी कि यह आश्वासन दे देंगे कि जिस तरीके से बड़े उद्योगों के बकाये पर कोई उत्प्रेरक कार्यवाही यही नहीं करते हैं, वैसे ही किसानों के साथ कोई उत्प्रेरक कार्यवाही नहीं करेंगे । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के समस्त सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो बिन्दु मैंने कहे, तिवारी जी ने भी अभी उठाए कि वह आश्वासन में साफ कर दें, मान्यवर, क्या आप उनसे साफ करने के लिए कहेंगे. . . .

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने कहा कि उस पर विचार कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार जानबूझकर किसानों के विरोध में कार्य कर रही है और आश्वासन देने के बाद भी यह अपने पुराने रास्ते पर आ गई है और उससे साफ मुकर रही है, इसलिए किसान विरोधी इस सरकार के खिलाफ मैं भी अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास–

आपके सामने हुई बातों का ऊर्जा मंत्री जी ने पूरा निरादर किया है, इसलिए हम अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम शरण दास ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ निर्दलीय विधायक समुदाय भी सदन का त्याग करता है।

(श्री राम आसरे वर्मा कतिपय निर्दलीय सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

जिला इलाहाबाद के मंझनपुर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

301 के अंतर्गत मुझे 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं। श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री पारस नाथ यादव, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री रिछपाल सिंह बंसल, अगर सदन की अनुमति हो तो यह सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायं ?

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील-मंझनपुर के तीनों ब्लाक 1-मंझनपुर, सरसवा, कौशाम्बी में 300 कुएं का जलस्तर बहुत नीचे उतर गया है। 100 (सैकड़ों) कुंए हैण्डपाइप सूख चुके हैं। 200 ग्रामवासी मर रहे हैं टाउन एरिया करारी 49 कुएं, कई हैण्डपम्प सूख चुका है। दूर-दूर से धूल और मिट्टी मिले पानी से जनता प्यास बुझा रही है। मेरे क्षेत्र में खारे पानी के स्थान पर अधिकारियों ने हैण्डपाइप नहीं लगवाया है। इस भीषण पेयजल संकट में जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है और जिला प्रशासन इस भयानक स्थिति को मूक बनकर देख रहा है। मेरे क्षेत्र में हैण्डपाइप लगाने में भेदभाव किया गया है और सबसे कम लगे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व को सदन के संज्ञान में लाकर पेयजल संकट की स्थिति को दूर करने की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद को तहसील बनाये जाने की ओर आकर्षित करता हूं । इस जनपद की तहसील मुहम्मदाबाद एक बड़ी तहसील है । इस सम्बन्ध में कई वर्षों से वहां की स्थानीय जनता को तहसील न होने से बड़ी असुविधा है । इसीलिए वहां की जनता धरना एवं प्रदर्शन करते रहे हैं । यह तहसील न बनने के कारण इस पूरे क्षेत्र में लाखों जनता में घोर असंतोष एवं क्षोभ है ।

अत: कृपया आप सरकार को निर्देशित करें कि तत्काल कासिमाबाद को तहसील घोषित कर तहसील बनवाया जाये जिससे वहां की जनता को तहसील की सुविधा प्राप्त हो सके ।]

देवरिया शुगर मिल्स लि0 देवरिया में श्रमिक असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[मान्यवर, देवरिया शुगर मिल्स लि0 देवरिया के मजदूर संघ तथा सरकारी अदाता द्वारा गत वर्ष नियुक्तियों, पदोन्नतियों, वेतनवृद्धि आदि के सम्बन्ध में किये गये समझौतों को शासकीय अदाता द्वारा पालन न किये जाने से देवरिया चीनी मिल के मजदूर लगभग 45 दिनों से शान्तिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, उनकी किन्तु शासकीय अदाता तथा सरकार की हठवादिता के कारण मजदूरों की मांगों पर ध्यान न देने से पांच मजदूर गत 7 दिनों से आमरण पर बैठे हैं, उनकी हालत चिन्ताजनक है । मजदरों के स्वास्थ्य की गिरावट को देख कर अन्य मजदूरों में रोष व क्षोभ व्याप्त है और लगभग 800 मजदूरों ने काम बन्द हड़ताल की नोटिस दी है । यदि मजदूरों ने काम बन्द कर दिया तो मिल बन्द हो जायेगी लाखों रुपये क्षति के साथ किसानों का गन्ना खेत में सूखने लगेगा और पेराई की विकट समस्या पैदा हो जायेगी ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन की संज्ञान में लाकर सरकार से अविलम्ब हस्तक्षेप की मांग करते हुए मजदूरों की समस्याओं के उचित समाधान और हल निकालने की मांग करता हूं ।]

बरेली नगर की शास्त्री नगर कालोनी की भूमि की सरकार द्वारा अर्जन नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

डाक्टर दिनेश जौहरी–

[मान्यवर, शास्त्री नगर कालोनी जिला बरेली के लगभग 50 नागरिकों ने श्री सुधीर सजूजा से वर्ष 1972 में मकान बनाने हेतु उक्त भूमि खरीदी थी और सब-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रजिस्ट्रार कार्यालय बरेली में रजिस्ट्री कराई गई थी बेचने की इजाजत सीलिंग विभाग से ले ली गई थी । कालोनी के ले आउट प्लान व भवनों के नक्शों को बरेली विकास प्राधिकरण से पास कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य कराया गया । 22 भवन बन चुके हैं व बाकी निर्माणाधीन है । भवनों में विद्युत परिषद् ने बिजली के कनेक्शन भी दे दिये हैं । अनेक भू-स्वामियों ने बैंक तथा जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर मकान बनाए हैं । जानकारी मिली है कि उक्त भूमि पर रीजनल फूड कन्ट्रोलन के लिए गोदाम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने किसी 1972 के नोटिफिकेशन के आधार पर उक्त भूमि अर्जित करने जा रही है । इस जानकारी से नागरिकों में बड़ी निराशा व्याप्त हो गई है । उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई व ऋण से बनाए हुए भवन हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं और वे तथा उनके परिवार बहुत परेशान हैं ।

अब भू-स्वामियों ने सारी औपचारिकताओं के बाद ही भूमि खरीद कर मकान बनाए हैं साथ ही बी0 डी0 ए0 द्वारा यह क्षेत्र रेजीडेन्शियल व कामर्शियल दिखाया गया है इसलिए यहां गोदाम बनाया जाना वैसे भी आपत्तिजनक व अनुपयुक्त है ।

अत: मैं मांग करता हूं कि जनहित में शास्त्री नगर की भूमि अर्जन से मुक्त की जावे ।]

जिला जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं रामपुर में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं । विधान सभा क्षेत्र बरसठी के विकास खण्ड बरसठी एवं रामपुर भौगोलिक दृष्टि से दो नदियों के मध्य में स्थित है । विगत कई वर्षों से सम्पूर्ण क्षेत्र में फरवरी से ही पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है । कुंए सूख जाने पर लोगों को कीचड़ पीना पड़ता है ।

शासन का ध्यान कई बार आकृष्ट किया गया तथा पीने के पानी हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प कुछ लगाये गये किन्तु अब भी पानी पीने की समस्या बनी हुई है । सेच्यूरेशन का कार्य जल निगम द्वारा चलाया जा रहा था किन्तु अब उसको बन्द कर दिया गया है साथ ही साथ विकास खण्ड बरसठी का न्याय पंचायत कांटी का क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसके सम्पूर्ण ग्राम पीने के पानी से प्रभावित है स्थायी समाधान के लिए न्याय पंचायत कांटी के ग्राम धनापुर में एक पानी टंकी का निर्माण कराना आवश्यक है ।

अत: इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि विकास खण्ड बरसठी एवं विकास खण्ड रामपुर में पेयजल के संकट को देखते हुये सेच्यूरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया जाय तथा विकास खण्ड बरसठी के ग्राम धनापुर न्याय पंचायत कांटी में एक पानी की टंकी का निर्माण कराया जाय ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बेरोजगार-ग्रेजुएट इन्जीनियर्स की आयु सीमा समाप्त करके सीम्मलित अभियंत्रण सेवा द्वारा नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[माननीय, प्रदेश के अंदर भविष्य में प्रतिवर्ष सरकारी एवं अद्‌र्ध सरकारी विभागों में समस्त रिक्त सहायक अभियंता पदों पर एक साथ नियुक्ति सीम्मलित अभियंत्रण सेवा के अंतर्गत लिखित परीक्षा द्वारा कराने तथा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अद्‌र्धशासकीय विभागों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी समस्त बेरोजगार ग्रेजुएट इन्जीनियरों की आयु सीमा को समाप्त कर अविलम्ब नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर बेरोजगार ग्रेजुएट इन्जीनियर्स संघ उत्तर प्रदेश द्वारा विधान सभा के सामने पिछले लगभग एक माह से धरना और क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

अतः इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर समस्या के न्यायोचित समाधान की मांग करता हूं ।]

इन्दिरा नगर कालोनी जनपद लखनऊ में गंगा मार्ग पर अनधिकृत बाजार लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय एवं महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं ।

इंदिरा नगर कालोनी, लखनऊ में गंगा मार्ग जो एक मुख्य सड़क है उसके दोनों तरफ कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा अनधिकृत बाजार लगने लगा है । इस बाजार के कारण यह मुख्य मार्ग शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक पूर्णतया अवरुद्ध रहता है और अक्सर दुर्घटनायें होती है । इस मार्ग के किनारे दोनों ओर अनेक बड़े-बड़े भवन हैं जिनमें रहने वाले शोर, धूल, गंदगी से त्रस्त रहते है । लोग शोर के कारण बेचैन रहते हैं और बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते । पटरी दुकानदारों और निवासियों से आये दिन झगड़े होते हैं । यहां के निवासियों ने कई बार इसकी शिकायत महा-पालिका, लखनऊ के अधिकारियों से की परन्तु वह कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । सरकार की उदासीनता से इस मार्ग के दोनों ओर अनेक गुमटियां, खोखे भट्‌ठियां आदि बन गयीं है ।

अस्तु यह मामला सदन के संज्ञान में लाते हुये तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की है । प्रश्न का सही उत्तर न मिलना, दूसरी सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित जी की है, इन्होंने विधान सभा रसक और मंत्री के अंगरक्षक के बीच झगड़े के सम्बन्ध में सूचना दी है । तीसरी सूचना सूर्य प्रताप शाही जी और धनराज यादव जी की है इन्होंने नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर करने के सम्बन्ध में सूचना दी है । चौथी सूचना माता प्रसाद पाण्डेय जी की है इन्होंने करहना कांड की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है । पांचवी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री अच्युतानन्द तिवारी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री रामपाल वर्मा की है इन्होंने आर्म्स लाइसेंस के बारे में सूचना दी है । श्री राम लक्षन जी ने सदस्य विधान सभा गोरखपुर की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में सूचना दी है । पहली सूचना जो कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की है, यह अस्वीकार हुई है । दूसरी सूचना जो हृदय नरायन दीक्षित जी की है । दीक्षित जी, आपने लिखा है वह सूचना सही नहीं है । आपने लिखा है "विधान सभा विधान मंडल के रक्षकों" यह किस विभाग के रक्षक हैं यह हमारे रक्षकों से सम्बन्धित कोई प्रश्न नहीं है यह सचिवालय से संबंधित है इसको आप देख लें, सचिवालय से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और न ही आपका ताल्लुक है तो यह सूचना अस्वीकार हुई ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, यह 20 तारीख का मामला है उसको लेकर विधान सभा के रक्षक. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह विधान सभा के रक्षक हैं ही नहीं । जब वह हमारे रक्षक हैं ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, जब हम सचिवालय के अन्दर घुसते हैं तो सचिवालय के रक्षक.

श्री अध्यक्ष–

वह हमारे रक्षक नहीं हैं इस मामले को नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, इसी 20 तारीख को माननीय लोकपति त्रिपाठी जी के शेडों से पास मांगने पर विनोद कुमार रक्षक, सचिवालय सुरक्षा दल को गेट पर पीटा गया इससे सचिवालय रक्षकों में तीव्र असंतोष है, उनमें असुरक्षा की भावना है। (व्यवधान) वे हड़ताल पर जा सकते हैं । सचिवालय रक्षक विधान सभा भवन के भी रक्षक हैं । इसीलिए इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि आपकी अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिए गये हैं उस पुस्तक के पृष्ठ–73 पर देखें, जिसमें कहा गया है कि सदन के चलते समय मंत्रिपरिषद् के नीति सम्बन्धी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित है । आपकी इसी व्यवस्था के अन्तर्गत मैंने यह औचित्य का प्रश्न रखा है। 20 फरवरी, 89 को माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के भवन, अनुसंधान एवं परीक्षण संगठन द्वारा निर्मित इन्दिरा नगर का शिलान्यास करते हुए नयी आवास नीति की घोषणा की । वहां पर नयी आवास नीति घोषित किये जाने से माननीय सदस्य आवास नीति पर चर्चा करने से वंचित रह गये । वह उस पर चर्चा कर सकते थे और अपने सुझाव दे सकते हैं जो वह नहीं दे पाये । इस प्रकार से सरकार जानबूझकर आपकी पीठ से दिए गये निर्देशों की अवहेलना करती है और उनका उल्लंघन करती है । दूसरा उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि गन्ना आयुक्त टौलिया साहब ने गोरखपुर में सदन के चलते वहां प्रेस कान्फ्रेंस किया और उन्होंने वहां पर आगामी पेराई सत्र में जो सट्टे की नीति तय हो रही है उसकी घोषणा की । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब सदन चल रहा है तो उस समय इस नीति की घोषणा बाहर नहीं होनी चाहिए थी उसको पहले सदन में घोषित किया जाना चाहिए था । इसका उल्लंघन मुख्य मंत्री जी और कार्यपालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी टौलिया साहब ने गोरखपुर में प्रेस कांफ्रेंस करके किया । इसलिए आपकी पीठ से दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप इस औचित्य के विषय को रखते हुए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

सार्वजनिक निर्माण एवं ससदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शुगर केन रेगुलेशन आफ सप्लाई एक्ट परचेज रूल्स, 1954 के नियम 57 की ओर आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके अन्दर केन कमिश्नर को इस बात का अधिकार है कि वह सरकार की केन परचेज पालिसी जिसे सट्टा कहते हैं की घोषणा करें । यह हमेशा होता आया है और यह नयी नीति नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार बतायी जा रही है बल्कि किसानों को किस प्रकार गन्ना देना होगा, किस प्रकार गन्ने की सप्लाई होगी इसकी जानकारी केन कमिश्नर प्रतिवर्ष देते हैं। उनको इस एक्ट के माध्यम से इस बात का अधिकार है और उसी के अन्तर्गत यह घोषणा की गयी है । किसी नयी नीति की घोषणा नहीं की गयी है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आवास नीति की घोषणा की तो मान्यवर, आपको याद होगा और माननीय सदस्यों को याद होगा कि करीब 3 महीने पहले यहां जो केन्द्र सरकार की नीतियां आयीं थीं उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां घोषणा की थी और अपनी राय दी थी और कुछ अपने सजेशन भिजवाये थे । उसी सन्दर्भ में यह बात कही गयी है। जो तीन महीने पहले

बात कही गयी थी उसी के कांटीनुयेशन में यह कहा गया किसी नयी नीति की घोषणा नहीं की गयी है। मान्यवर, जो आपकी पीठ से फैसले किये जाते हैं उनका पालन किया जाता है। सदन चलते नीति विषयक मामले पहले सदन में आने चाहिए लेकिन यह दोनों मामले रूटीन मैटर्स हैं, नीति से सम्बन्धित नहीं हैं। माननीय सदस्य ने हो सकता है कि न देखा हो जो 3 महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि उसको देख लें और इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई नयी नीति की घोषणा नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसी विधान सभा के भीतर माननीय नेता सदन और मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा था उसमें भी इस नयी नीति पर चर्चा नहीं की गयी है। इस नयी नीति की चर्चा बाहर कर रहे हैं सदन के चलते जो उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि यह नयी नीति नहीं है। परम्परागत ढंग से जो नीतियां चल रही हैं उनमें परिवर्तन करने की घोषणा की गयी है। इस पर विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई नयी नीति नहीं है। अगर कोई नयी नीति होगी तो उसकी घोषणा की जायगी। आप बैठिये, बस हो गया।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आज इस विधान सभा में उस गम्भीर प्रश्न की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विधान सभा से 3-4 प्रकार के अपने अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं, एक तो संविधान के तहत, दूसरा आपके नियमों के तहत, तीसरा आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत हम लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आपके पूर्वाद्ध अध्यक्षों ने और आपने 14 फरवरी को इसी सत्र में यह व्यवस्था दी कि सरकार जो घोषणा जांच के बारे में करे, उसकी जांच आख्या सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए, चाहे वह कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत हो अथवा सी0 आई0 डी0 की जांच आख्या हो, उसकी आख्या सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। एक ऐसी घटना बस्ती जनपद में हुई थी, जिससे लगता था कि मुख्य मंत्री जी की सरकार स्वतः चली जायगी, मैं समझता हूं कि उसमें हमारी तरफ से कोई गुंजाइश रह गयी, जिसके कारण यह सरकार रह गयी। करहना में 28 जुलाई, 1986 को 11 निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखा कर मार दिया। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का घेराव किया गया, एडजर्नमेंट मोशन के माध्यम से चर्चा हुई, गम्भीर विचार विमर्श हुआ, शासन ने यह आश्वासन दिया कि सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देंगे और जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0 आई0 डी0 ने जांच किया, दोषी 20 व्यक्तियों के विरुद्ध 302 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। सितम्बर, 1986 में चार्जशीट सी0 आई0 डी0 ने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन आपको स्मरण होगा कि पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते यह न्यायालय में इसलिए नहीं जा रही है कि सरकार को अपनी अनुमति देनी चाहिए। सरकार न तो अनुमति दे रही है और न आख्या सदन के पटल पर रख रही है, क्योंकि उस समय जब चर्चा हुई थी, तो मेरे ऊपर और सरकार के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा था। अगर वह आख्या सदन के पटल पर आ जाय, तो पूरा सदन सम्पूर्ण तथ्यों और सत्यता से भिज्ञ हो जाय। मान्यवर, सम्पूर्ण तथ्यों और सत्यता को परिलक्षित करने के लिए उस आख्या को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। मान्यवर, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो चार्जशीट लगी है, उसे कोर्ट में भेजने की अनुमति प्रदान करें। इसलिए मैं इस मामले को औचित्य के रूप में उठा रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की यह स्पष्ट निर्देश था कि सी0 आई0 डी0 की जांच होगी। मान्यवर, सी0 आई0 डी0 ने जांच किया और उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गयी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय और जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय माता प्रसाद पाण्डेय और माननीय मैनेजर सिंह ने कहा यह घटना काफी गम्भीर और दुखद थी। मान्यवर, इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जा चुकी है और इसका परीक्षण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, मान्यवर वह कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, जो भी दोषी है, जिन्हें माननीय माता प्रसाद पाण्डेय ने 20 की संख्या बताया है, वे 20 नहीं 22 की संख्या में हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इनको भी जोड़ लिया जाय, तो 23 की संख्या हो जायगी।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इनको भी गिनना पड़ेगा, तो 24 की संख्या हो जायगी। मान्यवर, जो भी कार्यवाही की जायगी, उसे आपके माध्यम से सदन को सूचित किया जायगा। मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह ने इसको सदन के पटल पर रखने की बात कही थी, मान्यवर, उसके अनुरूप वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की सूचनाओं के बाद व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक मिनट का ही व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियमावली देखना चाहें तो देख लें । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी व्यवस्था सुनूंगा 300 को सुनने के बाद।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

पांचवी सूचना माननीय राम आसरे जी की है माननीय राम आसरे वाले में ।....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसे सुन लें फिर जो निर्णय देंगे वह शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी एक मिनट बात आप सुन लें। प्रदेश में अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में 2 तरह की नीति की घोषणा की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कल यह नियम 56 में मामला आया था और इस पर सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए आदेश दे दिया गया था।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियम 56 में नहीं आया था कल भी मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठने का प्रयास किया था। आपने जिन कमियों की तरफ इंगित किया था उन कमियों को पूरा करते हुए आज फिर दिया है। इस सदन में 22 मार्च, 88 को राज्य गृह मंत्री ने यहां पर घोषणा की थी कि आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने के बारे में जो केन्द्र सरकार के निर्देश होगें उनका अनुपालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

वह मुनासिब नही है जब एक कार्यवाही नियम 56 के अन्तर्गत हो चुकी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

जो कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिए। जो आप बोल रहे हैं वही लिखा जायेगा, अब आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

जब नियम 56 में इसका निर्णय हो चुका है तो रोज-रोज इसको उठाना ठीक नहीं है। आप खुद ही देखें कि जब एक फैसला कल हो चुका है तो रोज-रोज उठाने का क्या मसला है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर आप कार्यवाही मंगवाकर देख लें, जिन कमियों की ओर संकेत किया गया था, आपने कुछ कमियों की ओर संकेत किया था, उनको पूरा करते हुए यह प्रश्न उठाया गया है ।

*श्री राम लक्षन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके होते हुए मेरी पिटाई हुई और इस मामले को माननीय विधायक जी ने यहां उठाया तो आपने सदन को बताया कि रामलक्षन जी अपने मामले को उठायेंगे । मान्यवर, मैं 21 दिसम्बर से अनशन पर बैठा था । माननीय गृह मंत्री जी ने 15वें दिन अनशन तुड़वाया और आश्वासन दिया कि गंगा के बीच में संगम की कसम उठाता हूं कि रातों रात उनको हटवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हटाया । 3 माह हो गये, मैं अपने क्षेत्र में या अपने घर नहीं जा पा रहा हूं। सी0 ओ0 और पुलिस के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरा हाल वही होगा जो मोहन रंगाराव का हुआ । मैं बार-बार मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से मिलता हूं और लोगों को बताता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में नहीं जाता हूं । आपने तत्काल उसको वहां से हटाने की बात कही, लेकिन आज तक नहीं हटवाया है। वहां 8 साल से सी0 ओ0 एक ही जगह पोस्टेड है । उसको वहां से नहीं हटाया गया है । उस पर कई मर्डर के मुकदमें लगे हुए हैं। ओझा जी हमारे बगल के विधायक हैं, उनसे आप जान लें कि वह कितना खूंखार है। हमारा रहना दूभर हो गया है । हमको मरवाना ही है तो इस सदन के बीच में मरवा दें । यहां इतने लोग बैठे हैं। श्रद्धांजलि तो देंगे । मुझे मरवाने से सरकार की, कांग्रेस पार्टी की गरिमा बढ़ती हो तो इस सदन में गोली भरवा दें । मेरी मां और मेरे परिवार को मारा गया है। मेरे हाथ की उंगलियां तोड़ी गयी हैं । सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है । सरकार हरिजनों की क्या सहायता कर रही है। हरिजनों और अल्पसंख्यकों को मार-मार कर पुलिस वाले फेंक रहे हैं और इस सदन में कोई सुनने वाला नहीं है । इस सरकार में रह कर मान्यवर, मुझे अपने क्षेत्र में जाने और सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है । अगर मुझे मारने से आपको संतोष

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जाय और आपकी सरकार फिर बन जाती है तो इस सदन में मुझे गोली मरवा दें तो आपका शौक पूरा हो जायगा । या तो आप इस सदन में बैठकर मुझको गोली मरवा दें, नहीं तो इस सदन को सम्बोधित करें कि उनका स्थानान्तरण हो गया

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी मैंने इस घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था । मैंने उस समय यह भी कहा था कि इस सदन में हम लोग मा0 रामलक्षन जी को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे । मुझे दुख है कि मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हों और इस मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मा0 रामलक्षन जी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, कुछ तथ्यों को हो सकता है कि पार्टी डिसिप्लिन में छिपाते हों, मगर चर्चा है कि वह क्षेत्राधिकारी किसी कागज पर दस्तखत कराने के लिये इनको पकड़वाना चाहता है । चर्चा है कि इनके नाम का कोई होटल बम्बई में चल रहा है। चर्चा यह है कि इनका बैंक एकाउन्ट नेपाल में है । इनकी जीप को कोई दूसरा चलाता है। ये अपनी जीप में नहीं बैठ सकते हैं। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है । मेरा अपना मामला नहीं है। मेरा मामला होता तो हम विपक्ष के सदस्य इसको निपटा लिये होते । लेकिन खेद है कि सत्ता पक्ष का एक विधायक, जो हरिजन है और बहुत ही गरीब परिवार से आया है और भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला है, उस विधायक के साथ कौन से सुबूत के पर लगे हुए हैं कि उस क्षेत्राधिकारी को नहीं हटाया जा सकता है। नगरपालिका का चुनाव हुआ, यह साक्षी हैं राम लक्षन जी उसके । चुनाव का जो वहां नंगा नाच हुआ, सबने उसे देखा । दिन के 12 बजे सारे बक्सों को तोड़ा गया, खुले आम यह सब काम हुआ, एक लाइन से एक उम्मीदवार के पक्ष में ठप्पे मारे गये । यह मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के विधायक भी कहते हैं। कांग्रेस का जो आफिशियल उम्मीदवार नहीं था, जो लड़ रहा था, उसको हराने के लिये और एक दूसरे को जिताने के लिये यह सब काम हुआ । यह सब क्षेत्राधिकारी पुलिस के कारनामे हैं और उसी ढंग से वहां के दूसरे अधिकारियों ने काम किया । माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि आप महाराजगंज थाने की सूची ले लीजिये सारे अधिकारी एक ही वर्ग के हैं । गोरखपुर में जातिवादी लोगों का राज है। वहां कोई दूसरा व्यक्ति सिर उठाकर गोरखपुर की सड़कों पर चल नहीं सकता है। आज तक उस क्षेत्राधिकारी के सम्बन्ध में इतनी बातें यहां पर कही गयीं, लेकिन उस क्षेत्राधिकारी को वहां से हटाया नहीं गया । रामलक्षन जी तीन महीने से घूम रहे हैं, क्षेत्र में नहीं गये । मैंने उनसे पूछा कि चुनाव आने वाला है, क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हो । उन्होंने कहा कि जिन्दा रहा, तभी तो चुनाव लड़ूंगा । माननीय, यह सरकारी पक्ष के विधायक हैं, इन्होंने गोरखपुर में अनशन किया, माननीय मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी के बंगले पर अनशन किया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया, अखबारों में यह सब आया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

8 सालों से शासन के निर्देशों/आदेशों की अवहेलना करके वह क्षेत्राधिकारी उसी जगह पर कायम है, माननीय अध्यक्ष जी वह एस0 एस0 पी0 हो नहीं बल्कि डी0 आई0 जी0 है, डी0 आई0 जी0 लोग उसको सलाम करते है । मान्यवर, अभी वहां 2 करोड़ की तस्करी पकड़ी गयी । एस0 एन0 सिंह आबकारी निरीक्षक है महाराजगंज के और यह जो क्षेत्राधिकारी है इनके रहते मैं कहना चाहता हू कि 10 साल के अन्दर महाराजगंज में एक जंगल नहीं रह जायगा, वहां जंगलों की तस्करी हो रही है ढाई करोड़ रु0 की हिरोइन की तस्करी हुई है । आज महाराजगंज मे जंगलो की तस्करी हो रही है, हिरोइन की तस्करी हो रही है और सारे कुकर्म हो रहे है । यह जो तिकड़ी जातिवादी अधिकारियों की वहा पर बैठी हुई है, महाराजगंज में बैठी हुई है, उससे तस्करी हो रही है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हू कि रामलक्षन जी अपनी जान बचाने के लिये क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। यह शासन बिल्कुल नकारा हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी यह सदन के एक विधायक का मामला है, यह दायित्व आपके ऊपर आता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हू कि आज क्षेत्राधिकारी महाराजगंज और सारे लोग, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जंगल कटवाने के आरोप है, कत्ल को छिपाने के आरोप है, तस्करी के आरोप है, जो जातिवादी लोग वहां बने हुए है, उनको नहीं हटाया गया, तो इनकी हत्या होगी । आप शासन को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दें । इस निकम्मी सरकार को निर्देश दें । यह सवाल मेरा नहीं है अगर मेरा सवाल होता तो अब तक निपट लिये होते । वहां के बदमाश अधिकारियों से मैं पहले भी निपट चुका हू। यह एक ऐसे सदस्य का मामला है जो सत्ता पक्ष का विधायक है और शासन की डिसिप्लिन में है, शासन का पहरेदार है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हू कि आप इस पर सरकार को आवश्यक निर्देश दें ।

(व्यवधान)

(श्री जयदीप सिंह बरार, डा0 बंगाली सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह सदन के सदस्य का मामला है, सुन लें ।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत उठाया गया है, यह कोई चर्चा नहीं है। यह चर्चा का विषय नहीं है।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, एक हरिजन विधायक के साथ यह सब हो रहा है इस पर हम लोगों को सुनें ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मूलचन्द्र जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कहिये तो सदन को मैं स्थगित कर दूं और चला जाऊं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर---घोर व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, पूरे हाउस के विधायकों की सुरक्षा और उनके सम्मान का पूरा दायित्व हमारे ऊपर है और हम उसका पूरा ख्याल भी रखते हैं । यह अवश्य है कि कुछ आश्वासन यहां दिया गया गया था, इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप अपने कक्ष में बुला लीजिये, मामला वहीं निपट जायेगा ।

(श्री मूलचन्द्र तथा श्री बंगाली सिंह इसी बीच सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें, यह तरीका ठीक नहीं है।

(दोनों माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष–

जो आश्वासन दिया गया था, उसको आप पूरा करवाइये ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, यह माननीय विधायक के इज्जत और सम्मान का प्रश्न है और मान्यवर, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आप अपने कक्ष में बुला लें जिससे जो आश्वासन यहां दिया गया था, उसका पालन कराया जाय । आप मंत्री जी को भी बुला लें तथा माननीय विधायक को भी बुलवा लें ।

(श्री हरदेव तथा विरोध पक्ष के श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री जयदीप सिंह बरार आदि कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपने विधायक को बैठाइये ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम लक्षन प्रसाद, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, मेरे कक्ष में आयेंगे और मैं देखूंगा जो आश्वासन दिया गया है।

(इस बीच श्री मूलचन्द, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री शतरुद्र प्रकाश आदि कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर-व्यवधान उत्पन्न हो गया)

आज की कार्यसूची की मद संख्या 13 के रूप में कुम्भ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर अग्रेतर चर्चा को सम्मिलित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कुम्भ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घन्टे की अग्रेतर चर्चा बढ़ाई जाती है। सप्लीमेंटरी एजेन्डा बंटवा दिया जाय ।

(व्यवधान)

(मैं सदन को आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं)

(इस समय श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 37 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।

2 बजकर 37 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

(अपराह्न 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में क्या निर्देश है ?

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठें ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा गृह मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राम लक्षन–

माननीया मंत्री जी ने वादा किया था कि वे संगम की बेटी हैं और गंगा की बहन हैं, लेकिन अभी तक जिनके लिये उन्होंने कहा था, उन्हें हटाया नहीं ।

("शेम, शेम" की आवाजें)

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का सम्मान करती हूं। मैं भी वायदे की पक्की हूं और झूठ नहीं बोलती हूं। जब वह अनशन पर बैठे थे । मैंने माननीय सदस्य होने के नाते उनसे अनुरोध किया, मामला कुछ गृह विभाग से भी सम्बन्धित था, मैंने निवेदन किया, मैं आभारी हूं कि उन्होंने अनशन को तोड़ा । साथ ही साथ मैंने उनसे कहा था कि अगर शिकायत है तो एक आदमी, जिसका जिक्र किया, उसको हटाऊंगी । मैं भी वचन की पक्की हूं, अगर 8–10 दिन का समय दे दें तो पूरा करूंगी । एक चिन्ता जो है, उसी रात को कुछ सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया था । अगर वह अपर्याप्त है तो आज ही व्यवस्था कर देंगे, जिससे वह अपने घर जाकर सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राम लक्षन–

आप अपना सुरक्षा का प्रबन्ध वापस ले लें ।

(घोर व्यवधान)

जिनको कहा था जब उनको हटाया नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था देना बेकार है।

(घोर व्यवधान)

दीदी की बात डी0 जी0 नहीं मानता है।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक शेर पढ़ा जो कि शोर में उनका शेर मैं नहीं जान पायी, हां यदि वे शास्त्रीय संगीत में कुछ कहते तो मैं समझ सकती थी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम लक्षन जी कुछ कह रहे थे, पहले उन्हें कह लेने दीजिये ।

श्री राम लक्षन–

दो-तीन बार वह घटना घट चुकी है, मेरी मां के साथ हुई, मेरे साथ हुई और मेरे तमाम लोगों के साथ हुई । ये तो बार-बार कहती हैं कि उसे हटा देंगे, एक साल हो गया है इनके आश्वासन को दिये हुए, आज इस सदन में दुबारा यह मामला आया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीया गृह मंत्री जी ने अब तो आपको आश्वासन दे दिया है ?

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात का स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

स्पष्टीकरण करा देंगे लेकिन पहले शतरुद्र प्रकाश को बोल लेने दीजिये । मैं एक-एक करके सबको सुन लूंगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर सवाल है। पहले तो यहां पर माननीय मंत्री जी को खेद प्रकट करना चाहिए कि जिस समय माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया, उस समय वे अनुपस्थित थीं । माननीय सदस्य ने साफ कहा है कि उस समय जो माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था, उसे पूरा नहीं किया गया और जिस अधिकारी से उनकी जान को खतरा है और वह खतरा आज भी बना हुआ है, इसके कारण वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं । माननीय मंत्री जी उसको हटाने के लिये 8–10 दिन का समय ले रही हैं। जबकि मान्यवर, आज तत्काल उसे हटाने के आदेश जारी किये जाने चाहिए क्योंकि उससे इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य की जान को खतरा है। जो अधिकारी खुले आम धमकी दे रहा है, उसके लिए कैबिनेट स्तर का मंत्री उसे हटाने के लिये 8--10 दिन के समय की मांग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रहा है, इससे ज्यादा गम्भीर बात और कोई हो नहीं सकती है। एक माननीय सदस्य ने शेर पढ़ दिया तो उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि उनको शास्त्रीय संगीत सुनाइये । तो अब सदन में शास्त्रीय संगीत जब सुनाया जायेगा तो फिर 8–10 दिन के बाद वे उसे हटाने की बात करेंगी । अगर इसी तरह की बातें सदन में चलती रहेंगी तो मान्यवर, इस आदरणीय सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी । आप उस अधिकारी को तत्काल वहां से हटवाइये और इसके लिये मा0 मंत्री जी को निर्देशित करने की कृपा करिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दे दिया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

सुरक्षा की व्यवस्था माननीय गृह मंत्री जी पूरी करेंगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा अगर हो जायेगी तो अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है, अभी काम रोको भी नहीं हुआ है।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं खड़ा हूं, आप सब लोग बैठें ।

(घोर व्यवधान)

अब अगर फिर मैंने किसी की व्यवस्था सुन ली तो फिर विचार चल पड़ेगा और चर्चा होती रहेगी और फिर बहुत देर लगेगी, अभी कई मद बाकी हैं । (घोर व्यवधान) अभी 10 दिनों का टाइम माननीय गृह मंत्री जी ने मांगा है, वह आप उन्हें दे दीजिए. अब व्यवस्था पर क्या पूंछेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर आर0 डी0 सिंह जो इस समय देवरिया में, उन्हें बलिया न भेजा जाए, यह मान्यवर मैं पहले भी कह चुका हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि.....

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर मैंने भी लिखकर दिया है, मुझे भी सुनिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी कुछ कह रही हैं, उन्हें सुन तो लीजिए, फिर आप बोलिएगा । मैं आपको रोक तो रहा नहीं हूं, कृपया शान्ति बनाए रखें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, अगर हमारे किसी भी माननीय सदस्य को सुरक्षा का अगर इतना ही डर है तो मैं आज ही उस अधिकारी को वहां से हटाए देती हूं और इनकी मांग को तुरन्त पूरा करती हूं, इन्हें अब कुछ नहीं हो सकता है और जो 10 दिन वाली बात थी, उसे भी मैं वापस लिए लेती हूं, मैं अपने वचन में विश्वास करती हूं । हमारे शासन की ओर से, पार्टी की ओर से और स्वंय मेरी ओर से जो भी वचन दिया जायेगा, वह वचन पूर्ण विश्वास के साथ दिया जायेगा, लेकिन कुछ माननीय सदस्य जो यहां पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने के आदी हैं, यह प्रक्रिया किसी भी रूप में मुनासिब नहीं है, यह परम्परा कितनी उचित है और कितनी संसदीय है ?

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मुझे तो सुन लीजिए, मैंने भी लिखकर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ओझा जी, अब आपका प्रकरण समाप्त हो गया है, कृपया बैठिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

नहीं मान्यवर, मेरा प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब बैठिए । बात तो स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी की हो गई और यह बात समाप्त भी हो गयी, अगर फिर आपको मौका दिया जाए तो फिर दूसरे माननीय सदस्य कई खड़े हैं, फिर हरेक को समय दिया जाय और फिर यही प्रकरण चलता रहे जो मुनासिब नहीं है, नाराज न होइएगा, कृपया शान्ति बनाएं रखें ।

श्री राम लक्षन–

मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी जान की सुरक्षा हेतु समस्त कार्यवाही करने का वचन दे दिया है, अब निश्चित ही हमारी सुरक्षा होगी, इसके लिए मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 4, माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा प्राक्कलन समिति का द्वितीय विशेष प्रतिवेदन, प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या आठ (8), कृपया ओझा जी शान्ति बनाए रखें । बैठें ।

---

†छपा नहीं गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं माननवर, विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूरन बाध्य होना पड़ रहा है इस बात पर कि मैंने लिखकर दिया कि मेरी भी सुरक्षा खतरे में है, माननीय मंत्री जी बैठी थीं, मैं उनके सामने कहना चाह रहा था, लेकिन आपने सुना नहीं, अब माननीय मंत्री जी को आप बुलाइए, कृपापूर्वक तभी मैं बैठूंगा, अगर वह नहीं आयी तो फिर मैं यहां (फ्लोर) पर आकर बैठूंगा आप उन्हें बुलाइए । मान्यवर, जिस अधिकारी के बारे में हमारी मंत्री जी से बात हुयी थी, उसका ट्रांसफर फिर रोक दिया गया है, मामला गम्भीर है, कृपया उन्हें आप बुलाइए.

श्री उपाध्यक्ष–

अब वह प्रकरण समाप्त हो गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

अगर आप गृह मंत्री को नहीं बुलायेंगे, तो मैं आपके आदेशों की अवहेलना करूंगा । आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं । आप गृह मंत्री को बुलावें । मैं विनम्रतापूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप अपने बारे में कहना चाहते हैं, तो कल लिखकर दे दीजिएगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

आप ही बता दें कि गृह मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

तत्काल हटाने का आश्वासन दिया है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वह उनको समय दे दें । उन्होंने वादा किया है, हटा देंगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने तत्काल कह दिया है । हाउस तो चल ही रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरी सूचना है कि उसको गोरखपुर शहर में किया जा रहा है । मंडल के बाहर किया जाना चाहिए ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अंतर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10 सूचनाओं को चयनित किया गया है । पहली सूचना सर्वश्री राम शरण दास पारस नाथ यादव, शारदानन्द अंचल, दुर्गा प्रसाद यादव और गया प्रसाद वर्मा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से किसानों में व्याप्त असंतोष के संबंध में, दूसरी सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, हरि शंकर तिवारी, रामपाल वर्मा, अच्युता-

नन्द तिवारी और कामेश्वर उपाध्याय की भारतीय दलित पैंथर द्वारा विधान भवन के समक्ष की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह और श्री किशन लाल की बरेली जिले की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने के मूल्य का समय से भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री सरदार सिंह की लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पर ठेकेदारों व असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवी सूचना सर्वश्री अवधेश प्रसाद, माता प्रसाद पाण्डेय, अकबर हुसैन बाबर और सुखपाल पाण्डे की प्रदेश में अरबी मदरसों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन का भुगतान तथा पेंशन का भुगतान न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की फिरोजाबाद के मुहल्ला हाजीपुरा गली नं0 8 में दुलारे कव्वाल के मकान पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला करके उनकी पत्नी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की वाराणसी जनपद में राष्ट्रीय राज मार्ग के अवरुद्ध रखने से करोड़ों रुपये की राजस्व की क्षति होने के संबंध में, आठवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की वाराणसी जनपद में मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर गोरखा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य प्रदेशों से लाये गये पशुओं को धरना देकर रोके जाने के संबंध में, नवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और कुंवर मानवेन्द्र सिंह का अपट्रान में व्याप्त भ्रष्टाचार उत्पाद की क्वालिटी गिरने तथा उद्योग निदेशालय द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में और दसवीं सूचना श्री बदन सिंह की आगरा फतेहपुर सीकरी राष्ट्रीय मार्ग पर शराब के नशे में बस ड्राइवर द्वारा मिनी बस में टक्कर मार देने से चार व्यक्तियों की मृत्यु तथा डेढ़ दर्जन लोगों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष–

समय का ध्यान रखें, राम शरण दास जी। साढ़े तीन बज गए हैं। एक-एक आदमी बोल लें ।

***श्री राम शरण दास–**

मान्यवर, यह मामला वैसे तो एक प्रश्न के जरिये आया था । श्रीमन्, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों में इस समय जो किसान की लुटाई हो रही है, सरकार की साजिश से 29 रुपया 28 50 रुपया के हिसाब से मिल मालिक गन्ना खरीद रहे हैं और निगम सरकारी चीनी मिलें किसानों को लूट रही हैं । खाण्डसारी उद्योग के लोग 32 से 35 रुपया प्रति कुन्तल गन्ना खरीद रहे हैं । तो दाम में इतना अंतर आ गया है कि किसान 40 रुपये की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहा है । श्रीमन्, खाण्डसारी में 5/6 प्रतिशत की रिकवरी रहती है और मिलों में इस वक्त 10 प्रतिशत की रिकवरी चल रही है । दुगने का फर्क है । भावों में कितना अंतर है । मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रति क्विंटल गन्ना पैदा करने के ऊपर किसानों की जो लागत आती है वह 38·25 रुपये आती है । यह आंकड़े मेरे नहीं हैं । इन्हीं के विभाग के जो रिटायर्ड डी0 सी0 ओ0 हैं, जो इसका दाम तय करते हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार ही मैंने बताया कि एक क्विंटल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गन्ना पैदा करने पर 38 रुपये 25 पैसे का खर्च आया है तो कौन सा औचित्य है कि गन्ना 28/29 रुपये में खरीदा जाय । फिर इनकी नाक खाण्डसारी ने काट दी है । वह 33 से 35 रुपये तक दे रहे हैं । अभी कल ही माननीय बरार साहब बोल रहे थे । मुख्य मंत्री जी ने उसका गोल-मोल जवाब दे दिया । मैं देख रहा हूं कि गन्ना मंत्री जी नहीं हैं ....

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

गन्ना मंत्री हैं ।

श्री राम शरण दास–

गन्ना तो ऊंचा होता है । पता नहीं कहां छिपे हैं । इन्हें पता नहीं है कि गन्ना कैसा होता है और गन्ना किसे कहते हैं । श्रीमन्, कल भी मैंने कहा था और पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि चुनाव हमारे सिर पर खड़ा है । अगर फायदा चाहते हैं कि 20/30 सीट मिल जायं तो गन्ने के भाव को 40 रुपये करो । मेरा निश्चित मत है कि अगर यह भाव नहीं देंगे तो फैक्ट्रियां बन्द हो जायेंगी, खाण्डसारी यूनिट बढ़ती जा रही है । हमारा क्षेत्र हरियाणा के बोर्डर से मिला हुआ है वहां पर 40 रुपया दे रहे हैं । वह गन्ने की स्थिति जानते हैं । इसीलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज की सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

डाक्टर दिनेश जौहरी का भी गन्ने से ही सम्बन्धित है । वे भी बोल लें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस सत्र में जो भी गन्ने की पिराई हुई है, पूरे प्रदेश में किसानों को गन्ने का मूल्य जो शुगर फैक्ट्रियों से गन्ना खरीदा है उसका पैसा नहीं मिल रहा है । बरेली में 31 जनवरी तक डेढ़ करोड़ रुपया किसानों का बाकी का और इस समय सवा दो करोड़ के करीब बाकी है । इस बरेली की कैसर शुगर वर्क्स बहेड़ी पर डेढ़ करोड़ रुपया, एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री नैकपुर पर 45 लाख और सेमीखेड़ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री पर 30 लाख रुपया किसानों का बाकी है लेकिन यह फैक्टरियां किसानों का बाकी है लेकिन यह फैक्टरियां किसानों का पैसा नहीं दे रही है । मान्यवर, आप जानते हैं कि किसान को गन्ना पैदा करने में, उसके कटान में, सप्लाई करने में कितना परेशानी होती है । दो-दो महीने हो गये हैं किसान को पैसा नहीं मिल रहा है । किसान रोज फैक्टरियों का चक्कर लगा रहे हैं । यह किसानों के विषय में बहुत ही गम्भीर मामला है । इसका भुगतान एक सप्ताह के अन्दर कराया जाय और सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर आज चर्चा करा ली जाय ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो ।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

मान्यवर, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य राम शरण दास जी ने कहा है कि गन्ना मंत्री को पता ही नहीं है कि गन्ना कैसा होता है । मैं बचपन से जानता हूं कि गन्ना कैसा होता है। गन्ना कुछ तो पतला होता है और कुछ मोटा भी होता है । कुछ गन्ना माननीय राम शरण दास जी के रंग जैसा भी होता है और इतना ही मोटा भी होता है । (हंसी)

मैं बचपन से जानता हूं क्योंकि मैं खेत में काम करने वाले गोल का हूं । (व्यवधान) कैसा होता है वह मैं बता रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि मैं बचपन से जानता हूं कि गन्ना कैसा होता है क्योंकि मैं उसी गोल का हूं । खेत में ही मेरे बाप दादा और सारे लोग काम करते गुजरे हैं । मैं भी खेत में काम करने जाता हूं । शायद राम शरण दास जी नहीं जानते होंगे . . .

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इन्होंने गन्ना चूसा है बचपन में बोया नहीं है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, खेत इनका रहा होगा लेकिन बोया हम ही ने । जो आज गन्ने की कीमत का मामला फिर से उठाया गया है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कल इस पर विशद चर्चा हो चुकी है, माननीय बरार साहब के प्रश्न पर । तो आज तो काम रोको प्रस्ताव के रूप में आना ही नहीं चाहिए, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया था जिसको वह भी जानते हैं और जो हमने कहा वह भी हम जानते हैं । गन्ने की कीमत पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दे रहा है । 34 रु0 और 30 रु0 जो गन्ने की कीमत दी जा रही है उसमें महत एक रुपया ढुलाई खर्च काटा जाता है । मैं आलोचना नहीं करता जो सच्चाई है वह कह रहा हूं, हरियाणा की यह बहुत दुहाई देते हैं लेकिन हरियाणा में जो 35 रु0 दे रहे हैं, उसमें ।

(व्यवधान)

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यह क्या चर्चा कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें सुन तो लीजिए ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

उसमें डेढ़ से दो रुपया काटा जाता है । अगर हम कटौती उतनी ही करें तो उससे अधिक दाम देने लगेंगे । मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि गन्ने की कीमत हम सबसे ज्यादा देते हैं । इससे ज्यादा गन्ने की कीमत देने की स्थिति में नहीं हैं । जो गन्ने की कीमत दी जा रही है उस कीमत को देने में हमको 83 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है । यह सरकार कल्याणकारी सरकार है इसलिए घाटा उठाकर भी किसान का भला चाहती है ।

जहां तक खाण्डसारी का मामला है खाण्डसारी तो मुश्किल से एक दो महीना चलती है (व्यवधान) जनवरी, फरवरी में खाण्डसारी यूनिट चलती हैं (व्यवधान) जरा सुन लीजिये खाण्डसारी वाले आखिर में कम देते हैं और आखिरी में तो बहुत कम देते हैं । जनवरी, फरवरी में थोड़ा कीमत बढ़ा देते है और वह भी चीनी मिल जो दाम देती हैं उससे कम दाम पर देती हैं । सरकार द्वारा जो गन्ने के दाम निर्धारित किये गये हैं वह 34 रु0 और 30 रु0 वह चाहे मई तक मिल चले या जून तक चला दिए जाते हैं और घाटा उठाकर भी देता है ताकि किसानों का किसी तरह नुकसान न हो और उनको अधिक लाभ मिले । इसलिए यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनता है । (व्यवधान) जहां तक जहिरी साहब का विषय है . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी एक हिस्सा जवाब देने से रह गया है उसको देने दें । (डाक्टर दिनेश जौहरी के खड़े होने पर) जरा सुन तो लीजिए । आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं

(व्यवधान)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

गन्ने के भुगतान के बारे में जौहरी साहब कह रहे थे कि गन्ने का भुगतान किसानों को नहीं हो रहा है तो मैं उनकी जानकारी सदन के माध्यम से करा देना चाहता हूं तो मान्यवर अब तक गन्ने का भुगतान 79.31 प्रतिशत हो चुका है (व्यवधान) पिछले वर्ष इसी अवधि में 75.58 प्रतिशत भुगतान हुआ था । तो मान्यवर, अब तक गन्ने का भुगतान 89.31 प्रतिशत हो चुका है . . .

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह इतना गम्भीर मामला है . . .

(कई विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने स्थान से बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

दिनेश जौहरी वाला हिस्सा बाकी है, उसे आ जाने दीजिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सारे प्रश्न में गन्ना किसानों को गन्ने का समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग इस पर चर्चा चाहेंगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन उनको सुन तो लीजिए, शान्त हो जाइये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह गलत बयानी करते चले जा रहे हैं और आप इनको रोक नहीं रहे हैं ।

(मंत्री जी और विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने से घोर व्यवधान)

आप भले ही चर्चा करा लें, लेकिन यह उसमें भी जवाब नहीं देंगे । यह कामरोको प्रस्ताव का मामला तो है नहीं, क्योंकि भाषण दे रहे हैं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

(व्यवधान) पिछले सालों का भुगतान कर दिया है, आधा प्रतिशत बाकी रह गया है । इस साल का भी भुगतान सुन लीजिए । (व्यवधान) सवाल कर लिया जाएगा, तो उसे भी बता दूंगा, (व्यवधान) बरेली सेमीखेड़ा का है, उसको सुन लीजिए . . . (व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

आप मंत्री जी का जवाब फिर दिलवा दीजिए, कुछ इनका सुनाई नहीं पड़ा है ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप इनको निर्देशित करें ।

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

आप मंत्री जी से कहे कि यह फिर से जवाब दे दें ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

1 करोड़ 93 लाख का बरेली में गन्ना खरीदा और उसमें से 1 करोड़ 53 लाख का भुगतान कर दिया है । जो शेष भुगतान है, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए । बरेली की बहेड़ी मिल में 3 करोड़ 96 लाख 86 हजार रुपये का गन्ना खरीदा गया था, 2 करोड़ 88 लाख का भुगतान कर दिया गया है । तो गन्ने का अधिकतम भुगतान कर दिया गया है । थोड़ा जो अवशेष स्वभाविक है, उसका भी प्रयास है कि उसका भी भुगतान जल्दी से जल्दी कर दिया जाए । इसलिए इस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं बनता । कृपया इसको आप अस्वीकार करने का कष्ट करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने गन्ने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी अभिव्यक्ति और सरकार का मत प्रकट कर दिया है । माननीय सदस्य जो सदन में बैठे हैं, वह किसानों की कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं । इन्होंने बोने का काम तो किया है, लेकिन गन्ना उत्पादन में कितना खर्च होता है, इसका मंत्री जी को ज्ञान नहीं है और गन्ने से कितना मुनाफा होता है, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है । इसलिए यदि सदन में चर्चा की व्यवस्था हो और इनको वक्तव्य छोटा कर दें तो हमारा आगे का समय बचेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र कीपल–

किसानों का गन्ना कामधेनु की तरह है, इस पर सबका हाथ लगवा लिया जाए, जिससे सभी का बेड़ा पार हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है सुन लिया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पर 2 घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए, सभी बोलना चाहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

1 घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है । जब चर्चा होगी तो इस पर देखा जाएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

विधान भवन के सामने मान्यवर, भारतीय दलित पैन्थर की ओर से हजारों पुरूषों स्त्रियों ने सामुहिक धरना, भूख-हड़ताल और अनिश्चित कालीन भूख-हड़ताल का सिलसिला

जारी कर रखा है । उन्होंने अपना 46 सूत्री मांग पत्र पेश किया है । यह 86-87 में भी यहां पर धरने पर बैठ चुके हैं, भूख-हड़ताल पर बैठ चुके हैं । उस समय हमारे तत्कालीन राजस्व मंत्री माननीय गौरी शंकर जी थे उन्होंने अनशन स्थल पर जाकर दलित पैंथर जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उनकी हड़ताल को तुड़वाया था और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था । लेकिन उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुयी हैं । इसीलिए वह दलित पैंथर 25 नवम्बर, 1988 से सामूहिक धरना भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं । इस प्रकार से एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है । लगभग 30 जिलों के दलित पैंथर सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं । उनके कई कार्यकर्ता जेलों में भी जा चुके हैं । यह समाज के निर्बल वर्ग के लोग हैं । इन वर्गों के सिलसिले में जो सरकार की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं और जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है उसका सही ढंग से कार्यान्वियन न होने के सम्बन्ध में उन्होंने 46 सूत्रीय मांग पत्र दिया है । लेकिन यह सरकार इतनी बेरहम हो गयी है कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है । उनकी मांगें पूरी करने के बारे में एक बार 1987 में आश्वासन दिया गया था, फिर 1988 में आश्वासन दिया गया था लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया जिसके कारण वह 25 नवम्बर, 1988 से अनशन पर जाने पर मजबूर हुये और यह संघर्ष का सिलसिला चल रहा है । इसके कारण आज पूरे प्रदेश में असंतोष की स्थिति पैदा होती जा रही है । चूंकि 30 जिलों के लोग सामूहिक धरना पर बैठे हैं इसलिए इसका प्रभाव 30 जिलों पर ही नहीं पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है और शासन इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है । यह प्रश्न पूरे प्रदेश के निर्बल वर्ग के लोगों से संबंधित है । मैं चाहूंगा कि इसे आप स्वीकार करें और इस पर चर्चा कराने की अनुमति दें ।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं बनता है मगर मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए कहना चाहती हूं कि जो बिन्दु उन्होंने उठाये हैं उनको मैं गम्भीरता से दिखवा लूंगी । अपना थोड़ा सा अमूल्य समय दे दें तो जो बातें हैं उन पर मैं विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए आश्वासन दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । लगभग 100 दिनों से उनका धरना विधान भवन के सामने चल रहा है क्या उसको समाप्त कराने की दिशा में कोई कार्यवाही करेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप दोनों मिलकर यह काम करा लीजिएगा

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, किसी सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह शांति-व्यवस्था कायम

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखे । दुख के साथ कहना पड़ता है कि शांति और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है । अगर शांति व्यवस्था ठीक न हो तो न विधान सभा चल सकती है और न कोई कार्य सफलतापूर्वक हो सकता है । प्रदेश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यह स्थिति हो गयी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है । हमारे देश में विकास कार्यों का अत्यन्त महत्व है । इंजीनियर लोग विकास का कार्य कराते हैं और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी सड़कें बनवा रहे हैं । आज हालत यह हो गयी है कि जितने ठेकेदार हैं वह अपराधिक प्रवृत्ति के हैं । वह जबरिया टेण्डर भरते हैं और निर्माण कार्यों में घटिया मैटीरियल लगाते हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं, बिना इजाजत के काम शुरू कर देते हैं और मान्यवर, जबरदस्ती वे लोग भुगतान कराते हैं और अगर कोई इंजीनियर मना करता है, तो फिर उसके साथ कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, रूल आफ जंगल कायम हो जाता है और जबरदस्ती सरकारी खजाने का दुरुपयोग होता है । विकास प्राधिकरण के छठे डिवीजन में एक अधिशासी अभियंता सोहन लाल हैं, उनको ठेकेदारों ने मार कर घायल कर दिया । मेरठ जिले में, मथुरा में तथा इसी तरह से अनेकों जिलों में जितने ठेकेदार हैं, व सभी अपराधिक प्रवृत्ति के हैं । आज पूरे प्रदेश का इंजीनियर ठेकेदारों के भय और आतंक से ग्रसित है । मान्यवर, इस तरह से कोई भी विकास का कार्य नहीं हो सकता है । जितने भी हम विकास के कार्य करते हैं, वे बेकार जा रहे हैं और यही कारण है कि विधान सभा में हंगामा होता है । मान्यवर, मेरा प्रश्न विकास से संबंधित है और अविलम्बनीय लोक महत्व का है । इसलिए मेरी मांग है कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह ने जो चिन्ता व्यक्त की है, टेक्निकली यह प्रश्न आज के कार्य-स्थगन में आता है या नहीं, यह बात दूसरी है, लेकिन इस समय बहुत से ऐसे तत्व हैं जो किसी न किसी प्रकार से ठेके को हासिल करने के लिए मसिल्स पावर इस्तेमाल करते हैं और ठेका हासिल कर लेते हैं । मान्यवर, इसकी रोक-थाम की व्यवस्था की जा रही है । इस मामले को भी थाने में दर्ज कराया गया और इसकी तफतीश जारी है । इसको पूरी तत्परता के साथ दिखलवाया जायेगा । ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य डिपार्टमेंट हैं, जिनमें ठेकेदारों के माध्यम से काम कराया जाता है, उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और ऐसी जगह जैसे कचेहरी आदि स्थानों पर टेण्डर खोला जाय, ताकि ठेकेदार लोग जोर-जबरदस्ती न कर सकें । इस मामले में मैं माननीय सरदार सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया । इस मामले में जो भी दोषी लोग हैं, उनको सजा दिलवाई जायेगी ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रदेश में इस समय 331 अरबी मदरसे हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और 252 मदरसे सहागता प्राप्त हैं और 79 अरबी मदरसे एसे हैं जो कि सहायता सूची में नहीं हैं, मान्यता सूची में हैं । इन सबको मिला कर कुल 331 मदरसे होते हैं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश के एसे अरबी मदरसों में लगे हुए लगभग 5 हजार अध्यापक हैं, जिसमें से हजारों अध्यापक दिनांक 20 फरवरी से विधान सभा के गेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों को कोई देखने और सुनने नहीं गया । वे 6 सूत्री मांगों को लेकर विधान सभा के सामने बैठे हैं । उनकी पहली मांग है कि सहायता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को भी सम्पूर्ण वेतन संस्कृत पाठशालाओं के समान बैंक के माध्यम से दिया जाये । एजूकेशन कोड में दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है और दोनों के लिए समान सुविधा देने की बात कही गयी है । (2) लाभत्री योजना (पेंशन, भविष्य निधि, बीमा) तुरन्त संस्कृत पाठशालाओं के समान लागू की जाय, जिसकी घोषणा 1977 के बजट सत्र में की जा चुकी है । (3) दरजाते आलिया के तीनों श्रेणियों मौलवी, मुन्शी (हाई स्कूल), आलिम (इण्टरमीडिएट), फाजिल व कामिल (बी0 ए0) कक्षाओं को शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिए अलग-अलग वेतन-क्रम निर्धारित किये जायं, जैसा कि संस्कृत पाठशालाओं में किया गया है । आलिया के सभी श्रेणियों के अध्यापकों के लिए तृतीय श्रेणी का ही वेतन-क्रम दिया जाना अनुचित और उनके साथ अन्याय है, इसे अविलम्ब समाप्त किया जाय । (4) स्थायी मान्यता प्राप्त एसे समस्त अरबी मदरसों को जो अनुदान पाने हेतु सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं, उनको अनुदान सूची पर अविलम्ब लाया जाय ।

मान्यवर, विकास अनुदान (भवन पुस्तकालय साज-सज्जा) वर्ष 1987-88 तक अरबी मदरसों तथा संस्कृत पाठशालाओं को 15 हजार रुपये की सीमा निर्धारित थी । अब संस्कृत पाठशालाओं के लिए तो यह धनराशि 65 हजार रुपये कर दी गई है । लेकिन अरबी मदरसों के लिए 15000 की धनराशि ही बाकी रखी गयी है । तो इस दोहरी नीति को समाप्त किया जाना चाहिए । छठी है अरबी मदरसों तथा उनमें कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के साथ उपेक्षा की नीति समाप्त की जानी चाहिए । मान्यवर, एजूकेशन बोर्ड में अरबी संस्कृत को एक ही मान्यता दी गई है । मान्यवर, पिछले दिन एक कमेटी बनाई गयी थी, जिसमें एक कमेटी के अध्यक्ष श्री लोकपति त्रिपाठी जी थे, जो संस्कृत से संबंधित थी दूसरी कमेटी जो अरबी से संबंधित थी उसके अध्यक्ष श्री सिब्ते रजी थे उन्होंने अपनी-अपनी रिपोर्टें सम्मिलित कीं । जो माननीय लोकपति जी ने अपनी रिपोर्ट सम्मिलित की वह तो लागू हो गई, लेकिन श्री सिब्ते रजी ने कह दिया कि सेवा नियमावली नहीं है । मान्यवर, अरबी के संबंध में 22 अगस्त, 1987 को सेवा नियमावली बन गई । उसके बाद जो सुविधायें शासन की तरफ से दी गई, जो नियम बनाए गये हैं वह लागू नहीं किए जा रहे हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है । यहां संस्कृत अरबी का सवाल नहीं है । मैं समझता हूं कि संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है वहीं दूसरी ओर अरबी और उर्दू हिन्दी भाषा की छोटी बहन है । यह सरकार अरबी और उर्दू की बहुत सी बातें करती है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करती है, लेकिन व्यवहार और कार्य रूप में सौतेला व्यवहार करती है । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि रौनाही में एक हजार छात्र मदरसे में एसे हैं–

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के असहाय और निर्धन बच्चे शिक्षा लेते हैं। मान्यवर, बिहार में भी मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी भेजी वहां की नीति को जानने के लिए, कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि अरबी के विद्यालयों को मान्यता दी जाए और संस्कृत और अरबी को समान अवसर मिलने चाहिए। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है। इस सवाल के लिए आपसे निवेदन है कि सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इसकी गम्भीरता को देखते हुए, इस मसले पर चर्चा कराई जाए।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह प्रश्न ऐसा है जो हमारे क्षेत्र से ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जो ग्रामों में मदरसें हैं मुख्य बात उसमें यह है कि सरकार से जो सहायता दी जाती है, वह धन नाजिम के पास चला जाता है वहां जो प्रबन्ध समिति है उस पर कोई नियंत्रण नही है उस पैसे का दुरुपयोग होता है यह पैसा मदरसे के अध्यापको को ऐसे ही मिलना चाहिए जैसे और स्कूलों के अध्यापकों को बैंक द्वारा दिया जाता है, इस पर सरकार का आश्वासन था और इससे हजारों लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व पर आप चर्चा करा दें। इसमें नाजिम को रुपया खाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, मान्यवर, इन स्कूलों को सरकार से ही नहीं सहायता मिलती अरब के देशों से भी पैसा मिलता है वह बैंकों में जमा किया जाना चाहिए उसको भी अध्यापको को पैसे के रूप में दिया जाए न कि दूसरे और मदों में करने के लिये अनुमति दी जाय

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुझे भी मौका दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आजम साहब, आपका नाम नहीं है ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, इस पर बहुत ही चर्चा हो चुकी है प्रश्न यह है कि अरबी और फारसी के बारे में जब भी नीति की घोषणा की गई है तो साथ ही एक ही लाइन में संस्कृत, अरबी और फारसी को समान दर्जा देने की बात कही गई है । लेकिन जब इसका प्रश्न उठा तो संस्कृत को तो अमल किया गया लेकिन अरबी और फारसी मदरसों के साथ भेदभाव की नीति बरती गई कागज पर तो समान सुविधा की बात करते हैं लेकिन व्यवहार में उसे अमल में नहीं लाते हैं । सबसे बड़ा कारण तो इसी बात का है । संस्कृत के विद्यालय में अध्यापकों को तो वेतन मिल रहा है लेकिन जो असमानता संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में और अरबी अध्यापकों में हैं उसको पूरा होने की बात है । यह आश्वासन माननीय राम नरेश जी ने भी दिया था और नारायण दत्त तिवारी जी ने भी दिया था । सिब्ते रजी साहब ने नियमावली की बात कही थी वह बन भी गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है फिर वह कौन सी ऐसी बात है जो सुविधा नहीं मिल पा रही है । मान्यवर, एक विशेष सम्प्रदाय से यह मामला जुड़ा हुआ है आप तो जानते हैं कि इस समय देश की स्थिति कितनी नाजुक है, किस तरह से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और इस नीति से तो साम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने की बात है और इससे तो उन्हें दूसरे देश का शहरी समझा जा रहा है । श्रीमन्, यह वह प्रश्न है जो देश की अखण्डता और एकता से जुड़ा हुआ है । इसलिए यह बात और गम्भीर हो गई है इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की इजाजत दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो मान्यता प्राप्त अरबी और फारसी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 320 है और 242 ग्रान्ट इन एड लिस्ट में है । इन अध्यापकों की मांगों के बारे में माननीय अवधेश प्रसाद जी ने, बाबर साहब ने और माता प्रसाद जी ने बताया है कि इनकी तनख्वाह वितरण प्रणाली जो दूसरे अध्यापकों के लिए की गई है वह यहां पर नहीं की गई है इसका कारण यह नहीं है कि सरकार का अरबी, फारसी मदरसों की तरफ या वहां के अध्यापकों के लिए किसी तरह का रवैया है, ऐसी बात नहीं है उनमें पूरी सहानुभूति है । इधर इसकी जब बात आई तो जो प्रबन्धक हैं तो उनकी तरफ से कोई रिप्रिजेन्टेशन आया उन्होंने कहा कि आर्टीकिल 30 जो संविधान का है उसके अन्तर्गत यह विद्यालय खुले हुए हैं अगर आप तनख्वाह देंगे तो सारा अधिकार सरकार का हो जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आर्टिकिल 29 और 30 में है कि अकलियतों को यह अधिकार होगा कि वह अपने बनाए हुए इन्स्टीट्यूशन को चला सकें और आर्टिकिल 31 में सरकार बाध्य होगी इन सारे माइनारिटी इन्स्टीट्यूशन को मदद देने के लिए । आप तो सदन को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह जो आजम खां साहब ने बात कही तो यहां पर सरकार सहायता देने से मुकर नहीं रही है । लेकिन जब सहायता देने की बात आई तो उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं कि इन लोगों ने आर्टीकिल 30 के अन्दर प्रोटेक्शन मांगा है 31 का नहीं मांगा है । मैनेजर ने आर्टीकिल 30 के अन्दर प्रोटेक्शन मांगा है, जो बात मैंने कही थी उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सदन को बिल्कुल सही बता रहा हूं किसी प्रकार से न गुमराह करने का सवाल है न किया गया । यह सारा प्रकरण सरकार के विचाराधीन है । इनका 15 हजार से ज्यादा ग्रान्ट बढ़ाने का है और साथ ही साथ जो और सुविधा दूसरे अध्यापकों को दी जा रही है या संस्कृत विद्यालयों को सुविधा दी जा रही है यह सारा प्रकरण सरकार के विचाराधीन है और इसके ऊपर पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार भी हो रहा है इसमें किसी प्रकार के भेदभाव का सवाल नहीं है । लेकिन सवाल यही है कि थोड़ा सा सरकार आगे बढ़ना चाहती हूं, जैसा कि मैं कहूंगा कि आजम खां साहब ने कहा कि माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन में वही प्रक्रिया लागू करने की कोशिश करें जो दूसरी संस्थाओं में होती है, तो उसका विरोध माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन्स की ओर से होता है, इसी को सामने रखकर हमारा और आपका कर्तव्य है । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । ऐसा नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन्स के प्रिंसिपल रहे हैं, संस्कृत और अरबी इन्स्टीट्यूशन्स को एक एक ही खाने और पैराग्राफ में रखा गया है जो सहूलियतें संस्कृत आब्लिक अरबी लिखा गया है । लेकिन जो सहूलियतें सरकार ने दी हैं, उसमें अरबी को छोड़ दिया गया है और संस्कृत को दे दी गई हैं । इसमें संस्कृत आब्लिक करके लिखा गया है । संस्कृत और अरबी के लिए जो जाब्ता तैयार किया गया था उसमें संस्कृत को तो हक दे दिया गया लेकिन अरबी का बाकी है । इसमें धारा 29, 30 या 31 के बारे में कौन क्या कहता है, मैनेजर क्या कहते हैं, इससे मतलब नहीं है । इन अध्यापकों के लिए जो नियमावली बनाई गई है, इसमें आधा काम हो गया है और आधा बाकी है । हमारा कहना है कि इस पर कार्यवाही हो जाय । इसमें 29, 30 या 31 की कोई बात नहीं है । आप तो इसे उलझा रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आजम खां साहब का आभारी हूं कि उन्होंने मार्गदर्शन किया । जो मैं समझ रहा था, वही बात वह भी कह रहे हैं । अरबी संस्थाओं में कार्यान्वयन के समय जो अवरोध हमारे समक्ष रहा है, उसे मैंने आपके सामने रखा । उन अध्यापकों की जो मांगें हैं, जिस तरह से जो संस्कृत विद्यालयों को सहूलियतें दी जा रही हैं उनको कैसे अरबी विद्यालयों पर लागू किया जाय और जो संवैधानिक बातें उठाई गई, उनको दूर करने पर विचार किया जा रहा है । अरबी फारसी मदरसों के मसले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बड़ा ही सेन्सेटिव मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब इस पर बहुत चर्चा हो गई है और आश्वासन दे दिया गया है कि विचार किया जायगा । इसमें एक ही प्वाइन्ट है कि बराबर की सहूलियतें नहीं मिल रही हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस मामले में मंत्री जी को पूरा मसला नहीं मालूम है, उनको चर्चा के लिए समय मिलना चाहिए और हम भी तैयार हो जायं । इसलिए आप इस पर एक घंटे की चर्चा करा दें । यह लगभग 300 विद्यालयों के 5,000 अध्यापकों का मसला है । जैसा कि बाबर साहब ने कहा, कहीं यह एहसास न हो कि संस्कृत अध्यापकों को जो सहूलियत दी जाती है वह अरबी अध्यापकों को नहीं दी जाती, यह एहसास किसी अल्पसंख्यक के मन में नहीं आना चाहिए । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की इजाजत दे दें । उसके लिए कम से कम एक घंटे की चर्चा का समय दे दीजिए । मान्यवर, जब यहां पर प्रदेश के 20-25 लोगों के मामले पर चर्चा हो सकती है तो यह तो 5 हजार लोगों से जुड़ा मामला है । इसमें चर्चा कराने में किसी सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा ।

[समय 4.00 बजे]

श्री उपाध्यक्ष–

सारी बातें तो हो गयी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि प्रकरण विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सरकार ने कहा है कि हम दे रहे हैं लेकिन वास्तविकता क्या है ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 7 अक्तूबर, 1988 को माननीय मंत्री चौहान साहब ने वायदा किया था, मैं अभी उस डेलीगेशन के साथ था। फिर उसके बाद 15 तारीखें पड़ीं, मंत्री जी नहीं मिले । इससे लगता है कि सरकार को सहानुभूति नहीं है । मान्यवर, यह ऐसा वर्ग है जिसे हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पर आए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय आजम साहब आपका नाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बुलवा लिया । अब सब बातें हो गई हैं । आप लोग बैठें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी ही तमाम बातें आ गयीं, उन्होंने मान लिया, अब चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है । अब मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप ही बता दें कि उन्होंने क्या मान लिया हम तो नहीं समझ सके, आप ही बता दें ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आप बता दें कि मंत्री जी ने क्या मान लिया ?

श्री उपाध्यक्ष–

जो आपने कहा । अध्यापकों की तनख्वाह के बारे में, ऐड के बारे में, उन्होंने कहा कि वह सब प्रकरण विचाराधीन है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कोई प्रकरण नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रकरण विचाराधीन है, निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप मंत्री जी की बातों से क्या समझ पाए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है । बाकी सब सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं । मद संख्या–9, माननीय रघुबर दयाल वर्मा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे कार्य स्थगनों का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

ध्यान आकर्षण हो गया पांचों का ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बनारस में जी0 टी0 रोड जाम है, शायद उस पर वक्तव्य स्वीकार हो गया है । मान्यवर, उसे सरकार को रोजाना हजारों रु0 की क्षति हो रही है राजस्व की । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात हुई थी सरकार कोई तत्काल उसमें हस्तक्षेप करने जा रही है शायद ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर वक्तव्य स्वीकार कर दिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सरकार शायद उस पर कोई तत्काल कार्यवाही करने जा रही है, वह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । मैंने कह दिया कि वक्तव्य स्वीकार हो गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात हुई थी । सरकार वहां किसी अधिकारी को भेज रही है, तो उस बारे में सदन में सरकार बता दे ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य स्वीकार कर लिया, अब उस पर चर्चा नहीं हो सकती । शतरुद्र जी आसन ग्रहण करें । इस पर वक्तव्य स्वीकार कर लिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, इनसे पूछ लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नहीं पूछूंगा, वक्तव्य स्वीकार कर लिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपका जो निर्णय है, वह शिरोधार्य है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना

हैं । माननीय सदस्य ने एक चिन्ता व्यक्त की, मेरा कर्तव्य यह हो जाता है, बराबर यह कह रहे हैं, अगर आप आज्ञा दें, तो दो शब्द कह दूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, उनको सुनें तो फिर सब पर सुनें । यह खुद नियमों को तुड़वाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र जी लिखा नहीं जायेगा । मैंने बिना सुने वक्तव्य स्वीकार कर दिया, अब नहीं सुनूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी शुरू करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नहीं रोक रहा हूं । मैं जो निर्णय दे चुका हूं, वह दे चुका हूं । अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

कोई ज्यादती नहीं है, कुछ नहीं लिखा जायेगा । जो शतरुद्र जी बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री नरेन्द्र देव–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा कोई बोले ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं, वह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी कल इस पर स्टेटमेंट देंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं, वह जो कार्यवाही करना चाहेंगे, वह करेंगे । आपकी सूचना के आधार पर उन्हें पूरी जानकारी हो गई है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र जी, आप बैठिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

नहीं मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नहीं बैठना चाहते हैं, तो न बैठें, लेकिन आपके कहने से यह रूल नहीं चलेगा । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आपका कुछ लिखा नहीं जायगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, जो आप कहेंगे, वह नहीं होगा।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप सदन को व्यवस्थित कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब तक यह बैठेंगे नहीं तो कैसे व्यवस्था होगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं बनारस से चुनकर आया हूं । आपको बनारस से नफरत हो तो बता दीजिये। मैं नहीं बोलूंगा या फिर आप कोई व्यवस्था दे दीजिये। आप हमको ही सदन के बाहर कर दीजिये, जिससे मैं सदन छोड़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना आसन ग्रहण करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप मेरी बात मत लिखवाइये, मैं लिखवाने के लिये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इस पर कोई व्यवस्था दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कह दिया कि स्टेटमेंट वह कल दे देंगे। उन्हें जो कार्यवाही करनी है, उससे मैंने उन्हें नहीं रोका है।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा†

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के बजट के बारे में बड़े ही चातुर्यपूर्ण ढंग से शब्दों के जाल में उत्तर प्रदेश को जो बजट दिया है, श्रीमन् उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाकर बेरोजगारी को दूर करने का इनका संकल्प है, इसी संबंध में मैं श्रीमन् निवेदन करूंगा । वर्ष 1978 में जनता पार्टी की हुकूमत ने जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिये सामान्य प्रबन्धक के पद और उससे संबंद्ध पदों के लिये चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों के लिये पदों पर कार्य करने के लिये अर्हतायें नियत की थीं और

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 21 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश शासन ने 31 अक्टूबर, 1978 को एक राजाज्ञा के द्वारा उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक को कुछ पदों पर भरती करने के बारे में लिखा था। उसी के पैरा नं0 4 में था, कि जो उद्योग केन्द्र पर सामान्य प्रबन्धक के पद ग्रहण करेंगे, उनमें विशेष रूप से सरकारी विभाग में अथवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में काम करने का अनुभव 6 साल प्रमुख अर्हता होगी । मान्यवर, हो यह रहा है कि हमारे प्रदेश में 61 जनपद हो गये हैं, और आप देखें कि सामान्य प्रबन्धक, उद्योग केन्द्र के जो हैं, उन 61 जनपदों में केवल 16 पद ऐसे हैं, जिन पर लोग काम कर रहे हैं और 42 पद आज रिक्त हैं। 3 पद ऐसे हैं, जिन पर बाहरी लोग काम कर रहे हैं। श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करूंगा । इन पदों पर 70 पी0 सी0 एस0 कैडर के लोग हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं एक तो इनको उद्योग विभाग में काम करने का मौका नहीं मिला है, दूसरा यह कि जब वह यहां का काम कर लेंगे तो उसके बाद कोई ए0डी0एम0 फाईनेन्स बनना चाहेगा, कोई सिविल सप्लाई बनना चाहेगा और कोई प्रशासन में जाना चाहेगा। इन सब चीजों को देखकर दुख इस बात का है कि इस सरकार के पास प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की इच्छाशक्ति नहीं रह गई है। आज भी जिला औद्योगिक केन्द्रों पर सामान्य प्रबन्धक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन विभागों में जो कार्यरत हैं और अपने कार्य में दक्ष हैं और अर्हतायें पूरी करते हैं, उनकी प्रोन्नति की जाय और इन औद्योगिक केन्द्रों का भार उन्हें सौंपा जाय। इन पी0सी0एस0 अधिकारियों को रखने से औद्योगिक क्षेत्र में कोई क्रान्ति आने वाली नहीं है। इन पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को रखने से हो यह रहा है कि इन औद्योगिक केन्द्रों पर जो वार्षिक व्यय 6 करोड़ रुपए आ रहा है, उसके दुरुपयोग होने की प्रबलता बढ़ती जा रही है, इसी वजह से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग स्थापित करने में कोई विशेष सहूलियत इन औद्योगिक केन्द्रों से विगत वर्ष नहीं मिल पाई है । श्री वीर बहादुर सिंह जी ने उद्योग बन्धु की स्थापना की थी और श्री तिवारी जी ने उद्योग मित्र की स्थापना की है या किसी और की, यह मुझे नहीं मालूम । कहने का मतलब यह है कि 1978 में जो अर्हतायें तय थी और जो उद्योग के कार्यों के लिए दक्ष थे, उनको पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज भी बड़े पैमाने पर जिलों में जगह खाली पड़ी है, यह इनकी प्रगति का द्योतक है। माननीय मुख्य मंत्री जी तो उद्योग के मामले में बड़े चातुर्य माने जाते हैं। तो फिर जो उद्योग केन्द्रों पर सामान्य प्रबन्धक के पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें कैसे भरा जायेगा और प्रदेश का विकास कैसे हो पायेगा। मेरा सुझाव है कि जो वहां कार्य कर रहे हैं और पूरे कार्य में दक्ष हैं, उन्हें प्रोन्नति दी जाय। आई0 ए0 एस0 व पी0 सी0 एस0 के चक्कर में पड़कर दिन प्रति दिन औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ रहा है।

बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि निर्बल वर्ग को आवासीय बनाने का काम दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निर्बल वर्ग को आप 4 हजार रुपए आर्थिक सहायता देते हैं और 2 हजार रुपए का कर्ज देते हैं, लेकिन उसकी लागत आ रही है 12 हजार रुपए 16 हजार रुपए की वह स्वयं व्यवस्था करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 हजार रुपए से 2 हजार रुपए की आमदनी के बीच वाले ऐसे कितने निर्बल वर्ग के लोग हैं, जिन्हें आपने आर्थिक सहायता देकर मकान उपलब्ध कराये हों। आपके

आंकड़ों के मुताबिक जिसकी 4800 रुपए आमदनी है, उसे ही 6 हजार रुपए कर्जा देने की व्यवस्था आपने की है और ग्राम प्रधान भी उसी का चयन करेगा। इन लोगों को जो आप कर्जा दे रहे हैं उसे 4 परसेन्ट के ब्याज पर दे रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आपको यह कर्जा बिना ब्याज के देना चाहिए, तब माना जाता कि आप कुछ क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं। शहर में जिन लोगों की आमदनी 1 हजार से 2 हजार के बीच है, उनके लिए आप कौन सी योजना बना रहे हैं। सही माइने में जो आदमी कंगाल है और उसके पास छप्पर तक नहीं है, उसे आप कौन सी विशेष सुविधा मुहैय्या करवा रहे हैं। मकान देने का आप हमेशा ढिंढोरा पीटते हैं। . . . .

श्रीमन् इतना ही नहीं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां ग्राण्ट को इस्तेमाल करने की बात है, जहां "छूट" का शब्द जुड़ा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। ग्राम सभाओं में चयन करने में जो धांधलियां हो रही हैं और अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें कोई दिग्दर्शन नहीं है।' आपने 5 नये जिलों का सृजन करने की घोषणा की है, 4 बना दिये हैं पांचवों की घोषणा करेंगे, 2 मण्डल बनाये हैं, लेकिन जिला प्लान का क्या होगा ? फिरोजाबाद जिला बनाया, तीन जिले और बनाये, मण्डल बनाये, धन्यवाद लेकिन जिला प्लान को कौन सी धनराशि अवमुक्त की है? धन का अवमुक्त न करना यह सौतेला व्यवहार करना एक घिनौनी राजनीति है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बस दो मिनट और लूंगा, मान्यवर ।

औरैय्या में गैस प्लाण्ट की स्थापना की है, कौन-कौन उद्योग धन्धे पनपाना चाहते हैं। ताज के प्रदूषण के बाद किस इण्डस्ट्री को पनपाना चाहते हैं, जबकि वहां पर 72 कि0 मी0 के एरिया में कोई इण्डस्ट्री नहीं बन सकती । आगरा से हाथरस, मथुरा, धौलपुर और शिकोहाबाद, यहां पर कोई उद्योग धन्धा नहीं लगाया जा सकता। यह प्रश्न चिन्ह है । इलेक्ट्रानिक-इलेक्ट्रानिक का हल्ला तो बहुत है । आपने 85 से 88 तक क्या योजना बनाई है, इसका जिक्र बजट में आना चाहिए । यह प्रारूप बजट में नहीं आया। कौन से कारण हैं ? कौन सी इलेक्ट्रानिक इण्डस्ट्री और कौन-कौन उद्योग लगाये, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कैसे गरीबी दूर होगी? कैसे ऐसे लोग जिनका अभी तक कोई उद्योग धन्धा विश्व विख्यात ताज की वजह से नहीं लग सका, वह कैसे हो पायेगा ? कोई स्पष्ट उल्लेख इस बजट में नहीं है।

यह उत्तर प्रदेश का बजट है, गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने वाला नहीं है बल्कि विषमता को बढ़ाने वाला है। अति निर्बल और निर्बल तथा अमीर के बीच में खाई को पैदा करने वाला है।

इसी के साथ मैं नेता, विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत समीक्षा और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम–

मैं इस वक्त नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

मैं मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने न सिर्फ इस बजट में कोई टैक्स लगाया है बल्कि तमाम तरह से उन्होंने गरीबों को नीचे वर्ग के लोगों को और सभी लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है।

जनाबेवाला, माहरीने बजट ने भी इस बजट की तारीफ की है क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश को ऊंचा उठाने की और तमाम लोगों को मदद देने का हर तरह से इसमें इन्तजाम किया गया है । जनाबेवाला, इस बजट में घाटा दिखाया गया है 1 अरब 57 करोड़ 3 लाख रुपये का इसमें पिछले साल का घाटा भी शामिल है जो कि 99 करोड़ 25 लाख रुपये का था । इस साल का घाटा सिर्फ 57 करोड़ 78 लाख रुपये का है । जनाबेवाला, मैं पूछना चाहती हूं कि जब पिछले साल बजट का घाटा था तो उस घाटे को कम करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गयी ? अगर हर साल इस तरह से घाटा बढ़ता चला जायेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जायेगी कि बजट को कैसे बैलेन्स किया जाय । मैं उम्मीद करती हूं कि किसी न किसी तरह से बजट के घाटे को कम करने की सरकार के जरिये से कोशिश की जायेगी ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो नयी स्कीमें हैं कि जो नयी स्कीमें हैं उनको ज्यादा कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए । जनाबेवाला, मुझे बहुत खुशी है कि तालीम के सिलसिले में सरकार ने सातवीं और आठवीं जमात में फीस को माफ किये जाने का फैसला किया है और लड़कों के वेलफेयर की धनराशि को बढ़ा करके 5 करोड़ रु0 से 10 करोड़ रु0 कर दिया गया है । मुझे इस बात की भी खुशी है कि लड़कियों के चार पालीटेक्निक स्कूल भी खोले जा रहे हैं । मैं उम्मीद करती हूं कि इनमें से लड़कियों का एक पालीटेक्निक स्कूल हरदोई जिले में, सण्डीला में भी खोला जायेगा क्योंकि माननीय शास्त्री जी इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, जब मा0 सुनील शास्त्री जी टेक्निकल एजूकेशन के मंत्री थे तो उन्होंने हमसे यह वायदा किया था कि लड़कियों के लिए एक पालीटेक्निक सेन्टर सण्डीला में खोला जायेगा और इसके लिए इन्तजाम किया जा रहा है ।

जनाबेवाला, लड़कियों की तालीम का प्रतिशत वैसे ही बहुत गिरा हुआ है इसलिए तमाम कोशिश इस बात की की जा रही है कि लड़कियां तालीम सीखने के लिए आगे आयें । तालीम के अलावा अगर सण्डीला में एक पालीटेक्निक सेन्टर खुल जायगा तो उससे उनको बहुत फायदा होगा और उनको इससे रोजगार के जरिये मुहैया हो सकेंगे ।

जनाबेवाला, बुनकरों के लिये सरकार ने बहुत मदद की है और अब तक करती ही आ रही है। इस बजट में भी बुनकरों को काफी मदद देने का वायदा किया गया है। जनता धोती का दाम 13 रु0 से बढ़ा करके 15 रु0 कर दिया गया है। इसके लिये मैं चाहूंगी, जैसा कि अभी उधर के एक मित्र जिक्र कर रहे थे, हमारे सण्डीला में चूंकि बुनकरों की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिये वहां पर बुनकरों की कालोनी को बनाने की बहुत जरूरत है। यह कालोनी का बनाया जाना पहले से ही मंजूर है, मैं चाहती हूं कि इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाय।

हमारे यहां सण्डीला में एक स्पिनिंग मिल है, इसलिये वहां जरूरी है कि एक टैक्सटाइल मिल खोली जाय इससे वहां पर रोजगार के जरिये भी लोगों को मुहैय्या हो सकेंगे और साथ में उसे सूत प्राप्त करने की भी आसानी होगी।

जनाबेवाला, हमारा जिला पिछड़ा हुआ जिला है और वहां पर ज्यादातर गरीबों की आबादी है। इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग-धन्धे खोले जायेंगे, लेकिन उनमें से टैक्सटाइल मिल जरूर खोली जाय।

मुझे खुशी है कि सरकार ने एलान किया है कि हरदोई में एक शुगर मिल खोली जाय। सरकार ने कहा है कि ऐसे आठ सेन्टर खोले जायेंगे जहां पर पिछड़ा इलाका है, वहां का पिछडापन दूर करने के लिये उद्योग धन्धे खोलने जरूरी हैं। मैं चाहती हूं कि हरदोई जिले में इसका एक सेन्टर जरूर खोला जाय क्योंकि हरदोई जिला पिछड़े जिलों में शामिल है।

जनाबेवाला, इण्डस्ट्रीज के मामले में एक बहुत जरूरी सुझाव मैं रखना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाय। सण्डीला में इस वक्त 4 कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट चल रहे हैं मगर मैं अर्ज करना चाहती हूं कि वहां पर जनता कितना परेशान हो रही है कि वह कोल्ड स्टोरेज मालिकान जो हैं, वह इतना ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं, जिसे हरेक के लिए देना आसान नहीं है। आज कल आलू रखने का जमाना है। 7 रु0 बोरी किराये के अलावा मांग रहे हैं और इसके साथ साथ यह भी करते हैं कि अगर किसी ने 100 बोरियां आलू की 700 रु0 पर रखी तो उस रकम का स्टैम्प कर्ज की शक्ल में बनवा लेते हैं। इस परेशानी और तकलीफ का हल जनाबेवाला यही निकल सकता है जबकि वहां पर 58 कोल्ड स्टोरेज सरकारी भी हों। इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसे अवश्य खुलवायेंगे। वहां जमीन की कमी नहीं, ऊसर जमीन बहुत है।

साथ ही जनाबेवाला सरकार का यह एलान् है कि वह 5 ओवर ब्रिज बनवाएगी। इस सिलसिले में भी मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि संडीला में इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही है और हमारे यहां लखनऊ-हरदोई रोड पर ही जो सड़क कस्बे के अन्दर की तरफ जाती है, रेलवे लाइन वहीं पर आकर पड़ती है, जिसकी वजह से एक-एक घंटा वहां पर रेल के निकलने की वजह से ट्राफिक के निकलने में देर लगती है, जहां गाड़ियों की तादाद भी काफी बढ़ गयी है, आधे घन्टे में ही काफी ट्राफिक जमा हो जाता है और खासकर गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए वहां पर ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया है, लेकिन हमारी सरकार ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. अगर उसी वक्त यह ध्यान दे दिया जाता तो उस वक्त बहुत कम कीमत में यह ओवर ब्रिज बन जाता, एक ब्रिज इसी हरदोई-लखनऊ रोड पर अवश्य पहले बना है, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत भी नही थी, वहां पर कोई ऐसा कस्बा नहीं बीच में पड़ता है, हमारे यहां तो कस्बे को जो सड़क मेन रोड से जाती है उसी जगह पर होने की वजह से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि इन 5 ओवर ब्रिज में से एक ब्रिज हमको भी देते हुए हमारे कस्बे में बनाया जायेगा।

साथ ही जनाबेवाला जो आई0अार0डी0पी0 के तहत जो साढ़े छः अरब रु0 जिलों में दिए जाने की बात कही गयी है, जिसमें से 5 करोड़, 80 लाख रु0 गरीबों को राहत

के कामों के जरिये से दिया जायेगा और इस सिलसिले में भी आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूं कि इस स्कीम के तहत जब जिलों में यह लागू की जाए तो किसी भी तरह की कोई पाबंदी न लगाई जाए, जैसे कि पहले भैंस वगैरह खरीदने में लगाई गई थी इससे होता यह है कि वह पैसा गरीब को पूरी तौर पर मिल नहीं पाता है, और सारा पैसा कमीशन व दीगर कामों में खर्च हो जाता है।

दूसरे जनाबेवाला मैं सिंचाई के सिलसिले में भी अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र में करीब 2 ब्लाक्स में सिर्फ दो ही सरकारी ट्यूबवेल लगाए गये हैं, एक तो हमारे संडीला में और दूसरा बहन्दर में, जब गर्वनमेन्ट की इतनी ज्यादा बड़ी स्कीम सिंचाई के सिलसिले की है तो कुछ सरकारी ट्यूबवेल हमारे यहां भी दिए जायं। साथ ही जनाबेवाला मैं यह भी बता दूं कि मुझे अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी लाल बत्ती भी जल रही है, आखिर में एक बात कहकर अपनी बात का खत्म करूंगी वह कि यह सरकार इस बात के लिए बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहक है कि इन्होंने औरतों की उन्नति के लिए एक डिपार्टमेन्ट खोला है, जिसने प्रदेश की औरतों की उन्नति होगी और इस तरह से वह भी और प्रदेश भी आगे की ओर बढ़ेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्नीय उपाध्यक्ष जी, 14 तारीख को जो चुनावी बजट मा0 मुख्य मंत्री जी ने रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं यहां पर कुछ बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चुनावी बजट तो यह है लेकिन बजट भाषण भी चुनावी था 48 पन्नों का भाषण हुआ, को सुनकर एसा लगा कि जैसे चुनाव मीटिंग को सुन रहे हों, लेकिन खैर, प्रश्न यह है (इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुवर दयाल वर्मा पीठासीन हुए) कि जब हम बजट पर चर्चा करते हैं, तो हमारे समाज में आर्थिक व्यवस्था जो है, उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में और प्रदेश में इस समय एक आर्थिक व्यवस्था नहीं चल रही है, बल्कि चार समानान्तर आर्थिक व्यवस्थायें चल रही हैं। श्रीमन्, एक तो तस्करी की आर्थिक व्यवस्था है, दूसरी विकास के कार्यों के लिये सरकार द्वारा जो धन भेजा जाता है, उसमें चोरी और जनता से रिश्वतखोरी की आर्थिक व्यवस्था हमारे समाज में व्याप्त है, तीसरी सरकार द्वारा पोषित घाटे की आर्थिक व्यवस्था है वह चल रही है और चौथी सरकारी बजट के जरिये जो आर्थिक व्यवस्था करते हैं, वह चल रही है।

तो मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में जो यह चार समानान्तर आर्थिक व्यवस्थायें चल रही है, उनकी हैसियत कमोबेश एक सी है। श्रीमन्, हमारे बहुत से सम्मानित सदस्य जानते हैं कि 150 टन सोना प्रति वर्ष तस्करी के जरिये भारत में आता है, विलासिता और इलेक्ट्रानिक्स की वस्तुयें हजारों करोड़ रुपये की आती हैं और वह हमारी अर्थ व्यवस्था को चौपट कर रही हैं। श्रीमन् 150 टन सोना मोटे हिसाब से 3 हजार करोड़ रुपये का होता है और जो दूसरे बिलासिता और इलेक्ट्रानिक्स की चीजें हैं, जो तस्करी के माध्यम से आती हैं, वह हमारी आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रही हैं। हमारी सरकार बजट के जरिये जो काम करना चाहती है, वह तब तक नहीं कर सकेगी जब तक वह जो चार समानान्तर अर्थ व्यवस्थायें चल रही हैं, उनको समाप्त नहीं करेगी। श्रीमन् घाटे की अर्थ व्यवस्था का हिसाब-किताब बड़ा गम्भीर हो रहा है। देश में 83 हजार करोड़ रुपये का उधार देशी और 22 हजार करोड़ रुपये का विदेशी है तथा 14

हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज का देना पड़ रहा हो उसकी हालत क्या होगी। मैं कहना चाहता हूं कि 14 हजार करोड़ रुपये हमारी भारत सरकार का जो केन्द्रीय बजट है, उसका 1/5 हिस्सा होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे समाज में चारों अर्थ व्यवस्थायें चलती रहेंगी, बजट का जो उद्देश्य है वह चौपट हो जायेगा, लेकिन सरकार की तरफ से इन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है, और यह हमारी अर्थ व्यवस्था में घुन की तरह लगा हुआ है। उनको समाप्त करने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है और न समाप्त करने का कोई निर्णय लिया जा रहा है और न ही उन व्यवस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब बातें सरकार क्यों नहीं सोचती है। अगर आप को देश को तरक्की पर ले जाना है, तो घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त करना होगा क्योंकि इसके चलते महंगाई बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह सारी चीजें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

कृषि मंत्री जी बड़ी दुर्गति में हैं, इनका उद्धार करें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

अगर आप जनता की भलाई करना चाहते हैं, तो जो घोषणायें आप करते हैं उनको अमल में अवश्य लायें, भले ही वह चुनावी क्यों न हों, जिससे जनता खुश होकर इनको वोट दे। लेकिन सम्भवत: यह भी होने वाला नहीं है। इन्होंने 8वीं कक्षा तक के लिये साढ़े पांच करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। जो 8वीं कक्षा तक विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा माफ हो, नि:शुल्क हो। श्रीमन् 30 लाख बच्चे हमारे 7वें और 8वें में पढ़ते हैं। 7वें और 8वें दर्जे में लड़कियों की शिक्षा पहले से नि:शुल्क है। 6 तक के बच्चों की फीस पहले से माफ है। केवल 7वें और 8वें दर्जे के लड़कों की फीस माफ होनी है और इसके लिये केवल साढ़े पांच करोड़ का प्राविधान किया है। इस पर आप 5 रुपये प्रति बच्चे का हिसाब लगा लें तो 30 लाख बच्चों के लिये डेढ़ करोड़ रुपया महीना आता है जबकि यह 18 करोड़ होना चाहिए और केवल साढ़े पांच करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह मात्र भुलावा देने की बात है। चुनाव हो जायेंगे, उनके लिये प्राविधान हो या न हो। आंकड़ों का जादूई चमत्कार करके मुख्य मंत्री जी ने हिसाब-किताब लगाकर सब ठीक दिखा दिया है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं।

मान्यवर, आप देखें। आमदनी हमारी नहीं है। 57 करोड़ का घाटा दिखाया है। जब हम नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तब भी हम 100 करोड़ के घाटे में हैं और आप 57 करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं। आमदनी शून्य है। ठीक है कर नहीं लगने चाहिए थे लेकिन जो इन्होंने राजस्व की वसूली और उस पर खर्च बताया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् इन्होंने 6160 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली दिखाई है जिसमें 2009.82 करोड़ रुपये जो केन्द्रीय करों में हमारा अंश है, उससे मिलेगा, 1195.33 करोड़ रुपया भारत सरकार से अनुदान के रूप में मिलेगा, 2209 01 करोड़ रुपया राज्य सरकार का कर राजस्व होगा और 745.84 करेतर राजस्व होगा। इस प्रकार इन्होंने 6160 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब बता दिया। इसी तरह से पूंजीगत लेखे में इन्होंने अनुमान लगाया है कि 3427.96 करोड़ रुपया प्राप्त होंगे जो कि गत वर्ष से 400 करोड़ रुपया अधिक है और 47.07 करोड़

रूपये सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूली से मिलेंगे जबकि पिछले साल इससे 32 करोड़ रुपये ज्यादा थी। पूंजीगत व्यय में इन्होंने खर्च और भी कम कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पूंजीगत लेखों की मदों से कोई भी ऐसे काम नहीं होंगे जो स्थायी रूप के होंगे और इस राजस्व खर्चे में ऐसे कार्य होंगे जो वक्त के आधार पर लुभावने तो होंगे लेकिन वास्तविक विकास समाज का नहीं हो पायेगा। पूंजीगत लेखे में श्रीमन्, 120 करोड़ रुपये की आय और कम हो गई। 600 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी दिखा दी जबकि आय वास्तविक रूप से कम होती है। जो आंकड़ों का जादूई चमत्कार दिखाया है, जो हिसाब-किताब जोड़ घटा कर बिठाया गया है। लोक लेखे का जो एक खाता होता है उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सारी चतुराई उड़ेल दी है। उसमें चालू वर्ष में लोक लेखे की प्राप्ति 391.53 करोड़ रुपया ही है लेकिन इन्होंने 89-90 में 1813.53 करोड़ रुपया दिखा दिया जो असम्भव है। जो लोक लेखा है जिसमें दूसरों का ही पैसा होता है, जनता का या कर्मचारियों का पैसा होता है उसमें बढ़ोत्तरी 1813.53 करोड़ की दिखा दी है। इस प्रकार सारी की सारी चतुराई लोक लेखा खाते में दिखाकर इस बजट को जोड़ घटा कर पूरा कर दिखाने की कोशिश की है। और 6 सौ करोड़ खर्च भी ज्यादा दिखाया है। जो पिछले साल खर्च हुआ वह 9324.38 करोड़ और जो इस साल का है वह 11506.34 करोड़। जो राजस्व प्राप्तियों में इन्होंने 11.3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दिखाई है वह भी वसूल नहीं होने वाली है और पूंजीगत में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई है वह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वसूल नहीं कर सकते हैं। तो इस सब का नतीजा यह निकला कि हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है और जो घाटा है उसमें 83 हजार करोड़ देशी कर्ज का और 24 हजार करोड़ विदेशी कर्ज का है, यह बढ़ता ही जायेगा इससे समाज में भ्रष्टाचार दुगुना हो जायेगा।

हमारे यहां बेरोजगारी का आलम क्या है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस कदर आज बेरोजगारी व्याप्त है, आदमी कितना दुखी है। हमारे प्रदेश में दिसम्बर 87 तक 30 लाख लोग पंजीकृत हैं इनमें से 18 लाख लोग वह हैं जो पढ़े लिखे हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रशिक्षित हैं और आज भी यहा विधान सभा के दरवाजे पर आन्दोलन हो रहा है उन विद्यार्थियों का जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिन पर सरकार लाखों रुपया प्रति वर्ष खर्च करती है पोलीटेक्निक्स में। नये-नये पोलिटेक्निक्स खुल रहे हैं लेकिन उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं (लाल बत्ती होने पर) अभी तो 10 मिनट ही हुये हैं मुझे तो 20 मिनट का समय मिला है।

श्री अधिष्ठाता–

2 मिनट और ले लीजिय।

श्री कौशिक रमाशंकर–

अगर और विषय आपको लेना हो 5 बजे के हिसाब से तो मेरा भाषण जारी कर दीजिये। मेरे को 20 मिनट का समय दें।

श्री नेकचन्द पाण्डेय–

कितने दल हैं वह जरा बता दीजिये।

श्री कौशिक रमाशंकर–

वह लिस्ट विधान सभा में मौजूद है (व्यवधान) तो मैं कह रहा था कि दूसरा विषय लेना है तो मेरा भाषण जारी कर दीजिये कल के लिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी जो आप जारी रखिये 3 मिनट और बोल लीजिये ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि कितने लोग हमारे रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत हैं वह हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लाखों लोग ऐसे होंगे जो वहां पंजीकरण नहीं कराते हैं इनमें पढ़े लिखे भी हैं और बेपढ़े भी । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कोई इच्छा भी पिछले कई वर्षों से दिखाई नहीं पड़ती है कि वह इस बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहती है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं सन् 80 में रोजगार दफ्तरों में जितने लोग पंजीकृत थे उनमें से केवल 2.73 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला और 86–87 में आते-आते यह संख्या 1.67 प्रतिशत हो गयी तो यह 80 के 2.73 प्रतिशत से घटकर 86 में 1.67 प्रतिशत रह गयी है और आज हालत यह है कि यह प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम हो गया है । यानि किसी प्रकार भी सरकार की इस बात में दम नहीं है कि वह हमारे समाज से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या दूर कर दे । सरकार न महंगाई और न बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहती है और न बेरोजगारों को काम ही देना चाहती है क्योंकि इनके वैसे काम ही नहीं हैं । यह भुलावे के लिए भले कह दें कि देहातों में कुटीर उद्योग धन्धों की ज्योति जलायेंगे और गरीबों को कपड़ा और रोटी देंगे एवं उनके झोपड़ों में एक-एक बल्ब जलायेंगे लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, न इससे प्रदेश का विकास ही होगा, न गरीबी ही हटेगी और न महंगाई ही समाप्त होगी । इसलिए सरकार ऐसा काम करे जिससे लोगों को रोजगार मिले । लेकिन इनकी ऐसी नीति नहीं है । मान्यवर, कम्प्यूटर के बारे में उस दिन मुख्य मंत्री जी ने कहा था । हम भी जानत हैं कि कम्प्यूटर, जो विकसित देश हैं, वहां उनकी रोजी और काम को बढ़ान की क्षमता रखते होंगे इसको मैं मान सकता हूं लेकिन हमारे समाज में जहां करोड़ों लोग बेरोजगार हों, पढ़े लिखे बेरोजगार हों, जूनियर इंजीनियर मूंगफली और रिक्शा चलाने के लिये मजबूर हो रहे हों उस समाज में कम्प्यूटर के जरिये समाज का भला नहीं कर सकते हैं और आप हमारे देश और प्रदेश से बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि गजरौला में 30–35 करोड़ रुपए से फैक्टरी लगी है, आटोमोबाइल फैक्टरी 50 करोड़ रुपये की लग रही है लेकिन आप देखें कि 10 करोड़ रुपये की शुगर फैक्टरी जो लगती है उसमें 10–15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलता है लेकिन जानकर ताज्जुब होगा कि 30 करोड़ की फैक्टरी में मात्र 100 आदमी नौकर हैं, 50 करोड़ रुपये की फैक्टरी में मात्र 70 लोग नौकर हैं । यहां माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे जनपद का औद्योगीकरण करें, हमारे क्षेत्र का औद्योगीकरण करें लेकिन सरकार की जब यह नीति है और कम्प्यूटर का हवाला देगी तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहां के विकास के काम में उद्योगपति लगे हैं वह तो और चार कदम

आगे जाकर ऐसी व्यवस्था को लायेंगे जिसमें रोजगार देने की समस्या ही न हो और मजदूर रखे न जा सकें। तो सरकार की नीति, कांग्रेस पार्टी की नीति गांधीवादी नीति से हटकर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आज के हालात में कम्प्यूटर-रोबोट के जरिए हमारे देश और प्रदेश का आप विकास नहीं कर सकते हैं एवं बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, जो काम गरीबी रेखा से ऊपर उठने के चल रहे हैं, हम जानते हैं कि इन योजनाओं में 100 रुपये में से 40 रुपये भी नहीं लगाये जा रहे हैं और अधिक भाग कमीशन में चला जाता है ।

मान्यवर, परिवार नियोजन के संबंध में कहना चाहता हूं कि जब श्री लोकपति त्रिपाठी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय भी यह काम चल रहा था उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश प्रथम आया, कई सालों से प्रथम आ रहा है लेकिन परिवार नियोजन के जरिए कितना पैसा जा रहा है यह भी हम सभी जानते हैं। आप देखें वर्ष 1971 से 73 में जो हमारे यहां प्रति हजार बर्थ रेट था वह 45.2 था जो वर्ष 1976 से 78 में 40.3 हो गया । तो इसको मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में वास्तव में परिवार नियोजन हुआ चूंकि बर्थ रेट प्रति हजार 45.2 से 40.3 पर आ गया था । वर्ष 1981–82--83 में देखें बर्थ रेट 38.9 प्रति हजार था और 1983–84 और 85 में हमारे यहां बच्चे पैदा हुए 38.3 प्रति हजार । जरा सा भी, यानी किसी प्रकार का कोई भी परिवार नियोजन से लाभ नहीं हुआ है । जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके किया जा रहा है, वह सारा का सारा फर्जी साबित होता है, जब हम इस सरकार के इन आंकड़ों को देखते हैं । ऐसा नहीं है कि उसी अवधि में उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या कुछ कम हुई है । मरने वालों की संख्या 81, 82 व 83 में प्रति हजार 15.7 थी, 82, 83 व 84 में 16.2 प्रति हजार और 83, 84 व 85 में 16.5 प्रति हजार हो गयी । इससे स्पष्ट है कि परिवार नियोजन के माध्यम से जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और इस पर सरकार की ओर से कोई अंकुश नहीं है । यह फर्जी आपरेशन रोके नहीं रहे हैं । इन्हीं चन्द बातों के साथ कहना चाहता हूं कि इस बजट से वास्तविक रूप में हम लोग कई साल पिछड़ जायेंगे । जिनका यह ऐसा बजट है, जिसमें न तो पूंजी लेखे का व्यय बढ़ाया गया है, जिससे नई-नई योजनाएं बढ़तीं, न ही इसके जरिये से ऐसा काम होने वाला है, जो हमारे प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाये । . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया है, बैठ जाएं ।

*श्री नेकचन्द्र पान्डेय–

मान्यवर, हमारी सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री ने जो क्रान्तिकारी बजट हमारे प्रदेश की जनता के सामने रखा है, उसके लिए, श्रीमन्, मैं सबसे पहले उनको बधाई देते हुए इस बजट के समर्थन में कुछ बातें यहां रखना चाहता हूं । मान्यवर, बहुत लम्बे समय से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से एक मांग उठा करती थी कि गन्ने का समान मूल्य, पश्चिमी जिलों की तरह पूर्वी जिलों में रखा जाए । आज हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो निर्णय लिया है कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का समान रूप से मूल्य रखा जाएगा, इसके लिए हम उनको बधाई देते हुए और साथ ही साथ कटौती का प्रस्ताव रखने वाले विरोध पक्ष के तमाम नेताओं ने यहां पर अपने जो विचार रखे हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि वह इसलिए आज बौखला रहे हैं कि वह इसी को अपना चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे । उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है । मैं कौशिक जी का भाषण बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही, जिससे प्रतीत होता कि इस बजट में कोई कमी रह गयी है । उन्होंने तो मात्र मुख्य मंत्री को घुमाकर बधाई देते हुये अपनी बात कही है, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि आज जो खेतिहर मजदूर मूक हैं, संगठित नहीं हैं और जिनका . . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब आप अपनी चर्चा कल जारी रखें । अब आपका 8 मिनट का समय रह गया है ।

श्री नेकचन्द पाण्डेय–

धन्यवाद ।

नियम 51 की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 में 11 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । जिसमें से हर्षवर्धन जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 11 व 12 का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

कार्यसूची में अन्तिम, मद संख्या 11 व 12 को माननीय मंत्री जी के निवेदन पर स्थगित किया जाता है । अब मैं गंगा प्रदूषण पर चर्चा आरम्भ करने के लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा ।

कुम्भ मेला 1989 और इसमें जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा †

*श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, कल से हम लोग गंगा प्रदूषण जैसे गम्भीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मंत्री जी ने कुम्भ मेले में 1 करोड़ 52 लाख की संख्या बता दी कि इतने लोगों ने स्नान किया हम लोग यह नहीं जान सकते

[समय 5.00 बजे]

कि, हिन्दुस्तान का कोई वैज्ञानिक तरीका यह नहीं बता सकता था कि गंगा में कितने लोग स्नान करेंगे । मान्यवर, बड़े-बड़े महर्षि कल्पवासी और मुनि इस कुम्भ मेले में आए । सबको मिलाकर करीब 65-70 लाख आदमी नहाए होंगे । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने लोग नहाए हैं उसमें से 1/10 या 1/25 लोग भी संगम का स्नान नहीं कर सके हैं । मान्यवर, कुम्भ का महत्व संगम से जुड़ा हुआ है । सरकार की तरफ से लगातार यह प्रसार-प्रचार किया जाता रहा कि डेढ़ करोड़ के लगभग आदमी

---

† दिनांक 21 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

स्नान करेंगे, और उसी हिसाब से धनराशि की व्यवस्था की गई और उसका दुरुपयोग किया गया, अब जो गया सो हो गया, लेकिन मान्यवर एक कमेटी आप बना दें । जैसी कि सदन की मंशा भी है, तो भविष्य में धनराशि के दुरुपयोग करने पर रोक लग सकती है ।

मान्यवर, कुम्भ मेला है, महा कुम्भ है और माघ मेला तो हर साल होता है, बहुत बांध के नीचे अधिकारीगण अपना टैंट लगा जाते हैं उसमें तमाम विलासिता का सामान रहता है उसको हमारे प्रभारी मंत्री जी ने देखा, तो उन्होंने भी अफसोस किया, बाद में देशी विदेशी जो विलासिता के सामान थे उनको हटाया गया, जो अफसर व्यवस्था करने जाते हैं उनको भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि हमारे कल्पवासी रहते हैं । सारी बड़ी-बड़ी अच्छी जगह इसी तरह से औद्योगिक घरानों को दे दी गई ताकि वह अपना प्रचार-प्रसार कर सके. लेकिन होना यह चाहिए था कि वह जगह ऋषि मुनियों को दी जाती ताकि जो गृहस्थ लोग थे वह उनका सान्निध्य पा सकते । श्रीमन्, बड़े-बड़े ऋषि मुनियों का झूंसी और अरैल तक पांच-छ किलोमीटर की दूरी पर जगह दी गयी जिससे उनका कोई संबंध कल्पवासियों से नहीं हो सका, और वह उनके प्रवचन, आध्यत्मिक विचार और धार्मिक बातों को नहीं सुन सके, न ही उनसे कोई प्रेरणा ले सके और न ही धार्मिक रूप में अपने को ढाल सके । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि बांधे के नीचे किसी भी औद्योगिक घराने को जगह न दी जाए । दूसरी बात तपोवन भूमि के बारे में कहना चाहूंगा । जहां पर लोग धार्मिक भावना से जाते हैं वहा विलासी लोगों ने कुम्भ के मेले को पिकनिक का स्थान बना दिया, तो कुम्भ का मेला कोई पिकनिक का स्थान नही है।

आप इलाहाबाद मेडिकल कालेज के पोस्ट मार्टम के आंकड़े देख लें । प्रत्येक पर्व पर कम से कम 10–20 लाशें निकाली गयीं हैं । इलाहाबाद मेडिकल कालेज के पोस्ट मार्टम विभाग के आंकड़े इस बात को साबित करेंगे कि कितनी लाशों को नदी से निकाल कर उनका पोस्ट मार्टम कराया गया है । इलाहाबाद, रसूलाबाद घाट से शुरू हो जाता है। रसूलाबाद घाट पर लाखों लोग स्नान करने के लिये उस अवसर पर आये थे और हजारों आदमी रोजाना स्नान करते हैं । दारागंज में जो लाशों को जलाने का उपक्रम लगाया गया था वह 2 साल पहले लगाया गया था । लेकिन उसने अपनी क्षमता से काम नहीं किया । किसी टैक्निकल दोष के कारण या मैकेनिकल दोष के कारण उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है । रसूलाबाद घाट जिसको शहीद चन्द्र शेखर आजाद घाट भी कहा जाता है, जहां पर देश के उस बलिदानी की लाश अंग्रेजी शासन में जलायी गयी थी उस घाट पर भी एक शवदाह गृह निर्माण करने की बात तय थी लेकिन लाश जलाने की व्यवस्था अभी तक पूरी नहीं हो सकी है । इलाहाबाद की 70–80 प्रतिशत लाशें वहां पर फूंकी जाती हैं जिससे सारे दिन उस घाट पर बदबू रहती है । प्रदूषण दूर करने के लिये दिये गये फंड से या किसी दूसरे फंड से यदि दोनों घाटों पर लाशों के जलाने का उपक्रम जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाय और उसकी क्षमता बढ़ायी जाय तो बड़ा उपकार हो सकता है तथा गंगा का प्रदूषण भी कम हो जायगा । आपने बताया है कि मेले में बड़ा अच्छा इन्तजाम किया गया था । लेकिन स्थिति यह है कि इलाहाबाद की एक केन्द्रीय मंत्री के परिवार के लोग डूब रहे थे और उनकी एक नौकरानी तथा उनका एक नौकर डूब कर मर गया जबकि सरकार का सबसे ज्यादा इन्तजाम वहीं पर केंद्रित था । उस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुयी है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं उसको आपके पास भेजता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

भेज दीजियेगा ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

इस रिपोर्ट में लिखा है . कुम्भनगर 6 फरवरी, केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी और उनके बेटे अशोक बाजपेयी आज त्रिवेणी के सरस्वती घाट पर डूबते डूबते बचे । पुलिस महानिदेशक के0 एस0 श्रीवास्तव और उनके परिवार वालों के लिये रखी गयी दो नावों को जबरन लेकर जब श्रीमती बाजपेयी के परिवार वाले स्नान के लिये जा रहे थे, घाट से कोई 30 मीटर दूर जाकर नाव पलट गयी । नौसेना के गोताखोरों ने श्रीमती बाजपेयी और उनके परिवार वालों को तो बचा लिया पर दो नौकर शशि और राधेश्याम मर गये ।

एक नौकर शशि को तो मौके पर मौजूद डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि राधेश्याम की मृत्यु इलाहाबाद के सिविल अस्पताल में हुयी । दोनों की लाशें पोस्ट मार्टम के लिये रख ली गयीं हैं । पुलिस सूत्रों के मुताबिक दो नावें पुलिस महानिदेशक के0 एस0 श्रीवास्तव और उनके परिवार वालों के लिये रखी गयीं थीं लेकिन अशोक बाजपेयी जी ने उन्हें जबरदस्ती ले लिया । घाट पर मौजूद पुलिसवालों से उनकी कहासुनी भी हुयी और विशेष तौर पर बनाये गये जल पुलिस थाने के इंचार्ज विनोद कुमार जब तक सरस्वती घाट पहुंचे तब तक नाव उलट चुकी थी । गोताखोरों ने श्रीमती बाजपेयी के साथ सभी खास लोगों को तो पहले निकाल लिया लेकिन राधेश्याम नदी की तलहटी में पड़ा रहा । उसे बाद में निकाला गया । अभी तक पुख्ता तौर पर यह नहीं पता चल पाया है कि राधेश्याम का श्रीमती बाजपेयी के परिवार से क्या रिश्ता था ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, ये समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य संदर्भ के लिये यह पढ़ रहे हैं ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

श्रीमती बाजपेयी का संदेश जब सरस्वती घाट से आया तो वायरलेस रूप में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी । वायरलेस पर चल रहे संदशों के बीच जनसत्ता संवाददाता ने एक संदेश सुना–

> कमांडिंग आफिसर, सरस्वती घाट टु एस0 एस0 पी0, सर बाजपेयी बहुत गुस्सा हैं और एस0 पी0 और डी0 एम0 को फौरन बुला रहे हैं । ओवर फ्राम एस0 एस0 पी0 टु सरस्वती घाट-उनसे कह दो मैं नहीं आ सकता । मैं लाखों लोगों की जान का ख्याल रख रहा हूं । एक वी0 आई0 पी0 का नहीं, ओवर । एस0 एस0 पी0 विभूति नारायन राय वहां नहीं गये । उनसे जब इस बारे में पूछा गया, तो बोले– "अब यह तो मुझे तय करना है कि ला एण्ड आर्डर के लिए क्या जरूरी है ।" श्री राय उस समय जिस तनाव से जूझ रहे थे, वह यह था, उन पर भीड़ जाम हो गयी थी । अखाड़े वाले खूंन खराबा करने पर तुले हुए थे । वायरलेस सेट चीख रहा था । सरस्वती घाट टु एस0 एस0 पी0–सर सारा खेल खराब

हो जायगा । भीड़ हटाने के लिए फोर्स चाहिए । सर, कूच करें । और दूसरी ओर श्रीमती बाजपेयी के सुपुत्र धमकी दे रहे थे "मैं थाने का जला कर राख कर दूंगा ।

*डा0 रजनी कान्त दत्ता–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन में इस अखबार को पढ़ने से पहले क्या आप इसका निरीक्षण कर चुके हैं ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वह संदर्भ के रूप में यह पढ़ रहे हैं । इसकी फोटो स्टेट प्रति मेरा पास आ चुकी है ।

माननीय जवाहर सिंह यादव, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

(व्यवधान)

श्री जवाहर सिंह यादव–

तो मैं यह बता रहा था कि किस तरह से इस कुम्भ मेले के नाम पर सारी अव्यवस्था, सरकारी कर्मचारी व सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे, जैसे कि विलासतापूर्ण कैम्पों का निर्माण, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रभारी मंत्री महोदय स्वयं देख चुके हैं, पूरे जनपद का विकास कार्य कुम्भ के नाम पर इस वर्ष आज तक के लिए रोक दिया गया है, खासकर सार्वजनिक निर्माण विभाग व विद्युत विभाग ने जनपद के ग्रामीण अंचलों में एक पैसे के कार्य नहीं किया है । किसी भी गांव में इस वित्तीय वर्ष में कोई काम नहीं किया है, यद्यपि विद्युत मंत्री महोदय ने मुझसे कहा है कि इस वर्ष का पूरा बजट 31 मार्च, 89 तक गांवों में विद्युतीकरण के काम को पूरा कराने में खर्च किया जायगा तथा पूरा काम इसी वित्तीय वर्ष में गांव के विद्युतीकरण का पूरा हो जायगा । मैं अभी उनकी बातों का विश्वास भी कर रहा हूं, मार्च के बाद पुनः उनसे इस विषय में बात करूंगा । अतः सदन की एक कमेटी बैठा कर कुम्भ मेले में वित्तीय दुरूपयोग व किये गये कार्यों की जांच मौके पर तत्काल करा लें तो भविष्य के लिए यह एक अच्छी बात होगी और मैं चाहता हूं कि कुम्भ के अवसर पर बांध के नीचे कोई औदयोगिक घराने के कैम्प या बड़े लोगों के कैम्प न लगवाये जायं । हमारे साधुओं और महात्माओं के कैम्प व कल्पवासियों के कैम्प की निकटता आवश्यक है, जिससे गृहस्थ जीवन के लोग इन धार्मिक महात्माओं के प्रवचन, धर्म के विषय में उनके व्याख्यान व बातें सुनकर लाभ उठा सकें ।

रसूलाबाद घाट व दारागंज में जो विद्युत दाह गृह बनवाने की बात है, यद्यपि उनमें दारागंज घाट पर बना हुआ विद्युत दाह गृह तैयार हो गया है, परन्तु वह काम नहीं कर रहा है । इसी तरह रसूलाबाद घाट जहां पर देश की आजादी के लिए मरने वाले चन्द्रशेखर आजाद की लाश अंग्रेजों ने जलवाई थी, वहां पर जो विद्युत शवदाह गृह सरकार बनवाना चाहती है, उसे गंगा प्रदूषण दूर करने की धनराशि अथवा अन्य किसी धनराशि से तत्काल बनवाया जाय, क्योंकि वहां शहर की लगभग 70 प्रतिशत लाशें जलाई जाती हैं । ईश्वर की कृपा ही थी कि इस वर्ष मुख्य पर्वों के पहले या पर्वों के दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रयाग में वर्षों आदि नहीं हुई, जिससे कहा जाता है कि निर्विघ्न रूप से यह कुम्भ का मेला समाप्त हो गया है । यदि कहीं मौसम साथ न देता, तो हरद्वार की पुनरावृत्ति प्रयाग में इस साल हो जाती । अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कुम्भ के अवसर पर कोई भी कैम्प बांध के नीचे न लगाया जाय और इसकी जांच कराई जाय, ताकि इस कुम्भ मेले में जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, वह भविष्य में न हो सके और वह भविष्य के लिए मार्ग-दर्शन हो सके ।

(व्यवधान)

श्री रमा कान्त मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, प्रयाग ऐतिहासिक कुम्भ मेला 72 वर्षों के बाद पड़ा और जितने भी कुम्भ पड़ते जा रहे हैं जैसे 54 का है 66, 77 और 89 का है इसमें सरकार लगातार व्यय को बढ़ा रही है और इसके प्रचार में भी बड़े पैमाने पर खर्च हुआ इसीलिए जनता भी आकर्षित होकर करोड़ों की संख्या में आई । जहां प्रदेश सरकार ने विभिन्न में 64, 66 और 77 की तुलना में लगभग दुगना धन दिया गया है उससे काम पूरा हो गया है जो धन की बात कर रहे हैं भाई अनुग्रह नारायण सिंह जी और जवाहर सिंह जी। मान्यवर, दो तीन दुर्घटनाएं हुई हैं तो यह दुर्घटनाएं बड़े आदमियों से संबंधित थी इसलिए वह दबाई नहीं गयी क्योंकि उससे एक दिन पहले एक बुढ़िया उसी जगह मरी थी और उस मामले को दबा दिया गया । जस्टिस के0 सी0 अग्रवाल की नांव भी अमावस्या के दिन सरस्वती घाट पर डूब गयी थी । मान्यवर, वह वी0 आई0 पी0 घाट है और सामान्य दिनों में भी वी0 आई0 पी0 घाट माना जाता है । वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी । 10–20 नांवे तो हमेशा पड़ी रहा करती हैं लेकिन इस वर्ष सिंचाई विभाग और प्रशासन के झगड़े ने कोई व्यवस्था नहीं की । सिंचाई विभाग का बाढ़ प्रखन्ड उसको सदैव देखता था लेकिन इस साल प्रशासन ने उसको अपने हाथों में ले लिया इसलिए दुर्घटनाएं बढ़ी है । मान्यवर, जहां तक विभिन्न विभागों का सवाल है, चाहे सा0 नि0 वि0 हो, जल निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो या विद्युत विभाग हो इन सबने जहां काम अच्छा किया है वहीं पैसा बढ़ा-बढ़ाकर फर्जी मस्टररोल बनाकर भुगतान लेने का प्रयास कर रहे हैं और यह फर्जी मस्टररोल नवम्बर दिसम्बर से दिखा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इसके लिए सरकार सदन की दो तीन माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें और उसमें अधिकारी भी शामिल हो जो इसको देखें । मान्यवर, जहां काम इस समय हो गया है क्योंकि अब मेला उखड़ रहा है, वहां के कामों का वैरीफिकेशन हो जाय, उसके बाद भुगतान हो तो इससे एक-एक करोड़ रुपया हर विभाग में सरकार का बच जायेगा । सरकार का यह पैसा बचेगा तो सरकार के ही काम आयेगा । भाई जवाहर सिंह जी ने बताया कि हमारे जिले में सा0 नि0 वि0, जल निगम और विद्युत विभाग के अधिकारी कुम्भ मेले में व्यस्त होने के कारण जिला योजना का कोई कार्य नहीं किये हैं । काम लगभग सभी तहसीलों में ठप पड़ा है तो इसका कारण यही है कि सारे अधिकारियों को इसमें लगा दिया गया है जिसके कारण एक गांव में भी कोई कार्य नहीं हुआ है । जो लोग कम्भ मेले में कार्य कर रहे हैं वे 13 मार्च तक कुम्भ के ही वाउचर बनायेंगे । मान्यवर, जहां तक ठेकेदारी प्रथा की बात है इनके यहां

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नवम्बर से काम चल रहा है अक्तूबर से दिसम्बर तक कोई पैसा लेने वाला नहीं रहा अब वही पैसा नवम्बर और दिसम्बर का मस्टर रोल बनाकर निकाला जा रहा है। मान्यवर, आप इससे सहमत होंगे कि इस मंहगाई के युग में जिस कर्मचारी को पहली तारीख को पैसा नहीं मिलता है तो वह हड़ताल कर देता है लेकिन कुम्भ मेले में लोग हवा पीकर काम कर रहे हैं इसीलिए 5 महीने पहले का पैसा अब निकाल रहे हैं और फर्जी भुगतान किया जा रहा है अगर यही प्रक्रिया जारी रही तो बजट पर काफी व्यय भार पड़ेगा। अगर आप सरकारी धन को बचाना चाहते हैं तो सदन के 2-3 माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो इसको देखे और सरकारी धन बच सके।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा जो प्रस्तावित विषय पर चर्चा हो रही है मैं समझता हूं कि यह तो कुम्भ विषय है। जो कुम्भ मेला, मेले के नाम से हम लोग कह रहे हैं वह एक तरह से हम लोगों का एक पर्व रहा है। पूरे देश से बल्कि दुनिया के हर हिस्से से कुछ लोग अपना धार्मिक कार्य करने के लिए और कुछ लोग इसको देखने के लिए इलाहाबाद गये थे और बनारस भी आये थे और देश के कोने-कोने से दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, पश्चिमी देश के हिस्सों से, और बनारस में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुम्भ तो प्रयाग में हुआ लेकिन बनारस में भी लौटते समय जाते समय जिसको जैसा अवसर मिला गंगा में स्नान करने के लिए लोगों ने प्रयास किया। और जो पड़ाव था, वह एक बनारस भी था। जहां तक इलाहाबाद जनपद का सवाल है, वहां के बारे में इलाहाबाद से सम्बन्धित मा0 सदस्य अपनी बात कहेंगे, लेकिन वाराणसी को भी सरकार द्वारा इस पूरे के पूरे कुम्भ का एक अंग माना गया और बनारस के लिए भी धन का आवंटन किया गया। वहां की नगरपालिका को 50 लाख का आवंटन किया गया। उसमें हम लोगों को ऐसा लगा कि जितना कार्य होना चाहिए था, नहीं हुआ। हालांकि 50 लाख की धनराशि भी कम थी। दो-एक विषयों पर बनारस में ऐसा लगा कि किया जा सकता था लेकिन नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जो लोग आए, जो लोग कुम्भ में नहाने जा रहे थे,, उनको किसी तरह से भारत नर्सरी, थाना मरवाड़ी में, वे लोग दो बसों में आए थे, उनको वहां टिका दिया गया, लेकिन उनके लिए पीने के पानी के लिए जिलाधिकारी, बनारस से कहा गया तो उन्होंने कहा कि तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस समय नगर प्रमुख के चुनाव नहीं हुए थे, प्रशासक से कहा गया तो उनका जवाब था कि तत्काल टैंकर की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। भारत माता मंदिर में कुछ लोगों को जरूर टिकाने और खिलाने का काम किया गया, लेकिन जितना बड़ा जन समुद्र आया था उसके हिसाब से जो शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं हो पायी। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं हुई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लोगों को पानी नहीं पिला पाए। इसका दूसरा हिस्सा गंगा के प्रदूषण से संबंधित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती हैं । गंगा के प्रदूषण के संबंध में मुझे नहीं मालूम है कि शासन ने कोई सर्वेक्षण कराया है या नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में है कि गंगा का प्रदूषण बनारस से भी संबंधित है । वहां का परीक्षण करा लिया जाय तो वहां पानी की शुद्धता में कमी नहीं आयी है । हालांकि वहां केन्द्र सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ठीक-ठीक तालमेल नहीं बैठा पाई है । जो काशी विश्वविद्यालय में ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा है, उसका रखरखाव कौन करेगा, देखरेख कौन करेगा, यह तय नहीं हो पाया है । दूसरी बात बनारस में गंगा को पवित्र करने के लिए, प्रदूषण का सुधार करने के लिए जो तकनीक अपनायी गयी है, वह तकनीक बिजली पर आधारित रहेगी । बिजली रहेगी बनारस में, तो शोध होता रहेगा, ट्रीटमेंट प्लान्ट चलता रहेगा । लेकिन बिजली नहीं रहेगी तो बनारस में जितने भी सीवर हैं उनके पानी की शोधन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और बड़े पैमाने पर बनारस का गन्दा पानी नदी में गिर जायगा। उस तकनीक पर बनारस के लोगों और वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उस पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है । इसके अलावा मान्यवर, जो समानान्तर सीवर डालने की बात बनारस के नागरिकों की ओर से की गयी थी, उसको बनारस की गलियों से ले जाने में कितनी सफलता मिलेगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाहे काशी विश्वविद्यालय परिसर हो या वाटर कमीशन बोर्ड, इन लोगों से सर्वेक्षण करा लिया जाय गंगा नदी का तो बी0 ओ0 डी0 और सी0 ओ0 डी0 यानी बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड की जितनी जरूरत है, सर्वेक्षण करा लिया जाय, तो पता चल जायेगा कि बनारस में किसी भी तरह से प्रदूषण की मात्रा कम नहीं हुई है । इसमें एक घण्टे का समय है, विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, इस पर बहुत विस्तार से बोला जा सकता है । करोड़ों रुपये जरूर खर्च किये गये, यह कहना चाहता हूं कि गंगा की पवित्रता के लिए, प्रदूषण दूर करने के लिए पिछले चार सालों में क्या नतीजा आया है, इसकी कोई रिपोर्ट, वैज्ञानिक रिपोर्ट सदन में सरकार को रखनी चाहिए। चाहे राजघाट, गदौलिया, अस्सी, प्रहलाद-घाट हो, बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0 पिछले 4 साल में बढ़ा है या घटा है? गंगा का बहाव, धारा, घटा है या बढ़ा है? मेरी निश्चित जानकारी है कि गंगा के बहाव में कमी आयी है। उस कमी का कारण सिंचाई विभाग है या नदी के तल का नहीं खोदना है। पानी का तल ऊपर आ गया है और उसका पेटा इस समय छिछला हो गया है। गंगा की सफाई बगैर गंगा को खोदे उसके तल की सफाई किये, उसके पानी के बहाव को तेज किये, कोई भी कार्यवाही अगर करेंगे, तो पानी तो स्वच्छ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा सीवर व्यवस्था जरूर ठीक हो जायेगी। गंगा में जो आत्म शुद्धि की ताकत है उसको बढ़ाया जाय। गंगा की आत्म शुद्धि की ताकत को बढ़ाने के लिये, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार की कोई योजना सामने नहीं आयी है। ट्रीटमेंट, सीवर और वैकल्पिक सीवर यह जरूर बढ़ रहा है । कुम्भ का यह प्रमुख तीर्थ पर्व रहा है । इस समय बहुत सी बातें हो गयी। इसके लिये खाली सरकार को नहीं जनता को साधुवाद देना चाहिये वहां धार्मिक लोग आये लड़ने वाले लोग नहीं आये। शासन की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी। इतना ही कहकर मैं इस चर्चा में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कुम्भ और गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में चल रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। महाकुम्भ इस शताब्दी का है निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मेला है। इस महाकुम्भ पर देश के हमारे मानीषियों ने हमारे तमाम अध्यात्मिक गुरुओं ने प्रयाग पर आकर पवित्रदायिनी गंगा के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं :–

गंगे तव दर्शनात् मुक्ति को कहि सके प्रयाग प्रभाउ :–

कुम्भ के महान पर्व के अवसर पर गंगा का दर्शन कर लेने मात्र से प्राणी मात्र की मुक्ति होती है। हमारे प्रदेश के माननीय नगर विकास मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य जी, तथा नगर विकास के सचिव कुम्भ मेले के समस्त अधिकारी थे वह सब इस बात के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने कम समय में दुनिया के इतने बड़े विशाल जनसमूह को एक स्थान पर इकट्ठा करके शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को स्नान कराके इतने बड़े महाकुंभ का जो संकल्प लिया था, उसको पूरा किया। इस महान कुंभ पर मैं विशेष तौर से उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके सद्प्रयासों से यह धार्मिक तथा आध्यात्मिक मेला कुशलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। जबकि बी0बी0सी0 लन्दन द्वारा यह ब्राडकास्ट किया था कि इस महाकुंभ पर लाख से सवा लाख के ऊपर लोगों का नरसंहार होगा, जिसमें बड़ी दुर्घटनायें होने की सम्भावना है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

आप सुने थे वह बी0बी0सी0 का समाचार ?

श्री पुरुषोत्तम लाल–

आप मेरी बात सुन लें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

किस तारीख को कितने बजे वह समाचार आया था।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, इतनी बड़ी अफवाह एक षडयंत्र के तहत इस प्रदेश में इस महाकुंभ पर्व पर इलाहाबाद के अन्दर फैलायी गयी जो स्थान आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केन्द्र था। इस दुष्प्रचार से जनता को बचाने के लिये हमारे गृह विभाग के अधिकारियों ने विशेष तौर से पुलिस ने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया। इस शताब्दी के ऐतिहासिक महाकुम्भ पर्व पर उत्तर प्रदेश की जनता उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती है। मान्यवर, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बड़ा संकल्प होता है, वैसे यह संकल्प नहीं, यह तो महायज्ञ है, अगर इस महायज्ञ पर थोड़ी बहुत कार्य में चूक हो जाती है तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय भाई अनुग्रह नारायण सिंह ने जो गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये थे, और कहा कि ठीक ढंग से काम नहीं हुआ है यदि कहीं कुछ भूल हो जाये, तो उसे हमें स्वीकारने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अगर कहीं कोई कमी है तो हम उसे स्वीकारते हैं और वहां की कमियों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। हमारे विपक्ष में बैठे हुये

भाइयों को भी यह स्वीकार करना चाहिये कि जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक इस कुम्भ का महत्व है, उस महत्व को जिस तरह से शासन ने बनाये रखने का प्रयास किया है, उसके प्रति तथा हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी के प्रति तथा हमारे नगर विकास सचिव महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिये । उन अधिकारियों के प्रति भी इन्हें सम्मान प्रकट करना चाहिये, जिन लोगों ने वहां रह कर इस कुम्भ पर्व को इतने शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस महाकुम्भ में कहीं कुछ हेराफेरी हुयी हो, तो हमारे नगर विकास मंत्री जी हैं, जो बहुत वयोवृद्ध हैं, सूझबूझ वाले हैं, दूरदृष्टा हैं, साथ में वैसे हमारे सचिव महोदय भी हैं, अगर कोई ऐसी चीज उनके प्रकाश में आती है, तो हमारे माननीय मंत्री जी उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और विधिवत सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं ।

*श्री मूलचन्द–

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय है, गंगा का प्रदूषण । सामने हमारे पंडित जी बैठे हुये हैं, यह गंगा के महत्व को जानते होंगे कि गंगा कितनी पवित्र नदी है, इसकी पवित्रता को यह चैलेन्ज दे रहे हैं, यह खुद कितना प्रदूषित है, जो अपना प्रदूषण को साफ नहीं किये हैं और गंगा के प्रदूषण में चले गये । मान्यवर, हमको लगता है कि जो गंगा की गरिमा है, जो गंगाजल को लोग मानते थे, वह आज नहीं रहा है । एक वक्त था, जब पं0 जवाहर लाल गंगाजल को विदेशियों को सौगात में दिया करते थे । आज उसी गंगा में इतना प्रदूषण है कि उसका जो अस्तित्व है, वह खोया जा रहा है । यह मंत्री जी गंगा को क्या साफ करेंगे, जो खुद अपना प्रदूषण नहीं साफ कर पाये । जो सीवर वहां बह रहे हैं, उसी को बन्द करा देते, उसमें गंदा पानी न जाता । गंगा के प्रदूषण के सिलसिले में हमारे प्रधानमंत्री बनारस में गये थे और मैंने पेपर में देखा कि 9 नदियों का पानी, नौ कुंवारी कन्या लेकर गयीं और काशी में उस पानी को छोड़ दीं, जिससे गंगा पवित्र हो गयीं और कई लाख का हिसाब दिखा दिया गया । गंगा हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की, हिन्दुओं के हिन्दुत्व की, हिन्दू सभ्यता की माता कही जानी चाहिये, लेकिन उसे आप साफ नहीं कर सकते । विदेशियों ने इसकी प्रशंसा किया है, वह तो इसकी प्रसंशा करेंगे ही ।

यह तीर्थराज प्रयाग जो इसकी गरिमा है, यह कुम्भ के आपके नहाने की व्यवस्था से लोग यहां नहीं आये हैं, यह तो एक परम्परा है, आप व्यवस्था करते या न करते, लोग वहां अवश्य आते । लेकिन सवाल इस बात का है कि जो इतना खर्च हुआ है, वह किस बात का है ? आपने वहां 10 हजार पुलिस की व्यवस्था की, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि एक हरिजन था, जो वहां नौकरी करने के लिये मजदूरी करने के लिए गया हुआ था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां लोगों ने उसे पीट-पीट कर मार डाला । मारने के बाद उसे शंकराचार्य जी के मण्डप के पीछे फेंक दिया । पुलिस ने उसे लावारिस करार कर स्वरूप रानी अस्पताल भेज दिया । अखबारों में जब वह निकला तो उसके परिवार के लोग वहां गए लाश को प्राप्त करने के लिए । 22 वर्ष का वह नौजवान था, आज तक उसके मासूम बच्चों व परिवार जनों को आपने कोई मुआवजा नहीं दिया । कभी आप कहते हैं कि हमने व्यवस्था बनाए रखने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च किए, कभी कहते हो कि 50 करोड़ और कभी कहते हो कि 80 करोड़ रुपए खर्च किए । परन्तु गरीब बेचारे के परिवार जनों को आपने कोई मुआवजा नहीं दिया । मैं चाहता हूं कि उसके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाय और जो लोग इस काम को किए हैं, उन्हें उचित दण्ड दिया जाय । इसे व्यवस्था कहते हैं । हमारे भाई श्री गोपाल दास यादव जी ने बताया कि सीवर आकर उसमें मिल रही है । जो यह प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि गंगा प्रदूषित है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस गंगा के दर्शन करने से आदमी पवित्र हो जाता है, वह कैसे प्रदूषित हो सकती है । पंडित कमला पति त्रिपाठी जी रोजाना काशी विश्वनाथ से पानी मंगाकर पीते थे और उसी से स्नान करते थे । यदि वह प्रदूषित होती तो वह उसे कैसे पीते और कैसे उससे स्नान करते । सभ्यता को यह क्या जानें । यदि इसकी पवित्रता को जानना है तो पंडित कमला पति त्रिपाठी व बड़े-बड़े महात्माओं से आप इसको जानें । उनसे पूंछें कि क्या गंगा प्रदूषित हो सकती है । पहले माननीय मंत्री जी आप खुद साफ हो जाइए फिर गंगा के प्रदूषण की बात आप कहें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती रजनीकान्त दत्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी स्वयं में प्रमाण है कि जो लोग कुम्भ क्षेत्र से होकर आए हैं, उन्होंने बताया कि जहां-जहां पर कल्पवासियों के तम्बू लगे हुए थे, या अपने स्थान आरक्षित किए थे, वहां पर मिनटों में जल की व्यवस्था व पानी की व्यवस्था की गई है । लोगों का कहना था कि पूरा मेला क्षेत्र में एक मच्छर व एक भी मक्खी नहीं देखी गई । 3600 वर्ग एकड़ से ऊपर स्थल में, जहां करोड़ों की तादाद में लोग आए और जहां पर सभी शंकराचार्य विद्यमान थे, सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार की व्यवस्था की मुक्त कण्ठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की । मैं बताना चाहता हूं कि कुम्भ का पर्व 6 फरवरी को समाप्त हुआ । मैं परसों नरसों अपने एक मित्र के यहां गया । उसने एक शीशी से गंगा जल निकाल कर मुझे दिया और कहा कि यह कुम्भ पर्व पर संगम का गंगा जल है, इसे आप ग्रहण कर लें । एक बार मन में थोड़ा सा व्यवधान सा आया लेकिन जब मैंने उस शीशी को देखा तो न कहीं कोई झाला था न कोई ससपेण्ड पार्टी-किल्स थे, न कोई बदबू थी । मैं बताना चाहूंगा कि प्रदूषित पानी को अगर इतने दिनों तक रखा जायगा तो निश्चित रूप से बदबू आने लगेगी और पानी पीने के योग्य नहीं रह जायगा । लोगों का कहना है कि श्री द्विवेदी, जो मेला इन्चार्ज थे, उन्होंने इतना अच्छा प्रबन्ध किया कि अब अगर कहीं भी ऐसा मेला हो तो उन्हीं को प्रबन्ध दिया जाना चाहिए । इस व्यवस्था को देखने के लिए कि इतना बड़ा मेला इतने शान्तिपूर्ण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ढंग से सम्पन्न हुआ, जबकि विदेशी ताकतें प्रचार कर रही थीं कि 6 फरवरी को भीषण नरसंहार होगा आतंकवादी प्रवेश कर चुके हैं । माननीय देवहरवा बाबा ने भी प्रवचन किया कि किसी भी क्षेत्र में गंगा, यमुना में स्नान किया जाय तो वहीं पुन्य होगा जो संगम में स्नान करने से होगा । कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि यह कहीं भी सुनने में नहीं आया कि भूले-भटके लोग अपने परिवारों से न मिले हों । इसके अलावा सड़े-गले खाद्य पदार्थों से जो बीमारियां फैलती हैं, कोई भी बीमारी या एपीडेमिक नहीं फैली । मैं तो कहता हूं कि हो सकता है माननीय विपक्ष के जो मूर्धन्य और बुद्धिमान साथी हैं, उन्होंने किसी दूसरी ही दृष्टि से मेले को देखा हो लेकिन इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि इतने भारी हुजूम के एकत्रित होने के बाद भी जिस शान्तिमय और स्वास्थ्यमय और जिन तरह से मेले का कार्य पूरा हुआ है उससे उत्तर प्रदेश सरकार और नगर विकास को जितनी प्रशंसा की जाय कम है ।

जब गंगा प्रदूषण की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि हिमालय के पर्वत साफ्ट राक्स के हैं । वृक्षों की कटाई से हिमालय की राक्स का जो क्षरण हो रहा है, उससे गंगा छिछली होती जा रही है । अगर चम्बल तथा और नदियों का पानी उसमें न आ जाय तो गंगा से तो इतना पानी निकाल दिया जाता है कि बनारस और पटना में 25 प्रतिशत 30 प्रतिशत पानी ही पहुंच पाता है । किसी भी समस्या के निरूपण के पूर्व उसके आधारभूत कारण क्या हैं, यह जानने की आवश्यकता है । अगर तपेदिक का बुखार है और मलेरिया की दवा दी जाय तो नोवेलजीन से बुखार उतर जरूर जायगा लेकिन उस रोग का निदान नहीं होगा । इसी के साथ मेले की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि उनकी जितनी प्रशस्ति की जाय, कम है ।

चर्चा के समय बढ़ाये जाने की मांग (स्वीकृत)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के काफी सदस्य इसमें रुचि रखते हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, कम से कम 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो मुझे चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, 6.30 बजे तक समय बढ़ाया जाता है ।

कुम्भ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण विचारण योजना के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

(श्री गोपाल दास यादव के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 गोपाल दास जी, आज आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कल आप बोल चुके हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

नहीं, मान्यवर, मैं आज भी बोलना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 54 में यह है कि जो सदस्य सूचना देंगे वह दुबारा बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, विधायक, इलाहाबाद ने जो सूचना इलाहाबाद गंगा प्रदूषण और मेला व्यवस्था पर दी है और उस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा है, मैं इसके लिए उनको बधाई दूंगा और साथ ही साथ मा0 गोपाल दास यादव को भी जिन्होंने प्रदूषण जैसे अहम् मसले को लेकर प्रयाग माघ मेला में अनशन किया था ।

मान्यवर, यह सरकार जिस तरह से सभी समस्याओं से आज अपने को जोड़ नहीं पा रही है और दिनोंदिन इस प्रदेश की हालत खस्ता करती जा रही है, उसी तरह से यह गंगा प्रदूषण का भी मामला है । सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया है जिस गम्भीरता से इसको लिया जाना चाहिए था । मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पूर्व पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, जब अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि संगम को धारा में लाने की वजह से वहां स्नान वर्जित रहेगा तो वहां पर स्नान की रोक लगाने के कारण, वहां मालवीय जी तो धरना पर बैठे और जवाहर लाल जी ने आदेशों की अवहेलना करके, वे गंगा में कूद गए थे और उन्होंने संगम में स्नान किया था जिससे कि आज सभी तीर्थ यात्री संगम का लाभ उठा रहे हैं और गंगा में स्नान कर पा रहे हैं ।

मान्यवर, सरकार ने कुम्भ मेला का ऐसा प्रचार किया रेडियों और दूरदर्शन के जरिए से और पहले से ही कह दिया कि यहां पर डेढ़ करोड़ आदमी आयेगा । मान्यवर, केवल मेला को सफलता यह नहीं है कि वहां पर कोई घटना नहीं घटी, इस बात से किसी मेला की सफलता नहीं आकी जा सकती है । मान्यवर, कुम्भ मेला देश में चार स्थानों पर होता है–नासिक, उज्जैन, हरिद्वार तथा प्रयाग । प्रयाग में संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का और इसीलिए संगम में नहाने का महत्व है ।

मान्यवर, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जमुना जी से लेकर गंगा जी तक लोगों को स्नान करवाया गया । मुश्किल से चार-पांच लाख लोग संगम पर स्नान कर पाए होंगे जिसका कि ये बखान करते हैं कि बड़ी भारी भीड़ ने संगम पर स्नान किया । इन्होंने तमाम श्रद्धालाओं को संगम पर स्नान करने वंचित कर दिया और वे संगम में स्नान नहीं कर पाए । और कहते हैं कि विदेशी पत्रकारों ने अपने पत्र में लिखा है । अरे, विदेशी पत्रकार को क्या मालूम कि संगम क्या है ? और गंगा, जमुना और सरस्वती क्या है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन मान्यवर, क्या आप प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का भी उल्लेख करेंगे मंत्री जी कि जिन्होंने भर्त्सना की है और कहा था कि "सरकार ने घोर पाप किया है जो लोगों को संगम में नहाने नहीं दिया गया है ।" इसी संगम के बारे में आपके प्रधान मंत्री ने ऐलान किया था कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त कर दिया गया है । जबकि असलियत यह है कि बसंतपंचमी के दिन संगम पर लाश पड़ी हुई थी जहां के लिए उनका कहना है कि 50 लाख लोगों ने वहां पर स्नान किया । इसके संबंध में नार्दन इण्डिया पत्रिका में फोटो भी छपा था जिसे कि सभी लोगों ने देखा है ।

सरकार कहती है कि वहां पर हमने नाले बन्द कर दिए हैं जबकि 20 नाले अभी भी वहां पर गिर रहे हैं । एक का तो चैनल दो बार फट गया जिसका पानी अभी भी गंगा में धारा के पास बांधा गया है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इनसे फोटोग्राफ्स को भेजना भी चाहूंगा कि जिसे देखकर यह आसानी से पता चल जाता है आज भी उसमें कितना प्रदूषण नालों के माध्यम से गिर रहा है । मान्यवर, इनकी करनी और कथनी में भी बहुत अंतर है । जब मान्यवर, यह प्रदूषण रोक नहीं सकते थे, तो इसका दावा क्यों किया ? इन्होंने सिर्फ स्नान के दिन नालों को बगैर चैनल लगाए नालों के पानी को शहर से लगभग 4 किलोमी0 दूरी पर जाकर गिराया, जिसका परिणाम यह निकला कि कई मुहल्लों में वह पानी जाकर भरा और वहां जाकर काफी गंदगी और भयावह बीमारी का कारण बना । दूसरे मान्यवर, अभी हमारे डा0 रजनी कान्त दत्त जी बोल रहे थे, उन्होंने कह दिया है कि हमने गंगा के पानी को शीशी में भरकर देखा है, जिसमें कोई गन्दगी नहीं थी, मान्यवर, यह तो डाक्टर हैं, इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने उस पानी का बकायदा विश्लेषण किया था या नहीं यदि हां तो कितने बाय्योड वैक्टीरियाज व झाला आदि उस पानी में थे ? मान्यवर, आज भी गंगा के पानी का प्रदूषण दूर नहीं हुआ है, यह जरूर है कि इनका दावा सही नहीं है, अगर यह इस दावे को सही सिद्ध करना चाहते हैं तो इन्हें इसी सदन के मा0 सदस्यों की एक कमेटी बना देनी चाहिए जो पूरे प्रकरण की जांच करे और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, इस सरकार ने केवल आफिसर्स के लिये व बड़े-बड़े लोगों के लिए कुछ इन्तजाम स्नान के लिए किया था, अगर इन्होंने कोई इन्तजाम वहां पर गरीबों के लिए किया था जैसा कि यह कह रहे हैं तो उसको बतायें कि इन्होंने कितने वहां गरीबों के लिए टेंट लगवाये, कितने शौचालय बनवाए और कितने घाटों पर गरीबों के स्नान के लिए कोई इन्तजाम किया था तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए इन्तजाम किया था । न मालूम कितना आदमी वहां पर खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था इस भरे जाड़े के अन्दर और कहते हैं कि विदेशियों ने इनकी प्रशंसा की, विदेशियों की प्रशंसा तो यह चाहते ही हैं पता उस वक्त चल सकता है, जब यह निष्पक्ष जाच करा लें और यह भी कहा गया कि करोड़ों रु0 की दवा बांटी गयी, जिससे कहीं पर कोई संक्रामक रोग नहीं फैले, मान्यवर, यह सारे दावे इनके सही नहीं हैं। मान्यवर, माननीय स्वरूप कुमारी जी को इस चर्चा से कोई मतलब नहीं है, इनसे आप कह दीजिए कि यह अपने कक्ष में जाकर अपना दफ्तर लगावें, इनसे गंगा मां

की गंदगी और प्रदूषण से और उसकी पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने यहां की गोमती को अपवित्र कर रखा है। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही विदेशियों से कराना चाहती है और माननीय मंत्री जी ने पता नहीं कहां से 1700 लोगों से मुलाकात कर प्रशंसा अपनी प्राप्त कर ली, हमको तो जितने लोग मिले सब ने यही कहा कि वहा का इन्तजाम अच्छा नहीं था।

मान्यवर यह कुम्भ मेला पहली बार तो यहां हुआ नहीं है। यह प्राचीनतम मेलों में से एक मेला है, इसमें हमारे पूर्वज भी आया करते थे. हर्ष वर्धन जी के बारे में भी इतिहास में अंकित है, जो हर 12 वर्ष के बाद यहां आया करते थे और जो कुछ उनके पास वहा पर होता था, वह सबके सब दान कर जाया करते थे। तो उस समय तो वहां पर कोई लूटपाट हुई नहीं, गरीब लोगों के साथ अन्याय हुए नहीं कि उन्हें संगम पर नहाने न दिया गया हो, या आग लगी हो, या किसी के साथ बलात्कार किया गया हो, ऐसा मान्यवर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। मान्यवर यह अपनी पीठ स्वंय अपने आप थपथपाना चाहते हैं यह तो यह देखते नहीं कि इन्होंने झूंसी से झगमाया तक किसी को नहाने नहीं दिया, ऐसा करके कितने पाप का काम किया है, जिसे आप सोच नहीं सकते है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर मामले में जिसे मा0 अनुग्रह नारायण सिंह व माननीय गोपाल दास यादव जी ने उठाया है इसको केवल आकड़े देकर समाप्त न करें।

अगर आप साफ सुथरे हैं और कुम्भ में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो जो रुपया कुम्भ के मेले पर खर्च किया गया है, उसका हिसाब और उसकी जानकारी देने में आपको क्या दिक्कत है, इसमें क्या हर्ज है कि आप उसका हिसाब दे दें। मैं चाहती हूं कि आप एक कमेटी बना दें, जिसमें इधर के कुछ माननीय सदस्य हों, कुछ उधर के माननीय सदस्य हों, सचिव नगर विकास जो बागला साहेब हैं, उनको रख लीजिये एक आध इन्जीनियर रख लें और आपको भी रख लिया जाये, आप उसकी जांच करवा लें, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम आपको शाबासी देंगे। इस समय अम्मार रिजवी साहेब सदन से गायब हैं, उन्होंने कल कहा था कि बात करेंगे और एलान करायेंगे, और आज वह सदन में हैं नहीं। मैं चाहूंगा कि उनको बुलवा लिया जाये, क्योंकि यह किसी सदस्य का व्यक्तिगत मामला नही है। जो पैसा खर्च किया गया है, वह जनता से टैक्स के रूप में एकत्र किया गया है, उसको हिसाब लेने का अधिकार है, यह सदन सर्वोपरि है। आप उनको बुलवा लें। आज गंगा मैली है, यह मैल कब तक दूर होगा? इस मैल को आप कब तक दूर करायेंगे। यह भी इनसे बतलाने की कृपा करें?

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, खगोल शास्त्रियों से तथा और ज्योतिषियों के अनुसार प्रयागराज में जो महाकुम्भ हुआ उसके विषय में उनका कहना है कि 6 फरवरी मौनी अमावस्या महाकुम्भ और जिन राशियों में और जिन लग्नों में पड़ रहा है, वह 144 वर्षों के बाद पड रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि मौनी अमावस्या सोमवार को जिन लग्न और राशियों में यह पड़ा है वह भी 72 वर्ष के बाद पड़ा है और कुम्भ तो हर

12 वर्ष के बाद होता ही है । हमारे देश के ही नहीं सारे संसार से लोग कम्भ मेले में आये और कुम्भ मेला सकुशल समाप्त हुआ । बहुत लोगों के मन में असंतोष पैदा हो गया है कि हम नहीं पहुंच पाये और वहां पर स्नान नहीं कर सके । कुछ लोगों के मन में संतोष हो सकता है कि जितनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई । कुछ लोगों के मन में शंका पैदा हो सकती है कि संगम स्नान करने को नहीं मिला, गंगा स्नान करने को मिला, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर श्रद्धा से स्नान हो जाये. तो चाहे गंगा हो और चाहे संगम हो, उसमें कोई फर्क नहीं । अगर विपक्ष उस असन्तोष को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो असंतोष व्यक्त किया गया है, तो वह कम नहीं होगा। मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं, जिन्होंने 6 फरवरी को तो नहीं बल्कि उससे पहले 4 फरवरी को और बाद में 20 फरवरी को संगम में स्नान किया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितनी अच्छी व्यवस्था कुम्भ मेले में हो सकती थी, उतनी अच्छी व्यवस्था वहां पर की गयी। इससे ज्यादा और कोई व्यवस्था करना सम्भव नहीं था।

कहा गया कि यात्रियों को बस द्वारा 8-8 और 10-10 किलोमीटर पैदल चलाया गया यदि वहां पर सवारियों का आवागमन बराबर बना रहता है, इक्के और बसें आती जाती रहती हैं, तो उन श्रद्धालु लोग सिर पर गठरी लादे हुये वृद्ध माता पिता को लिये हुये बच्चों को गोद में लिये संगम में स्नान के लिये पैदल चल रहे थे, अगर यह सारी व्यवस्था न की गयी होती तो उनका वहां पर पहुंचना कठिन हो जाता। जो व्यवस्था की गयी थी, वह अच्छी व्यवस्था थी कि एक पुल से जायें और दूसरे पुल से वापस आये, अब कोई अगर ऐसे मौके पर पहुंच जाय जब कि सवारियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था तो निश्चित रूप से उसको दूर से घूम फिर कर आना पड़ेगा। इसलिये मैं कह सकता हूं कि आने-जाने की व्यवस्था में कहीं कोई कठिनाई नहीं थी। यात्री लोग बड़ी सुगमता से संगम में स्नान करने के लिये पहुंच सकते थे।

[समय 6.00 बजे सायं]

इसके अतिरिक्त मान्यवर, यह आरोप लगाना कि वहां पर डेढ़ करोड़ आदमी नहीं आये, यह बात सही बात नहीं थी । उसका प्रमाण है । मान्यवर, 4 तारीख तक संगम क्षेत्र में 60-70 लाख आदमी पहुंच चुका था। उसके बाद इलाहाबाद में जिस तरह से यात्रियों का आना शुरू हुआ है उसके अनुसार 25-30 हजार प्रति घंटे के हिसाब से वहां पर आदमी आया है सब लोग हैरान थे कि कैसे इतने लोग वहां पर आ गये। 4 तारीख को यह कल्पना नहीं थी कि प्रयाग राज में कुम्भ में डेढ़ करोड़ लोग आयेगें। 4 तारीख से लोगों का जो तांता बंधा वह बंधा ही रहा और स्नान करने लोग वहां पर गये ।

मान्यवर, मैं मेले के सम्बन्ध में अब शासन के सामने दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमने जो यह प्रथा बनायी है कि जितने धार्मिक संस्थान हैं मंडलेश्वर हैं और दूसरे इस तरह के लोग हैं उनके कैम्प लगाये जाते हैं और उसकी एक सूची बनाई जाती है और अगले वर्षों के कुम्भ में 5 साल में या 12 साल में जो पड़ता है, उन्हें उस सूची के हिसाब से स्थान आवंटित किया जाता है। मैं आपसे यह

निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाय। इसका परिणाम यह होता है कि बहां पर ये बड़ी-बड़ी धार्मिक संस्थाएं जमीन पर कब्जा कर लेती हैं और दूसरे लोगों को स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिये प्रायोरिटी के आधार पर इन लोगों को जमीन आवंटित की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ धार्मिक संस्थाओं को इतनी सुविधाएं आपने दे रखी हैं जिनकी सीमा नहीं है। इस प्रकार की सुविधाएं देकर व्यय करने का माध्यम बनाया है। शासन को चाहिये कि जो आवश्यक चीजें हैं जैसे बिजली है, पानी है, वह दे दी जायं लेकिन उनके लिये कुर्सियों की तख्त की और मंच बनाने की व्यवस्था की जाय, यह शासन का काम नहीं है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि भविष्य में मेले के संबंध में आप जो व्यवस्था करें वह इस प्रकार करें कि जिससे साधारण आदमी को भी अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। जिससे वह शासन का कृतज्ञ रहेगा। इसमें भूले भटके लोगों की संख्या भी अधिक थी। स्थान-स्थान पर लोग इकट्ठा थे। किसी भी धार्मिक संस्था या शासन की तरफ से यह व्यवस्था नहीं थी कि इन भूले-भटकों को पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था हो सके। शासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसे लोगों की व्यवस्था हो सके और भूले-भटकों लोगों को भी कुछ न कुछ सुविधा मिल सके और जब तक उनके परिवारजन न आ जायं उनको भोजन की सुविधा मिल जाय।

प्रदूषण के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यगणों को राजीव गांधी जी का कृतज्ञ होना चाहिए और यह इसलिये कि सब लोग इससे पहले प्रदूषण को मानते थे लेकिन जिस रूप में गंगा जी का प्रदूषण हो रहा था वह सिर्फ नाक भौं सिकोड़ने तक ही सीमित था और उस दिशा में कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं थे। यह माननीय राजीव गांधी का ही प्रयास है जिन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया और गंगा के प्रदूषण को रोकने पर बल दिया गया। परिणामस्वरूप अब अनेकों संस्थायें इसे रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस कार्यक्रम को तीव्रता से आगे बढ़ायें जिससे अच्छे परिणाम निकल सकें।

श्री बदल सिंह–

माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अनुग्रह नारायण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गंगा प्रदूषण को आज यहां पर चर्चा का विषय बना कर उस पर चर्चा कराई। यह गंगा नदी जो भारत वर्ष के तीन प्रमुख राज्यों से होकर बहती है यह 25 सौ किमी0 लम्बी है। इसके किनारे 27 बड़े-बड़े शहर आते हैं और 612 कस्बे पड़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गंदगी ने इसे अपवित्र कर दिया है जो नदी स्वयं दूसरे की गंदगी को इसमें गिर जाने से पवित्र करने की क्षमता रखती थी वह आज स्वयं इतनी गंदी कर दी गयी है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 2 अरब 90 करोड़ घन मीटर गंदगी इसमें डाली जाती है और 3 सौ टन लाशों की राख और 15 सौ टन अधजली लाशें डाली जाती हैं और इनके अलावा न जाने कितने ही साधुओं और शिशुओं की लाशें इसमें बहाई जाती हैं और गंगा को गंदा कर दिया जाता है। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने 24 जुलाई 85 को लोक सभा के अंदर घोषणा की थी कि 5 वर्षों की प्रस्तावित

धनराशि में से हम 260 करोड़ रु0 गंगा को शुद्ध करने पर खर्च करेंगे लेकिन उसे घटा कर पहले 80 करोड़ कर दिया और फिर आगे चल कर 30 करोड़ कर दिया और उसे वित्तीय वर्ष में घटा कर 10 करोड़ रहने दिया। तो इस तरह से तो प्रदूषण दूर होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व भर में सबसे ज्यादा गंदी नदी इंग्लैण्ड की टैम्स नदी थी लेकिन वहां के नागरिकों और वैज्ञानिकों ने उसे साफ कर दिया । इसी तरह से जर्मनी की राइन नदी में तैरना आत्म हत्या के बराबर समझा जाता था लेकिन उसे भी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा इंग्लैण्ड, फ्रांस, नीदरलैण्ड आदि देशों ने चंदा कर उसे साफ कर दिया।

हमारी गंगा नदी हालांकि मैं इलाहाबाद या बनारस का रहने वाला नहीं हूं और न ही गंगा नदी के तट पर बसे किसी क्षेत्र का रहने वाला हूं लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत वर्ष का कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है जो गंगा को न जानता हो । हमारे बृजवासी मरने वाले के मुंह में गंगा जल की बूंद इस आशय से डालते हैं कि वह अमर हो जाय । आप जानते हैं कि शिवरात्रि के अवसर पर बड़े-बड़े कांवर ले जाते हैं जिसमें गंगा जल होता है और जिसे वह शिव जी पर चढ़ाते हैं। उस गंगा जल को आज प्रदूषित कर दिया गया है और यह सरकार भारतवासियों की भावनाओं पर इस प्रकार कुठाराघात कर रही है और दुःख पहुंचा रही है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वेदों में साफ कहा है कि गंगा को या दूसरी नदियों को पवित्र करने के लिए उनके किनारे दूध धार वाले पेड़ जैसे बरगद, गूलर, पीपल पाकड़ आदि वृक्ष लगाये जायें और कछुवे छोड़े जायें तो उससे गंदगी दूर हो जाती है। आज स्थिति यह है कि यहां नहाने से आदमियों को विभिन्न प्रकार के रोग ही नहीं हो रहे हैं बल्कि अनेक विकार हो रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बदन सिंह–

यही नहीं भूगर्भ जल जो कि 33 प्रतिशत रहता है वह भी गंगा के प्रदूषित जल के अवशोषित होने पर खारी व खराब हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अनुग्रह नारायण सिंह जी को बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को विधान सभा में लाकर चर्चा कराई।

*श्री भोला सिंह–

अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इलाहाबाद में कुम्भ का मेला संसार भर में सबसे बड़ा मेला होता है। जैसा आप सब जानते हैं कि यह कुम्भ मेला आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। देश में जो भी शासन रहा होगा उसने इसका बन्दोबस्त किया। इतिहास में कोई ऐसा रिकार्ड नहीं मिलता है कि इस तरह की कोई बदअमनी यहां हुई हो या लूटमार हुई हो जिस तरह की इस समय हुई है। 80 करोड़ रुपये आपने तीन महीने में खर्च करवाया है, यह शासन की कमजोरी और बदइन्तजामी है जो इस तरह की

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

वहां लूटपाट की गयी। हमारी सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने स्टील एथारिटी से स्टील खरीदा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1954, 1967 1977 और 1989 के कुम्भ मेले में जितने पीपे खरीदे गये उनका रेकार्ड होगा और जितनी चादरें खरीदी गयीं। 1954 के बाद उसक रेकार्ड मंत्री जी बतायें। जितनी चीजें पहले खरीदी गयीं थी वह क्या हुई, उसका हिसाब दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले की चीजों पर पेंट करके दुबारा वहां रख दी जाती हैं और बताया जाता है कि इतने करोड़ रुपये का सामान खरीदा है । आप गंगा पर आस्था रखते हैं, सभी रखते हैं, क्या आपको जानकारी नहीं है कि वहां पर प्रदूषण की क्या हालत है? प्रदूषण के संबंध में कहा जा रहा है कि सभी नाले हमने बंद कर दिये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मौके पर आप देखें तो असलियत पता चलेगी कि सभी गलतबयानी करते हैं। इसने इनको छुपाने की क्या जरूरत है। सारे नालों का गंदा पानी गंगा में बह रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो पैसा एलाट किया गया वह सीवर की व्यवस्था में क्यों नहीं लगाया गया वहां सीवर हैं ही नहीं तो गंदा पानी कहां बहेगा। इसलिये वहां सीवर की व्यवस्था की जाये जिससे प्रदूषण दूर होगा।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 में जितना पैसा इस वर्ष दिया है और जो पहले चादरें पीपे खरीदने हेतु दिया गया था उस सब का हिसाब दिया जाय और जैसा श्री रेवती रमण सिंह जी ने कहा है तो इसकी जांच के लिये एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाये जिससे भविष्य में ऐसी खराब स्थिति वहां पैदा न हो। इससे जो अधिकारी गलतबयानी करते हैं और गलत पैसा खर्च करते हैं उन पर अंकुश लग सकेगा ।

(व्यवधान)

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर, हमें भी बोलने का मौका दें जिससे इनकी शिकायत दूर कर सकें ।

श्री भोला सिंह–

1954 से आज तक जो पैसा दिया गया और जो सामान आया उसका हिसाब बताया जाये चूंकि यह देश की जनता का पैसा है हमारा और आपका पैसा नहीं है । इसीलिए इसकी जांच करायें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय जैसा कि मैंने कल इस चर्चा को शुरू करते समय कहा था कि भारतीय जन जीवन में अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का विशेष महत्व है । अध्यात्मिक दृष्टिकोण से जहां इसको मोक्षदायनी और पापनाशिनी कहा जाता है वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हो चुका है कि गंगा का जल में एक तरह से रासायनिक भी है जो सारी गंदगी को स्वंय दूर करता रहता है और तमाम तरह से नहाने या पीने वाले को लाभ पहुंचता है । गंगा-यमुना का संगम इस देश का एक अद्भुत संयोग है । जिस प्रकार भारतीय मानचित्र में पर्वतराज हिमालय का स्थान है, उसी प्रकार हमारी प्राचीन धार्मिक और सनातन परम्परा में संगम का स्थान है । इस संगम के किनारे लगने वाले कुम्भ को एक विशेष महत्व है और इस विशेष महत्व के चलते हजारों वर्ष से इस

संगम के किनारे तमाम आस्थाओं और विश्वासों के लोग अपनी-अपनी भावनाओं को लेकर यहां इकट्ठा होते आ रहे हैं । हालांकि इसका अति प्राचीन कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है । किन्तु आधुनिक इतिहास में यह तो स्पष्ट ही है कि महराज हर्ष-वर्धन के समय इसका प्रचार और महत्व बहुत अधिक था और वह स्वंय उसमें भाग लेते थे । तो महराज हर्षवर्धन के समय से जब कि चीनी इतिहासकार ह्वानसांग भारत भ्रमण पर आया था और उसने इस मेले का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है । उससे गंगा के प्रति लोगों के विश्वास, अध्यात्मिकता और उनकी दार्शनिकता पर प्रकाश पड़ता है । उनके अध्यात्मिक चिन्तन का पता चलता है । इसको ध्यान में रखकर देखें कि आज उसकी शुद्धता किस प्रकार खराब हो रही है । बदन सिंह जी ने विस्तार से बताया है, लेकिन गंगा की महता को देखते हुए और गंगा से इस देश के लोगों की जुड़ी हुई आस्था को देखते हुए जो गंगा प्रदूषण निवारण योजना तैयार की गई है, वह सारी की सारी अन्य योजनाओं की ही तरह विफल रही है और इसकी विफलता का श्रेय किसको है । प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने यह योजना बनाई है । 'आप कहते हैं कि इसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए । तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इससे उसी प्रकार कृतज्ञ हैं जैसे हम और भारत देश के लोग बोफोर्स तोप, जर्मन पनडुब्बी और वेस्टलैण्ड हेली-काप्टर आदि काण्डों को लेकर कृतज्ञ हैं । ठीक है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए... (व्यवधान) इस प्रकार से गंगोत्री से लेकर सुन्दरवन तक जो 2525 किलोमीटर गंगा है । इनके किनारे बसे हुए लोगों .. (व्यवधान) इसके किनारे-किनारे 136 उद्योग लगे हुए हैं और इसके लिए 292 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना है । लेकिन इन 136 उद्योगों में से केवल मात्र आज तक 12 ने अपने यहां ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाए हैं, बाकी का, गंदा और रासायनिक पानी गंगा में गिर रहा है और हमारी यह कुशल सरकार जो युवा नेता के नेतृत्व में चल रही है, आजतक उस पर नियन्त्रण नहीं कर पायी है । हालांकि जब तक बहुत से बोर्डस आदि गठित किये गये हैं ।

गंगा प्राधिकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि में गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में अभी यूनाइटेड नेशंस पापुलेशन फण्ड की ओर से 29 मई, 1988 की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो यहां छपी है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । इसमें कहा गया है –"गंगा दुनिया" की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, पवित्र और प्रदूषित नदी है । 2525 किलोमीटर लम्बा रास्ता तय करने वाली इस नदी का 6 सौ किलोमीटर का हिस्सा एक दम जहरीला है और शहरी निस्तारण का गंदा पानी पूरी नदी को विशाल गटर में बदलने लगा है । गंगा प्रदूषण निवारण योजना की, जहां तक हमको याद है 15 फरवरी, 1985 की प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी । वाराणसी में गंगा नदी के किनारे उनका विशाल मंच लगा हुआ था और उसे पार खड़ी जनता से उन्होंने कहा-"गंगा" की सेवा भारत की सेवा है, और यह हम लोगों का महान कर्त्तव्य है कि हम गंगा को शुद्ध करें । आज जो स्थिति है, आज तक कानपुर में लगने वाला ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं बन पाया, वाराणसी में भी नहीं बन पाया और ऋषिकेश और हरिद्वार में जो लगा हुआ भी था, उसमें भी इनकी भारी कमीशन बाजी के कारण खराबी आई और वह सफल नहीं हो

पाया । यह योजना दो चरणों की और अधूरी थी, उसमें भी तमाम दोष हैं । हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इलाहाबाद में जो गंगा प्रदूषण योजना चल रही है, 1986 में प्रधान मंत्री जी हालैण्ड की रानी को लेकर, जिसके ऐसे से यह योजना चल रही है, इलाहाबाद भी आए थे वहीं घोषणा की थी कि आगामी 1989 कुम्भ के पहले गंगा को प्रदूषण से मुक्त कर दें । मैं गंगा प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी तो जो गंगा में विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, गंगा के महामाल में विश्वास रखते हैं उन्होंने उसका स्वागत किया । मान्यवर, इलाहाबाद में, मौनी अमावस्या को तो मैं नहीं देख पाया, जो 6 फरवरी को थी, लेकिन मान्यवर.

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

संक्षेप में ही कह रहा हूं किला घाट पर 5 तारीख तक मोरी घाट से पानी छोड़ा जाता रहा । मान्यवर, जो योजना थी उसके अंतर्गत 8 करोड़ का ट्रीटमेन्ट प्लांन बनना था । नैनी जमुना के उस पार उसको इसीलिए नहीं बनाया जा सका कि दो टेण्डर इसमें हुए थे । इसमें जो सबसे लोएस्ट टेण्डर था उससे वह डेढ़ करोड़ ज्यादा का टेन्डर स्वीकार किया गया । जो टेण्डर स्वीकार किया गया उसकी विपक्षी दूसरी पार्टी कोर्ट चली गई और वहां से स्टे ले आई । मान्यवर, इसी तरह कानपुर में एक करोड़ का वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान बनने में अंतर था जो कमीशन की वजह से बन नहीं पाया :–

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कहें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यही हालत बनारस के ट्रीटमेंट प्लान की हुई । कमीशन और घपले की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लान नहीं बन पाया । आपकी अधूरी योजना दोषपूर्ण भी हो गई ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, सीवेज पम्प के बारे में कहना चाहूंगा जितनी इनकी क्षमता नहीं थी उससे ज्यादा पानी इन्होंने पम्प करना शुरू कर दिया । मान्यवर, इससे सीवर का गंदा पानी वापस लौट कर आलोपीबाग, दारागंज, कीटगंज, बैरहना और सोहबतिया बाग आदि क्षेत्रों में भरने लगा जल प्लावन साइन क्षेत्रों में हो गया । चारों ओर इलाहाबाद शहर में नारकीय स्थिति हो गई तो दिन में नाला बन्द रहता था और रात में यह खोलकर गंगा में गंदा पानी मिला दिया जाता था ।

चर्चा का समय पुनः बढ़ाये जाने की सदन को सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आपको कितना समय लगेगा ?

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

10 मिनट लगेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन का समय 10 मिनट और बढाया जाता है ।

कुम्भ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के सम्बन्ध में नियम 52 के अंतर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जब सब पम्पिंग स्टेशन ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से शहर और नैनी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई वह पानी मोहल्लों में भरने लगा । मान्यवर, जैसा कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने बताया कि नैनी की ओर के पार जमुना का पानी पम्प करते ही वहां भी बाढ़ सी आ गई-महबा, डांडी, अरैल, गंजिया में फसल नष्ट हो गई, गांव डूब गये ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर इन्होंने दूर-दृष्टि से काम नहीं लिया इन्होंने पानी निकालने के लिए बाई पास चैनल बनाने की कोशिश की जब बाईपास चैनल बना तो वह भी बर्स्ट हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मंत्री जी बार-बार उठ रहे हैं यह जल्दी बोलना चाहते हैं । मान्यवर जो बाईपास चैनल बनाया गया था अधिक पानी के कारण वह बस्ट कर गया इसी तरह से सलोरी नाले को जब टैप करने की कोशिश की गई तो वह भी बर्स्ट हो गया । इनको ठीक करने के लिए जल निगम ने इमरजेंसी के तौर पर लाखों रुपया खर्च किया, जिसमें धन का भयंकर दुरुपयोग हुआ ।

मान्यवर, सुलभ शौचालय बनाने की जो योजना थी, सुलभ शौचालय के लिए सामुदायिक शौचालय तथा अल्प लागत के शौचालय बनाए गये । मान्यवर, सामूहिक शौचालय तीन करोड़ रुपये सुलभ इंटरनेशनल संस्था को दिए गये थे । यह बिहार में ब्लैक लिस्टेड संस्था है । सारा धन डकार गयी । अल्प शौचालयों की दयनीय दशा है । सामुदायिक शौचालयों की हालत भी खराब है । गंदगी नालों से गंगा में जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यहां कोई आग नहीं लगी है हम सब सुनने सुनाने को बैठे हैं । मान्यवर, इस पर कायदे से चर्चा हो जाने दीजिए ताकि जो दोष निकलें उनका सुधार हो जाय बाकी तो कुछ आशा नहीं है ।

श्री अधिष्ठता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

सुलभ इंटरनेशनल नामक संस्था को साढ़े तीन करोड़ रुपया सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए दिया गया लेकिन उस सारे पैसों का दुरुप्रयोग हुआ है । वहां पर जो सामुदायिक शौचालय पाइप लाइन थी वह बर्स्ट हो गयी । यह सुलभ इंटरनेशनल नाम की संस्था बिहार की ब्लेक लिस्टेड संस्था है जिसको सुलभ शौचालय बनाने का ठेका दिया गया था ।

(माननीय मंत्री जी को पुकारा गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा अनुरोध है कि आप समाप्त करें । मैंने मंत्री जी को बोलने के लिए आहूत कर लिया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मेले के विषय में मेरा कहना है कि वहां पर डेढ़ करोड़ लोगों ने स्नान नहीं किया है । यह खुशी की बात है कि एक छोड़कर कोई दुर्घटना नहीं हुयी । लोग डर रहे थे कि 1954 की घटना की पुनरावृत्ति न हो लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ । इसे पुलिस विभाग की निष्ठुर कुशलता कहना अतिशयोक्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठता–

आप विराजें । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप विराजें मैंने मंत्री जी को आहूत कर लिया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, कुम्भ मेले पर 79 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । अगर आप हमें बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हमें कल कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दें क्योंकि कुम्भ मेले के स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, प्रशासन तमाम आंकड़े हम लोगों के पास हैं । हम बतायेंगे कि किस तरह से वहां पर धन का दुरुपयोग हुआ है । यह कुम्भ क्षेत्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है और जहां मेला था वह भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आता है ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद भी बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठता–

आप विराजें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

वहां पर कुम्भ मेले में कुल जोड़कर गांठकर लगभग 68 लाख लोगों ने स्नान किया है। मैं आंकड़े दे सकता हूं । 4, 5 फरवरी को 1 लाख प्रति घण्टा यात्री आये । इस प्रकार 48 लाख 23 फरवरी को 20 हजार प्रति घण्टा आये इसमें 9 लाख 10 लाख कल्पवासी अधिकारी, सन्यासी थे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें । मंत्री जी को बोलना है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, समय के अभाव का बहाना लेकर सारे भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, साढ़े 6 बजे तक समय है। समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

समय 10 मिनट और बढ़ाया गया है ।

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर यहां पर कुम्भ मेले के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई उसमें इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों जिन्होंने चर्चा में भाग लिया उनको मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की और कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना की तथा सुझाव दिये लेकिन मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पर्व के दिनों में मैं इलाहाबाद नहीं गया, मैं कुम्भ स्नान में शामिल नहीं हुआ लेकिन व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कई बार इलाहाबाद गया हूं। एक बार मेला कमेटी की बैठक हुई उसमें गया । उसमें माननीय अनुग्रह नारायण सिंह, माननीय गोपाल दास जी तथा अन्य लोग भी उपस्थित थे और उन्होंने खासतौर से दिलचस्पी ली। अनुग्रह नारायण जी की चिंता थी कि गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है और वहां जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। मान्यवर, मेले की जो व्यवस्था हुई, मैंने पिछले कुम्भ मेले को भी देखा है उनकी व्यवस्था भी देखी है और इस बार जो व्यवस्था हमारे अधिकारियों ने कुम्भ की है, वह व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था थी और और किसी भी यात्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । आने-जाने में जो आपस में मुठभेंड़ होती थी, वह मुठभेंड़ नहीं हुई, एक तरफा, वन-वे ट्रैफिक रही और लोग आसानी से गंगा के तट पर जाकर स्नान किये हैं ।

(श्री गोपाल दास यादव के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

मान्यवर, हमने पौने दो करोड़ यात्रियों के स्नान की व्यवस्था दी थी, लेकिन डेढ़ करोड़ लोगों ने जो मुख्य पर्व का दिन था, उस दिन स्नान किये और कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो कि उल्लेखनीय हो । लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटी सी दुर्घटना हुई, हमारे अशोक बाजपेयी जी की नाव पलट गयी, उसमें दुर्भाग्यवश दो व्यक्ति डूबकर मर गये और शेष लोग बच गये । इस तरह से उस घटना के अतिरिक्त कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसका यहां पर उल्लेख दिया जाय । तो मैं इस अवसर पर वहां के अधिकारियों को, जिन विभागों ने इस कुम्भ मेले की व्यवस्था की है, उन समस्त विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार को उन लांछनों से बचाया है । अगर कोई दुर्घटना होती, तो वह लांछन हमारे ऊपर आता । हमारे अधिकारियों ने बड़े उमंग से कुम्भ मेले की व्यवस्था की ।

(व्यवधान)

इस कुम्भ मेल की व्यवस्था में पुलिस विभाग तथा सेना का पूरा सहयोग रहा । पी0 डब्लू0 डी0 ने 9 पंटून ब्रिज बनाये, जिससे आने-जाने की जो व्यवस्था की गयी, वह बहुत अच्छी थी । हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से जितने लोग इस कुम्भ स्नान में आये, उन सभी लोगों ने इस कुम्भ मेले की व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । इस महा कुम्भ की व्यवस्था जो लोग कर रहे थे, उनको मैं पुनः बधाई देता हूं । अब मैं माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की शिकायत पर आता हूं । वर्ष 1985 के माह फरवरी में माननीय प्रधान मंत्री जी इलाहाबाद आये थे और इलाहाबाद आकर उन्होंने यह घोषणा की थी कि-गंगा भारत की प्रतीक है, हमारी पौराणिक कथाओं व कविताओं का श्रोत है तथा लाखों लोगों की पोषक है । आज यह हमारी सर्वाधिक दूषित नदियों में से है, हम गंगा की पवित्रता को फिर से कायम करेंगे । मान्यवर, उसके तुरन्त बाद जून, 1985 में भारत सरकार के इस कार्यक्रम के संचालन हेतु गंगा परियोजना निदेशालय की स्थापना की । सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावि-धान किया गया है । मान्यवर, गंगा कार्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य गंगा के प्रदूषण में कम से कम 75 प्रतिशत की कमी करना है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ये पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

वह कोट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य–

इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में 6 नगर लिये गये, उनमें से (1) हरिद्वार-ऋषिकेश (2) फर्रुखाबाद–फतेहगढ़ (3) कानपुर (4) इलाहाबाद (5) मिर्जापुर (6) वाराणसी । इस प्रकार से ये 6 जनपद लिये गये । मान्यवर, सबसे अधिक काम इस समय इलाहाबाद में हुआ और उसका कारण यह है कि 144 वर्ष बाद यह महाकुम्भ हुआ उसकी व्यवस्था करनी थी, उसमें इलाहाबाद की सड़कों का निर्माण किया गया, उसमें इलाहाबाद में पीने के पानी की व्यवस्था की गयी उसको मैं बाद में कहूंगा कि पानी की क्या व्यवस्था की गयी । मान्यवर, इलाहाबाद कुम्भ के पहले संगम पर 84.5 प्रतिशत प्रदूषण कम करने का लक्ष्य था ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, समय का ध्यान रखें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

लेकिन हमने 86.8 प्रतिशत की पूर्ति की । अब आप हल्ला करें और सुनें नहीं तो मेरा कोई दोष नहीं है। इलाहाबाद शहर में गंगा नदी में 6 तथा यमुना नदी में 7 मुख्य नाले गिरते थे उनको बन्द किया गया । गंगा नदी के ऊपर 12–13 किलोमीटर पर स्थित दो नालों रसूलाबाद नाला और तिलियारगंज नाला एवं

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, समय का ध्यान रखें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

लेकिन हमने 86.8 प्रतिशत की पूर्ति की । अब आप हल्ला करें और सुनें नहीं तो मेरा कोई दोष नहीं है। इलाहाबाद शहर में गंगा नदी में 6 तथा यमुना नदी में 7 मुख्य नाले गिरते थे उनको बन्द किया गया । गंगा नदी के ऊपर 12–13 किलोमीटर पर स्थित दो नालों रसूलाबाद नाला और तिलियारगंज नाला एवं

गंगा नदी के नीचे 4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित मवैय्या नाले को छोड़कर सभी नाले बन्द किये जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 112 एम0 एल0 डी0 गन्दे एवं सीवर के पानी में से लगभग 100 एम0 एल0 डी0 गन्दे पानी को रोका जा चुका है । रसूलाबाद नाला व तिलियारगंज नाला को बन्द करने का लक्ष्य द्वितीय चरण में रखा गया है । अब जो योजना बनेगी वह द्वितीय चरण होगी । अब मान्यवर एक बात और कहना चाहता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिये । गंगा प्रदूषण कार्य मुख्यतः 1987–88 से प्रारम्भ हुआ । इलाहाबाद में 19.5 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गयीं जिसमें से अब तक 12 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है । उपरोक्त कार्यों के फलस्वरुप गंगा नदी के जल में बी0 ओ0 डी0 8.9 से घटकर 8.4 रह गयी है । आई0 एस0 आई0 मापदण्डों के अनुसार यदि बी0 ओ0 डी0 2 से कम होता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह जांच किसने करायी है।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

मान्यवर, तभी वह जल पीने के काम में लाया जा सकता है। योजना के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट नालों के बन्द करने के बाद बनाया जाना था । इस बीच में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन ले लिया गया अब उसमें करीब-करीब 2 साल का विलम्ब हो गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हम लोगों की बात सुन लीजिए ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जब तक हाईकोर्ट से इजाजत नहीं मिलती तब तक यह नहीं होगा लेकिन हमारा अनुमान है कि 92 तक दूसरा ट्रीटमेन्ट प्लांट लग जायेगा और जो माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी की शिकायत है वह दूर हो जायेगी । जल निगम ने बड़े महत्वपूर्ण काम किये हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अब इनसे कहिये कि प्रधान मंत्री को धन्यवाद दें और खत्म करें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

मान्यवर, मुझे मौका मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं । मैं समय लेने के पक्ष में नहीं हूं। मान्यवर, अब देखें कि कितने नलकूप बनाये गये हैं, उसका ब्यौरा देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 मंत्री जी, अब समय समाप्त हो गया ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

मान्यवर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं विवरण बता दूं ।

श्री अधिष्ठाता–

समय समाप्त हो गया ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

मान्यवर, कुछ समय और बढ़ा दें तो अपनी बात कह दूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप समय बढ़ा देंगे तो हम लोग भी बोलेंगे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ मा0 सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और पुनः जो मेले में व्यवस्था की गयी, वहां लगे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
22 फरवरी, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0सं0 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

जनपद बांदा की बीस सूत्री कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की सूची

1---जिले के प्रभारी मंत्री जी	अध्यक्ष
2---श्री रामेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (इ), बांदा।	उपाध्यक्ष
3---जनपद के केन्द्रीय राज्य सरकार के मंत्रीगण अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य
4---जिले के समस्त संसद सदस्य	,,
5---जिले के समस्त विधान सभा सदस्य	,,
6---जिले के समस्त विधान परिषद् सदस्य	,,
7---अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस कमेटी (इ)	,,
8---जिला अध्यक्ष, उ0 प्र0 राष्ट्रीय छात्र संगठन	,,
9---जिला संयोजक, उ0 प्र0 राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर कांग्रेस	,,
10---जिला अध्यक्ष, भारत सेवक समाज	,,
11---जिला अध्यक्ष, युवक/महिला मंगल दल	,,
12---जिला अध्यक्ष, कांग्रेस सेवादल	,,
13---जिलाधिकारी	,,
14---श्रीमती सैय्यद फातिमा बेगम द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी (इ), बांदा	,,
15---श्री विजय पाल सिंह	,,
16---श्री माता दीप शर्मा, काशी मेडिकल स्टोर, महेश्वरी देवी रोड, बांदा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी।	,,
17---श्री सांवले प्रसाद, बबेरू, जिला बांदा	,,
18---श्री भगवत प्रसाद कुरील, मु0 व पो0 नरैनी, जिला बांदा (अनु0जाति/	,,
19---श्री राम प्रताप वर्मा, एडवोकेट, बबेरू, जिला बांदा जनजाति के	,,
20---श्री मैया दीन, ग्राम व पो0 मवईघार, जिला बांदा प्रतिनिधि)	,,
21---सारजेण्ट दयाराम चन्द्रवंशी, निवासी मु0 शंकर बाजार, पुरानी करवी, जिला बांदा।	भूतपूर्व सैनिक ,,
22---श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, पुत्र मातादीन शर्मा, प्रवक्ता, अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा, जिला बांदा	प्रशिक्षक, कांग्रेस कैडर बिल्डिंग ,,
23---श्री शिव प्रताप सिंह, अध्यक्ष, उ0 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0, बी0-77, निराला नगर, लखनऊ	,,
24---श्री गया प्रसाद सिंह, कैप्टन बद्री प्रसाद इण्टर कालेज, मिलाथू जिला बांदा	,,
25---श्री शिव नरेश मिश्रा, भूतपूर्व विधायक, राजापुर, जिला बांदा।	,,
26---श्री इन्द्रपाल पथिक, ग्राम बरुआ सेबड़ा, पो0 नरैनी, जिला बांदा।	,,
27---श्री आलोक द्विवेदी, एडवोकेट, सिविल लाइन्स, करवी, जिला बांदा।	,,
28---श्री बृजभाल सिंह, महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, ग्राम व पो0 मानिकपुर, जिला बांदा।	,,
29---श्री रणजीत सिंह चन्द्रौल, ग्राम व पो0 बछरन, जिला बांदा	,,
30---डा0 सुन्दर लाल सिंह, संयोजक, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, रामनगर निवासी ग्राम व पोस्ट नादिन, जिला बांदा।	,,
31---श्री देशराज सिंह, भूतपूर्व विधायक, बबेरू क्षेत्र, जिला बांदा	,,
32---जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/मुख्य विकास अधिकारी।	,,

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0सं0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

बस्ती जनपद विकास खण्ड रुधौली, सांथा एवं खेसरहा में 1 अप्रैल 1985 से 15 नवम्बर 1988 तक एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का विवरण।

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	एल0टी0 लाइन द्वारा ग्राम विद्युतीकरण की तिथि	हरिजन बस्ती विद्युतीकरण की तिथि
1	2	3	4
ब्लाक–"रुधौली"			
1	अमघटी	6.10.86	6.10.86
2	गोल्हौरा	6.10.86	6.10.86
3	छितौनी	6.12.86	6.12.86
4	पचरी खुर्द	6.12.86	6.12.86
5	बहादुर पुर	7.12.86	7.12.86
6	कबरा	7.12.86	7.12.86
7	भरौली	4.1.87	4.1.87
8	घुमची	25.1.87	25.1.87
9	अनदेवरी	12.4.87	2.4.87
10	डडवा कोदई जोत	27.8.87	27.8.87
11	पकड़ी सोयम	9.7.87	19.7.87
12	तिघरा	20.9.87	20.9.87
13	एकड़ शवाँ	17.1.88	17.1.88
14	कठोलवा	31.3.87	31.3.87
15	सेमरहना	12.4.87	12.4.87
16	महरादेवरी	31.3.87	31.3.87
ब्लाक–"सांथा"			
1	पिपरा अव्वल	6.11.85	6.11.85
2	सांडा	5.11.85	5.11.85
3	गुनाखोर	6.11.85	6.11.85
4	जंगल दशहर	6.10.86	6.10.86
5	झंडिया	7.3.87	7.3.87
6	रैंधरपुर	5.3.87	5.3.87
7	महदेवा	6.3.87	6.3.87
8	अमराहा	6.3.87	6.3.87
9	अमथरी	31.3.87	31.3.87
10	केचुआखोर	27.3.88	27.3.88
12	रमवापुर	31.3.86	31.3.86
12	पनवरिया	31.3.86	31.3.86
13	लेडवा श्रीपाल	31.3.86	31.3.86

ब्लाक- "खेसरहा"

1	करजहर	..	..	29.11.86	29.11.86
2	गौरीराथी	..	..	29.11.86	29.11.86
3	टीकुर	..	..	10.7.87	10.7.87
4	वस्था	..	..	28.2.87	28.2.87
5	कलनाखौर	..	..	27.2.87	27.2.87
6	सिकरी	..	..	26.2.87	26.2.87
7	सौरहा	..	..	31.3.87	31.3.87
8	मेदुआपुर	..	..	27.2.87	27.2.87

(रा0 प्र0 कक्कड़)

संयुक्त सचिव।

सत्यमेव जयते

अनुबंध 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

सूची–1

वर्ष 1987–88 में राजकीय एवं विश्व बैंक चलित नलकूपों की जनपदवार संख्या

क्रमांक	जनपद का नाम	सामान्य योजना के अन्तर्गत	विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत	योग
1	2	3	4	5
1	मेरठ	605	17	622
2	सहारनपुर	671	97	769
3	मुजफ्फरनगर	528	51	579
4	गाजियाबाद	292	14	306
5	बुलन्दशहर	560	47	607
6	मुरादाबाद	1008	55	1063
7	बिजनौर	587	51	638
8	रामपुर	245	25	270
9	आगरा	371	0	371
10	मथुरा	17	0	17
11	मैनपुरी	440	89	529
12	एटा	535	78	613
13	अलीगढ़	653	96	749
14	देहरादन	50	0	50
15	गढ़वाल	6	0	6
16	बरेली	435	117	552
17	पीलीभीत	53	24	77
18	शाहजहांपुर	344	45	392
19	बदायूं	919	119	1038
20	नैनीताल	175	50	225
21	लखनऊ	276	45	321
22	उन्नाव	101	46	147
23	सीतापुर	540	19	619
24	लखीमपुर खीरी	501	98	689
25	रायबरेली	245	103	348
26	हरदोई	410	129	539
27	कानपुर (देहात)	328	89	417
28	कानपुर (शहर)	24	0	24
29	फर्रुखाबाद	367	0	367
30	इटावा	302	98	400
31	इलाहाबाद	950	126	1076
32	फतेहपुर	390	56	446
33	झांसी	54	9	54

1	2	3	4	5
34	ललितपुर	1	0	1
35	हमीरपुर	380	22	402
36	जालौन	356	54	410
37	बांदा	331	54	385
38	फैजाबाद	704	103	807
39	बाराबंकी	200	45	245
40	गोण्डा	546	51	597
41	बहराइच	430	16	446
42	सुल्तानपुर	525	70	595
43	प्रतापगढ़	151	0	151
44	गोरखपुर	741	185	926
45	बस्ती	829	99	926
46	देवरिया	747	69	816
47	आजजगढ़	548	91	639
48	जौनपुर	479	51	530
49	गाजीपुर	600	96	696
50	बलिया	625	27	652
51	वाराणसी	1252	109	1361
52	मिर्जापुर	268	0	268
	योग ..	22785	2990	25775

सत्यमेव जयते

सूची--2

वर्ष 1988-89 में लगाये जा रहे (ऊर्जीकरण के लक्ष्यानुसार) राजकीय एवं विश्वबैंक नलकूपों की संख्या जनपदवार

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	सामान्य योजना के अन्तर्गत	विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत	कुल योग
1	2	3	4	5
1	मेरठ	11	0	11
2	सहारनपुर	2	5	7
3	मुजफ्फरनगर	1	0	1
4	गाजियाबाद	1	0	1
5	देहरादून	3	0	3
6	अलीगढ़	1	10	11
7	बुलन्दशहर	2	0	2
8	आगरा	8	0	8
9	मथुरा	5	0	5
10	मैनपुरी	4	5	9
11	एटा	2	45	47
12	मुरादाबाद	10	15	25
13	बिजनौर	5	0	5
14	रामपुर	1	20	21
15	गढ़वाल	2	0	2
16	बरेली	7	20	27
17	पीलीभीत	1	15	16
18	शाहजहांपुर	2	15	17
19	बदायूं	9	25	34
20	नैनीताल	20	10	30
21	झांसी	1	0	1
22	ललितपुर	0	0	0
23	हमीरपुर	14	0	14
24	जालौन	6	0	6
25	बांदा	9	0	9
26	लखनऊ	4	0	4
27	उन्नाव	2	0	2
28	सीतापुर	6	15	21
29	रायबरेली	11	10	21
30	लखीमपुर	5	0	5
31	कानपुर (शहर)	0	0	0
32	कानपुर (देहात)	8	23	31
33	हरदोई	5	15	20
34	फर्रुखाबाद	8	15	23
35	इटावा	3	15	18

1	2	3	4	5
36	इलाहाबाद	106	16	122
37	फतेहपुर	7	10	17
38	वाराणसी	6	12	18
39	मिर्जापुर	12	0	12
40	गाजीपुर	11	15	26
41	बलिया	22	0	22
42	आजमगढ़	8	3	11
43	जौनपुर	12	12	24
44	प्रतापगढ़	4	0	4
45	फैजाबाद	19	0	19
46	बाराबंकी	2	0	2
47	गोण्डा	7	0	7
48	बहराइच	9	0	9
49	सुल्तानपुर	31	15	46
50	गोरखपुर	31	32	63
51	बस्ती	39	1	40
52	देवरिया	25	6	31
	योग ..	530	400	930

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1986–87 में मथुरा जनपद के विद्युतीकरण के लिये चयन किये गये गांवों की सूची :

विधान सभा क्षेत्र	ग्राम का नाम
मथुरा-वृन्दावन	1—अहिल्यागंज
	2—कोसा अलीपुर
	3—नवीपुर
गोवर्धन	4—भगोसा
	5—मडोरा
	6—भवनपुरा
	7—जान
	8—महरौली
	9—माई
	10—वेरी
छाता	11—रनवारी
	12—बुखरारी
	13—भेदावल
	14—उझानी
	15—हुलावाना
	16—सिरथला
	17—हथिया
	18—आझयी
	19—पाली
	20—सेही
	21—सहार
मांट	22—नसटी
	23—जेसवां
	24—जरारा
	25—थोकज्ञान
	26—मिठौली
	27—मालई
गोकुल	28—नगला अर्जुन
	29—सुखदेवपुर
	30—पासेली
	31—विरोनी
	32—वरोली
सादाबाद	33—नौपरा
	34—मिढ़ावली
	35—सैंया
	36—बसई हबीबपुर
	37—चौबारा

38--आरती
39--वीर नगर

उन ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है :--

ग्राम	विधान सभा क्षेत्र
1--जान	गोवर्धन
2--हथिया	छाता
3--पासेली	गोकुल
4--विरोनी	गोकुल
5-लेवसई हबीबपुर	सादाबाद।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 99 पर)

घाघरा नदी की कटान एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु वर्ष 1987–88 एम0बी0 पर किये गये कार्यों की लागत उप खंडवार एवं अवर अभियन्तावार

क्रम-संख्या	अवर अभियन्ता का नाम	वर्ष 1987–88 (लाख रु0 में)
	1—श्री मुन्ना सिंह सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रथम उपखंड बिक्रमजोत, जिला बस्ती	
(1)	श्री आर0 पी0 सिंह	0·60
(2)	श्री राम धनी प्रसाद	7.35
(3)	श्री दुर्गेश ओझा	10.67
(4)	श्री रामबूझ	0.90
	2—श्री पी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता द्वितीय, द्वितीय उप खंड-छावनी, जिला बस्ती	
(1)	श्री उदय राज सिंह	63.42
(2)	श्री रामयश वर्मा	12.66
(3)	श्री लालमन प्रसाद	34.07
(4)	श्री परदेशी मौर्य	1.44
	3—श्री के0 के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता तृतीय, तृतीय उपखंड, बस्ती	
(1)	श्री शिवाधार	30.51
(2)	श्री डी0 के0 यादव	3.70

घाघरा नदी की कटान एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु वर्ष 1988–89 में एम0 बी0 पर किये गये कार्यों की लागत।

	1—श्री मुन्ना सिंह, सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रथम उपखंड बिक्रमजोत, जिला बस्ती	(वर्ष 1988–89 लाख रु0 में)
(1)	श्री आर0 पी0 सिंह	27.79
(2)	श्री रामधनी प्रसाद	21.25
(3)	श्री दुर्गेश ओझा	5.54
(4)	श्री एस0 बी0 सिंह	20.93
(5)	श्री वाई0 एन0 त्रिपाठी	8.48
(6)	श्री रामबुझ	1.87
	2—श्री पी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता द्वितीय, द्वितीय उपखंड, छावनी, जिला बस्ती	
1)	श्री उदयराज सिंह	26.50
(2)	श्री रामयश वर्मा	47.11
(3)	श्री कतवारू प्रसाद	5.98
(4)	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	8.70
(5)	श्री परदेशी मौर्य	3.77
	3—श्री के0 के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता तृतीय, तृतीय उपखंड, बस्ती।	
(1)	श्री डी0 के0 यादव	3.42
(2)	श्री आर0 एन0 सिंह	6.22
(3)	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव	2.39